राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 10] पंचम् विधान सभा के दशम् सत्र का सतरहवां दिवस [संख्या 10

बुधवार

21 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, वित्त, कृषि, चिकित्सा, सहकारिता, जन-सम्पर्क, खनिज, भेड़ व ऊन, स्वायत्त शासन, पर्यटन, एवं वन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्रीमती निर्मला कुमारी !

चित्तौड़गढ़ की तहसील में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण

225. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) चित्तौड़गढ़ तहसील में अनुसूचित जाति तथा जन जाति की कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां बनीं ?

(2) किन-किन समितियों को ऋण वितरित किया जा चुकी है, और कितनी समितियों को ऋण प्राप्त नहीं हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि सबसे पूर्व "सावा" ग्राम में सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन किया गया था ? यदि हां, तो इस समिति को ऋण अभी तक क्यों नहीं दिया गया ? और निकट भविष्य में इस समिति को कब तक ऋण वितरित कर दिया जावेगा ?

सहकारिता मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) चित्तौड़गढ़ तहसील में अनुसूचित जाति/जन जाति की 5 गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन किया गया है।

(2) इनमें से घनेतकलां व चित्तौड़गढ़ अनुसूचित जाति व जन जाति गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण वितरित किया गया तथा तीन समितियों को ऋण वितरित नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं। पहले चित्तौड़गढ़ गृह निर्माण सहकारी समिति पंजीयन हुई तथा उसे ऋण दे दिया गया है। वर्तमान में उन्हीं गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण का भुगतान किया जाता है जिनको एक किश्त का भुगतान कर दिया गया है। जिन सहकारी समितियों को एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया गया है उन्हें अभी ऋण नहीं दिया जा सकेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम से पर्याप्त ऋण राशि प्राप्त होने पर ऋण दिया जा सकेगा।

Page No 2

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : ऋण क्यों नहीं दिया जा सकेगा? माननीय मन्त्री महोदय, उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से पैसा जमा किया है।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : रजिस्ट्रेशन कब हुआ है ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : अनेकों सहकारी समितियां हैं जिनको यह कहा जाता है कि ऋण मिलेगा। गांवों में जो स्थिति है कि कुछ कर नहीं सकते हैं। सारी बातें पूरी हो गई हैं लेकिन ऋण नहीं मिल रहा है। क्या धनाभाव के कारण मन्त्री महोदय नहीं दे रहे हैं ?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं। आखिर यह परम्परा हमारे यहां कब तक चलती रहेगी ? एक तरफ तो उनको पूछिए जो योजना बना रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार की ओर से यह जवाब आता है। आखिर यह कब तक चलेगा ?

एक माननीय सदस्य : जब तक आपका राज्य है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब तक धनाभाव की स्थिति बनी रहेगी, यह ऋण भुगतान नहीं हो सकता है। इससे पूर्व भी राज्य सरकार स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर चुकी है। जीवन बीमा निगम से जब तक अपेक्षित धन प्राप्त नहीं होगा तब तक ऋण नहीं मिल सकेगा। अभी 1 करोड़ रुपया राजस्थान हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटीज के लिए प्राप्त हुआ है। उसके साथ में यह शर्त रखी गई है कि यह उनको ही दिया जा सकता है जिन समितियों को पहली किश्त का भुगतान कर दिया गया है। जिनको अभी तक एक भी किश्त नहीं दी गई है, उनको नहीं दिया जा सकता है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है तो "सावा" गृह-निर्माण सहकारी समिति का पंजीयन 18-10-72 को हुआ है।

श्री औंकारलाल चौहान (डग) : अध्यक्ष महोदय....

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : एक, एक।

श्री शंकरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, 18-10-72 को रजिस्ट्रेशन हुआ उनको भी ऋण नहीं दे सकते हैं ?

श्री औंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में यह हुआ है कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए विशेष कर योजना बनाई गई थी और यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी आवास व्यवस्था पूरी की जाएगी। क्या इस प्रकार के उत्तर से उनमें निराशा उत्पन्न नहीं होती है ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ऋण के बारे में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिससे निराशा उत्पन्न हो। धनाभाव की स्थिति बनी रहती है। आर्थिक कार्यक्रम में यह नहीं है कि जितना धन चाहिए, उसकी व्यवस्था करा दी जाएगी। यह प्रधान मन्त्री जी के 21 सूत्री योजना के अनुसार ही है। जब तक

Page No 3

(श्री रामनारायण चौधरी)
जीवन बीमा निगम से, जो कमिटेड एक्सपेण्डीचर है, उपलब्ध नहीं होगा तब तक यह नहीं हो सकता। जितनी सहकारी समितियों को भुगतान कर दिया गया है, एक भी किश्त का, उन्हीं को करेंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, जिनको आप दे चुके हैं, उनको आप कब तक दूसरी किश्त दे देंगे ?

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय ...

श्री रामनारायण चौधरी : यह जिम्मेदारी दी गई है? यह नियमों के अनुसार ही किया गया है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, यह उन लोगों को पहले ही कहा जा सकता था। गरीब लोगों को पैसा इकट्ठा करने में कितनी मुश्किल आती है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह पहले से पता नहीं था।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या धनाभाव के कारण नयी गृह निर्माण सहकारी समितियों को पंजीकृत नहीं करने के आदेश दे दिए हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी हां। ऐसी समितियों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया है।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ पीड़ितों ने जो रजिस्ट्रेशन कराये हैं, जिन गरीबों की झोंपड़ियां बह गई हैं। उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या उनके बारे में सरकार विचार करेगी, उनके बारे में कोई रिलेक्सेशन है अथवा नहीं। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि यदि धनाभाव के कारण दें तो उन गरीबों से 100-100 रुपये लेने की क्या बात थी। उन लोगों की स्थिति देख कर रोना आता है। जवाब पूछते हैं। तो जवाब नहीं आता है। मैं कहती हूं कि जब सरकार के पास धनाभाव है तो यह प्रोपेगण्डा करने की क्या आवश्यकता है ?

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : उसके बाद दो रजिस्ट्रेशन और हुए, उनकी डेट बता सकते हैं ?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जीवन बीमा निगम ने यदि यह स्पष्ट कह दिया है तो जिनसे 100-100 रुपये की राशि ली है, क्या राज्य सरकार उनको वापिस लौटाने का विचार कर रही है ?

... एक माननीय सदस्य : धनाभाव हो जाएगा।

श्री किशोरीलाल शर्मा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में आदिवासी लोगों से फार्म भराये गये। लोगों से रुपये जमा कराये गये। 8-8 महीने हो गये हैं, उनको कोई ऋण नहीं मिला है। न उनको रुपये ही वापिस मिले हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष जयपुर आये थे। उनसे मुख्य मन्त्री महोदय ने विस्तार से बातें की थीं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बम्बई जाकर वह देखेंगे। इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि जिन्होंने शेअर मनी जमा करा दिया है, उनको ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उनकी राशि वापिस लौटा दी जाएगी। अगर वह गृह निर्माण सहकारी समिति चाहे तो लौटाने के बारे में राज्य सरकार विचार कर लेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो ऐसे ही आते हैं।

झालावाड़ चिकित्सालय में रोगियों को खून देने की व्यवस्था

226. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ चिकित्सालय में रोगी को खून देने की कोई व्यवस्था नहीं है ? इससे मरीजों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(2) क्या यह सही है कि गत दो साल से खून देने की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार से निवेदन किया जा रहा है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो इसकी व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) जी नहीं।

(2) वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर न लेने की व्यवस्था है और न देने की व्यवस्था है। जैसा कि कोटा चिकित्सालय में है, वह व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ब्लड बैंक की व्यवस्था सब जगह नहीं है, केवल 6 ब्लड बैंक हैं। वहां पर एक टेक्निशियन है जो बम्बई से ट्रेन्ड है और जो भी खून देना चाहे, उसकी वहां पर व्यवस्था है। अब तक वहां पर 135 रोगियों को खून दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय की सूचनार्थ बता दूं कि अलवर में भी एक ब्लड बैंक है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री गुरदयालसिंह सन्धु !

श्री गंगानगर में रासायनिक खाद की सहकारी समितियों द्वारा बिक्री

227. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में विभिन्न किस्म की रासायनिक खाद शहरों में, देहातों में और

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
सहकारी समितियों द्वारा किस किस भाव से एक जनवरी, 1975 से 31 दिसम्बर, 1975 तक बेची गई है ? जिलेवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या अलग अलग स्थानों पर बेची गई खाद की कीमत में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) राज्य में उक्त समय में जिलेवार अलग अलग किस्म की कितनी कितनी रासायनिक खाद प्राइवेट डीलरों, सहकारी समितियों व दूसरी एजेन्सियों द्वारा बेची गई ?

(4) क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर में रासायनिक खाद मंहगे भाव पर बेची जा रही है ?

(5) क्या यह सही है कि जुलाई-अगस्त, 1975 से जब से भारत सरकार ने रासायनिक खाद के भाव में कमी की है जिला श्री गंगानगर में कोई कमी नहीं की गई और किसानों को मिट्टी मिली हुई फटी हुई बोरियों में तोल कर बोरी का वजन उसमें शामिल करके 106 रुपये से 108 रुपये तक बेची जाती रही है ?

(6) क्या यह सही है कि इस खाद की उर्वरक शक्ति (खाद वर्षा में पड़ी रहने के कारण) बहुत कम थी और इसे बेचने की गर्ज से प्राइवेट डीलरों द्वारा या किसी अन्य साधनों से जिला श्री गंगानगर की सीमा के अन्दर दूसरी खाद लाने की मनाही कर रखी है ?

(7) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा रासायनिक खाद के निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत किसी भी स्थान पर वसूल नहीं की जा सकती चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिन्होंने निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत रासायनिक खाद की वसूल की है, कोई कार्यवाही करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, इसका जानकारी मंगवानी पड़ेगी, अभी प्राप्ति नहीं हुई है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ?

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही जरूरी प्रश्न है और माननीय मन्त्री महोदय, जानबूझ कर इसका जवाब नहीं देना चाहते ···.

श्री अध्यक्ष : जल्दी जवाब तैयार करवाइये, स्थगित किया जाता है। नेक्स्ट, सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव !

राजस्थान में धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास

228. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में प्रति वर्ष कितने विदेशी पर्यटक आते हैं ?

(2) विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार कौन-कौन से नये पर्यटन स्थल विकसित करने का विचार रखती है ?

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

(3) क्या सरकार धार्मिक स्थलों की ओर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये इनको विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक कितने ऐसे धार्मिक पर्यटन स्थलों को विकसित किया है और भविष्य में कौन कौन से धार्मिक स्थल इस दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री पर्यटन (श्री जुझारसिंह): (1) राजस्थान में सन् 1974 में करीबन 55,781 पर्यटक आये थे।

(2) जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा-बूंदी और रणकपुर पर्यटक स्थलों को विकसित करने का विचार है।

(3) जी हां, सरकार ने अब तक माउन्ट आबू, नाथद्वारा, अजमेर, पुष्कर आदि धार्मिक स्थलों को विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विकसित किया है और रणकपुर और जैसलमेर के धार्मिक स्थलों को भी विकसित करने का विचार है। रणकपुर में तो नया टूरिस्ट बंगला बनाने का कार्य हाथ में ले लिया गया है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह ठीक है लेकिन मेरे प्रश्न का जो सम्बन्ध है वह पर्यटन विभाग को हर दृष्टि से ही ध्यान देना चाहिए, जैसा कि मन्त्री महोदय ने जवाब दिया, अजमेर एक धार्मिक स्थल है, जयपुर में भी और भी कई दर्शनीय स्थान हैं उनमें कितने धार्मिक और दर्शनीय स्थलों को आप डवलप कर रहे हैं, यह नहीं बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि गलता जी है और सूर्य मन्दिर है वहां तक जाने की क्या व्यवस्था है, जहां से हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं इसके बारे में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। दूसरी चीज यह है कि सारे धार्मिक स्थलों पर कहीं भी जाइये, दरगाह शरीफ हो, चाहे कोई मन्दिर हो वहां पर भिखारियों की वजह से हमारे देश की प्रतिष्ठा को गिराया जाता है उसके प्रति सरकार क्या सोचती है ? यह बहुत ही शर्म की बात है कि विदेशी लोग अपने देशों में जाकर वहां पर इस तरह का इस देश का पिक्चर पेन्ट करते हैं। क्या यह उचित है ? इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है जिससे कि इन भिखारियों को यहां से हटाया जाय ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सरकार के ध्यान में है कि राजस्थान में अनेकों धार्मिक जगह हैं, उनको सरकार डवलप करने का विचार रखती है ?

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि हल्दी घाटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थान है। क्या उसको सरकार डवलप करने का विचार रखती है ? क्या सरकार के पास कोई योजना है, उसको डवलप करने की ? और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जून के महीने में हल्दी-घाटी युद्ध का चार सौ वां वर्ष पड़ रहा है, क्या राज्य सरकार ने इसको डवलप करने की कोई कमेटी या कोई योजना बनाई है ? उसकी जानकारी कृपया मन्त्री महोदय दें और क्योंकि अभी चावण्ड में सिंचाई

(श्री मनोहर कोठारी)

मन्त्रीजी ने यह घोषणा की थी कि उसको समारोहपूर्वक मनाने की, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिये, क्या उसको भी सम्मिलित कर लिया गया है ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जोधपुर को इस लायक बनाने के लिये कि वहां पर बहुत से पर्यटक देखने के लिये आ सकें और एक अच्छा दर्शनीय स्थल बन सके इसके लिये कोई योजना बनाई गई है ?

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : (श्री रामानन्द अग्रवाल के खड़े होने पर) अलवर को डवलप करने की योजना ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री, क्या आपके विभाग का प्रोग्राम केवल विदेशी पर्यटकों को देखने योग्य स्थानों को ही डवलप करना है या और देश के भी लोगों के लिये कुछ करता है ? दूसरी स्टेट के लोग जो हमारे यहां आते हैं देखने के लिये क्या उनके लिये भी सस्ती धर्मशालाएं बनवाने की कोई योजना है या केवल विदेशी पर्यटकों के लिये फाइव स्टार होटल की ही योजनाएं आपका विभाग बनाता है ?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि शहरों में दर्शनीय स्थानों के लिये ही योजनाएं हैं और शहरी क्षेत्रों के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं तो क्या ग्रामीण व्यक्तियों के लिये भी तहसील स्तर पर कोई इस प्रकार के स्थान बनाने की योजना सरकार अपने ध्यान में रखती है? क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन यह था कि विदेशी पर्यटकों से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई और भविष्य में कितनी होने की उम्मीद है? इसके साथ ही विदेशी पर्यटकों के ठहरने आदि की व्यवस्था के लिए सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : पहले इनका जवाब तो आने दो, अध्यक्ष महोदय, यह परंपरा ठीक नहीं है। इससे पूरे जवाब नहीं आ पायेंगे और बड़ा अन्याय हो जायगा।

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : इसके बाद भी आप खड़े हो गये।

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) : सदरे मोतरम, हल्दी घाटी का यहां पर जिक्र किया गया है तो वहां पर कुछ भी नहीं है। दूसरी जगह जैसे काटा में सीताबाड़ी है, वहां हमारे भाई कई लोग जियारत को जाते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं किया गया है।

श्री विजयसिंह : (अश्रव्य)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

Page No 8

(8)

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेड़ता, चित्तौड़ में मीरा का स्थान है, वह भी एक धार्मिक स्थल है, धाना सैन्च्यूरी के विकास का प्रश्न है, सभी धार्मिक स्थानों को एक साथ डवलप नहीं किया जा सकता है इसलिए कम्पेरेटिवली जो ज्यादा इम्पॉर्टेन्ट स्थान हैं उन्हीं को पहले हाथ में लिया जा रहा है और उनको डवलप किया जा रहा है। उसमें सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेन्ट अजमेर शरीफ में दरगाह है वहां पर काफी लोग आते हैं वहां पर जो टूरिस्ट बंगला बना हुआ है उसमें एडीशन करके पिछले साल ही पांच लाख रुपया लगाया है जिससे टूरिस्टों की ज्यादा अच्छी व्यवस्था हो सके। इसी तरह से ज्यादा इम्पॉर्टेन्ट धार्मिक स्थल पुष्कर है, उसको भी डवलप करने की कोशिश की गई, उसका भी ज्यादा प्रचार करने के लिए पर्यटन विभाग ने प्रयास किया है। उसी तरह से दूसरे धार्मिक स्थल हैं जयपुर में उनके लिए भी ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कराने की हमने कोशिश की है। जो उदयपुर में जगत् शिरोमणी का मंदिर हैं उसमें भी पर्यटकों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था की जाने वाली है। महत्वपूर्ण स्थान है। फाइनेन्सेज की कमी की वजह से हम उसको डवलप करने में मजबूर हैं लेकिन दूसरे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां अपने आप पर्यटक आ रहे हैं, हम महसूस करते हैं कि उनका विकास पूरी तरह हो जाने के बाद में दूसरे स्थान का विकास करने की कोशिश की जाएगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जालोर के किले को भी ले लेना।

श्री जुझारसिंह : यह सही है कि बीकानेर में पर्यटकों को इनकन्वीनियेंस होती है। अब जो कानून बनाया गया है उससे उनकी असुविधा कम हो जाएगी। हल्दी घाटी के लिए जैसा माननीय सदस्य ने कहा, इस साल 400 वर्ष 21 जून को पूरे हो रहे हैं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई शुरुआत की जाए तो विभाग द्वारा हम इस साल एक लाख रुपये खर्च करेंगे। एक लाख से तो कोई खास काम नहीं होगा लेकिन शुरूआत करने के लिए एक लाख का प्रावधान कर रहे है ताकि अच्छी शुरुआत हो सके और एक कमेटी बनाने का भी विचार है ताकि वह उसके आल आस्पेक्ट्स ऑफ डवलपमेंट को देखे। सड़कें भी बनेंगी और भी बहुत काम करने हैं। कमेटी की राय से प्रोजेक्ट बनाने का विचार है। हम कोशिश जरूर करेंगे कि 21 जून तक कुछ न कुछ हो जाए।

इसी तरह से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि केवल विदेशी पर्यटकों के लिए यह विभाग है क्या? मैं आपको बता दूं कि जहां भी लोकल पर्यटक आना चाहें तो उसके लिए भी विभाग ने कोशिश की है। आबू पहाड़ पर ज्यादातर लोकल पर्यटक आते हैं। लोकल पर्यटकों के लिए नाथद्वारा कराब है वहां पर्यटक बंगला भी बनाया है। नाथद्वारा का विकास होने वाला है। इसी तरह से सिरिस्का में भी लोकल पर्यटक ज्यादा आते हैं, वहां के विकास के लिए भी विभाग ने काफी किया है। लोकल व विदेशी पर्यटकों में डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता है लेकिन विदेशियों के आने से विदेशी मुद्रा मिलती है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

अलवर के भू. पू. महाराजकुमार द्वारा शराए आम पर नाजायज कब्जा

229. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि अलवर के भू. पू. महाराज कुमार श्री प्रतापसिंह ने अपनी कोठी फलबाग और मोती डूंगरी की दक्षिणी दीवार के बीच शराए आम को नाजायज और गैर कानूनी तौर पर रोक दिया है जिसमें पश्चिम की ओर एक दीवार बना दी है और पूर्व की ओर एक दरवाजा लगा दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर नगर विकास न्यास ने अपनी मीटिंग में शराए आम की दीवार और दरवाजा हटाकर शराए आम को खोलने का फैसला किया था ?

(3) क्या यह सही है कि आपात-कालीन स्थिति लागू होने के बाद अलवर शहर में नगर न्यास, नगरपालिका, तहसील और पी.डब्ल्यू.डी. ने मिलकर (एन्क्रोचमेंट) नाजायज कब्जे हटाने का अभियान चलाया था जिसमें कितने ही लोगों के कब्जे हटाये गए थे जिसमें दीवारें और तामीरें भी तोड़नी पड़ी थीं ?

(4) क्या यह सही है कि भूतपूर्व महाराज कुमार प्रतापसिंह द्वारा शराए आम पर नाजायज कब्जा अभी तक कायम है और शराए आम के नुक्कड़ पर बनी हुई दीवार और दरवाजा अभी तक नहीं हटाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री राम नारायण चौधरी) : (1) जी हां।

(2) न्यास द्वारा इस तरह का निर्णय अपनी न्यास बैठक दिनांक 1-8-75 में नहीं लिया गया बल्कि यह निर्णय लिया गया था कि मोती डूंगरी की तरफ दक्षिण दिशा में आने वाली सड़क की ओर इस रोड पर बाए हाथ पर सेंट्रल स्कूल के पास बिना पूर्व स्वीकृति के एक पक्की कम्पाउंड वाल निर्मित कर ली गई है जो अनधिकृत है। इस सम्बन्ध में, न्यास द्वारा दिनांक 1-8-75, 18-9-75 व 26-9-75 को, जो विभिन्न अनधिकृत निर्माण हैं, इन अनधिकृत निर्माणों को हटाने के सम्बंध में विभिन्न निर्णय लिए गए हैं; उन निर्णयों की आंशिक प्रतिलिपि संलग्न है। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व महाराज कुमार श्री प्रतापसिंह ने न्यास के खिलाफ दीवानी दावा दायर कर न्यास को जेर हुक्म इम्तनाई पाबंद कराया है। ऐसी स्थिति में न्यास अनधिकृत निर्माण को हटाने में असमर्थ है।

(3) न्यास द्वारा आपातकालीन स्थिति में नगर परिषद की सहायता से शहर में तथा न्यास की सीमाओं में व्यवसायिक क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण को हटाया गया। इन अतिक्रमणों में न्यास द्वारा कोई पक्की तामीर नहीं हटवाई गई है बल्कि जनता ने स्वयं ने ज्यादातर अपने अनधिकृत निर्माणों को स्वयं हटाए हैं व न्यास का सहयोग लिया है।

(4) जी हां। कारण भाग (2) के उत्तर में बता दिए गए हैं।

(निर्णयों के लिए कृपया, परिशिष्ट 1 देखिये)

Page No 10

(10)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपने जो स्थगन आदेश अदालत का बताया है, यह केवल न्यास पर है और नगरपरिषद् पर नहीं है, क्या यह सही है ?

श्री रामनारायण चौधरी : जो जानकारी मेरे पास है उस आधार पर तो न्यास के खिलाफ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसी तारीख को स्थगन आदेश प्राप्त हुआ ?

श्री रामनारायण चौधरी : 20-9-75 को प्राप्त हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहला निर्णय 1-8-75 को हुआ जिसको आपने अधूरा पढ़ा और पूरा पढ़ कर नहीं सुनाया। निर्णय यह हुआ 1-8-75 को कि जो अनधिकृत कब्जा है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त जिलाधीश महोदय, अलवर इस सम्बन्ध में वांछित रिकार्ड का निरीक्षण करके नगर परिषद अलवर के माध्यम से उक्त किए गये अनधिकृत डंडे की तामीर की व्यवस्था एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक रूप से कर देंगे ताकि हर आदमी को आगमन की दृष्टि से मार्ग मिल सके। क्या यह सही है कि 1-8-75 का यह निर्णय था ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य न्यास के सदस्य भी हैं और उन्हीं के द्वारा वहां पर प्रश्न उठाया गया था। 1-8-75 को निर्णय हुआ था उसके बाद....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने पढ़ कर सुनाया है, यह निर्णय हुआ था।

श्री रामनारायण चौधरी : 18-9-75 को माननीय सदस्य ने यह प्रश्न फिर न्यास के अन्दर उठाया। . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं के जो मैंने पढ़ कर सुनाया, 1-8-75 को यह न्यास ने निर्णय लिया कि नगर परिषद एक सप्ताह के अन्दर तुड़वायेगा ? क्या यह सही है ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह निर्णय तो 1-8-75 को लिया है, उसमें आप थे और आपके प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया और उसके बाद दूसरा निर्णय 18-9-75 को न्यास की बैठक में हुआ जिसमें आप उपस्थित थे और जिलाधीश ने आपको सारी जानकारी दी है और जिलाधीश ने कहा कि इस मामले में मैं छानबीन कर रहा हूं और शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। अब प्रश्न यह है कि वैसे प्रश्न काल में व्यवस्था उत्पन्न नहीं होती लेकिन माननीय सदस्य जहां लोकल बोडीज के सदस्य होते हैं वहां पर वहां के काम की जानकारी विधान सभा का तरह, आपको मिलती है। वह जानकारी रेडिली जितनी माननीय सदस्य को वहां मिल जाती है उतनी यहां पर नहीं आ पाती है तो यदि कोई सो रहा है तो उसका जगाया जा सकता है लेकिन जागने वाले को जगाने में कठिनाई है। फिर मैं माननीय सदस्य को क्या उत्तर दूं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1-8-75 को न्यास ने हटाने का निर्णय लिया कि नगर परिषद हटाएगी। न्यास इंतजार करता रहा स्टे ऑर्डर का। 18-9-75 को भी स्टे ऑर्डर नहीं था, वह 20 तारीख को आया है और वह आज भी नगर परिषद के खिलाफ नहीं है। नगर परिषद उसको हटा सकती है। जितना पहले अनधिकृत निर्माण हटाया है वह जिलाधीश,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पी. डब्ल्यू. डी. नगर परिषद और न्यास ने हटाया है। जब किसी ने कहा तो जवाब दिया कि पी. डब्ल्यू. डी. ने हटाया। पी. डब्ल्यू. डी. ने कहा तहसील का हटाया? जब जनता को भी हटाया तो महाराज कुमार के क्या सुरखाब के पर हैं कि आज तक जब नगर परिषद के खिलाफ स्टे ऑर्डर भी नहीं तो वह क्यों नहीं उसको हटाती?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अब तो हो सकता है इमर्जेन्सी में।

श्री विजयसिंह (मांडल) : सिविल कोर्ट ने न्यास को दिया है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : सिविल कोर्ट ने नगर न्यास के खिलाफ दिया है न कि नगर परिषद को दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सही है कि स्थगन आदेश नगर न्यास के लिए दिया गया है। जो एन्क्रोचमेन्ट हटाने हैं वे होंगे हीं, लेकिन स्टे दे रहा है। यदि वर्तमान स्थितियों में उसके लिए कोई कार्यवाही करेंगे तो जो स्टे नगर न्यास को दिया गया है वह नगर परिषद को भी दिया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इमर्जेन्सी लागू होते ही चार दिन बाद स्टे जारी किया। सैंकड़ों आदमियों के पास स्थगन आदेश थे। नगर परिषद और यू. आई. टी. की तरफ से तो आपने जवाब दिया कि पी. डब्ल्यू. डी. ने हटाये हैं हमने नहीं हटाये हैं। आम आदमी के लिए आपकी यह पॉलिसी हो और महाराज कुमार के लिए दूसरी पॉलिसी। उनके लिए 20 तारीख के पहले तो स्थगन आदेश नहीं थे फिर क्यों नहीं हटाये गये?

श्री रघुनाथ विश्नोई : म्युनिसिपलिटी इन्तजार कर रही है स्थगन आदेश की क्या?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री राजेन्द्रसिंह।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैंने नेक्स्ट प्रश्न काल कर लिया है।

सीकर जिले में टाइगर का शिकार

230. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि माह दिसम्बर 75 में जिला सीकर में नेशनल एनीमल का शिकार किया गया है? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी?

राज्य मंत्री, वन (श्री मूलचन्द मीणा) : यह सही नहीं है कि शेर का शिकार किया गया। शेर उत्पाती व हिंसक था इसलिए दिनांक 30-12-75 को पुलिस दल द्वारा इसे मारा गया।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या दुबारा प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय पढ़ कर सुनायेंगे? समझ में नहीं आया।

श्री मूलचन्द मीणा : यह सही है नहीं कि शेर का शिकार किया गया। शेर उत्पाती व हिंसक था इसलिये दिनांक 30-12-75 को पुलिस दल द्वारा इसे मारा गया।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि शेर मारा गया। बल्कि उसका शिकार किया गया।

एक माननीय सदस्य : शेर को मारने और शिकार करने में क्या अन्तर है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई शेर अहिंसक हो सकता है क्या ?

श्री राजेन्द्रसिंह : उसको स्टेनगन आदि से मारा गया और उसका फोटो है मेरे पास मैं उसको टेबल पर रखता हूं। यह चीता था या शेर था इससे साफ मालूम हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : मारा गया है। शिकार नहीं किया है।

वन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, अखबार वालों ने कुछ भी लिखा हो। हम कह रहे हैं वह सही है।

श्री राजेन्द्र सिंह : फोटो है मेरे पास।

श्री परसराम मदेरणा : हम कह रहे हैं कि शेर था। चीता गलत कहा है। शेर था।

श्री राजेन्द्रसिंह : उसको मारने की क्या आवश्यकता थी। अधिकारियों को सूचना पहले दे दी गयी थी। वह वन विभाग का काम था। उनका सोचना था क्या ?

श्री करणसिंह (डीग) : कितने आदमियों को मारा उसने, इसकी रिपोर्ट हुई है क्या ?

श्री राजेन्द्र सिंह: मुझे जानकारी मिली है कि उनको जान माल का खतरा था। जान का तो हो सकता था, लेकिन माल का कहां था ?

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : यह उत्पाती शेर था कितना नुकसान किया ? कितने जानवरों को और कितने आदमियों को इसने नुकसान पहुंचाया ? क्या यह सही है कि उस शेर का लाकर रखा और लोगों को बताया और फिर मारा ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 9 टाइगर प्रोजेक्ट्स हिन्दुस्तान में लागू किये गये हैं उसके मातहत शेरों को मारना गैर-कानूनी करार दिया गया है और एक टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान में भी है सवाई-माधोपुर में। उसमें हिदायत यह है कि शेर को जिन्दा पकड़ने की कोशिश की जाय। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उस शेर ने जो दूसरी जगह से चल कर आया था किसी जानवर को या इन्सान को मारा ? आपके पास कोई रिपोर्ट है ? मेरी रिपोर्ट यह है कि पुलिस सिपाहियों ने स्टेनगन जो कि फौजी लोग इस्तेमाल करते हैं उन हथियारों से मारा जबकि शेर को मारना गैरकानूनी था ?

श्री राजेन्द्रसिंह : क्या इसको मारने के बाद इसकी खाल फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के कब्जे में पहुंच गई है ?

श्री परसराम मदेरणा : अन्तिम सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं कि उसकी खाल टैनिंग के लिए मैसूर भेजी है और उसका पार्थिव शरीर सुपरिन्टेन्डेन्ट जू के पास है उसको आप देख सकते हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

स्टेनगन भी काम में ली गई है। वस्ट है उसमें 14 होल हैं, उनमें से 1 स्टेनगन का है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत और रूल्स बने हुये हैं कि शेर को मारना मना है और प्रॉफेन्स भी है। राजस्थान में एक टाइगर प्रोजेक्ट है और टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम लागू होने के बाद में हिन्दुस्तान में 9 प्रोजेक्ट हैं कुल मिलाकर, ताकि जो स्थिति मेग्नीफिसियेन्ट है, और एक्स्टीन्क्ट होने से बचाया जाय, वर्ल्ड ओवर अवेकनिंग चल रही है और हिन्दुस्तान में भी इसको बचाने का हर प्रयास किया जा रहा है इसलिए इसकी स्पेसीज को बचाने के लिए, एन्टी पोचिंग और प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया गया। पूरे देश भर में यह लागू है और राजस्थान में भी इसको एडाप्ट किया गया है।

जान माल के खतरे की बात। एक टैलीग्राम मिला। जो शब्द यूज किया गया है उसमें ज्यादा खतरा जान का था, इन्सान और पशुओं की जान का भी खतरा था। फोरेस्ट ऑफिसर को पहले सूचना नहीं दी गई थी। कोई भी हंटिंग करना चाहता है तो वाइल्ड लाइफ वार्डन की पूर्व इजाजत के बिना टाइगर का शिकार नहीं हो सकता है। इसमें दूसरी सरकमस्टान्सेज थीं। प्रश्न यह आता है कि वह हिंसक था या नहीं। सबूत क्या है? 30 दिसम्बर को सीकर के पास पीपराही गांव में 7 बजे के आस पास पहुंचा गोपी की ढाणी में। उदयपुर वाटी से निकला होगा और उधर आते ही गोपी की ढाणी में घुसने की कोशिश की। सामने एक लड़की आई और उसके पैर को खींचकर जख्मी कर दिया। जगदीश सामने खड़ा हुआ था। जगदीश को भी जख्मी कर दिया और झोंपड़ी में चला गया। झोंपड़ी में जाकर बैठ गया। पास वाली झोंपड़ी में तीन बच्चे और एक औरत थी। उन्होंने दरवाजा बन्द कर लिया और झोंपड़ी के अन्दर अनाज की कोठरी थी उसमें छिपकर बैठ गए। वह डर के मारे भयभीत थे कि शेर दरवाजा खोल ले और झोंपड़ी में घुस जाय तो कोठरी में भी घुस जायेगा। रतनलाल, सरपंच पीपराली ने कलेक्टर और एस. पी. को सूचना दी, कलेक्टर और एस. पी. 9.30 पर मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा, वहां बहुत आतंक का वातावरण था, तीन इन्सानों को शेर इन्जर कर चुका था। टाइगर को प्रिजर्व रखा जाय, उसको नहीं मारा जाय, यह ठीक है लेकिन पुलिस ने जो कुछ किया है वह सेल्फ डिफेन्स में किया है दूसरे प्रसन्स के। (व्यवधान) सुनिये आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : शेर जंगल में आता मालूम नहीं होता है।

श्री विजयसिंह : आप पूछिये सवाल ?

श्री परसराम मदेरणा : धारा में लिखा है :

"Killing or wounding in good faith of any wild animal in defence of one's own or of another person shall not be an offence."

श्री राजेन्द्रसिंह : मेरा प्रश्न यह है....

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह मानता हूं कि जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया है यह गलत है, यह फोटू वगैरह खींचना। यह नेशनल एनीमल था, किसी तरह भटक कर आ गया, उसको खदेड़ सकते तो जरूर खदेड़ देते। लेकिन वहां ढाणी खाली हो गई थी, लोगों में आतंक छा गया था। पुलिस के सामने, कलेक्टर के सामने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने और रास्ता नहीं था। उन्होंने सोचकर जो एक्शन मौके पर लिया, हो सकता है फारेस्ट का आदमी होता तो उसको पकड़ने का इन्तजाम करता। लेकिन उनके लिए वह सम्भव नहीं था और जो वहां विशेष परिस्थितियों में एक्शन लिया है, वह उन सरकम्सस्टान्सेज में सही प्रतीत होता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो भावनायें व्यक्त की हैं....

श्री अध्यक्ष : काफी लम्बा टाइम दे दिया है। श्री रघुनाथ विश्नोई ! 15 मिनिट हो गए।

जालौर सहकारी बैंक की आर्थिक हालत

231. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक की आर्थिक हालत पिछले पांच सालों में कमजोर हुई है? अगर हां, तो क्यों? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

(2) उक्त बैंक के खर्चे एवं आमदनी का पिछले पांच साल का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त बैंक की आर्थिक हालत सुधारने के लिए भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी?

(4) उक्त बैंक की ऋण क्षमता बढ़ाने के बारे में भविष्य में कब तक क्या क्या कार्यवाही की जावेगी?

सहकारिता मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां। क्योंकि अवधिपार ऋणों में बढ़ोतरी के कारण बैंक ऋण प्राप्त कराने में असमर्थ रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक ने ऋण वसूली में अपेक्षित प्रयास नहीं किये।

(2) ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) बैंक के अवधिपार ऋण की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं तथा उनमें और गति लाई जावेगी। रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे इस बैंक की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कारगर कदम उठावें।

(4) बैंक की बकाया ऋण वसूली एवम् हिस्सा पूंजी एवं डिपोजिट्स बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही से बैंक की ऋण क्षमता बढ़ेगी।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जब यह बैंक स्थापित हुआ था,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
उसका पांच साल का नक्शा दिया है, इससे यह प्रतीत होता है कि जितनी इन्कम है उतना खर्च है। इस हिसाब से यह को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक का जुरिस्डिक्शन हर गरीब तबके और हर काश्तकार तक है, दूसरी बैंक का दस मील का रेडियस निर्धारित कर रखा है, यह बैंक है जिसमें काश्तकारों को ऋण सुविधा उपलब्ध है। जालौर जैसे जिले में, जिसमें उत्पादन का काफी स्कोप है, बैंक की ऐसी हालत है तो बैंक की हालत को सुधारने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया गया? आप स्वयं ने स्वीकार किया है कि ऐसी हालत है और नक्शे से भी साफ जाहिर होता है, जब कि कल आपने जवाब दिया था कि वन थर्ड वीकर सेक्शन्स को लोन देंगे, उसमें आप कामयाब नहीं होंगे इससे साफ प्रतीत होता है। इसके बारे में क्या सोचते हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : जो जानकारी दी है, 1973-74 में 750.93 का लाभ था और 1974-75 में 47,458.34 का हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि प्रयत्न 1974-75 में किये गये। जैसा कि मैंने बताया था, इस बैंक की ऋण की वसूली बहुत नगण्य रही है, बड़ी असन्तोषजनक रही है। इस वर्ष बैंक ने महसूस किया है और काश्तकारों को ऋण दिया है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : कुछ नहीं दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह बहुत कम दिया है। जालौर की स्थिति को देखते हुए। इसलिए रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग को निर्देश दिये हैं कि बैंक की स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं—इस बात के प्रयत्न किये जायं। बैंक की आर्थिक स्थिति सुधारने में मजबूरी आयी तो राज्य सरकार कानून के अनुसार कार्यवाही करेगी और बैंक की स्थिति को सुधारा जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो आंकड़े बताये हैं, पिछले पांच साल में कुर्की करके वसूली के सिवाय बैंक ने ऋण देने या मेम्बरशिप बढ़ाने की कार्यवाही नहीं की है। आप बराबर देख लीजिये, इससे अन्दाज नहीं लगेगा कि हालत सुधरी है। खर्च और इन्कम एक हिसाब से आती है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। हिसाब मिलता है 6 लाख 900 का, खर्च उतना हो गया। तो प्रगति नहीं हुई। जितनी इन्कम हुई है उतना खर्च हो गया। जालौर के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से इस बैंक को विशेष कुछ सुविधायें नहीं देंगे और बैंक की हालत को अच्छी तरह से नहीं सुधारेंगे तो 20 सूत्री कार्यक्रम फेल हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नानालाल।

ऊन का उपयोग व विदेशों में निर्यात की योजना

232. श्री नानालाल (राजसमन्द) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान में भारत की 50 प्रतिशत ऊन पैदा होती है? यदि हां, तो इसके उपयोग व विदेशों को निर्यात के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई? यदि हां, तो क्या?

राज्य मन्त्री, भेड़ व ऊन (श्री मुंशीलाल महावर): राजस्थान में सारे देश की करीब 40-45 प्रतिशत ऊन पैदा होती है। इसके उपयोग व विदेशों को निर्यात के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनाई गई है। फिर भी इससे सम्बन्धित योजना बनाने के लिए राजस्थान में ऊन विपणन मण्डल की स्थापना करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री नानालाल : क्या यह सही है कि राज्य सरकार इस समय भी ऊन खरीदी है?

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : इनको मालूम नहीं है।

श्री मुन्शीलाल महावर : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस वक्त कहां कहां से कितनी कितनी ऊन खरीदी जाती है?

श्री मुंशीलाल महावर : यह अलग से प्रश्न है। वैसे 45 लाख के लगभग ऊन खरीदे जाने का प्रावधान है।

श्री दीपंकर : क्या यह बताने की कृपा करेंगे....

एक माननीय सदस्य : इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं कि ऊन किस भाव से खरीदी जाती है?

श्री नानालाल : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। इस प्रदेश में राजस्थान में ऊन कितनी पैदा होती है प्रति वर्ष? यह बताया जाय? यह भी बताया जाय कि आपके पास प्रति वर्ष कितनी ऊन को काम में लेने का साधन है?

श्री दीपंकर : इसके साथ ही सप्लीमेंट्री है, चोखाला भेड़ नाम की भेड़ राजस्थान में है? तो कहां और उससे कितना पर्सेन्ट ऊन की पैदावार होती है?

श्री मीठालाल : यह अलग से प्रश्न है।

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि ऊन कितनी पैदा होती है, मैं निवेदन कर चुका हूं आपके माध्यम से कि हिन्दुस्तान में जो ऊन पैदा होती है उसकी 45 पर्सेन्ट राजस्थान में पैदा होती है। उसके साथ साथ हमारे यहां ऊन का क्रय-विक्रय मार्केटिंग का काम राजस्थान में होता है। गत साल में हमने पर्चेज की है, इस वर्ष ऊन का बाजार गिर जाने के कारण स्टाक में ऊन होने की वजह से ऊन कम खरीदी गई है। ऊन के उपयोग के बारे में जैसा माननीय ने पूछा है, इसके बारे में डिटेल प्रोजेक्ट बनाने के लिए आदेश सचिव महोदय के मार्फत दे दिये गये हैं। वह कमेटी जल्दी बनने वाली है, और डिटेल स्टडी करके प्राजेक्ट तैयार करेगी। उसके आधार पर बोर्ड बनाने का विचार राज्य सरकार करेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कितनी रकम रखी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 233!

श्री विजयसिंह : जो ऊन खरीदी गई है और बेची गई है ..

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट!

मैसर्स एल्मा लेबोरेट्रीज, बम्बई से दवाइयों की खरीद

233. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल), श्री गणेशलाल (गंगरार) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा सत्र फरवरी-मार्च 1975 में सदन में एक सदस्य ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा एक नई दवाई की कम्पनी मैसर्स एल्मा लेबोरेट्रीज, बम्बई द्वारा दवाई सप्लाई करने का टेण्डर स्वीकृत करने में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा की थी और इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री ने सदन को जांच कराने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या यह जांच पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें । यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों ?

(2) उक्त मामले में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कौन कौन अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी द्वारा सप्लाई की गई ए.पी.सी. नाम की दवा को राजकीय लेबोरेट्रीज में जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो कब और क्या वह दवा सब-स्टैण्डर्ड पाई गई है और इस दवा में केफिन नाम का पदार्थ जो रोगियों के उपचार के लिये आवश्यक है, नहीं पाया गया है ? यदि हां, तो कथित फर्म का अदालत में प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि अधिकारियों ने इस कम्पनी का टेण्डर स्वीकृत करते समय या दवाइयां खरीदने से पहले इसके द्वारा बनाई गई दवाइयों की जांच नहीं करवाई ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त कम्पनी से ए. पी. सी. की दवा पूरे राजस्थान में कितनी मात्रा में एवं कितनी राशि की खरीदी गई ? यह दवा सब-स्टेण्डर्ड पाई गई तो उसकी राशि मैसर्स एल्मा लेबोरेट्रीज से वापिस वसूल करने का राज्य सरकार का कोई इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि अब उक्त मैसर्स एल्मा लेबोरेट्रीज ने वर्ष 1976-77 में दवाइयां सप्लाई करने के लिये विभाग को कोई टेण्डर दिया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस प्रकार की गलत दवाइयां बनाने वाली कम्पनी का पुनः कोई टेण्डर स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मोहनलाल (छंगाणी): (1) जी हां, मैसर्स एल्मा लेबोरेट्री, बम्बई द्वारा दवाई सप्लाई करने के टेण्डर को स्वीकार करने के सम्बन्ध में अनियमितताएं होने की चर्चा श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा द्वारा की जाने पर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय से वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट ली गई जो प्राप्त हो चुकी है। निदेशक द्वारा यह बताया गया है कि मैसर्स एल्मा लेबोरेट्रीज, बम्बई रेल्वे एवं दूसरे प्रान्तों

Page No 18

(18)

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
के चिकित्सा संस्थाओं को अपने द्वारा निर्मित दवाइयां सप्लाई करने के तस्दीक में उन्हें दस्तावेज बताये थे और उनके आधार पर उनके रेट जो दूसरे के मुकाबले में कम पाये गये थे स्वीकार किये गये हैं। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां, किन्तु अदालत में चालान करने के पूर्व अन्य जांच करवानी आवश्यक है जो कराई जा रही है।

(4) जी हां। खरीदने से पूर्व दवाइयों की जांच कराने का प्रावधान नहीं है और न ही ऐसा करना व्यवहारिक होगा।

(5) पूरी खरीद का विवरण जिला स्तर से प्राप्त किया जा रहा है। किन्तु इस फर्म से की गई खरीद का भुगतान दवाइयों की जांच कराने के बाद ही करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये थे।

(6) जी हां। नये टेण्डर्स के आधार पर दवाइयां अनुमोदन करने का कार्य विभागीय स्टोर पर्चेज कमेटी के विचाराधीन है। अभी इस सम्बन्ध में विभागीय स्टोर पर्चेज कमेटी द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है। निर्णय लेने से पूर्व इन बातों का भी पूरा ध्यान रखा जावेगा।

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय, क्या आगामी वर्षों के लिए पर्चेज के लिए यह पॉलिसी सरकार बनाएगी कि जिस तरह की दवाइयां कम्पनी ने दी है उसको देखते हुए भविष्य में सप्लाई बन्द करने के बारे में सरकार निर्णय लेगी ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह सारी की सारी दवाइयों के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां दवाइयां जो सब-स्टेण्डर्ड हैं और जो अडल्ट्रेटेड हैं, तो अडल्ट्रेटेड और सब-स्टेण्डर्ड में फर्क करना पड़ेगा। पहले तो ड्रग इन्सपेक्टर के द्वारा पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री में जांच होती है, उसके बाद गाजियाबाद की फार्मासेटिका में भेजते हैं और फिर सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेट्री, कलकत्ता को भेजते हैं। यहां से बैचेज लिए, एक सीकर और एक करौली को। दो बैचेज गाजियाबाद को गए जिसमें सिसिलसाईट ज्यादा मिला और कैफिन की कमी नहीं आई। दूसरा बैच करौली का भेजा जो सब-स्टेण्डर्ड पाया गया। उसके बावजूद पेमेंट नहीं किया गया है और न खरीद की गई और अगर खरीद की गई थी तो उसका पेमेंट नहीं करने के आदेश कर दिए हैं। अब जो बैचेज सेन्ट्रल रिसर्च लेबोरेट्री, कलकत्ता को भेजे गये हैं उसके बारे में उनको फिर लिखा जा चुका है। उनका आगार भरा हुआ है। छः-आठ महीने में जब फाइनल टेस्ट होकर रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कार्यवाही करेंगे। इसके उपरान्त भी अभी पर्चेज के जो टेण्डर हैं उनको तय करते समय जो कम्पनी का पिछला व्यवहार है उसको पूरा का पूरा सामने रखा जाय और उसके आधार पर सेन्ट्रल पर्चेज कमेटी उसका निर्णय करेगी।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि गाजियाबाद में और

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)
सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेट्री, कलकत्ता को भेजा उसमें कोई चीज कम पाई दवाई जिस का नाम बताया गया, उसमें एस्पेरिन या कैफिन जो कम पाई गई है तो क्या भविष्य में उससे दवाइयां खरीदना बन्द कर दिया गया है और आगे वितरण भी नहीं करेंगे ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : वह पूरा का पूरा सील हो गया है। ज्योंही यह पता लगता है कि दवाई सब-स्टेण्डर्ड है तो यों की यों बन्द कर देते हैं। उसके सप्लाई करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय कुछ निष्पक्ष जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं जांच करा रहा हूं जैसे ही जांच पूरी होगी कम्पनी मेरे शिकंजे में आएगी मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

श्री रामसिंह कुड़ी : जिनकी साजिश से यह सब हुआ है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैंने निवेदन किया कि पहले ड्रग इन्सपेक्टर के द्वारा पब्लिक लेबोरेट्री में जांच की जाती है, उसके बाद फार्मासेटिका गाजियाबाद भेजते हैं और उसके बाद सेन्ट्रल रिसर्च लेबोरेट्री, कलकत्ता को भेज दिया जाता है सारी रिपोर्ट आने के बाद ड्रग एक्ट के तहत सरकार कार्यवाही करेगी। अगर प्रोसीक्यूशन करना होगा तो प्रोसीक्यूशन करेंगे, चालान करना होगा तो चालान करेंगे, जो भी कार्यवाही करना आवश्यक होगा, वह सब की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या भ्रष्टाचार विभाग को देने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री माणकचन्द सोगानी !

नगर परिषद्, अजमेर के कर्मचारियों की जन स्वास्थ्य विभाग में प्रति नियुक्ति

234. **श्री माणकचन्द सोगानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् ने अपने जल विभाग के कर्मचारियों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग राजस्थान में प्रति नियुक्ति पर भेजा है ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों को प्रति नियुक्ति भत्ता दिया गया अथवा नहीं ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या प्रति नियुक्ति कर्मचारियों को वापिस नगर परिषद् में भेजने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ? क्या इस सम्बन्ध में कर्मचारियों ने वापिस जाने के लिए मांग की है ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही करने में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ कर्मचारियों को वापिस नगर परिषद् में भेज दिया गया है ? यदि हां, तो कितनों

Page No 20

20

(श्री माणकचन्द सोगानी)
का ? तथा अब कितने कर्मचारी और जाना चाहते हैं ? और उनको नहीं भेजने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी नहीं। अजमेर नगर परिषद् पेय जल योजना चलाती थी जिसको स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान का स्थानान्तरित किया गया है। चूंकि पूर्ण जलदाय योजना स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की हो गई है इसलिए उक्त जलदाय विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी स्थानान्तरित किया गया है, अतः प्रति नियुक्ति भत्ता दिए जाने का प्रश्न नहीं आता है। इस योजना के स्थानान्तरण की शर्तें अभी निर्णीत होनी हैं। इन कर्मचारियों के उक्त विभाग में समायोजित करने का प्रश्न भी निर्णीत होगा।

(2) प्रश्न एक के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) तीन कर्मचारियों को नगर परिषद् की सेवाओं में ले लिया गया है। 20 कर्मचारी और नगर परिषद् की सेवा में आना चाहते हैं। राज्य सरकार द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री माणकचन्द सोगानी : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो-तीन बातें जो पैदा होती हैं वह यह है अध्यक्ष महोदय, कि डेढ़ साल पहले यह विभाग पी. एच. ई. डी. को ट्रांसफर हुआ, उसके बाद जिन आदमियों का वहां पर प्रोविडेन्ट फण्ड काटा गया वह पी. एच. ई. डी. ने वहां पर जमा करा दिया, म्युनिसिपैलिटी अभी तक जो देती थी वह भत्ता नहीं दिया गया है, उसके लिए मन्त्री महोदय क्या विचार रखते हैं।

दूसरा यह सवाल है कि जहां तक यह जो लोग लिए जायेंगे उनकी सर्विसेज के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि इससे बड़ी भारी उनके मन में एक उत्कण्ठा पैदा हो रही है कि हमारी सीनियोरिटी में कहां पर जाकर किस नम्बर पर कायम होगी।

तीसरा सवाल यह है कि कुछ आदमियों को जब आपने वापिस भेजा है तो अब कितने आदमी और जाना चाहते हैं, उनको भेजने में क्या बाधा पैदा हो रही है? जब कुछ को भेजा है तो कुछ को नहीं भेजने की क्या वजह है। यह मालूम हुआ है कि 11 आदमी वापिस जाना चाहते हैं जो टेक्निकल हैंड नहीं हैं उन्हें वहां नहीं लेना चाहते हैं। उनके बारे में पी. एच. ई. डी. के जी. ए. सी. हैं उनका यह मानना है कि जो अनस्कीलिंग वर्कर हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, वह डिपार्टमेन्ट के लिए बोझा हैं, यह कब तक स्वीकार कर लिए जायेंगे ? कृपा करके इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अजमेर म्यूनिसिपल कौंसिल पहले वाटर सप्लाई स्कीम को स्वयं चलाती थी। राज्य सरकार द्वारा इस वाटर सप्लाई स्कीम को पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को सुपुर्द कर देने के कारण उस योजना में जितने भी कार्यकर्ता काम कर रहे थे वे भी योजना के साथ ही पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चले गए। क्योंकि यह कार्य पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट को चला गया तो उस योजना

(श्री रामनारायण चौधरी)

में काम करने वाले जो लोग थे वे भी साथ चले गए। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इन एम्प्लाइज की टर्म एण्ड कण्डीशन्स, उनकी पीछे की सर्विसेज, उनके प्रोविडेन्ट फण्ड आदि का क्या होगा। इस प्रश्न पर राज्य सरकार पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट के साथ बातचीत कर रही है और अभी निर्णय नहीं हुआ। तीन व्यक्ति उन्होंने वापिस किये हैं जिनमें वापिस आने वालों में एक ट्रक का ड्राइवर है। चूंकि जब वाटर सप्लाई स्कीम ट्रांसफर की गई तो ट्रक नहीं दिया गया, इसलिए इस ड्राईवर को वे ले नहीं सकते थे और नगर परिषद् को देना नहीं चाहिए था इसलिए वापिस दिए गए। एक व्यक्ति फोर्थ क्लास, को गलती से नगर परिषद् ने खल्लासी बताकर दे दिया था जिसके बारे में बाद में जानकारी होने पर वापिस दिया गया। एक व्यक्ति मदनगोपाल लिपिक जो जलदाय शाखा में काम करता था और बाद में यह पाया गया कि वह व्यक्ति जलदाय स्कीम में काम नहीं कर रहा था इसलिए वापिस म्युनिसिपल कौंसिल में लिया गया है।

श्री माणकचन्द सोगानी : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या 235

श्री अमृतलाल गहलोत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामगोपाल !

राजकीय अस्पताल बारां में शय्याओं की व्यवस्था

236. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि राजकीय अस्पताल बारां, जिला कोटा में रोगियों के लिए 50 शय्याओं की व्यवस्था है जो कि आवश्यकतानुसार अपर्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार इसको 100-शय्याओं की श्रेणी वाले अस्पताल में क्रमोन्नत करने का विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

(चिकित्सा मन्त्री जी अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : चिकित्सा मन्त्री जी।

श्री रामगोपाल : पलायन कर गए साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल !

श्री रामगोपाल : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आना चाहिये। मन्त्री जी अभी तो यहीं पर थे।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न भी मौजूद है।

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : पढ़ तो मैं देता हूं।

श्री अध्यक्ष : That will not be proper.

चिकित्सा मन्त्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : जी नहीं। योजना मद में

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
सीमित वित्तीय साधनों के कारण जिला स्तरीय अस्पतालों के अलावा उप-खण्ड स्तर पर कार्यरत चिकित्सालयों को 100 रोगी शय्याओं के चिकित्सालय में क्रमोन्नत करना सम्भव नहीं है।

श्री रामगोपाल : यह कब तक सम्भव हो जाएगा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब वित्तीय स्थिति सुधर जाएगी, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामगोपाल : यह कब तक सुधर जाएगी ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह मेरे से नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछना चाहिये।

श्री रामगोपाल : यह स्वास्थ्य का मामला है, फाइनेंस का नहीं। यह तो आप उनसे पूछो।

श्री शंकरलाल (पाली) : यह प्रायोरिटी में तो है या नहीं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, अभी तक हम जिस तरह से कल्पना करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की कितने उप-खण्ड तक अस्पताल हों, कितनी शय्यायें सब-डिविजन तक हों, हैडक्वार्टर पर कितनी हों, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर अस्पताल कितने हों, कितनी उनमें शय्यायें हों उस सब की जो कल्पना हम लेकर चलते हैं लेकिन वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण माननीय सदस्य की और मेरी स्वयं की भी बहुत उत्सुकता होने के बावजूद हम कर नहीं पा रहे हैं। माननीय सदस्य के साथ मेरा मतैक्य होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री मोहनराज !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-1-76)

मरु विकास मण्डल

5. **श्री मोहनराज** (पाली) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मरु विकास मण्डल आयोग की स्थापना कब की गई ? इसकी स्थापना सम्बन्धी विज्ञप्ति की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। साथ ही इसके पदाधिकारी एवं सदस्यों की सूची भी प्रदान करें।

(2) स्थापना के बाद क्या इस आयोग की बैठकें हुई हैं ? यदि हां, तो कब कब ?

(3) इस आयोग ने इस वर्ष मरु विकास से सम्बन्धित क्या क्या कार्यक्रम लिए हैं ? इसका वार्षिक बजट क्या है ? आगामी वर्ष हेतु यदि कोई योजना बनाई हो तो कृपया उसकी रूप रेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) मरु विकास आयोग की स्थापना दिनांक 8 अगस्त, 1975 को हुई। विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का विवरण विज्ञप्ति की प्रति में उपलब्ध है। आयोग में केवल एक सचिव का ही पद स्वीकृत है।

(श्री शिवचरण माथुर)

(2) जी हां । आयोग की बैठक दिनांक 16-10-1975 को हुई ।

(3) यह परामर्शदात्री आयोग है। वर्ष 1975-76 के संशोधित अनुमान रुपये 2,16,600 का है । आयोग ने कुछ उप-समितियां गठित की हैं जो योजनाओं की रूप-रेखा तैयार करेंगी ।

श्री मोहनराज : अभी तक जो आप फर्मा रहे हैं कि सूची संलग्न है, वह प्राप्त नहीं हुई है, कृपया भिजवा दें । दूसरा मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अलग अलग कार्यक्रम इस मरु क्षेत्रीय विकास मण्डल के क्षेत्राधिकार में हैं उन क्षेत्र विशेष के लिए क्या योजनाएं आपके मण्डल के विचाराधीन हैं ? यह बताने की कृपा करें ।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया कि आप थोड़ा कन्फ्यूज कर रहे हैं । मण्डल अलग है और आयोग अलग है । मण्डल तो एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है उसके पीछे पॉलिसी को निर्धारित करने के बाद सही तौर से डायरेक्शन देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष पूनमचन्द जी विश्नोई हैं जैसा मैंने उत्तर में निवेदन किया कि इस आयोग की बैठक अक्टूबर में हुई थी और उस बैठक में यह निर्णय किया गया कि कुछ स्पेशल कमेटीज एक्सपर्ट्स की बैठाई जायें जो कि मौके पर जाकर विविध विषयों का अध्ययन करके रिपोर्ट पेश करें और यह उनकी रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा । आयोग ने जो कमेटीज बैठाई हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है:—

(1) वित्तीय साधन एवं क्षमता ।

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण एवं भू-जल ।

(3) जल संरक्षण, बिजली उपयोग, वन एवं चरागाह विकास ।

(4) ग्रामीण जल वितरण ।

(5) पशु एवं दुग्ध विकास ।

यह पांचों ऐसे विषय हैं जो कि डेजर्ट के वाइड पर्सपेक्टिव को कवर करते हैं । इन कमेटीज में एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं और जब वह इस पर विचार कर लेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे तब सरकार के अलग-अलग विभागों के माध्यम से इस काम को किया जा सकेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री शिवनारायण ।

श्री मोहनराज : नॉन ऑफिशियल्स को एसोसियेट किया या नहीं ? यह पूछना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री शिवनारायण !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-1-76)

सब-तहसील अन्ता की लघु सिंचाई योजना

8. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सब-तहसील, अन्ता, बारां तहसील की लघु सिंचाई योजनायें मंजूर हो चुकी हैं ? यदि हां, तो

(श्री शिवनारायण)
कब तक इनका कार्य चालू कर दिया जावेगा ? तथा योजना अधिकारी एवं सम्बन्धित स्टाफ की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी तथा बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : जी हां। पंचायत समिति, अन्ता एवं बारां की लघु सिंचाई योजनायें मन्जूर हो चुकी हैं। इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों के ऋण आवेदन-पत्र तैयार करवाने हेतु प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी है। योजनाओं के लिये स्टाफ भी मन्जूर कर दिया गया है। परियोजना अधिकारी की नियुक्ति इसलिए नहीं हो पायी है कि उनके चयन के लिए कुछ कार्यवाही की जाना शेष है।

श्री शिवनारायण : माननीय अध्यक्षजी, मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों योजनायें मन्जूर हो चुकी हैं लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है और जनवरी का महीना आ चुका है और आगे गर्मी के महीनों में मार्च, अप्रेल और मई में यह कार्य हो सकता है तो कब तक स्टाफ वहां पर पूरा दे दिया जायेगा ताकि कार्य जल्दी से जल्दी चालू हो सके ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह योजना 28 नवम्बर, 1975 को ए. आर. सी. की तरफ से फाइनली एप्रूव हुई थी और उसके पहले ही सारा स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया था। केवल प्रोजेक्ट ऑफिसर की नियुक्ति नहीं हुई थी और वह इसलिए नहीं हुई थी कि उसके लिए कुछ रूल्स बनाये गये और उसमें सलेक्शन कमेटी का निर्माण किया गया जिसके अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी हैं और वह 30 जनवरी से पहले मिलकर सलेक्शन करके गवर्नमेन्ट को लिस्ट भेज देगी। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिसर की नियुक्ति कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भू-जल विभाग के ड्राइवरों को ओवर टाइम भत्ता

235. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या भू-तल जल मण्डल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य कि राजस्थान भू-जल विभाग के 'हैवी रिग' का वजन 27,211 किलोग्राम और लम्बाई 48 फीट होती है।

(2) क्या यह सत्य है कि जिस ट्रक के पीछे 'हैवी रिग' को बांध कर ले जाया जाता है उस पर 12 टन वजन भरना आवश्यक है ?

(3) क्या यह सत्य है कि 'हैवी रिग' को ट्रक के पीछे बंधने पर आगे से पीछे तक कुल लम्बाई 96 फीट होती है।

(4) 'हैवी रिग' को ट्रक के पीछे बांधकर चलाने वाले ड्राइवरों को मेडल

(श्री अमृतलाल गहलोत)

ग्रेवल, कच्चे और रेगिस्तानी व पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए क्रमशः कितने किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से चलना पड़ता है ?

(5) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त ड्राइवरों को हैड क्वार्टर छोड़ने के पश्चात् सप्ताह में 7 दिन एवं दिन में चौबीस घण्टे लगातार काम करने पर भी कोई ओवर-टाइम भत्ता नहीं मिलता जो श्रम अधिनियम के विपरीत है ?

(6) केन्द्रीय सरकार के विभागों में उपरोक्त कार्य करने वाले ड्राइवरों का वेतन, ओवर-टाइम भत्ता इत्यादि उपरोक्त ड्राइवरों से कितना भिन्न है ?

(7) क्या उपरोक्त ड्राइवरों की वेतन शृंखला में वृद्धि एवं ओवर-टाइम भत्ता इत्यादि की मांग राजस्थान अंडर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड कर्मचारी यूनियन (इन्टक) द्वारा की गई है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-जल विभाग में कई प्रकार की हैवी रिग है जिनकी लम्बाई एवं वजन अलग-अलग है। विभाग की भारी से भारी रिग का वजन करीब 19-20 टन होती है और अधिकतम लम्बाई 36 फुट होती है। रिग का मास्ट जो कि एक एसेसरी है सिर्फ उसकी लम्बाई 48 फुट है और यह ट्रक द्वारा खींचते समय इसका बाहर निकला हुआ हिस्सा ट्रक के डाले में आ जाता है।

(2) ट्रक और हैवी रिग को बांधकर ले जाते समय यह आवश्यक नहीं है कि ट्रक में 12 टन वजन भरा ही जावे।

(3) ट्रक को हैवी रिग से बांधने पर अधिकतम लम्बाई 58-59 फुट से अधिक नहीं होती।

(4) हैवी रिग को ट्रक के पीछे बांधकर चलने पर 15-20 किलो मीटर प्रति घन्टे की रफ्तार से चलना पड़ता है।

(5) हैवी रिग पर 2 ट्रक होते हैं, एवं दो ड्राइवर होते हैं तथा सप्ताह में 7 दिन एवं दिन में 24 घण्टे लगातार काम करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता अतः श्रम अधिनियम का उल्लंघन नहीं होता है। हैडक्वार्टर से बाहर काम करने का यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता नियमानुसार दिया जाता है।

(6) केन्द्रीय सरकार के विभागों में कार्य करने वाले ड्राइवरों को क्या वेतन एवं ओवर-टाइम मिलता है इसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। नवीनतम वेतन मान 1969 के नियमानुसार इस विभाग के वाहन चालकों को वेतन शृंखला 110-5-160-8-200-10-230 में वेतन दिया जाता है।

(7) ऐसे वाहन चालकों की वेतन शृंखला में वृद्धि इत्यादि की मांग राजस्थान भू-जल विभाग कर्मचारी यूनियन ने की थी लेकिन इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जा सका।

Page No 26

(२६)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जेलों की श्रेणियां

114. श्री जयकिशनलाल लोसावड़ा (फागी) : क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितनी श्रेणियों के जेल हैं ?

(2) प्रत्येक श्रेणी के जेलों को क्या-क्या सुविधा दी जाती हैं ? और राज्य सरकार जेलों में क्या सुधार करने जा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में इस समय निम्न लिखित श्रेणियों के कारागृह हैं:—

1. केन्द्रीय कारागृह	3
2. जिला कारागृह 'ए' श्रेणी	4
3. जिला कारागृह 'बी' श्रेणी	2
4. जिला कारागृह 'सी' श्रेणी	2
5. विशेष श्रेणी उप-कारागृह	1
6. उप-कारागृह	70

कारागृहों एवं उप-कारागृहों की सूची संलग्न है।

(2) राज्य का विभिन्न श्रेणी की कारागृहों में बन्दियों को नियमानुसार निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जाती हैं:—

1. राज्य की केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों में बन्दियों को विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धे सिखाये जाते हैं ताकि कारागृहों से मुक्त होकर वे इन उद्योगों के सहारे अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

2. राज्य की बड़ी-बड़ी कारागृहों में बन्दियों को पुस्तकालय, वाचनालय की सुविधा प्रदान की हुई है। बन्दियों के मनोरंजन के लिए रेडियो, ढोलक, हारमोनियम, मंजीरे आदि की व्यवस्था की हुई है तथा बन्दियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल-कूदों में भाग लेने की पूर्ण सुविधा प्रदान की हुई है।

3. बन्दियों के मानसिक विकास के लिए राज्य के बड़ी-बड़ी कारागृहों में प्रौढ़ शिक्षा के साथ-साथ बन्दियों की हिन्दी की विभिन्न परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के अध्ययन कराये जाने की व्यवस्था को हुई है तथा बन्दियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरी एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने की सुविधा प्रदान की हुई है।

4. बन्दियों में सहकारिता एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो इस दृष्टि से राज्य बड़े-बड़े कारागृहों में पंचायत सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है।

5. बन्दियों के मामलों के पुनरावलोकन के लिए सलाहकार मण्डलों की नियुक्ति जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में की हुई है जो सम्बन्धित सर्किल के बन्दियों को समय से पूर्व रिहा किये जाने की राज्य सरकार को सिफारिश करते हैं।

6. राजस्थान पैरोल रूल्स, 1958 एवं राजस्थान प्रीजनर्स एक्ट, 1960 के

(कारागृह मंत्री)

अन्तर्गत अच्छे आचरण वाले बन्दियों को पेरोल पर जाने की सुविधा दी जाती है।

7. अच्छे आचरण वाले बन्दियों को खुले शिविरों में भेजे जाने की सुविधा दी जाती है, जहां बन्दी बिना किसी देख-रेख के कार्य करके अर्थोपार्जन करते हैं और शिविर पर की गई आय से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। बन्दियों को खुले शिविरों में अपने परिवार के साथ रहने की सुविधा प्रदान की हुई है।

8. अच्छे आचरण वाले बन्दियों को गर्मी की ऋतु में खुले में सोने, सजा की अवधि में कमी (रेमीशन दिये जाने) सी.ओ. व सी.एन.डब्ल्यू. के पद पर नियुक्ति, स्टार क्लास दिये जाने, परिवार वालों को पत्र लिखने, उनसे मिलाई करने आदि की सुविधा दी हुई है।

9. बन्दियों को बैण्ड में भाग लेने की सुविधा दी हुई है और बैण्ड पार्टी कारागृहों से बाहर भेजी जाती है। बैण्ड की आय में से आधी आय बैण्ड पार्टी में भाग लेने वाले बन्दियों को नियमानुसार दी जाती है तथा शेष आधी कोष में जमा करा दी जाती है।

पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन

115. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार ने सन 1972-73, 1973-74 एवं 1974-75 में किन-किन पत्र-पत्रिकाओं को कितने कितने का विज्ञापन कब-कब दिया? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1972-73 1973-74 एवं 1974-75 में नियमित पत्र-पत्रिकाओं में दिये गये विज्ञापनों की सूची (क), (ख), (ग) संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

बुनकर सहकारी समितियों को अनुदान

116. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से बुनकर सहकारी समितियों को अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो जयपुर की कितनी ऐसी सहकारी समितियों को अनुदान दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा केवल उत्पादन (कताई-बुनाई आदि) का कार्य करने वाली प्रमाणित खादी समितियों को निर्धारित पैटर्न के अनुसार धनराशि दी जाती है। जयपुर

Page No 28

(28)

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)
में इस प्रकार की कोई सहकारी समिति नहीं है।

जयपुर जिले में खनिज सम्पदा की खोज

117. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में खनिज सम्पदा की खोज के लिए कब-कब सर्वे किया गया? सर्वे रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार इस जिले में खनिज सम्पदा की खोज के लिये नये सिरे से सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और किस एजेन्सी द्वारा?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में खनिज सम्पदा की खोज संयुक्त राजस्थान के निर्माण के समय से ही चल रही है। सन् 1960 में खान एवं भू-विज्ञान विभाग का पुनर्गठन किया गया उस समय विभाग में भू-वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि करके राज्य में वैज्ञानिक ढंग से खनिज सर्वेक्षण का कार्य व्यवस्थित रूप से किया गया। तत्पश्चात् वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक के एक कार्यालय की स्थापना जयपुर में की गई। जिसके द्वारा प्रति वर्ष खनिज सम्पदा की खोज के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का चयन कर उनमें खोज का कार्य कराया गया इसके अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में खनिज सर्वेक्षण का कार्य कराया गया:—

1. सीमेन्ट बनाने के योग्य लाइम स्टोन के भण्डारों का सर्वेक्षण 1957-58 में कोठपूतली क्षेत्र में कराया गया।

2. लोह खनिज का सर्वेक्षण 1955-56 में चौमूमोरीजा क्षेत्र में कराया गया।

3 सन् 1957-58 में माताकुला में ताम्बे की खोज के लिए कार्य कराया गया।

4. सन् 1954-55 में निमला के समाप लोह खनिज की खोज कराई गई।

5. रायपुर क्षेत्र में लाइम स्टोन एवं कैल्साइट का सर्वेक्षण 1958-59 में कराया गया।

6. देवा तहसील बैराठ के पास ब्लूकाइंस का सर्वेक्षण 1959-60 में कराया गया।

7. कांच की बालू के भण्डार का सर्वेक्षण 1970-71 में जयपुर जिले में पाये जाने वाले स्थानों में कराया गया।

8. इमारती पत्थर के भण्डार का सर्वेक्षण 1956-57 में जयपुर में कराया गया।

9. लालसोट के समीप गोल क्षेत्र में चीनी मिट्टी के भण्डार का सर्वेक्षण 1967-68 में कराया गया।

(खनिज मंत्री)

(2) जी हां, राज्य सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा प्रति वर्ष खनिज सम्पदा की खोज के लिए उपयुक्त क्षेत्र का चयन कर उनमें खनिज सम्पदा की खोज का कार्य कराया जाता है। आगामी वर्ष में भी निम्नलिखित खनिज परियोजना पर कार्य करने की योजना विचाराधीन है:—

1. तहसील बरसी क्षेत्र में पाये जाने वाले आर्थिक महत्व के खनिज की खोज।

2. फागी तहसील में पाये जाने वाले एब्रेसीव श्रेणी तथा नगीने बनाने के उपयुक्त श्रेणी के गारनेट के भण्डार का अन्वेषण।

इसके अतिरिक्त भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस वर्ष ग्राम गोल, बादशाहपुरा और घोला क्षेत्र में ताम्बे के सर्वेक्षण हेतु तथा गोडियानी में अलोह धातु के सर्वेक्षण का कार्य रखा गया है।

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों की खनिज सम्पदा

118. श्री वृद्धिचंद्र जैन (बाड़मेर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में कौन कौनसी मुख्य खनिज सम्पदा पाई जाती है ? सन् 74-75 में इस खनिज सम्पदा से राज्य को क्या आय हुई ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त जिलों में खनिज सम्पदा की खोज की दृष्टि से उक्त क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया है ? यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा पर बड़ी मात्रा में रॉक फॉस्फेट निकलने की संभावनायें हैं ? यदि हां, तो इस बारे में क्या खनिज विभाग ने सर्वेक्षण किया है ? सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या जैसलमेर जिले में तेल और गैस का भंडार पाये जाने की संभावना है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों की मुख्य खनिज सम्पदा जिप्सम, बेन्टोनाइट एवं फुलर्स अर्थ (मुल्तानी मिट्टी) है। इसके अतिरिक्त पीले रंग का चूने का पत्थर, वैलेनाइट, सिलिकासेन्ड सिलिसियल अर्थ सफेद एवं पीली मिट्टी आदि खनिजों के छोटे छोटे भण्डार भी उपलब्ध हैं। सन् 1974-75 में इन जिलों के खनिजों से रुपये 7,69,769.19 की आय हुई है।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने समय समय पर इन जिलों में खनिजों की खोज एवं पूर्वेक्षण कार्य किये हैं तथा अभी भी कर रही है। भारत सरकार का भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग भी इन जिलों में कार्य करता रहा है।

राज्य सरकार ने इन जिलों में सिलिकासेन्ड, सिलिसियल अर्थ, सैलेनाइट, पीले चूने के पत्थर के पूर्वेक्षण कार्य किये हैं।

Page No 30

30

(खनिज मंत्री)
इस सर्वेक्षण कार्यों का एक संक्षिप्त नोट इसके साथ संलग्न है।

(3) जी हां। भारत सरकार ने भू-गर्भ विभाग द्वारा खोज के फलस्वरूप ग्राम फतहगढ़ एवं बिरमानिया में 48 लाख टन निम्न श्रेणी के रॉक फॉस्फेट के भंडार होने का अनुमान है। राज्य सरकार के खनिज विभाग द्वारा सर्वेक्षण नहीं कराया गया।

(4) जैसलमेर जिले में तेल की खोज का कार्य भारत सरकार के तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जा रहा है। अभी तक के कार्यों में तेल, गैस पाये जाने की सम्भावना है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

चूरू जिले में खनिज सम्पदा का सर्वे

119. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चूरू जिले में खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी खनिज कहां-कहां पाए गए ?

(2) उक्त क्षेत्र का यदि सर्वे नहीं हुआ तो अब कराए जाने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां, चूरू जिले में खनिज सर्वेक्षण किया गया है। आर्थिक दृष्टि से उपयोगी खनिज निम्नलिखित स्थानों पर पाये गये हैं: तारानगर क्षेत्र के ग्राम भालां, भानी, जगसारी, भाड़ी, बियेन देवगढ़ीया एवं साथून इत्यादि गांवों के पास जिप्सम के भण्डार पाये गये हैं। बिदासर के पास दरीबा एवं धांटियाला नामक स्थानों पर ताम्बे की पुरानी खानों के अवशेष पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त बिदासर के पास बलुआ पत्थर की पट्टियों की खाने भी हैं। जहां पर 8 से 12 फीट तक की लम्बाई की पट्टियां निकलती हैं। गोपालपुरा की पहाड़ियों में चुनाई पत्थर एवं रोड मेटल के उपयुक्त पत्थर का भण्डार है। इसी प्रकार का पत्थर रणधीसर की पहाड़ियों में भी हैं। इस के अलावा चूना बनाने योग्य कंकर के भी इस जिले में प्रचुर भण्डार हैं जिसके कि स्थान-स्थान पर चूना बनाने के भट्टे लगाये गये हैं। राजगढ़ एवं डूंगरगढ़ तहसील के कुछ क्षेत्रों में साल्टपीटर (कलमी शोरा) मिट्टी के ऊपर सफेद परतों के रूप में पाया जाता है।

(2) उपरोक्त सर्वेक्षण के अतिरिक्त इस वर्ष चूरू जिले में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पोटाश खनिज के लिये सर्वेक्षण कराया जा रहा है तथा बिरमसर क्षेत्र में अलोह धातुओं के लिये भू-भौतिकी सर्वेक्षण भी कराया जा रहा है।

शंकर बाजरे के बीज का किसानों को वितरण

120. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सम्वत् 2031 फसल खरीफ की बुआई किस समय की गई ?

(श्री लूणाराम)

(2) क्या शंकर बाजरे का बीज किसानों को समय पर उपलब्ध करवा दिया गया था ? यदि हां तो किस समय ?

उत्तर

(1) बीजों की बुआई जून के अन्तिम सप्ताह से 15 जुलाई तक की गयी थी किन्तु कुछ जिलों में बुआई के बाद भी अधिक वर्षा होने के कारण दुबारा बुआई अगस्त में भी की गयी ।

(2) जी, हां । शंकर बाजरे का बीज राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा दिनांक 27 मई, 1974 से 5 जुलाई, 1974 तक सभी वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध करा दिया गया था ।

राज्य परिवहन निगम के भू. पू. सहायक रीजनल मैनेजर कोटा के विरुद्ध शिकायतें

121. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि राज्य पथ परिवहन निगम के भूतपूर्व सहायक रीजनल मैनेजर, कोटा के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाकर एक ज्ञापन राजस्थान राज्य रोडवेज कर्मचारी संघ इन्टक क्षेत्र कोटा ने लिखित में राज्य सरकार को दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

रोडवेज कर्मचारी संघ कोटा द्वारा निगम को एक ज्ञापन दिया गया था । इस पर सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो प्राप्त हो गया है, जिस पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

राजस्थान के जिलों में बावरी जाति

122. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के कौन-कौन से जिलों में बावरी जाति पाई जाती है ? जिलों का नाम बताने का कष्ट करें ।

(2) जिलेवार इन्हें किस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जन जाति की श्रेणी में रखा गया है ?

उत्तर

(1) 1961 की जनगणना के अनुसार बावरी जाति अजमेर जिले में पाई जाती है । अन्य जिलों के सम्बन्ध में सूचना समाज कल्याण विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

(2) बावरी जाति को अजमेर जिले में अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है, तथा सारे राजस्थान के लिये इस जाति को विमुक्त जातियों की श्रेणी में रखा गया है ।

लालसोट (जयपुर) तहसील में मलेरिया का प्रकोप

123. श्री मोठालाल मीणा (लालसोट) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिले की अन्य तहसीलों की भांति लालसोट (जयपुर)

(श्री मीठालाल मीणा)
तहसील में भी गत सितम्बर-अक्टूबर माह में मलेरिया का भारी प्रकोप रहा ?

(2) क्या यह सही है कि मलेरिया के अधिक फैलने का कारण सरकार द्वारा डी. डी. टी. आदि का छिड़काव न करना है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मामले में राज्य सरकार से जब कई बार निवेदन किया तब कुछ थोड़े से गांवों में डी.डी.टी. का छिड़काव करवाया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार भविष्य में सारी लालसोट व चाकसू तहसील में डी. डी. टी. का छिड़काव प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) जिन गांवों में मलेरिया के रोगी पाये गये हैं, वहीं छिड़काव करवाया गया है । राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही डी. डी. टी. का छिड़काव किया जाता है । लालसोट व चाकसू तहसील में कार्यक्रम के अनुसार जहां मलेरिया के रोगी पाये जाएंगे वहीं छिड़काव करवाना सम्भव हो सकेगा—पूरी तहसील में नहीं ।

डॉक्टरों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया

124. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या डॉक्टरों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई प्रक्रिया निर्धारित कर दी है ?

(2) यदि हां, तो उस प्रक्रिया की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) यदि नहीं, तो उपरोक्त प्रक्रिया कब तक निर्धारित कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सामान्यतः राज्य सरकार की अनुमति के बिना दो वर्ष पूर्व किसी का स्थानान्तरण नहीं किया जाता है ।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(3) यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

बिक्री कर की वसूली

125. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार की दिसम्बर, 1975 तक बिक्री कर की कुल कितनी राशि बकाया है ? बकाया राशि का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त राशि में से इस वर्ष कितनी वसूल होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) दिनांक 1 अप्रेल, 1975 को राज्य सरकार की बिक्री कर की मद के

(वित्त मन्त्री)

अन्तर्गत रुपये 4,18,51,438/- की बकाया राशि थी। उक्त राशि में से माह सितम्बर, 1975 तक रुपये 50,28,535/- वसूल किये जा चुके हैं तथा शेष राशि रुपये 3,68,22,503/- रही है। दिसम्बर, 1975 तक की सूचना अभी अधीनस्थ कार्यालयों से उपलब्ध नहीं हुई है। अतः माह सितम्बर तक की बकाया राशि का वृत्तवार विवरण संलग्न है।

(2) इस बकाया राशि में से, अनुमानतः रुपये 30 लाख की राशि और वसूल होने की सम्भावना है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

ब्यावर में पेय जल की समस्या

126. श्री केशरीमल (ब्यावर): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर की जनता को हर वर्ष पेयजल का बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है? और क्या यह भी सही है कि हर वर्ष लाखों रुपया राज्य सरकार का इस मद में खर्च होता रहा है? यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार ने क्या किया?

(2) क्या राज्य सरकार ने फौरी तौर पर राहत देने के लिये सेन्दड़ा से पाइप लाइन ब्यावर लाने की कोई योजना भी स्वीकार की है? यदि हां, तो कब और उस कार्य में क्या प्रगति हुई? यदि नहीं तो क्यों? क्या राज्य सरकार जल्दी ही इस कार्य को अमली रूप देगी?

उत्तर

(1) जी हां। ब्यावर की पेय जल समस्या के समाधान हेतु अजमेर, ब्यावर एवं किशनगढ़ की एक वृहत पुनर्गठित जल प्रदाय योजना 8.73 करोड़ रु. की लागत के लिये दिनांक 29-9-75 को स्वीकृत की गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत ब्यावर को लगभग 17 लाख गैलन जल प्रतिदिन वितरण करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त दिनांक 20-3-75 को सेन्दड़ा से ब्यावर तक पेय जल लाने के लिए एक योजना 11.20 लाख रु. की लागत के लिए स्वीकृत की गई है।

(2) जी हां। योजना दिनांक 20-8-75 को स्वीकृत की गई है। अब तक योजना के अन्तर्गत पाइप प्राप्त किये जा चुके हैं एवं टंकियां बनाने का कार्य प्रगति पर है।

जयपुर जिले को जल प्रदाय योजना

127. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में किस-किस जिले में कौन-कौन सी जल-प्रदाय योजना स्वीकृत की गई हैं? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में इस वित्तीय वर्ष में कोई भी जल-प्रदाय योजना स्वीकृत नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

(3) जयपुर जिले की कौन-कौनसी जल-प्रदाय योजना स्वीकृति के लिए विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 57 योजनायें स्वीकृत की गई हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं, अभी तक जयपुर जिले में तीन जल प्रदाय योजना करेरी, हरसोली एवं भाभरू स्वीकृत की जा चुकी हैं।

(3) जयपुर जिले में तीन योजनाएं करेरी, हरसोली एवं भाभरू स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा चार अन्य योजनाएं दूदू, मन्डावरी, गोबिन्दगढ़ एवं दांतली स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

प्रति व्यक्ति आय

128. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान राज्य की पिछले दस वर्षों में भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राज्य की आय प्रति व्यक्ति वर्ष 1963-64 में 306 रुपये थी जो बढ़ कर वर्ष 1972-73 में 590 रुपये हो गई। वर्ष 1973-74 में प्रति व्यक्ति आय 769 रुपये थी।

1963-64 से 1972-73 तक की राजस्थान तथा अन्य विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की तुलनात्मक सूचना संलग्न है। संलग्न सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारा क्रम वर्ष 1972-73 में 8वें स्थान पर रहा है। जहां पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि राज्य हमसे इस आधार पर आगे रहे हैं, उसी प्रकार कर्नाटक, मध्य प्रदेश व बिहार आदि राज्य हमारे स्तर से नीचे रहे हैं।

अधिकतर राज्यों के आय के समंक संशोधित पद्धति पर आधारित हैं। केवल आसाम, बिहार, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश के समंक संशोधित पद्धति पर आधारित नहीं हैं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

ग्राम बन्धनाऊ (सरदार शहर) के प्रधान व सरपंच द्वारा किसानों के मकानों व सम्पत्ति को क्षति

129. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बन्धनाऊ, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू के श्री रामनारायण सब-डिवीजनल ऑफिसर के आदेश पर 26 जनवरी, 1975 को रात्रि में सरदार शहर पुलिस के हैड कॉन्स्टेबिल श्री नूर मोहम्मद व अन्य सिपाहियों के साथ एवं सरदार शहर के नायब तहसीलदार की इमदाद से श्री हजारीमल प्रधान एवं श्री हनुमानाराम संरपंच ने किसानों के मकान तुड़वाकर उनकी सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द एवं नष्ट

(श्री लूणाराम)
किया? यदि हां, तो यह आदेश किस दिनांक को दिया गया तथा ऐसी सहायता के लिए किस अधिकारी से किस अधिकारी ने कब मांग की व कब मांग प्राप्त हुई? कृपया मांग व आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि दुखी बेघर हुए किसानों ने जिलाधीश, चूरू के पास प्रार्थना-पत्र दिये जिन्हें जिलाधीश ने उसी एस. डी. ओ. के पास जांच के लिए भेज दिये? यदि हां, तो जिलाधीश ने यह आदेश कब दिया? एस. डी. ओ. ने कब जांच की और जांच का क्या परिणाम रहा? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) श्री रामनारायण सब डिविजनल ऑफिसर, चूरू के आदेश क्रमांक 1313-15, दिनांक 25-1-75 की अनुपालना में दिनांक 26-1-75 को मध्याह्न पश्चात् नायब तहसीलदार, सरदार शहर द्वारा पुलिस फोर्स की इमदाद से ग्राम बन्धनाऊ में चन्द व्यक्तियों द्वारा किये हुए नाजायज कब्जे हटवाये गए। उस समय श्री हजारीमल प्रधान, पंचायत समिति सरदार शहर एवं हनुमानाराम सरपंच उपस्थित नहीं थे। यह सही नहीं है कि प्रधान व सरपंच ने किसी किसान के मकान बनते ही तुड़वा कर उनकी सम्पत्ति को नष्ट या खुद-बुर्द किया हो। मौके पर केवल झाड़ ही थे न कि मकान, जो कि नाजायज होने के कारण हटवाये गये। सब-डिवीजनल ऑफिसर, चूरू के उपरोक्त आदेश दिनांक 25-1-75 तहसीलदार, सरदार-शहर द्वारा आरक्षक पदाधिकारी, सरदार शहर को पुलिस फोर्स की इमदाद के लिए, दिनांक 26-1-75 को लिखे गये पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिलाधीश द्वारा जांच के आदेश दिनांक 28-1-75 को सब-डिवीजनल ऑफिसर, चूरू को दिये गये। सब-डिवीजनल ऑफिसर, चूरू द्वारा जांच की जाकर जांच रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक 1361-62, दिनांक 5-2-75 को प्रेषित की गई। इस जांच से यह निष्कर्ष निकला कि शिकायतकर्त्ता द्वारा की गई शिकायत निराधार व बेबुनियाद थी क्योंकि शिकायतकर्त्ता द्वारा यह अंकित करना कि मकान तोड़ दिये गये तथा आग लगा दी एवं घरों से सामान ले गये, की पुष्टि मौके पर नहीं हुई। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिका नोखा के श्रमिक कर्मचारियों को बकाया का भुगतान

130. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, नोखा द्वारा श्रम न्यायालय राजस्थान, जयपुर के मुकदमा नम्बर एल. सी. 93/70 में दिए गए फैसले के मुताबिक श्रमिक कर्मचारियों को उनके उचित पदों पर फिक्स करना, उनके बकाया वेतन देना

Page No 36

36

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
तथा अन्य सुविधायें आदि का भुगतान नहीं किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि श्रमिक संघ द्वारा उक्त फैसले के अन्तर्गत दो बार कुर्की द्वारा उक्त राशि का भुगतान वसूल भी किया गया है परन्तु अभी तक जब कि इसका फैसला नवम्बर, 1970 में ही हो चुका था लागू नहीं किया गया है तथा अब तक के भुगतान उन कर्मचारियों को नहीं किए गए हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

श्रम न्यायालय ने कर्मचारियों को फिक्स करने का कोई फैसला नहीं दिया था। जिन कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान के आदेश थे उन्हें भुगतान कर दिया गया है तथा सेवा चयन आयोग की बैठक दिनांक 19-3-75 के निर्णयानुसार सम्बन्धित कर्मचारियों की पदोन्नतियां भी कर दी गई हैं।

(2) जी नहीं,

श्रम न्यायालय के निर्णयानुसार सर्वश्री छगनलाल, लक्ष्मीनारायण एवं मायाराम को पालिका द्वारा 5,883/- रुपये जनवरी सन् 1969 में तथा 7,967.41 रुपये माह मई, 1973 में श्रम विभाग बीकानेर को भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में कोई निर्णय कुर्की वगैरह बकाया नहीं है।

सिकराय में मिश्र विद्युत विकास संस्थान द्वारा बोरिंग का कार्य

131. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सिकराय (जयपुर) ने अपनी सीमा में मिश्र विद्युत विकास संस्थान, सिकराय से बोरिंग का कार्य करवाया था ? यदि हां, तो कितना और कब ?

(2) क्या इस बोरिंग में किसी अन्य फर्म से कम्प्रेशर का कार्य भी करवाया था ? यदि हां, तो किससे ? क्या कम्प्रेशर का कार्य करने वाली फर्म का भुगतान कर दिया है ? यदि हां, तो कब, कितना और किस प्रकार ?

(3) क्या यह सही है कि कम्प्रेशर का कार्य बोरिंग के कार्य के पश्चात् होता है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मिश्र विद्युत विकास संस्थान के बिल का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा भविष्य में कब तक कर दिया जावेगा ? इसके भुगतान न करने में किसे दोषी पाया एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1970-71 में 170 फीट बोरिंग का कार्य करवाया गया था।

(पंचायत मंत्री)

(2) जी हां। मैसर्स हनुमान ट्यूब वैल कम्पनी जयपुर से करवाया गया था। फर्म को 3632/- रु. का भुगतान न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर नगर पश्चिम, जयपुर में दिनांक 16-2-73 को किया गया था।

(3) जी हां।

(4) जी हां। मामले की जांच की जा रही है जांच के पश्चात् ही भुगतान किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा। इस मामले में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम पंचायत मण्डी पदमपुर द्वारा अनियमिततायें

132. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मण्डी, पदमपुर जो दिनांक 1-1-74 से नगरपालिका में परिवर्तित हो चुकी है की कार्यवाही का रजिस्टर 1958-59 का गुम है ?

(2) क्या यह सही है कि वह रिकार्ड इसलिए गुम किया गया है कि उन दिनों में उक्त पंचायत द्वारा कुछ अनियमितताए की गई थीं ? यदि नहीं, तो श्री बाबू राम मण्डी पदमपुर, जो उस रिकार्ड में से नकल लेना चाहता है, को नकल क्यों नहीं दी जाती है ?

(3) क्या राज्य सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करवाएगी कि दोषी कौन है और रिकार्ड गुम करने की जिम्मेदारी किस पर है ? यदि हां, तो राज्य सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी और कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। कार्यवाही रजिस्टर पंचायत द्वारा अन्य मुकदमे के सम्बन्ध में उप-जिलाधीश, करणपुर की कोर्ट में पेश किया हुआ था जो अभी तक पंचायत को वापिस प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम सेवकों की पदोन्नति

133. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम सेवकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो उन नियमों की पालना करते हुए आज तक कितने प्रतिशत ग्राम सेवकों को प्रमोशन दिया जाना था और कितने प्रतिशत को दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां। कृषि विभाग में कृषि प्रसार अधिकारियों / कृषि सहायकों के स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत पदों पर ग्राम सेवकों को कृषि सहायक / कृषि प्रसार अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति दी गई है। पंचायत प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति शत प्रतिशत ग्राम सेवकों में से की

Page No 38

(38)

(पंचायत मंत्री)

जाती है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू जिला उपभोक्ता भण्डार

134. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिले में एक ही उपभोक्ता भण्डार खोलने का प्रावधान है या एक से अधिक का ?

(2) क्या यह सही है कि उपभोक्ता भण्डार की सब प्रकार की सहकारी समितियां सदस्य बन सकती हैं ? यदि हां, तो चूरू जिला उपभोक्ता भण्डार की अब तक किस किस प्रकार की कितनी सहकारी समितियां सदस्य बन चुकी हैं तथा सहकारी समितियों के अलावा और कौन कौन सदस्य हो सकते हैं ?

उत्तर

(1) एक जिले में एक से अधिक भी उपभोक्ता भण्डार खोले जा सकते हैं।

(2) जी नहीं। होलसेल भण्डारों की क्रय विक्रय सहकारी समितियां तथा प्राथमिक सहकारी भण्डार ही सदस्य बन सकती हैं। चूरू सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. चूरू के राज्य सरकार के अतिरिक्त निम्न सदस्य हैं:—

(क)	क्रय विक्रय सहकारी समितियां	3
(ख)	प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार	8
(ग)	व्यक्ति	4062

पंचायत समिति लालसोट (जयपुर) द्वारा दिए गए अनुदान की राशि

135. श्री मोठालाल मीणा (लालसोट) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, लालसोट (जयपुर) का 31 दिसम्बर, 1975 तक विभिन्न प्रकार के दिए गए अनुदानों का कृषकों, सहकारी समितियों अथवा अन्य लोगों पर कितना-कितना धन बाकी है ? कृपया नाम व राशि दर्शाते हुए पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि कई अनुदानों की राशि को दिए दस वर्षों से भी अधिक का समय हो गया है और अब तक वसूली नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक वसूली कर ली जावेगी ? वसूली नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया दस वर्ष से अधिक समय वालों की सूची निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें :—

नाम	राशि	कब से तारीख	किस उद्देश्य से अनुदान दिया गया
1	2	3	4

क्या उक्त राशि काम में ली गई	अनुदान राशि क्यों नहीं दी गई
5	6

कब तक दे दी जावेगी	क्या कार्यवाही की गई
7	8

उत्तर

(1) दिए गए अनुदान की वसूली का न कोई प्रावधान है और न ही वसूली

(पंचायत मंत्री)

की जाती है। अतः बकाया का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) इसका उत्तर पूर्व प्रश्न के उत्तर में ही निहित है।

ग्राम पंचायत शिवसिंहपुरा (लालसोट) द्वारा रिहायशी पट्टे

136. श्री मोठालाल मीणा (लालसोट):—क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, लालसोट (जयपुर) की ग्राम पंचायत शिवसिंहपुरा ने 1965 अथवा 1965-66 में बेघर लोगों को विशेष कर अनुसूचित जाति के लोगों को अनधिकृत काश्त भूमि में से प्लॉट काट कर नीलामी की कार्यवाही से बेचे थे? यदि हां, तो कितने प्लॉट किस-किस दर से किन-किन लोगों को बेचे गए? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ने खरीददारों से नीलामी राशि व पट्टा फीस राशि वसूल कर ली थी? यदि हां, तो किन-किन लोगों से कितनी-कितनी?

(3) क्या यह सही है कि भूमि व पट्टों की धनराशि लेने के पश्चात् भी ग्राम पंचायत ने आज तक उक्त गरीब लोगों को प्लॉट नहीं दिए और न उक्त भूमि को आबादी में ही परिवर्तित कराया? यदि हां, तो क्यों? राज्य सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? तथा लोगों को कब तक पट्टे दे दिए जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उन्हें उनकी धनराशि मय ब्याज के वापिस की जावेगी?

(4) क्या यह सही है कि गत वर्ष व इस वर्ष में भी उक्त ग्राम पंचायत ने बहुत कम रिहायशी पट्टे काटे हैं और जो काटे हैं ग्राम रास्तों के मध्य या बगल में हैं जिनको अभी तक भी पट्टे व कब्जा नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों? भविष्य में कब तक दे दिया जावेगा।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत, शिवसिंहपुरा द्वारा वर्ष 1965-66 में आवासीय भूमिहीन लोगों एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही नहीं वरन् हर वर्ग के लोगों को दुकान बनाने हेतु काश्त की भूमि में से प्लॉट काट कर जरिए नीलामी बेचे गए थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्राम पंचायत द्वारा खरीददारों से केवल नीलामी राशि ही वसूल की गई है, जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। पट्टा फीस वसूल नहीं की गई है।

(3) यह सही है कि खरीददारों को पट्टे व प्लॉट नहीं दिए गए हैं, क्योंकि भूमि अभी आबादी में परिवर्तित करने की कार्यवाही विचाराधीन है भूमि आबादी में परिवर्तित होने के पश्चात् ही पट्टे दिये जाना संभव हो सकेगा। किसी भी खरीददार ने राशि लौटाने की मांग नहीं की है।

(4) जी नहीं। इस वर्ष ग्राम पंचायत द्वारा 52 प्लॉट निःशुल्क आवंटित किए

(पंचायत मंत्री)

हैं, जो ग्राम रास्ते में नहीं हैं। कब्जे व पट्टे दे दिए गए हैं।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिए)

ग्राम पंचायत चांदसेन (लालसोट) द्वारा नई मण्डी का निर्माण

137. श्री मंठालाल मीणा (लालसोट) : क्या पंचायत विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लालसोट पंचायत समिति (जयपुर) की ग्राम पंचायत, चांदसेन ने नई मन्डी के निर्माण हेतु कुछ कृषकों से भूमि की खरीद की थी? यदि हां, तो कब किस-किस से कितनी व किस कीमत में, कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि कृषकों से उस समय बिक्री की गई अन्य भूमि से अधिक कीमत में खरीदी गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मण्डी हेतु खरीदी गई भूमि में से ग्राम पंचायत, चांदसेन में बिना अन्य लोगों को सूचित किये तथा बिना नीलामी की कार्यवाही किये अन्य लोगों को बेच दी? यदि हां, तो कितनी, किस-किस दर से? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ग्राम पंचायत इस प्रकार भूमि का बेचान कर सकती है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत? यदि नहीं, तो वेचने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि भूमि का बेचान कर ग्राम पंचायत द्वारा भूमि लेने वालों को धनराशि प्राप्ति की रसीदें दी थीं? यदि हां, तो किस किस को कितने-कितने की?

(6) क्या यह सही है कि कुछ लोगों को उक्त धनराशि ग्राम पंचायत ने वापिस की है? यदि हां, तो किस-किस को तथा कितनी?

(7) क्या ग्राम पंचायत उक्त भूमि पर नई मण्डी का निर्माण कर रही है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं तो उक्त भूमि के बारे में भविष्य में ग्राम पंचायत की क्या योजना है? यदि मण्डी निर्माण की योजना है तो प्लॉट काटकर क्यों बेचे जा रहे हैं।

उत्तर

(1) जी हां। श्री चुन्नीलाल बैरवा व लक्ष्मीनारायण बैरवा निवासी लालसोट से दिनांक 14-2-1974 को 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि रु. 8,329.50 पैसे में खरीद की गई थी।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(7) जो भूमि क्रय की गई है उसका परिवर्तन आबादी भूमि में नहीं होने से नई मण्डी का निर्माण नहीं कराया जा

(पंचायत मंत्री)
सका है। किसी भी व्यक्ति को प्लॉट काटकर नहीं बेचे गये हैं।

राजस्थान के विभिन्न जिलों में वट वृक्ष के पेड़ उगाने की योजना

138. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वट (बड़) वृक्ष का पेड़ राजस्थान के किन-किन जिलों में लग सकता है?

(2) जिन जिलों में यह पेड़ लग सकता है, पर अभी है नहीं तो विभाग ने आज तक उन जिलों में इस पेड़ को लगाने का प्रयास किया और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वट वृक्ष राजस्थान के अत्यन्त रेतीले एवं शुष्क भाग को छोड़ अन्य सब जिलों में पूर्ण संरक्षण प्रदान करने पर लग सकता है।

(2) वट वृक्ष की आर्थिक अनुपयोगिता एवं अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ने के कारण वन विभाग ने इसके उत्पादन में कोई प्रयास नहीं किया जाना उचित समझा है।

स्थगित प्रश्न

ग्राम चन्द्रालिया, कैलवाड़ा (तहसील शाहबाद) में सरकारी व माफी मन्दिर के खाते की भूमि

139. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांव चन्द्रालिया, कैलवाड़ा, तहसील शाहबाद जिला कोटा में कितनी सरकारी व माफी मन्दिर श्रीनाथ जी के खाते की भूमि किस-किस के नाजायज कब्जे में है? इस भूमि में से कितनी भूमि का बेचान श्री रघुबीरसिंह पुत्र श्री चरनसिंह, श्री सेवराम पुत्र श्री तेजाराम, श्री रामलाल पुत्र श्री भोलाराम व श्री स्वर्णसिंह आदि को मुख्त्यार भूमि का व किस किस को व किस-किस द्वारा किया गया?

(2) क्या यह सही है कि श्री रघुवीरसिंह द्वारा ऐसी भूमि का झूठे मुख्त्यार नामे बनाकर बेचान इन सालों में उन व्यक्तियों के नाम किया गया जो 1975 या उसके आस पास मर चुके हैं? इस सम्बन्ध में आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है और भविष्य में क्या कार्यवाही करने वाली है?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति रायसिंह नगर के गांवों में सीलिंग से अधिक भूमि

140. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री गुरदीपसिंह चक नम्बर 16 ओ. श्री गुरजीतसिंह चक नम्बर 9 ओ. श्री गुरवचनसिंह, प्रधान पंचायत समिति, रायसिंहनगर गांव चान्देवाला, श्री केहरसिंह व श्री रघुबीरसिंह 25 बी. बी. श्री गुरदयालसिंह चक आई. जे. जे. के कब्जे में सीलिंग कानून के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक भूमि है और भूमि का गलत बेचान नाबालिग बच्चों को बालिग दिखा कर भूमि कब्जे में रखी हुई है?

Page No 42

(42)

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

(2) उपरोक्त भूमिपतियों के डिक्लेरेशन फार्म की प्रति व नकल फैसलों की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या यह सच है कि उनके पास भूमि निर्धारित सीमा से अधिक है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन मामलों में शीघ्र जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

तहसील करणपुर में मु. नम्बर 15 पर नाजायज काश्त

141. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मु. नम्बर 15 चक 15 एस. जो श्री खेमाराम पुत्र लछीराम की मिल्कियत थी और जिसका तबादला करीब 20-22 वर्ष पहले मु. नम्बर 25 चक 38 एच. तहसील करणपुर में कर दिया गया था ? यदि हां, तो उसे मु. नम्बर 15 चक 15 एस. की भूमि को आज तक उस समय से कौन कौन काश्त करता आ रहा है और किस आधार पर ?

(2) क्या यह सही है कि मु. नम्बर 15 चक 15 एस. की भूमि का इन्तकाल राज्य सरकार के नाम न किये जाने के कारण उपरोक्त भूमि की आज तक नाजायज काश्त होती रही है और उस भूमि पर सरचार्ज श्री खेमाराम के नाम से कायम किया जा रहा है जब कि श्री खेमाराम उस भूमि पर काबिज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करवायेगी और कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। श्री खेमाराम के नाम कभी भी सरचार्ज नहीं लगा है अतः जांच करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जालोर जिले में वन एवं चरागाहों का विकास

142. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में वन के विकास एवं चरागाह के विकास की दृष्टि से बहुत कम कार्य किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कहां-कहां पर कितने-कितने के कब-कब क्या-क्या कार्य किए गए हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में वन विकास, चरागाह विकास एवं खार भूमि रिक्लेमेशन की दृष्टि से वन विभाग द्वारा काफी कार्य करने की संभावनाएं हैं ? अगर हां, तो डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं ? भविष्य में इस बारे में क्या-क्या योजनाएं कहां-कहां पर बनवाई जावेंगी ?

(3) सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाने के बारे में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही इस जिले में की है एवं भविष्य में कब तक क्या क्या कार्य किए जावेंगे ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) सरकारी वन बीड़ों में घास बैंक स्थापित करने के बारे में सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है? भविष्य में इस बारे में क्या कार्यवाही की जावेगी ताकि अकाल वर्ष में मवेशी चारे की स्थानीय व्यवस्था हो सके?

(5) जिला जालोर में सरकारी बीड़ों से पिछले तीन सालों में क्या-क्या आमदनी हुई है? भविष्य में इस आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1970-71 से लगातार अब तक जालोर जिले में वन विकास एवं चरागाह सम्बन्धी विभिन्न कार्य डी. पी. ए. पी. योजना के तहत काफी तादाद में किए गए हैं। इन कार्यों के सम्बन्ध में चाही गई सूचना संलग्न तालिका नम्बर 1 में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के तहत वर्ष 1970-71 से 1974-75 तक वृक्षारोपणों की स्थापना, परिप्रावित वनों का सुधार, चरागाह विकास, रक्षा-पट्टी वृक्षारोपण के कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये। भविष्य के लिए इन योजनाओं के अन्तर्गत किए गए कार्यों के संधारण के अतिरिक्त अन्य कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाने के कार्य के तहत अब तक 390 रो-किलोमीटर में वृक्षारोपण का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। जिसका पूर्ण ब्यौरा तालिका नम्बर 1 में दर्शाया गया है। इस कार्य हेतु आवश्यक प्रावधान के अभाव में वर्तमान में मौजूदा कार्यों का संधारण ही किया जा रहा है तथा भविष्य में नए कार्य लेने हेतु प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। भविष्य के लिए प्रस्ताव जालोर जिले के डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम में प्रस्तावित है।

(4) सरकारी वन बीड़ों में घास बैंक स्थापित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही समय समय पर की गई थी तथा विभिन्न बीड़ों का घास इकट्ठा भी किया गया था। इस वर्ष भी जिला पाली बाड़मेर व जैसलमेर के विभिन्न स्थानों पर अच्छी किस्म की घास कटाई जाकर फाडर बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार कृषि (विशिष्ट योजना) विभाग के विचाराधीन है।

(5) जालोर जिले में सरकारी बीड़ों से मुख्यतया पशु चराई की आय होती है। औसत आमदनी संलग्न तालिका नम्बर 2 में प्रस्तुत है। भविष्य में इस आमदनी को बढ़ाने के लिए इन बीड़ों में समय-समय पर जो चरागाह सुधार कार्य किए गए उनका ब्यौरा तालिका नम्बर 1 में दर्शाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानआकर्षण प्रस्ताव

बाड़मेर जिले में विद्युत् विस्तारण में उदासीनता की नीति के कारण जनता में व्याप्त असन्तोष

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य सरकार की बाड़मेर जिले में विद्युत् विस्तारण में उदासीनता की नीति के कारण जनता में व्याप्त असंतोष की ओर मैं विद्युत् मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत् मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बाड़मेर और जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत् विस्तारण की नीति की ओर राज्य सरकार का ध्यान-आकर्षित किया है जिसकी वस्तुस्थिति इस प्रकार है।

'राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर और जैसलमेर, मौजूदा पावर सप्लाई लाइनों से बहुत अधिक दूरी होने के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में राज्य के अन्य जिलों की तुलना में निश्चय ही पीछे हैं। राज्य की भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है कि ये जिले विद्युत् उत्पादन केन्द्रों से बहुत दूर स्थित हैं और 132 के. वी. लाइनों का इन जिलों में अब तक फैलाव नहीं हो सका।

यह सही है कि बाड़मेर नगर दिनों दिन विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और वहां पर बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। इस बात को ध्यान में रख कर ही बाड़मेर नगर को बालोतरा से एक 33 के. वी. लाइन द्वारा अभी हाल ही में जोड़ा गया है। इस लाइन के चालू होने के बाद ही बाड़मेर में चल रहे डीजल पावर स्टेशनों को कुछ राहत पहुंची है और वहां की स्थिति पहले से अच्छी है। चूंकि बालोतरा से आने वाली लाइन का सम्बन्ध जैतपुर पावर स्टेशन से है जो बाड़मेर से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अतः इस लाइन पर और अधिक भार डालने से बाड़मेर में वॉल्टेज बहुत ही कम रह जायेगा जिससे उपभोक्ताओं को काफी कठिनाई हो सकती है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम पर और अधिक भार डालना उचित प्रतीत नहीं होता।

राज्य सरकार ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को ड्राट-प्रोन-एरिया-प्रोग्राम में लिया है जिसके अन्तर्गत कई योजनायें क्रियान्वित की जानी हैं। इस प्रोग्राम को सफल बनाने हेतु मण्डल ने इन जिलों के लिये उच्च प्रसारण लाइनें बढ़ाने का निर्णय लिया है और योजना आयोग से भी इन जिलों के लिये प्रस्तावित 132 के. वी. लाइनों के प्रसार के लिये धनराशि राज्य की वार्षिक योजना में स्वीकृत करने के लिये प्रस्ताव किया है। जैसलमेर जिले के लिए 132 के. वी. लाइन जोधपुर से देचू होकर पोकरण तक ले जाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार बाड़मेर जिले के लिये जालोर से बालोतरा तक 132 के. वी. लाइन बनाने का प्रस्ताव है। मण्डल इस बात के लिए भी प्रयत्नशील है कि यह लाइन शीघ्रातिशीघ्र पूरी की जा सके तथा इस क्षेत्र का विकास बिजली की कमी के कारण अवरुद्ध न हो। इन लाइनों का

(श्री हीरालाल देवपुरा)

प्रारम्भिक कार्य हाथ में ले लिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में भी इनके लिये प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। केवल जालोर बालोतरा 132 के. वी. लाइन के लिये केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण (सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी) से तकनीकी स्वीकृति आना शेष है जिसे शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने का प्रयत्न जारी है।

बाड़मेर शहर की पीक डिमाण्ड इस समय करीब 650 किलोवाट की है जो बाड़मेर-स्थित डीजल एंजिनों एवं 33 के. वी. बालोतरा बाड़मेर लाइन से पूरी की जाती है और इस समय बाड़मेर शहर में वोल्टेज की कमी महसूस नहीं की जा रही है। वहां के वाटर वर्क्स दोघिया, मढका, नीमला उत्तरलाई एयर फील्ड आदि को बिजली की सप्लाई आवश्यकतानुसार की जा रही है। बाड़मेर स्थित महालक्ष्मी गरिगम उद्योग को भी बिजली रात में कार्य करने के लिये दी जा रही है। जहां तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बनाये गये नये ट्यूब वेल्स के लिये बिजली उपलब्ध कराने का प्रश्न है, आज की स्थिति में कदाचित सभी ट्यूब वेल्स में बिजली प्राप्त कराने में कठिनाई होगी। एक या दो ट्यूब वेल्स को कनेक्शन अवश्य दिया जा सकेगा यदि उक्त विभाग केवल रात में ही इन्हें चलाने को तैयार हो। दूसरे गांवों में खुदे हुए ट्यूब वेल्स को बिजली पहुंचाना निश्चित रूप से उस समय तक सम्भव नहीं माना जाना चाहिए जब तक बालोतरा में 132 के. वी. का सब-स्टेशन स्थापित न हो जाये। इनके लिये संबंधित विभाग को अपने डीजल सैट्स लगाने पड़ेंगे। यही स्थिति दूसरे उद्योगों की भी कुछ समय तक रहेगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्युत् मन्त्री जी ने जो बयान दिया है उसमें इस स्थिति को तो उन्होंने माना ही है कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले विद्युत् की स्थिति से बहुत ही पिछड़े हुये जिले हैं और वह यह प्रयास कर रहे हैं कि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में 132 के. वी. लाइन जल्दी से जल्दी पहुंच जाये। इसके लिए तो मैं उनका स्वागत करता हूं कि वह इस ओर प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि इस 132 के. वी. लाइन के लिए जो वह प्रयास कर रहे हैं अभी जो आपने बयान दिया उसमें जिक्र किया कि जालोर से बालोतरा को 132 के. वी. लाइन है उसकी तकनीकी स्वीकृति अभी नहीं मिली। तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तकनीकी स्वीकृति जल्दी से जल्दी प्राप्त करके वह इस कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू करें। जल्दी से जल्दी शुरू करने की स्थिति इसलिए पैदा हुई है और 132 के. वी. लाइन की भी आवश्यकता यों हो जाती है कि बालोतरा, सिवाना, सिंदरी और गुढ़ा के जो इलाके हैं उनकी प्रॉडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गयी है। इनमें पानी का स्तर बहुत अच्छा हो गया है और इसलिए यह क्षेत्र उपजाऊ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह नहीं समझें कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में रेगिस्तानी क्षेत्र ही हैं। उसमें कुछ क्षेत्र इस प्रकार का है जो कि प्रोडक्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए 132 के. वी. लाइन की उपयोगिता के लिए जोर दे रहे हैं। आपने यह महसूस भी कर लिया लेकिन प्रश्न

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

यह उठता है कि 132 के. वी. लाइन बालोतरा तक पहुंची और बालोतरा तक पहुंचने के बाद बालोतरा में किस प्रकार से आप व्यवस्था करेंगे? आपने अब तक योजना के बारे में जिक्र किया है परन्तु 132 के. वी. लाइन लाने के बाद, बालोतरा से बाड़मेर तक विद्युत् 66 के. वी. लाइन से देंगे। इसके लिए आपने क्या योजना बनायी है? कब तक इसकी योजना बनाकर बाड़मेर टाउन में बिजली पहुंचा सकेंगे? इसके बारे में स्पष्टीकरण करने का मंत्री महोदय कष्ट करें। इसकी क्या स्थिति है? बाड़मेर टाउन के बाद में शिव तहसील का जो एरिया है, बहुत सी पंचायत समिति का एरिया है उनमें ट्यूब वैल्स हैं और उनके अन्दर गवर्नमेन्ट ने जल प्रदाय योजनाएं बनायी हैं। इन ट्यूब वैल्स से इरिगेशन के भी प्रास्पेक्ट्स हैं। इस प्रकार से प्रास्पेक्ट्स हैं, और वहां पर डेयरी की योजनाएं भी हैं, वे सक्सेसफुल हों, और बाड़मेर टाउन में चिलिंग प्लान्ट 76-77 में लगाने की योजना है, तो उस चिलिंग प्लान्ट की किस तरह से 76-77 में व्यवस्था कर सकेंगे? ट्यूब-वैल्स और ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं को किस प्रकार चला सकेंगे? किस प्रकार वहां पर बिजली पहुंचा सकेंगे? यह प्रश्न गंभीर प्रश्न है। सिर्फ 132 के. वी. लाइन बालोतरा तक पहुंचा देने से इनकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी। इसलिए मंत्री महोदय द्वारा इसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है और ट्यूब वैल्स जिनसे कि ग्रामीण जल प्रदाय योजना बननी है, जिनसे स्कीम्स बननी है, और स्कीम्स बनानी हैं, और डेयरियों की स्कीम्स बनानी हैं उनके बारे में आप क्या व्यवस्था करेंगे? धोरीमना गुढ़ा वाला इलाका है इस इलाके को बालोतरा से बिजली नहीं पहुंच सकेगी? और इलाके में किस प्रकार 33 के. वी. की लाइन पहुंचेगी? पंचायत समिति के हैडक्वार्टर, और तहसीलों के हैडक्वार्टर हैं, इन पर बिजली पहुंचेगी? आज 8 में से 5 कनेक्टेड नहीं है। शिव तहसील का हैडक्वार्टर और चौहटन तहसील का हैडक्वार्टर आज तक जुड़ा हुआ नहीं है। इनको किस प्रकार से जोड़ेंगे, यह प्रश्न भी बड़ा कठिन है। इसके बारे में आप योजना बनाते समय, सोचें इन बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ऐसा न हो कि 132 के. वी. की लाइन बालोतरा तक बना दे और उसके बाद किसी प्रकार से बिजली का विस्तार न करें। आप इसके विस्तार की योजनाएं बनावें। मैं यह समझता हूं कि बाड़मेर टाउन में जो पहले बयान दिया है, बालोतरा तक आप पहुंचा रहे हैं, परन्तु बाड़मेर तक कैसे पहुंचा रहे है, इसके बारे में जिक्र नहीं किया है। आप बाड़मेर को बिजली कितने अर्से में पहुंचा देंगे? बाड़मेर में आपकी यह बिजली तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक कि आप वहां पर 33 के. वी. लाइन नहीं डालेंगे। डीजल सेट्स के जरिए क्या आप यह सारी माकूल व्यवस्था करेंगे? बाड़मेर टाउन की यह पोजीशन है कि वहां पर डीजल सेट्स चल रहे हैं और उनसे पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। आज 8 ट्यूब वैल्स बाड़मेर टाउन से कनेक्टेड हैं। दूसरी जो योजनाएं हैं वे भी हैं। मगरे की ढाणी की स्कीम है। उसको भी बिजली पहुंचानी है। उनको तब तक बिजली नहीं

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

मिलेगी जब तक कि 132 के.वी. लाइन नहीं पहुंचती है और बाड़मेर तक उसका विस्तार नहीं होता है। तब तक के इन्टरिम पीरियड में आप क्या करेंगे ? जो आपने बयान दिया है उससे मुझे कोई सन्तोष नहीं होता है। सिर्फ यह कहा है कि डीजल सेट्स चलाये जायेंगे। उनकी स्थिति तो यह है कि वे पुराने हैं और इन डीजल सेट्स की किसी भी तरीके से बोर्ड व्यवस्था नहीं कर पाया है। इसीलिए मैंने यह सुझाव दिया है कि आप जब भी योजना बनावें जालोर और बाड़मेर को 33 के. वी. लाइन से जोड़ें। इसके साथ-साथ जो सिवाना तहसील है, उसमें जालोर से मोकलसर तक लोड की पूर्ति हो सकेगी या नहीं ? जोधपुर से बालोतरा और बाड़मेर तक तो है। परन्तु इससे वजन कम पड़ेगा। यह जो नीड्स हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिये। इसके लिए जालोर से मोकलसर के लिए लाइन डालने में 15 लाख खर्च करने की आवश्यकता होगी। यदि आप यह 15 लाख की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो एक प्रकार से अनसर्टेन स्थिति रहेगी। ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है। अभी तो आपने 132 के. वी. लाइन के बारे में बताया है। इससे आगे के विस्तार के बारे में भी बतावें और साथ-साथ इनकी नीड्स के बारे में भी सोचें। जालोर से मोकलसर तक 33 के. वी. लाइन डालने का भी प्रोविजन रखें तो लोड पूरा हो सकेगा।

श्री हीरालाल देवपुरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बाड़मेर में जो विद्युत् की कमी है, उसके बारे में जो चिन्ता यहां पर व्यक्त की है, यह स्वाभाविक है। कल भी माननीय सदस्य का प्रश्न था और आज फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए प्रकाश डाला है, वहां की समस्या के बारे में। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में राज्य सरकार और राजस्थान विद्युत् मंडल निश्चित रूप से प्रयत्नशील हैं। जालोर और बाड़मेर में विद्युत् का प्रसारण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और इसी दृष्टिकोण से 132 के. वी. लाइन का सब-स्टेशन बालोतरा में बनाया जा रहा है। इसी प्रकार जालोर को बालोतरा से जोड़ा जा रहा है। अभी तो यह लाइन बालोतरा तक पहुंचे। फिर वहां से वह बाड़मेर भी पहुंच जायेगी। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि बालोतरा से बाड़मेर 33 के. वी. लाइन पहुंचायी जाये। पहले 132 के वी. लाइन बालोतरा पहुंच जाये तो केपेसिटी में सुधार हो जायेगा। उनका यह भी कहना है कि 33 के. वी. डालने से बाड़मेर ज्यादा भार बिजली का लेकर पहुंचा जा सकेगा जिससे बाड़मेर में बिजली का स्थिति में सुधार हो सकेगा। परन्तु इसके लिए तत्काल 33 के. वी. लाइन डालने की आवश्यकता नहीं है। अभी डाल भी दें तो कोई फायदा नहीं है। जब तक कि बालोतरा में 132 के. वी. का सब-स्टेशन तैयार नहीं हो जाता है। 132 के. वी. लाइन के आने के बाद भी जो मौजूदा आपकी बिजली का प्रसारण है, उसी को कनेक्ट किया जा सकेगा और जो कनेक्टेड ट्यूब वेल्स हैं उनको ही कनेक्ट किया जायेगा। पंचायत समिति और तहसील हैडक्वार्टर पर भी प्रसारण हो सकेगा। ज्यों-ज्यों आवश्यकता होगी, ज्यों-ज्यों ट्यूब वेल्स

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बढ़ते जायेंगे या जो औद्योगिक बस्तियां तेजी से बढ़ेंगी वहां पर भी बिजली एक बार 132 के. वी. लाइन पहुंचने पर दी जा सकेगी। परन्तु पहले वहां पर एक बार 132 के. वी. का सोर्स होना जरूरी है। यह आने के बाद ही सब-लाइन पर बिजली दी जा सकती है। यह मैंने स्टेटमेंट में कहा है कि आज की स्थिति में जो ट्यूब-वेल्स हैं उन्हीं ट्यूब वेल्स को बिजली दे सकेंगे। इसके अतिरिक्त नहीं दे सकेंगे। जब तक यह सिस्टम पूरा नहीं होगा तब तक जो नये ट्यूब वेल्स हैं उनको डीजल सेट्स के आधार पर शुरू करेंगे। इसके सिवाय और चारा नहीं है। बाड़मेर से मोकलसर तक 33 के. वी. लाइन डालने की बात माननीय सदस्य ने यहां पर कही। पहली बात तो यह है कि 132 के. वी. लाइन वहां पर पहले हो। इस समय वहां पर कोई 33 के. वी लाइन की आवश्यकता नहीं है। इसको करने की भी आवश्यकता नहीं है। मूल प्रश्न तो यह है कि 132 के. वी. का सब-स्टेशन वहां पर हो। वह होने पर दूसरी जगह, पंचायत समिति हैडक्वार्टर और तहसील हैडक्वार्टर पर और जो दूसरे इण्डस्ट्रियल पॉइन्ट्स हैं वहां पर 132 के. वी. लाइन्स से 33 के. वी. या 11 के. वी. की लाइन जैसी आवश्यकता होगी, वह की जायेगी। इस जिले को वैसे ही नहीं छोड़ा जायेगा। आवश्यकतानुसार सब काम किया जायेगा। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान विद्युत् मण्डल और राज्य सरकार इस बारे में पूर्णतया जागरूक है कि इन क्षेत्रों में आज के डवलपमेंट्स को देखते हुए जल्दी से जल्दी बिजली का प्रसारण किया जाये। जालोर-बालोतरा 132 के. वी. लाइन पहुंचाने की तकनीकी स्वीकृति हो गई है। यह फॉर्मल बात है और इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। यह स्वीकृति निश्चित रूप से है और कम से कम समय में इस काम को प्रारम्भ किया जावेगा।

समिति का प्रतिवेदन
विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ व पंचम प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : समिति का प्रतिवेदन।

श्री श्रीराम गोटेवाला (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री हरीशचन्द्र पांडे, भूतपूर्व जिलाधीश, पाली के विरुद्ध श्री दलपतसिंह, सदस्य, विधान सभा व अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रश्न से सम्बन्धित विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन उप-स्थापित करता हूं।

इसी प्रकार कोटा से प्रकाशित दैनिक पत्र 'अधिकार' के सम्पादक के विरुद्ध श्रीमती नगेन्द्रबाला, सदस्य, विधान सभा द्वारा विशेषाधिकार प्रश्न से सम्बन्धित पंचम प्रतिवेदन उप-स्थापित करता हूं।

विधायी कार्य
विधेयक पर विचार
राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान पंचायत विधेयक। माननीय मन्त्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को सदन के विचारार्थ लिया जाये ?

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर !

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक सप्ताह / एक माह/, एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"]

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को अभी माननीय मन्त्री महोदय ने विचारार्थ प्रस्तुत किया है।

इसे मन्त्री महोदय ने जैसी कि अभी कहा है कि पंचायतों को अधिक से अधिक लोगों के लाभ के लिए बनाया जाये, इस दृष्टि से रखा है । इसके लिए मैं उन्हें बधाई पेश करना चाहता हूं। परन्तु हमारी न्याय पंचायतें अलग थीं उन्हें तोड़ कर अब न्याय उप-समिति बनाने का जो प्रस्ताव है वह तो उनका सही है इससे पंचायतें सशक्त हो जायेंगी और पंचायतों की आमदनी बढ़ेगी। परन्तु जो उप-समिति बनाने के लिये रखा है एक हरिजन, तीन महिला सदस्य और एक अन्य सदस्य जो सरपंच या उप-सरपंच होगा तो इसके लिये यह है कि सदस्य पढ़ा लिखा होना चाहिये । हरिजन के लिये और महिला के लिये नहीं जहां कहीं सरपंच उप-सरपंच नहीं है तो पंचायतों की बैठक बुलाई जाकर टेम्प्रेरी अध्यक्षता करने हेतु अध्यक्ष चुना जा सकता है। मैं समझता हूं ग्रामीण अंचल में सरपंच और उप-सरपंच, जो चुन कर आते हैं, अधिकतर पढ़े लिखे नहीं आते हैं। क्योंकि पंचायतों का जो समारम्भ हुआ है और जो इस प्रकार का ढिंढोरा पीटा है, दल बन्दी में पड़ कर पंचायतों ने न्याय किया है। इससे समाज में आज इस प्रकार की व्यवस्था के प्रति आस्था नहीं रही है। इसलिए ग्रामीण अंचल में जो पढ़े-लिखें लोग हैं वे पंचायतों के चुनाव से उदासीन रहते हैं । तो, अध्यक्ष महोदय, जब तक उनका विश्वास नहीं बैठेगा तब तक यह समस्या रहेगी। इसलिये मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप बहुत अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं लेकिन जो पूर्ति स्वरूप एक महिला रखी है वह पढ़ी-लिखी नहीं है—अंगूठा लगाती है और जो हरिजन ले रहे हैं, ठीक है आप उनका प्रतिनिधि ले रहे हैं, लीजिये, कोई दिक्कत नहीं परन्तु पढ़ा लिखा हो, यह लागू न करें। जो अध्यक्ष है उसके लिये तो जरूर रखें जो कानून को समझ सके और दस्तखत कर सके और जिसमें निर्णय लेने की शक्ति हो—गवाहों के आधार पर। इसलिये पढ़े लिखे का अध्यक्ष तक ही सामित रखना चाहिये ।

प्रति वर्ष रिटायरमेंट का जो क्रम है, ठीक है। इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। रोटेशन पद्धति से जो पंचायतों में बैठते हैं उन्हें केवल गांव का विकास करने का ही नहीं बल्कि गांव के मुकदमे सुलटाने का भी मौका मिलना चाहिये इससे उनको मौका मिलेगा अतः यह बिल्कुल सही है।

(श्री दीपंकर)

ऑर्डिनेन्स के जरिये विकास अधिकारियों को आदेश दे दिया कि न्याय पंचायतों की रिपोर्ट लायें तो, अध्यक्ष महोदय, वे गठरे पंचायतों में पड़े हैं। जो व्यवस्था कर रहे हैं वह ऑर्डिनेन्स में भी थी तो क्यों नहीं इस तरह की उप-समिति का निर्माण किया गया ? इसमें विलम्ब हुआ है और लोग परेशान हुये हैं। वे गठरे वहां पड़े हुये हैं, मेहरबानी करके आप आज्ञा प्रदान करें कि उन्हें ग्रामीण अंचलों में पहुंचायें ताकि जो विचाराधीन मुकदमें हैं उनका कोई तरह निर्णय लिया जा सके और समितियां कार्य प्रारम्भ कर सकें।

(12.20 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

जहां तक पंचायतों के रिकार्ड का सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, एक समस्या है। एक आदमी 5-5, 7-7 पंचायतों की जगह का काम करता है और उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई सातवीं पास है, कोई आठवीं पास है और कोई दसवीं पास है और कोई सरकारी रिटायर्ड आदमी है वे ही कर रहे हैं। बाज वक्त भोले-भाले ग्रामीणों की एक-एक मुकदमों की दो-दो फाइलें बनाकर चाहे जो कुछ निर्णय दिलवा देते हैं, तो आप कोई नियम बनाकर उनके लिए एक तरह का सेक्रेटरी नियुक्त करेंगे परन्तु वह कब नियुक्त करेंगे और उसको ट्रेनिंग कब तक देंगे और कब तक उसको भेज पायेंगे ? उससे पहले जो समितियां बन जायेंगी, फौजदारी व दीवानी अख्तियारात आप उनको देने जा रहे हैं तो ऐसी हालत में वे क्या करेंगी, ? भगवान ही मालिक है। इस तरह के सेक्रेटरी अपनी मन के मुताबिक रिपोर्ट देते हैं और जब कभी इच्छा होती है, तब लिखते हैं। नहीं तो सेक्रेटरी सरपंच के घर जाते हैं और वहां अपनी मनमानी रिपोर्ट लिख लेते हैं।

मेरा निवेदन है ग्राम सेवकों को सेक्रेटरी बनायें और रेवेन्यू एजेन्सी से सम्पर्क कायम करके रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से भी सम्पर्क रखें। अन्यथा जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था करें नहीं तो सेक्रेटरी के बिना पंचायतों के काम रुके पड़े हैं, जो फाइलें हैं वे सब अधूरी पड़ी हुई हैं और जब दीवानी और फौजदारी अख्तियारात आ जायेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जायगी और किसी तरह भी निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं होगा। यह एक समस्या आपके सामने आने वाली है। तो इस समस्या के लिए बहुत पढ़े लिखे, हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी गांवों में फिरते हैं उनका लगा दिया जाय तो गांवों की यह समस्या हल हो जायेगी और फिर आप उनको किसी तरह समायोजन कर लें जो पंचायतों के विकास का काम भी देख सकेंगे, रोकड़ का काम भी देख सकेंगा, न्याय उप-समिति का काम भी देख सकेंगे। कई तरह के और काम भी कर सकेंगे और एक आदमी का एक पंचायत से भरण-पोषण भी हो सकता है। अगर एक से नहीं हो सकता है तो दो रख सकते हैं। जब तक इस तरह की कोई समान व्यवस्था नहीं कर पायेंगे तब तक पंचायतें फंक्शन नहीं कर सकती हैं।

दूसरा मेरा निवेदन है जो पंचायत काम कर रही हैं उसमें भी एक बड़ी अजीब समस्या है सरपंच चाहे तो किसी

(श्री दीपंकर)

अतिक्रमण को हटाने के बाबत या किसी और अमुक काम के लिए या पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था या किसी और देखरेख में खर्चा करें और कोई डवलपमेंट की स्कीम बना कर दें तो उसे भी देखें। पंचायत समितियों के पास पैसा नहीं है इसलिए इस तरह की व्यवस्था कर नहीं पाते हैं तो मेरा निवेदन है कि इस तरह की बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। गांवों में कोई सेस लगाया जावे तो उसकी आज्ञा भी जरूर प्रसारित करें ताकि पंचायतों में रहने वाले लोगों को मालूम पड़े कि हमारे फायदे की चीज है और हमें टैक्स देना चाहिये। बहुत से तो टैक्स देते हैं, राजस्थान सरकार को टैक्स देते हैं, भारत सरकार को टैक्स देते हैं बन्दूक रखने का, लगान का, और कई तरह के टैक्स देते हैं तो क्यों नहीं अपने गांव को डवलप कर सकें। तो मेरा निवेदन है पंचायतें समान स्तर के टैक्स की बात करें तो ग्रामीण अंचल में काफी कुछ हो सकता है।

मैं समझता हूं नगरपालिकाओं में बहुत से पढ़े-लिखे लोग रहते हैं उनको भी यह कहते हैं क्यों बदनामी लेते हो हाउस टैक्स की बात करके और इसे रिवाइव नहीं करते हैं तो फिर किस प्रकार पंचायत टैक्स लगा सकती है। इस प्रकार के टैक्सों को कम्पलसरी करके रेवेन्यू एजेन्सी के थ्रू वसूल करें तो गांवों की छोटी-मोटी डवलपमेंट की योजनायें पूरी हो सकेंगी और पंचायत राज फिर से पुनः जागरूक हो जायेगा। मुझे तो इतना ही निवेदन करना है और जो कुछ आपने व्यवस्था की है, इससे पंचायतों को शक्ति मिलेगी, उनके यहां लोग-बाग आने लगेंगे और मैं समझता हूं उनकी न्याय शक्ति भी बढ़ेगी। लेकिन यह नहीं कि एक आदमी को जैसा पंचायत राज का आज का दफ्तर है बैठा दिया। उसमें पूर्ण सुधार करना होगा। एक पंचायत घर बनाना होगा। आज पंचायतों के दफ्तर बहुत से लोगों के घरों में हैं। बहुत सी जगह पंचायत के बैठने का कोई स्थान ही नहीं है। गांव के एक पीपल के या और किसी पेड़ के नीचे बैठकर ही न्याय कर रही है, या गांव के एक किनारे के पास बैठकर न्याय का फैसला हो रहा है और किसी जगह मर्जी आये वहां ही बैठ गये और काम शुरू कर दिया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, स्थानीय समस्याओं के बाबत और हमारी अमुक तरह की जरूरतों के मुताबिक, अमुक अपराधों के मुताल्लिक, अमुक-अमुक जगह जाना है जब तक इस प्रकार का ज्ञान ग्रामीण लोगों में नहीं होगा तब तक ये सफल नहीं हो सकेंगी। चाहे राज्य सरकार के जरिये करें, चाहे कम्पलसरी टैक्स के रूप में करके करें जिससे आम आदमी को पता लग सके कि फलां काम के लिए फलां जगह जाना है। जिस प्रकार आपकी अदालतों में जाते हैं और बाहर चपरासी बैठा रहता है तो गांव वाला समझ जाता है कि यह अदालत का दफ्तर है। जब तक इस प्रकार का कोई स्वरूप आप गांव में पैदा नहीं करेंगे तब तक ग्रामीण जनता में विश्वास नहीं बैठने वाला है। यह विश्वास तभी आ सकता है जब आप उनको न्यायाधीश के रूप में बैठायें। यह नहीं कि तालाब की पाल पर बिठा दिया, पेड़ के नीचे बिठा दिया या और कहीं बिठा दिया तो,

Page No 52

(52)

(श्री दीपंकर)

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार ये न्याय की अदालतें नहीं कहलायेगी। और न यह उपाय कोई कारगर है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरह का कोई उपाय जरूर निकालें। इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है और जनमत जानने हेतु यह निवेदन रखा है कि किसी तरह से यह व्यवस्था इसमें और समाहित करें। इसको किसी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, इस कदम की सराहना करते हुए, राज्य सरकार की पंचायती राज्य को सुदृढ़ करने की मनोवृत्ति को मानते हुए, आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए, यह मांग करता हूं कि जो पंचायतें गांवों में कायम की गई थीं वह हमारे भारतीय संघ के लोकतंत्र की एक दृढ़ नींव बनें इसलिए उनके शासन को सुव्यवस्थित बनायें, उनके स्वरूप को निखारें और लोगों के सामने यह आये कि यह हमारी पंचायत है, यह हमारी अदालत है। यह जब तक नहीं होगा तब तक आपकी यह पंचायती राज व्यवस्था, यह पंचायतें ठीक तरह से काम नहीं कर सकेंगी। उनका रिकार्ड खराब होगा और लोगों पर फिर से बड़े बड़े मुकद्दमे बनेंगे। आज मुकद्दमे नहीं बन रहे हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल!

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया!

श्री मूलचन्द सामरिया : मीठालाल जी आ गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बोल लें।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस तरीके से न्याय उपसमिति के गठन के लिए एमेंडमेंट पेश किया है पंचायत एक्ट में उसका क्या तो विरोध करें और उसका समर्थन भी कैसे करें? उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से वही चौधरीजी पंचायत-राज मंत्री हैं जो कि पंचायतों के गठन के बारे में और सलाह के लिए एक हाई पावर कमेटी बनी थी उसके भी सदस्य थे। उस कमेटी के सदस्य की हैसियत से आपने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज को जीवित रखने के लिए अविलम्ब चुनाव किये जाने आवश्यक हैं, लेकिन वही चौधरी जी जब एक मंत्री का बाना पहन लेते हैं तो पता नहीं उनको क्या होता है कि जो कमीशन के सदस्य की हैसियत से सलाह देते हैं उस पर खुद भी अमल नहीं कर सकते हैं। ऐसी आपकी मजबूरी आ जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी इस बात को समझेंगे और सरकार से मैं यह निवेदन करूंगा कि न्याय का सिद्धान्त सबसे पहला यह है कि Justice should not only be done but it should be shown to be done. न्याय अगर आप करना ही चाहते हैं तो क्या संभव होगा कि जिन लोगों के क्षेत्र से चुनाव लड़कर जनता के वोट से जो लोग आते हैं पंच और सरपंच तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि वह जुडिशियल मैटर्स में, न्यायिक मामलों में इतने निष्पक्ष तरीके से फैसला कर सकेंगे जिस तरीके से कि एक

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जज या एक मजिस्ट्रेट कर सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति को जब इस जनतांत्रिक प्रक्रिया में से गुजरना होता है तो अपने क्षेत्र के लोगों से उसको पंच या सरपंच की हैसियत से मत लेने होंगे, तो उस व्यक्ति से मैं यह अपेक्षा नहीं रखता कि वह अपने समर्थक और अपने विरोधियों में फर्क न करे, क्योंकि इन्सान आखिर इन्सान ही होता है। वह कोई मशीनरी उपकरण तो नहीं है एक दस पैसे का सिक्का डाला और वोट दे देगा अपने पक्ष के लोगों के लिए। अपने विपक्ष के लोगों के लिए अलग अलग तरीके के माप-दण्ड तो होते ही हैं। मैं समझता हूं कि अगर सरकार न्याय पंचायत के फन्क्शन को नहीं चला सकती थी तो उसको खत्म कर दिया होता, और जब तक वैकल्पिक कोई व्यवस्था इफेक्टिव क्रियेट नहीं कर सके तब तक यह वापिस ले ले और मजिस्ट्रेट के द्वारा ही वह कार्य हो सकता है। लेकिन इस बात को न करके सरकार ने एक तरह से गरीब, अशिक्षित, भोले लोगों के साथ में ज्यादती की है। जब विकास पंचायतें थीं तबके उनके सारे कारनामे हैं, उनका अगर पोस्टमार्टम किया जाय, उनका विश्लेषण किया जाय तो तरह तरह के गबन और ऐसे कारनामे सामने आते हैं बहुत बड़ी तादाद में पंचों और सरपंचों के खिलाफ व्यक्तिगत तौर से गबन के केसेज भी बनते हैं, अनियमितताओं के केसेज भी हैं, अपने पद का दुरुपयोग करने के केसेज भी हैं। आज सरपंचों को और पंचायतों में उसी क्षेत्र से चुने हुए लोगों के लिए न्यायिक अधिकार देते है जिससे वे दीवानी केसेज की सुनवाई करेंगे और दूसरे केसेज की भी सुनवाई करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक फौजदारी मुकद्मात का सवाल है उनका कान्करेंट जुरिस्डिक्शन है। कोई पुलिस में रिपोर्ट करा सकता है और कोई न्याय पंचायत में भी। जहां पर दीवानी केसेज का सवाल है ता यह केसेज उतने ही छोटे होंगे जिनके बारे में न्याय पंचायत को जुरिस्डिक्शन दिया गया था। वह केसेज तो शायद एक साल के लिए सस्पेन्शन में हो गए हैं। गरीबों के खिलाफ या गरीबों के हक में ऋण नियन्त्रण कानून के अन्तर्गत, जो कि अभी मोरेटोरियम किया गया है, एक साल के लिए अभी डिक्रियां नहीं की] जा सकेंगी। इसलिए इसमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर सरकार गरीब लोगों के ऋण की मुक्ति की बात करे और दूसरी तरफ पंचायत के जरिए न्याय चलाना चाहें तो मैं समझता हूं कि वह गरीब लोगों के लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए है जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए न्याय पंचायत में जायेंगे। अन्यथा छोटे ऋणी के लिए आपने जो सीमा दे दी है वह 2400) रु. तक के ऋणी के लिए आपने उसमें व्यवस्था की है। इसके अलावा जो बड़े ऋणी थे, जो समृद्ध लोग या जो भूखों मरने से कुछ कुछ ऊपर वाले लोग हैं वह कोर्ट या अदालत से न्याय ले सकते थे उनके लिए न्याय पंचायत या पंचायत की न्याय उप-समिति बना कर ग्राम पंचायतों को बड़े बड़े लोगों को प्रतिष्ठा के लिये लड़ने के लिए एक अखाड़ा बना रहे हैं। आज भी आलरेडी पंचायतों के क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में, आपसी मन मुटाव का आधार यह पंचायतें बनी हुई हैं, और इन झगड़ों का

(श्री मूलचन्द सामरिया)

मेन कारण राजनैतिक आधार है। कोई विकास का काम हो तो उसमें राजनैतिक आधार, दूसरा काम हो तो उसमें राजनैतिक आधार, अगर एक छोटे से बाड़े का फैसला होता है तो पूरी पंचायत में राजनैतिक आधार पर होता है। मैं समझता हूं कि राजनैतिक आधार अथवा करप्शन के ऊपर उठना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक लोग अपने द्वारा चुने हुये व्यक्ति से यही आशा करते हैं कि वह न्याय न करके उनके वोट के अनुसार फैसला करे।

एक बात ता यह है कि Justice will not be done and it will not be done, but justice should not only be done and shown to be done. इस सूत्र के यह विपरीत होगा। दूसरा सूत्र यह है कि Justice delayed is justice denied. जब कि ग्राम पंचायतों के पास में आलरेडी इतना काम है कि उनको अपने आपसी झगड़ों से ही फुर्सत नहीं है उनका रिकार्ड कुछ ढंग का नहीं है और जेब के अन्दर उनका कार्यालय है, तो न्यायिक फैसला किस आधार पर करेंगे? कौन सा स्टाफ बढ़ाया जायगा, कौन से न्यायिक व्यक्ति उनके सलाहकार होंगे जो इस प्रकार का काम कर सकेंगे? इसलिए एक पंचायत के दो ग्रुप बना कर उप-समिति का गठन कर देंगे जो कि न्याय नहीं कर सकें और न विकास सम्बन्धी कार्य कर सके। केस आज 5-5 साल से लेट हो रहे हैं। इसके लिए आप अनावश्यक तौर से दोनों पक्षों के व्यक्तियों को मना कर रहे हैं। अन्यथा सरकार इस बारे में सोचे। इस विधेयक को वापिस ले तो अच्छी बात होगी। अन्यथा आप गांवों में एक नयी दलबन्दी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ क्लॉज यह भी थे कि ज्यों ही आदेश होगा वहां विकास अधिकारी सम्पत्ति पर कब्जा करेगा। लेकिन यह नहीं कहा गया है कि उनकी देनदारी के लिए कौन जिम्मेदार होगा। जो सम्पत्ति है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। शायद मैं गलत नहीं हूं, आप देख लें। इसमें यह व्यवस्था नहीं है कि सम्पत्ति का चार्ज लेते समय न्याय पंचायत की लायेबिलिटीज और असेट्स लेते हैं। चूंकि यह एक विधेयक है और विधायक के तौर पर मैं भाग ले रहा हूं, अन्यथा इस प्रकार की चर्चा करने का कोई महत्व नहीं है, मुर्दे के पोस्टमार्टम के अलावा। यह कोई एग्जिस्टेंस में वायेबिल यूनिट नहीं है। यह न्याय के क्षेत्र में एक धांधलीपूर्ण विधेयक है। न तो न्याय पंचायतों पर विश्वास है, न जनता पर विश्वास है। चूंकि यह पंचायत और पंचायत समितियां, जिला परिषदों के द्वारा ग्रामीण जनता को एक साथ बैठकर काम करने का मौका मिलता था इसलिए राजनैतिक नेता घबरा गए हैं और वह पंचायतों को समाप्त करना चाहते है जिससे कि ग्रामीण लोगों में राजनैतिक जागृति नहीं आ जाये। उन्होंने संगठित होकर कोई कदम उठाये तो हम इस स्थिति में नहीं रह सकेंगे। इसलिए देहात के लोगों को मजबूर किया गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपका यह विधेयक है, इसको

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जनमत जानने के लिए प्रसारित करें। आप सभी सहमत होंगे कि यह प्रगतिशील कदम नहीं है। यह न्याय नहीं अन्याय है। लोगों को मजबूर करके, गांवों के सीधे सादे लोगों के बीच में फर्क पैदा करना चाहते हैं। इस प्रकार का यह विधेयक ला रहे हैं। यह ग्रामीण लोगों के लिए अभिशाप सिद्ध होगा। इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये, इसी से आपको इसकी वस्तुस्थिति का पता चल सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975, सदन के सम्मुख विचारार्थ है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि इस ग्रामीण स्वराज्य संस्था की दुर्दशा हो रही है। इसका आभास हमें विधेयक से ही मालूम पड़ता है। जो एक समय न्याय पंचायत की बॉडी को गठित किया गया था उसको कोई सहयोग आर्थिक या उसके निर्णयों की ठीक से जांच व क्रियान्विति करने का नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप में उसको खत्म करना पड़ रहा है। और इसको स्वरूप न्याय उप-समिति को दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह न्याय उप-समिति गठित की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : न्याय तो पूरा है। अन्याय नहीं है। समिति उप-समिति है।

श्री लूणाराम : अच्छा होता, जो न्याय पंचायतें पहले थीं, वैसी ही रहतीं। न्याय पंचायतों का तमाम उत्तरदायित्व इस उप-समिति को दिया गया है। इसमें कोई और अधिक व्यवस्था होती तो अच्छा होता। दूसरी बात इसमें यह है कि इसके अन्दर न्याय पंचायतों के समय कर्मचारियों को मकानों का किराया आदि और कई प्रकार का कर्जा आदि न्याय पंचायतों को देना था। एक तरह से वह उनकी जिम्मेदारी थी जो न्याय पंचायतों ने नहीं दी जो एक प्रकार से बकाया पड़ी है। कर्मचारियों के मकान आदि का किराया बकाया पड़ा है। मैं यह चाहता था कि जो किराये आदि की ग्राम पंचायतों में न्याय पंचायत की राशि बकाया है, जिनमें बकाया है, वह राज्य सरकार वसूल करवा कर किसी प्रकार से यह बकाया सारी की सारी कायम मानकर चुकारे की व्यवस्था करो। अगर ऐसा नहीं होगा तो उन संस्थाओं पर विपरीत असर पड़ेगा। यह आवश्यक है। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि आज पंचायतों के अन्दर सबसे ज्यादा काम के अन्दर कठिनाई आ रही है कि पंचायतों को अधिकार दिए हुए होते हुये भी उनका उपयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे मालगुजारी का 10% पंचायतों को दिया हुआ है। लेकिन उनको किसी प्रकार से नहीं दिया गया है। एक प्रकार से अच्छे काम के लिए न्याय और व्यवस्था की आशा रखते हैं तो उनको सहयोग सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। इसका परिणाम यह होता है कि वह काम नहीं कर पाती हैं। फिर यह कहा जाता है कि पंचायतें भ्रष्ट हैं। उनके अभाव अभियोगों के बारे में हम नहीं सोचते हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि मालगुजारी का 10%, जिसका कि उल्लेख पंचायत अधिनियम-नियमों में है, पंचायतों को दिलायें। जिससे कि वह अपना काम

(श्री लूणाराम)

कर सकें। दूसरी बात यह है कि ग्राम पंचायतें अपने गांव की बहबूदी के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, उन्हें सुविधा दिलाने के लिए कुछ कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि ग्राम पंचायतें ग्राम में विद्युत् और जल प्रदाय के लिए एग्रीमेण्ट लिखकर देती हैं, 5 साल के लिए ज्यों ही एग्रीमेण्ट हो जाता है लेकिन पंचायतों की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं होने के कारण वह माहवारी भुगतान नहीं कर पाती हैं। पंचायतों की एसी स्थिति होनी चाहिए कि वह अपना काम कर सकें। नतीजा यह होता है कि विद्युत् विभाग के कर्जे से दबना पड़ता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से पंचायतों का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए, जिस प्रकार से आप नगरपालिकाओं की अनुदान की स्वीकृति देते है, विशेष प्रकार से, तो उसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा, सभी ग्राम पंचायतों के लिए भी वह व्यवस्था कायम कराई जाये। जिससे कि वह अपने कार्य में अग्रसर हो सकें। दूसरी बात आज पंचायतों में ज्यादा विवाद इस बात के लिए होता है कि अमुक ने दीवार खड़ी कर ली है या बाड़ खड़ी कर ली है। या बाड़ खिसका ली है। इस बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही कराई जा सकती है। पर इसमें सबसे बड़ी जो कमी है, एक तो यह कि इस प्रकार से लोगों को परेशान करने की बात है, दूसरी बात यह है कि जो गांवों का नक्शा हम बनाना चाहते हैं, गांवों को जो स्वरूप देना चाहते हैं वहां उसमें कमी रह जाती है और वह इसलिए कि कोई मास्टर प्लान आज तक गांवों का नहीं है और फिर हम यह कहते हैं यह आदमी इतना खिसक गया, इतनी जमीन उसने खिसका ली। इसलिए अगर हमको गांवों में सुधार करना है और इस तरफ कार्य करना है तो गांवों के लिये मास्टर प्लान बनाये जाने चाहिएं। उसके बाद अगर कोई इसकी पालना नहीं करता है तो फिर उसको दण्डित किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वह एक भानुमति का कुनबा बनकर रह जायगा। कोई सुधार न होकर मनमानी चलती रहेगी। इसलिए सही व्यवस्था की जाय तो उचित रूप से विकास हो सकेगा....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है इसका मैं स्वागत करता हूं। वास्तव में इसकी एक बहुत आवश्यकता थी और राज्य सरकार द्वारा जो पंचायती राज कमेटी बनाई गई थी, उसने यह महसूस किया था कि पंचायतों का कार्य ठीक तरह से नहीं चल रहा है और उनमें काफी अनियमितताएं हो रही हैं इसलिए राज्य सरकार ने उचित समझकर इस बिल को पेश किया। राज्य सरकार द्वारा सुधार लाने के लिये एक कमेटी का गठन किया गया और वह कमेटी इस निष्कर्ष

(श्री ओंकारलाल चौहान)

पर पहुंची कि न्याय पंचायतों को डिजॉल्व करके एक ऐसी कमेटी पंचायतों के आधार पर बनाई जाय जो सही तरीके से काम कर सके। वैसे तो यह ठीक बात है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं अपनी ओर से दो-तीन सुझाव पेश करना चाहता हूं। वैसे तो यह जो कमेटी बनायी गई है वह इस कार्य को पूरी तरह से करेगी लेकिन इसमें जो इसका गठन किया गया है उसमें पांच मेम्बर रखे गये हैं, उन पांच मेम्बरों में से एक शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स यानि एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य और एक महिला का होना रखा गया है। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो 'या' शब्द लगाया गया है, 'अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति' इसके स्थान पर 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति' कर दिया जाय, दोनों का एक सदस्य और एक महिला होगी। महिला का तो उचित है। इससे इस बिल की धारणा का पता लगता है कि कमजार वर्ग के लोगों को इसमें उचित स्थान दिया गया है और सरकार उनकी रक्षा करना चाहती है उनके हितों की रक्षा करना चाहती है। इसके सम्बन्ध में सेक्शन 7 है, —

"Eligibility of persons to be members of Nyaya Up-samitis"

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें क्लॉज (2)

"If he is unable to read and write Hindi fluently, freely and legibly."

मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी 27 सालों के बाद आजादी मिलने के बाद भी ग्रामीण स्तर पर लोग पूरी तरह से पढ़े लिखे नहीं हैं और इस वजह से वे इसका पूरी तरह से समझ नहीं पायेंगे। यह खेद की बात है कि अभी तक हम ग्रामीण स्तर तक शिक्षा में विशेष उन्नति नहीं कर पाये हैं। पंचायतों के मेम्बर गांवों के ही होंगे इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह क्लॉज (2) जो रखा हुआ है

"If he is unable to read and write Hindi fluently, freely and legibly."

इसको ओमिट कर देना चाहिए, कास्ट एण्ड ट्राइब होना चाहिए—एण्ड कास्ट एण्ड ट्राइब एण्ड वूमन, इसके लिये ओमीशन किया जाना चाहिए। और जो उप-समिति बनेगी मैं आशा करता हूं कि ठीक तरह से काम करेगी। न्याय पंचायतों को डिजाल्व करने का यही मकसद था और इसी आधार पर अमेन्डमेन्ट लाया गया है। क्रिमिनल केसेज के लिये तो क्रिमिनल कोर्ट है ही और सिविल केसेज में कोई अड़चन इसमें नहीं आयेगी और ऐसा मैं समझता हूं कि उसमें न्याय प्राप्त किया जा सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान एक और मसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि ग्राम पंचायतों की आमदनी को बढ़ाया जाना चाहिये जिससे कि वह सेल्फ सफिशियेन्ट हो सकें। उनकी

(श्री ओंकारलाल चौहान)

सोर्स ऑफ इन्कम कुछ भी नहीं है। जब एक बॉडी बन जाती है तो उसका कुछ न कुछ इन्कम का आधार अवश्य होना चाहिए। गांवों की जागृति की जो कल्पना हमारे नेताओं ने और महात्मा गांधी ने भी की थी उसको साकार करने के लिये हमें इस क्षेत्र में भी विकास की ओर बढ़ना है। साथ ही गांवों के विकास के साथ साथ पंचायतों की इन्कम भी आवश्यक है, लैण्ड रेवेन्यू या और किसी भी जरिये से हम इसको बढ़ा सकते हैं। कई माननीय सदस्यों ने भी सब्सीडी और इसी तरह के सुझाव भी पेश किये जिस प्रकार से नगरपालिकाओं को देते हैं लेकिन ग्राम पंचायतों को इस प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाती। इसीलिए उनका कोई सुदृढ़ आधार नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भी इसी प्रकार से सब्सीडी दी जानी चाहिए या उनके लिये भी लैण्ड रेवेन्यु की दस पर्सेन्ट धनराशि रखी गई है वह होनी चाहिए जिससे उनका कोई आधार बन सके। और जैसा अभी माननीय सदस्य श्री सामरिया जी ने कहा कि यह नहीं होना चाहिए और एक अखाड़ा सा बन जायगा, मैं उनकी इस बात से सहमति नहीं रखता हूं। मेरी मान्यता है कि आज भी पंचायती राज में हमारी आस्था मौजूद है और हम पंचायती राज में विश्वास करते हैं अगर उनकी इस तरह की धारणा बनती है तो वह ठीक नहीं है।

श्री मीठालाल मीणा : बाहर तो आप अलग बात कह रहे थे और अन्दर अलग बात कर रहे हो।

श्री ओंकारलाल चौहान : आप, मीठालालजी, सन्तुष्ट नहीं हो सकेंगे। आप सुनिये तो सही।

श्री दीपंकर : यह आपका नहीं, आपके ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री ओंकारलाल चौहान : यहां भी पुराने तरीके अख्तियार कर सकते हैं, माननीय सदस्य। आज हमको सभी स्तर पर विकास करना है मैं इस बिल का इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत करते हुए उपरोक्त बातों की ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल मीणा

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे एक व्यक्ति एक गलती को सुधारने के लिए सौ गलती करता है, इसी तरह से राज्य सरकार ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के मामले में इस ढंग से उलझ गई है कि यह खुद भी नहीं जानती कि सही हल क्या हो, इस समस्या का निराकरण किस तरह से करे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है पंचायतों, ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने में झिझक रही है। यह समझ नहीं पा रही है कि आखिर में इसका उपयोग क्या किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो ग्राम पंचायतों की प्रक्रिया चल रही है, वह वैसी है जैसी न्याय पचायतों की प्रक्रिया चल रही थी, और यही हालत रही तो ग्राम पंचायतों की भी न्याय पंचायत जैसी हालत होगी। जैसी दुर्गति आपने न्याय पंचायत की की, वही आप

(श्री मीठालाल मीणा)
फिर ग्राम पंचायतों की कर रहे हैं। आपका इन ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों को बनाने का, मैं मानता हूं, उद्देश्य बहुत अच्छा था। माननीय नेहरू जी ने जो पंचायती राज के मूवमेंट की स्थापना की थी, उसका बहुत अच्छा उद्देश्य था। लेकिन इसके, जो उद्देश्य था, इसकी नीति थी और जो उस समय नीयत थी, उसको आपने अपनी भावनाओं से बिगाड़ दिया है। इस ढंग से इस महत्वपूर्ण निर्णय को झकझोर दिया है कि अब आप खुद भी नहीं सम्भाल सकते हैं। जिस ढंग से एक मुर्दे की लाश को कब्र में दफना दिया जाता है और पुरानी दुश्मनी ऐसी है कि कब्र से लाश को निकाल कर पोस्टमॉर्टम कराया जाता है....

श्री ओंकारलाल चौहान : कब्र में नहीं है भाई।

श्री मीठालाल मीणा: कब्र में है लाश, उस लाश को किसी ढंग से जिन्दा रखना चाहते हैं। इसका एक तरीका है कि एकदम से प्रक्रिया को बदल कर चुनाव करा कर पंचायतों में लोगों की आस्था पैदा करायें, लोगों में यह आस्था पैदा हो कि पंचायती राज में कुछ बल है, और लोगों को भरोसा हो कि सरकार की नीयत इसको ठीक करने की है। नहीं तो न्याय पंचायतों की तरह ही ग्राम पंचायतों की हालत होगी। आप भी मानते हैं कि न्याय पंचायतें फेल रही हैं। उसी तरह से ग्राम पंचायतें भी फ़ेल रही हैं। इसका आपने यह हल सोचा कि ग्राम पंचायतों के खड़के न्याय पंचायत को, लगा दिया जाय। ऐसा नहीं होगा तो ऊपर से उलाहना मिलेगा कि न्याय पंचायतें खत्म कर दीं। आप तो चाहते हैं कि ग्राम पंचायतें भी खत्म कर दें लेकिन ऊपर का डर है। इसमें आपका दोष नहीं है, आप तो ऊपर के इशारे के अनुसार काम करते हैं। आपने यह नहीं सोचा कि न्याय पंचायतें आखिर फेल क्यों हुई ? अगर न्याय पचायतें फेल हो गईं तो उसमें आप कुछ सुधार करते। यह नहीं सोचा कि अगर सुधार नहीं किया तो आगे क्या हालत होगी। ऐसा तो है नहीं कि जिस प्रकार आपने न्याय पचायतें खत्म कर दीं, वैसे ही ग्राम पंचायतों को खत्म कर दें। आपने ग्राम पंचायत को न्याय पंचायत का डण्डा-झोली सम्भला दिया, टूटा सन्दूक, फटी दरी देने का प्रावधान कर दिया। लेकिन न्याय पंचायत के क्लर्क थे, उनका दो-तीन साल का वेतन बाकी है, वह बेकार होकर डोल रहे हैं। उनके लिए आपने क्या सोचा ? आप कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत में बाबू को रख लिया जायेगा। लेकिन ग्राम पंचायत में जो ग्राम सेवक काम कर रहा है, उसको रखेंगे या इसको रखेंगे ? इसके अलावा पुरानी लेनदारी को आप महसूस कर रहे हैं। आपने देनदारी महसूस नहीं की है। इसका विधेयक में प्रावधान क्यों नहीं रखा है। जो देनदारी है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को कहना चाहिए कि उसकी देनदारी हम देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत की उप-समिति बना कर न्याय पंचायत का काम दे दिया है। यह सही है कि ग्राम पंचायत का सरपंच, उप-सरपंच पढ़ा-लिखा योग्यता वाला होता है, उसके अलावा किसी में योग्यता नहीं है, कोई सदस्य पढ़ा लिखा नहीं है। फिर इस

(श्री मीठालाल मीणा)

उप-समिति में वही सदस्य जायेंगे। इसकी सरपंच तो अध्यक्षता करेगा लेकिन सरपंच के अतिरिक्त और कोई होंगे, वह बिना पढ़े-लिखे होंगे। वह इस उप-समिति में बैठेंगे। दरअसल में आप सदस्यों की योग्यता का मापदण्ड निर्धारित करते कि इस योग्यता का व्यक्ति उप-समिति में जा सकता है। जो फौजदारी, दीवानी जैसे महत्वपूर्ण मामले हैं उनको इस उप-समिति में देना चाहते हैं तो फिर यह भी आवश्यक है कि आप यह सोचें कि उप-समिति कैसी हो। जो इसके सदस्य होंगे, वह यह नहीं समझने वाले होंगे कि क्या फौजदारी है, क्या दीवानी है, किस तरह गवाहों के बयान लें। यह नहीं समझ पायेंगे, तो जो सचिव है, उसकी जैसी मर्जी होगी वैसे बयान लेगा। एक बयान दे रहा होगा, लेकिन वह दूसरा बयान लिख रहा होगा। सरपंच की तरफ से राम राज्य है, वह नहीं जानता है कि क्या लिख रहा है। इसलिए ऐसे सदस्य होने चाहिए जिनमें योग्यता हो और जो न्याय के अधिकार दे रहे हैं इस उप-समिति को, उनको कम से कम यह मालूम हो कि हम किसी के साथ कैसे न्याय कर सकते हैं और जो कुछ गवाह कह रहे हैं, उसको लिख सकें और सुन सकें, और सचिव अपनी मनमानी नहीं कर सके। आये दिन यह देखने को मिलता था जब न्याय पंचायतें पहले थीं, उनके अन्दर यह स्पष्ट हुआ, अधिकांश जगह सचिव ने मनमाने तरीके से मुकदमों के ठेके ले लिये और जैसे चाहा वैसे मोड़ देकर मुकदमों का फैसला दे दिया। एक सचिव ने ही उन न्याय पंचायतों को चलाया। और सचिव ने सोचा उस समय तक ही न्याय पंचायतें चल सकीं और जब वह हाथ पर हाथ धर कर बैठ गया तो न्याय पंचायतें खत्म हो गईं। आपको यह मालूम नहीं है कि न्याय पंचायतों का रिकार्ड कहां है, क्या है। मेरा निवेदन है कि यह आपके वश का रोग नहीं है। आपके वश की बात नहीं है तो छोड़ें इस बात को, यह नहीं कि आप उलझते रहें, फंसते रहें। आपको इसमें विशेष सुधार करना चाहिए। आप सोचते हैं कि भगवान की दया से सुधर जायगा। लेकिन भगवान की दया के साथ में आपके अच्छे कर्म होने चाहिएं, नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें सदस्यों की योग्यता, देनदारियों और लेनदारियों के मसले हैं, उन पर जल्दी में निर्णय नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको जनता की राय जानने हेतु परिचालित किया जाय।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति का प्रस्ताव। श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

[निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया:—

"राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन दो सप्ताह/इसी सत्र/एक सप्ताह/तीन दिन/एक माह/तीन दिन में प्रस्तुत करें (प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इस सम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव मैंने सदन के समक्ष रखा है। मैं इस विषय में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। जब न्याय पंचायतों के बारे में यह निर्णय हुआ था कि न्याय पंचायतों को समाप्त किया जाय और ग्राम पंचायत को न्याय पंचायत के अधिकार दिये जायं, उस समय भी मैंने विरोध किया था। मैं इस मत का भी हूं कि न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत, दोनों की अलग-अलग एन्टिटी होनी चाहिए, दोनों अलग-अलग ही होनी चाहिए। पहले गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था, वह भी सोच समझ कर लिया था। वह फैसला एक सिद्धान्त के आधार पर लिया था कि एग्जीक्यूटिव के पास न्याय का काम नहीं होना चाहिए। उस बेसिस पर निर्णय लिया था और न्याय पंचायतों का गठन हुआ था। परन्तु उस सिद्धान्त के माफिक हम चल नहीं सके और चल नहीं सके तो न्याय पंचायतों के लिए फण्ड की व्यवस्था नहीं कर सके। न्याय पंचायतों के लिए फण्ड की व्यवस्था नहीं करने के कारण जिस सिद्धान्त को हम मंजूर कर रहे थे, उस सिद्धान्त को तिलांजलि देकर एग्जीक्यूटिव को हमें अधिकार देना पड़ा। एक्जीक्यूटिव को अधिकार देने पर सोचा कि सारा पंचायत को अधिकार देंगे तो उचित नहीं होगा। इसलिए नई रिकमन्डेशन, गिरधारीलाल व्यास हाई पावर कमेटी की रिकमन्डेशन के आधार पर एक न्याय उप-समिति का गठन किया। आपने जो न्याय उप-समिति का गठन किया, उसके सम्बन्ध में मैं बाड़मेर की बात कर रहा हूं, वहां पर पढ़े-लिखे की बात करें, कि एम. ए. बी. ए., सदस्य होने चाहिए न्याय उप-समिति में पढ़े-लिखे सदस्य होने चाहिए, जिस प्रकार न्याय पंचायत में पढ़े-लिखे सदस्य होने चाहिए थे तो इसमें आप पंचायत के सदस्य लेंगे। वहां ऐसी पंचायत हैं जिनमें केवल सरपंच पढ़ा हुआ है और बाकी के सदस्य पढ़े हुए नहीं हैं। फिर कौनसे सदस्य हैं जिनमें से उस पंचायत में इलेक्शन करा कर तीन सदस्य इस उप-समिति में लेंगे। इसलिए यह कहें कि पढ़े-लिखे को इस न्याय उप-समिति में लेंगे, इसका प्रश्न पैदा नहीं होता है। इसके अलावा महिलाओं में पढ़ा-लिखा होना तो और भी मुश्किल है, शिड्यूल्ड कास्ट्स में पढ़ा-लिखा होना तो और भी मुश्किल है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स में पढ़ा-लिखा होना और भी मुश्किल है। इस प्रकार यह उप-समिति ऐसी होगी जिसमें पढ़ा लिखा होगा नहीं। अभी आप पोजीशन यह बनायें कि शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स व महिलाओं के लिए रिलेक्सेशन कर दें कि पढ़े-लिखे नहीं होने चाहिये, वे न्याय करें, पढ़े-लिखे भी न हों तो वह भी उचित नहीं है। इसलिए आप कन्फ्यूजन में पड़ेंगे। न्याय पंचायतों का ही गठन करना चाहिए और फण्ड्स की व्यवस्था करनी चाहिए, अगर वह नहीं करते हैं तो आप जुडीशियरी को अधिकार दें, पहले वाली चीज कर दें, नहीं तो बाद में ग्रुपबाजी चलती है, सिविल सूट्स और क्रिमिनल सूट्स में बदला लेते हैं, संघर्ष चलते हैं, फैक्शन होते हैं, गांवों में शांति नहीं रहती। तो क्यों आप अशांति पैदा करना चाहते हैं?

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप फण्ड्स की व्यवस्था नहीं करते है तो वापिस जुडीशियरी को यह व्यवस्था सुपुर्द कर दें। यह सस्ता न्याय नहीं होगा, यह तो न्याय पंचायत से ही मिल सकेगा। परन्तु आप जिस प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं और अशांति पैदा करना चाहते है, उससे बेहतर होगा कि आप जुडीशियरी को वापिस यह काम दें।

अब प्रश्न उठता है कि गिरधारीलाल कमेटी की सिफारिशें प्रस्तुत हुई। आप इमर्जेन्सी के कारण कहेंगे कि चुनाव नहीं करायेंगे। हम प्रेशर भी नहीं डाल सकते लेकिन आप इस अवधि में तैयारी तो करें कि कौनसी सिफारिशों को आप फॉलो करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मन्त्री महोदय, उस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य थे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप उसके सदस्य थे अब मन्त्री महोदय हैं। उन सिफारिशों को आप स्टडी करके मन्त्रिमण्डल में रखें कि कौन कौनसी सिफारिशों का पालन करना चाहते हैं। नहीं तो बाद में कहेंगे कि कमेटी की सिफारिशों का हमने अध्ययन नहीं किया, केबीनेट की सब-कमेटा ने स्टडी नहीं किया। आज चुनाव हुये 10 साल हो रहे हैं, पता नहीं कितना समय और लगेगा। इससे प्रजातंत्र के प्रति आस्था खत्म होती है। इस इमर्जेन्सी के समय में यदि आप चुनाव करा सकते है तो अच्छा समय है। अगर नहीं करा सकते हैं तो आप तैयारी करें कि कौनसी सिफारिशों को मान्यता देनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष, आज राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975, जो कि न्याय पंचायतों की जगह उप-समिति नियुक्त करता है, प्रस्तुत है और केवल न्याय उप-समिति कायम करने के लिए जो मूल एक्ट 1953 का है उसकी धाराओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता पैदा हो गई है, धारा 2, 27-ज, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43 ...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सर्क्यूलेट किया जा चुका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके अतिरिक्त 27-बी की जगह अनेकों सी. डी. रखे गए हैं। मूलभूत एक्ट मूलतः उखाड़ कर नया प्रावधान रखा गया है। दुबारा तय किया गया है कि एलीजिबिलिटी ऑफ पर्सन्स ऑफ न्याय पंचायत की क्या होगी और न्याय उप-समितियों का कैसा गठन होगा। इसके उद्देश्यों में बताया गया है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को ग्रास रूट्स तक कैसे ले जाया जाए। आज न्याय पंचायतें आर्थिक संकट के अन्दर हैं। वैसे तो जो छोटी न्याय उप-समितियां बनाई गई हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि न्याय उपलब्ध हो सकेगा, इसमें दो राय नहीं लेकिन पहले न तो जो इसके अन्दर इसके उद्देश्य हैं उसे ये पूर्ण करती हैं बल्कि ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को ग्रास रूट्स पर पहले से ज्यादा उलझाती हैं बजाय इसके

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कि एक दूसरे को अधिक दूर करें। पुरानी न्याय पंचायतों का क्षेत्र तीन से सात पंचायतों का होता था वह अब केवल एक ही पंचायत क्षेत्र रहेगा। पहले जो 3 या 5 या 7 पंचायतें न्याय पंचायत चुनती थीं वह अपने व्यक्ति को नहीं चुनती थीं। पहले भी सेपरेशन था हालांकि इलेक्टोरल बॉडी पंचायत थी परन्तु इलेक्टेड बॉडी द्वारा होता था लेकिन इसमें पंचायत का ही होगा जिनमें एक महिला और एक पिछड़ी हुई जाति का सदस्य होगा। यह तो सेपरेशन नहीं हुआ बल्कि ज्यादा एग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का गठबंधन हुआ। इसमें सेक्रेटरीज का सवाल है, पहले 7 पंचायतों को एक सेक्रेटरी कन्ट्रोल करता था अब आपको 7 सेक्रेटरीज चाहिए। मैं खुश हुआ अगर 7 सेक्रेटरीज लगाये गये तो कम से कम 6 नौजवानों को रोजगार का चांस आप देंगे अगर वास्तव में लगायें तो लेकिन आर्थिक रूप से देखें तो अधिक भार न्याय पंचायत पर होगा। कुल मिलाकर चुनाव तो अब करवाने ही पड़ेंगे लेकिन कोई तैयारी नहीं है। मुर्दा काफी भारी है, उसके भार को कम करने के लिए उसके बाल काट रहे हैं, मगर मुर्दा भारी दुर्गन्ध मारने लगा है उसका तो 12वां भी हुआ, 13वां भी हुआ, अब 14वां है। आपकी किसी भी तरीके से तैयारी नजर नहीं आती आपका पड़ोसी राज्य गुजरात है जिसमें आपकी पार्टी हारी और जनता मोर्चा की जीत हुई और वहां उसकी सरकार चल रही है लेकिन उन्होंने बड़ी दिलेरी से पंचायत चुनाव कराये और उनमें कांग्रेस जीती और यह सिद्ध हो गया कि कांग्रेस का बहुमत है। ये चुनाव भी इमर्जेन्सी में हुए। फिर आप क्यों नहीं दिलेरी दिखा रहे हैं? जहां तक आर्थिक प्रश्न है मुर्दे के बाल काटने से मुर्दे का वजन कम नहीं होगा। आप न्याय पंचायतों की जगह न्याय समितियां बना दें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कैसे इकोनॉमी रीजनरेट हो जाएगी? पंचायतों की स्थिति यह है कि उनके पास अपना सोर्स ऑफ इन्कम नहीं है। जितने प्लाट्स थे उन्होंने बेच दिए थे। जो बचे थे, वह आपने भू-खण्ड के नाम पर फ्री दे दिये। अब फाटक के अन्दर कोई बूढ़ी गाय खड़ी की जाए जिसको कोई नीलाम में नहीं लेता हो, मंत्री महोदय की कृपा हो जाए तो नीलाम हो जाए, बाकी उनके पास सोर्स ऑफ इन्कम क्या रहा।

आपने हाई पावर कमेटी बनाई और उसके आप काफी बलिष्ठ योद्धा रहे हैं। और दस पर्सेंट आपने जोर देकर, बड़ा जोर देकर, पंचायतों और जिला समितियों को स्ट्रेन्थन करने की कोशिश की। महाराष्ट्र के पैटर्न पर जिला परिषद् चलेंगी। जितना बजटिंग होगा जिला परिषदों के पास होगा और क्लेक्टर उसका सेक्रेटरी होगा। जनता का ज्यादा से ज्यादा इन्वोल्वमेन्ट हो। यह प्रश्न सदन में भी उठाये गये हैं एम.एल. एज. के द्वारा। अच्छी सिफारिशें हैं। आप उनको पंगू रूप में लागू करना चाहते हैं। लेवी के वक्त तो ला ला और जैसी कहावत है देने के वक्त में, मैं उस शब्द को सदन में नहीं कहना चाहता क्योंकि वह संसदीय परम्परा से उचित नहीं होगा आप किस प्रकार से आर्थिक स्थिति को जेनरेट करेंगे? आपके पर्पज इस तरह से सर्व नहीं होंगे। पिछली न्याय पंचायतें भी काफी लंगड़ी थीं। न्याय पंचायतों के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

द्वारा नोटिसेज इश्यू किये जाने का रखा तो एग्जीक्यूशन उसका उनके हाथ में नहीं। एस. डी. एम. करेगा उनको। दो-दो साल तक नोटिसेज इश्यू नहीं हुए। मुल्जिम को सूचना नहीं हुई। उन्होंने नोटिसेज आये तो फेंक दिये। नकल देने के लिये फीस निर्धारित नहीं की। फर्स्ट क्लास, सैकिण्ड क्लास, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स चलती है। जुडिशियरी का आपने सेपरेशन किया है। गौरव प्राप्त करके राज्य सरकार उसका खर्चा उठाती है। क्या आपने इसका कोई प्रोसीजर बनाया है। जनता की न्यूनतम संस्थाओं को महत्त्व देते, उनको शक्तियां देते जिससे उनके द्वारा इश्यू किये हुए नोटिसेज एग्जीक्यूट होते। आपने पनिशमेन्ट तो रख दिया कि कोई न्याय पंचायत चार्ज बी. डी. ओ. को न दे तो जुर्माना होगा। इस प्रकार के सवाल इस सदन के अन्दर आते रहे हैं कि कोई दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, न्याय पालिका की तलबी हो जाय तो पहले एग्जीक्यूट करके न्यायपालिका को दे दे। लेकिन आपने न्याय पंचायतों को बलिष्ठ बनाने की कोशिश नहीं की है। विजडम ऑफ दी ओल्ड एण्ड फेटरनिटी ऑफ दी यंग। इसको युटिलाइज करेंगे। 30 साल के व्यक्ति को इलिजिबल किया है। बूढ़े थे वे तो मर गये 13 साल में। और जो कुछ बचे हैं तो उसके सदस्य नहीं हो सकते। 30 साल से बिलो के इलिजिबल न होंगे।

"If he is unable to read and write Hindi fluently, freely and legibly".

अगर वह हिन्दी फ्लूएन्टली, लेजिबल नहीं लिख सकता है और सरपंच की योग्यता नं. 1 और नं. 2 को पूरी नहीं करता है तो चेयरमैन सरपंच नहीं बनेगा, और ही कोई इलेक्ट होगा।

श्री दीपंकर : यह नया अमेण्डमेन्ट सर्क्युलेट हो गया है और उसको ओमिट कर दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धन्यवाद। मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया था। यह एलीजिबिलिटी सरपंच पर भी लागू है। धन्यवाद, आपने संशोधित कर दिया रूलसको अब क्या प्रोसीजर होगा। न्याय समितियों का और उनकी टर्म्स ? आपका इरादा ऐसा नजर नहीं आता है कि इनकी टर्म्स को टर्मिनेट करें। चुनाव कराना नहीं चाहते हैं और करावेंगे तो देरी से करवायेंगे।

अन्त में मैं यह कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों का अब कोई तात्पर्य रह नहीं गया है। अब तो आपने सब ही सरपंचों को अमरा वकरा बना दिया है। अब तो आप इनको बालियां वितरित कीजिये। जिला प्रमुख को सोने की, प्रधान को चांदी की और सरपंच को पीतल की और पंच को ताम्बे की।

श्री दीपंकर : चुनिन्दा लोग बैठे हैं, और कोई होगा नहीं। किनको चुनेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन पंचायतों की ऐसी दुर्गति हो गयी है ...

श्रीमती सुमित्रासिंह : अमर बनाने के लिये आपने फर्माया तो आप भी अमर बनना चाहते हैं क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम तो जनता से होंगे। ये तो राज्य से हो गये।

श्री रावतराम : सोने की तो आपने जिला प्रमुख को दे दी। आप के लिये कौनसी रखी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरे लिये तो XXX है।

एक माननीय सदस्य : आपके लिये तो XXX होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो आपके लिये फिट हो जावेगी। आपको खतरा है तो मैं सत्ता होने के लिये तैयार हूं वरना वह तो आपको फिट हो जावेगी।

आज यह स्थिति हो गई है, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों की। न तो कोई उनका वर्चस्व है। न कोई इनका इन्पेक्ट है। न कोई इनके पास फाइनेन्स है। न ही कोई पंचायत नाम की चीज रह गई है। पंचायतें अनाप-शनाप धन्धे कर रही हैं। देखा जाय तो 409 के केसेज अधिक सरपंचों के खिलाफ हैं। इस सदन को मैं गंगानगर, जालौर, बाड़मेर और सिरोही की ओर नहीं ले जाऊंगा।

जयपुर शहर से तीन मील की दूरी पर जैसल नांगल का किस्सा नोट कर रखा है। 2 फरवरी को देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी पधारीं और शाहपुरा में पट्टे वितरित किये गये। उनके द्वारा आवासीय भू-खण्डों के पट्टे, हरिजनों को दिये गये। वहां के जनसंघी अध्यक्ष श्री नारायण सरपंच और उप-सरपंच नन्दकिशोर, सरपंच ने बलाइयों को यह कह कर पट्टे दिलाये जावेंगे सौ-सौ रुपये दो, और सौ-सौ रुपये उनसे लिये। जब यह प्रश्न इस सदन के अन्दर आया तो इस सम्बन्ध में कहा कि इन्क्वायरी कराने के आदेश जारी किये हैं। शंकरन साहब ने रिपोर्ट दे दी कि उनका प्रोसीक्यूशन होना चाहिये। हथकड़ी लगा कर उनको जेल में डाला जाना चाहिये। लेकिन उस सम्बन्ध में कौनसा प्रभाव आ गया कि दुबारा इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट कर दी। ए. डी. एम. साहब रिपोर्ट देंगे। इसी की इन्क्वायरी श्री तेजकुमार द्वारा भी हुई है जब वे डवलपमेन्ट अधिकारी थे। 409 का केस है। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की 13 तारीख का गरीब बुनकरों ने रिप्रेजेन्टेशन दिया तो उसको चीफ मिनिस्टर साहब ने कलेक्टर को इन्क्वायरी करने के लिये दे दिया। नतीजा यह हो रहा है कि हरिजनों के मकानात तोड़े जा रहे हैं और सरकार से आदेश प्राप्त किये जा रहे हैं। यह चित्र लाया हूं, कुछ मकानात के, जो स्वयं पुलिस ले जाकर जनसंघी सरपंच ने तुड़वाये हैं। यह नन्दकिशोर कुछ दिनों पहले इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद, इमर्जेन्सी खत्म करो नारे लगाते हुए गिरफ्तार हुआ था और जमानत पर रिहा हुआ है। ये चित्र भेंट करता हूं जो मैं पंचायत मंत्री जी के लिये लाया हूं। और तो और इस प्रकार के नोटिसेज उनके खिलाफ जारी किये हैं कि तुमने फलां जगह पेशाब किया इसलिये पंचायत में हाजिर हो, तुम फलां जगह बैठ गये इसलिये पंचायत में हाजिर हो—इस तरह भयंकर विक्टिमाइजेशन जारी है। यह तो आपकी पंचायतों की स्थिति है और यह आपका

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से निकाले गये।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एन्क्वायरी की स्थिति है। इस तरह एक नहीं अनेक पंचायतों के इन्सटान्स मेरे पास हैं। यह तो एक दृष्टान्त है, जयपुर के समीप का जहां सारा एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है, पंचायत मंत्री बैठते हैं, सारा राज-काज बैठता है। शंकरन से एन्क्वायरी कराने के बाद आप सन्तुष्ट नहीं और उनके बाद ए. डी. एम. एन्क्वायरी कर रहा है। जो बहुत जूनियर आदमी है वह एन्क्वायरी कर रहा है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत नम्रता से अन्त में अर्ज करूंगा कि इस छोटे से चेन्ज से कोई हमारे 21 सूत्री कार्यक्रम में तेजी आ जायगी, यह नजर नहीं आता है।

आज न्याय पंचायत को यह अधिकार मिले कि जो मनी-लैन्डिंग का बिल है उसके आधार पर बिना लाइसेन्स के गांव में जो धन्धा करता है उस पर न्याय पंचायतें 50 रु. तक दण्ड लगा सकती हैं जो उनकी सीमा क्षेत्र में भी आता है। आज गुजरात चुनाव करा सकता है तो आप भी चुनाव करा सकते हैं और चुनावों के नाम पर प्रतिक्रियावादी तत्वों, दक्षिण पन्थी तत्वों को आज्ञा देते हैं। अगर गुजरात में हार सकते हैं तो एम.एल.ए. की सीटों पर भी हार सकते हैं। तो राजस्थान को क्यों भय है, राजस्थान को किस प्रकार की चिन्ता है? यहां भी मुस्तैदी से 21 सूत्री कार्यक्रम लागू किया जा रहा है और बहुत इम्पोर्टेन्ट बिल्स इसी सदन में हमने पास किये हैं, बोन्डेड लेबर का विधेयक पास किया है, सागड़ी प्रथा का बिल हमने पास किया है, गरीबों को कर्ज से मुक्त करने का बिल हमने पास किया है, मोरेटोरियम का किया और आज उसका समापन करने जा रहे हैं, ये सारे बिल पास करने जा रहे हैं, राजस्थान कम नहीं 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में। मेरा निवेदन है ऐसी स्थिति में कलंक मत लीजिये, आप चुनाव करवायें। आपका यह पैटर्न है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक सेपरेट जुडिशियरी कायम कीजिये, पंचायतों से जुडिशियरी निकालते हैं तो वह सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मानी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल (पाली)।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव रखा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने बिल पेश करते हुये जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स बताये हैं और जो हाई पावर कमेटी बनी थी माननीय गिरधारीलाल जी व्यास की अध्यक्षता में उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह संशोधन न्याय पंचायतों को समाप्त करने के बाबत लाया जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जो एक कमेटी हाई पावर की बनी थी, उसकी कोई रिपोर्ट सदन में नहीं आई है। यह परम्परा है कि हाई पावर कमेटी बनती है किन्हीं मुद्दों को लेकर, तो उसकी रिपोर्ट पहले सदन में आनी चाहिये। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है तो इसके सम्बन्ध में कमेटी की रिपोर्ट के बारे में माननीय सदस्यों की राय जाननी चाहिये थी, कौन-कौन सी समस्यायें हैं, कौनसी रिकमन्डेशन्स हैं जो मानी जाने लायक हैं। इस प्रकार उस कमेटी की रिपोर्ट आये नहीं सदन में। क्या-क्या बातें हैं उसमें? और भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके लिए एक संशोधन बिल की आवश्यकता होती तो लाया जाता।

(श्री शंकरलाल)

लेकिन उन सारी बातों के बावजूद न्याय पंचायतों को खत्म करके एक उप-समिति का निर्माण कर रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उचित नहीं समझता हूं इसे इसलिए प्रवर समिति में जाने की जरूरत है। उस रिपोर्ट को देखें जो हाई पॉवर कमेटी की आई है जिसको मान कर यह संशोधन लाया जा रहा है। उसके अनुसार इस पंचायत कानून में क्या क्या संशोधन होना चाहिये इस पर विचार करके एक ऐसा बिल लाया जाय जो मुकम्मिल हो। बार बार कानूनों में संशोधन करना और, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत जैसे कानून में, जो ग्रामीण जनता से ताल्लुक रखता है, बार बार संशोधन करना कतई उचित नहीं है। हम बार बार एक एक चीज का संशोधन करते रहे तो एक उलझा हुआ कानून बन जायगा जो जनता की समझ में नहीं आयेगा।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कतई उचित नहीं समझता हूं कि न्याय का कार्य एग्जीक्यूटिव को दें। यह सिद्धान्ततः स्वीकार किया जा चुका है, चाहे हमारे विधान में हो, चाहे वाद-विवाद में हो, सिद्धान्ततः यह स्वीकार हो चुका है, न्याय देने वाली जो मशीनरी है वह प्रशासनिक मशीनरी से अलग होनी चाहिये। मुझे समझ में नहीं आता है एक महत्वपूर्ण बात को एकदम इस विधेयक के जरिये संशोधन लाकर कैसे कर रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं पंचायत राज सशक्त होना चाहिये लेकिन पंचायतों को न्याय का अधिकार देने से वे सशक्त नहीं होंगी। मैं तो यह कहूंगा पंचायतें उल्टे उससे कमजोर होंगी। हम पंचायतों के जरिये गांवों का विकास करना चाहते हैं, पंचायतों के जरिये हम वह चीज चाहते हैं जो आज से पहले सन् 1959 में अन्दर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने राजस्थान के नागौर के अन्दर पंचायत राज की दीपशिखा जलाई थी और उस समय भावना व्यक्त की थी कि पंचायतों को सशक्त करना है। तो पंचायतों को सशक्त न्याय के अधिकार देकर मत कीजिये, न्याय के अधिकार देने से वे उलझ जायेंगी, चाहे वह आपकी उप-समिति के रूप में ही हों आपस के झगड़े बढ़ेंगे, आपस में कटुता बढ़ेगी और उचित न्याय नहीं दे सकेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज ऊपर के लेवल पर एग्जीक्यूटिव अलग बना रखी है। न्याय के अधिकार को आपने सेशन जज की जगह कोई कमेटी बनाकर उसे दे दिया या किसी मुन्सिफ की जगह किसी कमेटी को न्याय के अधिकार दे दिए तो मामला उल्टा उलझ जायगा। न्याय प्रशासन की दृष्टि से उससे बिल्कुल अलग होना चाहिये तभी न्याय प्राप्त किया जा सकता है। आपको पंचायतों को सशक्त बनाना है तो दूसरे अधिकार दे दीजिए। जो रेवेन्यू के अधिकार हैं, जैसे आपने म्यूटेशन के अधिकार दिए हैं, आपके पास जो दूसरे अधिकार हैं, उन अधिकारों को आप पंचायतों को दें। जो लैण्ड रेवेन्यू वसूल करते हैं, लैण्ड रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है पंचायत का। न्याय पंचायतें इसलिए काम नहीं कर पाई थीं कि उनके पास फण्ड्स नहीं थे, यह आपने स्वयं ने भी माना है और दूसरा पीपुल्स का फेथ नहीं था। फेथ वाली बात आपने

(श्री शंकरलाल)

नहीं बताई है। केवल आपने यह कहा है कि न्याय पंचायतों के पास फण्ड्स नहीं थे।

आज भी अगर हमारी जो अदालतें हैं उनको चलाने के लिए पैसा मुहैया कर सकते हैं तो न्याय पंचायतों को चलाने के लिए पैसा मुहैया नहीं करें और केवल यह कहें कि फन्ड्स की वजह से न्याय पंचायतें काम नहीं कर पायी तो यह बिल्कुल गलत है। उनको भी पैसा मुहैया कराना चाहिये था। किन्तु आप तो केवल न्याय पंचायतों को समाप्त करके प्रशासनिक ढांचे में अधिकार देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह बड़ी गम्भीर बात है और इसके नतीजे तब आयेंगे जब इस प्रकार की शिकायतें आपके पास में आयेंगी कि किसी पंचायत में किसी दलबन्दी के कारण किसी व्यक्ति को गलती से पेनेलाइज कर दिया, कोई दावा खारिज कर दिया, किसी को डिग्री दे दी और किसी को एग्जोनरेट कर दिया, यह पंचायत की उप समितियां आये दिन करेंगी क्योंकि पंचायत के सरपंच बनने के लिए जो योग्यता है वही तो योग्यता उनमें होगी। जो पहले रखा था, वह हटा रहे हैं। उम्र भी 30 की रख दी, 25 साल के बाद पंच बने तो जो न्याय सब-कमेटी के लिए सदस्य होंगे वे कहां से 30 साल के आ जायेंगे? इसलिए यह भी शायद आपको हटाना पड़ेगा और मुझे ऐसा ज्ञात भी हुआ है कि आप हटा भी रहे हैं। अगर नहीं हटायेंगे तो फिर कौनसा पंच आपका 30 साल वाला आयेगा। तो प्रश्न यह है कि पंचायतों के अन्दर जो भी मैटेरियल अवेलेबल है और जैसे भी पंच आते हैं उनसे आप क्रिमिनल, सिविल और जुडिशियल केसेज का फैसला कराना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह लोकतन्त्र का तात्पर्य नहीं है। आप उनको और दूसरी तरह की पॉवर्स देकर सशक्त करें लेकिन जुडिशियरी को आप सफल करें। आप न्याय पचायतों को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है तो मैं कहना चाहूंगा कि आप मुन्सिफ कोर्ट्स को या दूसरी अदालतें हैं उनको अधिकार दे दीजिए। आप क्यों पचड़े में पड़ते हैं? पंचायतों की उप-समितियां बनाकर उनको क्रिमिनल और सिविल अधिकार देते हैं? या तो आप न्याय पंचायतें रखिये और अगर नहीं रख सकते हैं तो साधारणतया जहां पंचायतें नहीं हैं जैसे शहरों में नहीं है और वहां लोग न्याय पाने के लिए मुन्सिफ कोर्ट्स में जाते है उसी प्रकार से और दूसरे मामलों में वहां के लोग भी मुन्सिफ कोर्ट्स में जायेंगे लेकिन न्याय तो मिलेगा। वरना पंचायतों में जो आज ग्रुपबाजियां होती हैं और झगड़े होते हैं वहां पर कतई न्याय मिलने वाला नहीं है। वह फिर पढ़े-लिखे भी नहीं होंगे और बिना कानून जाने वह गलती कर सकते हैं।

पहले पंचायतों के लिए एक प्रकार का स्वप्न था कि पंचायतें वहां की लोकल परिस्थितियों को समझ कर आपस में समझौता करा देंगी, तो आर्बीट्रेशन में जो पॉवर्स हैं, जो सिविल कोर्टस की समझौता कराने के पॉवर्स हैं वह पंचायतों को जरूर दे दें। दो पार्टीज अगर लड़ रही हैं और वह आपस में चाहती हैं कि समझौता हो जाये तो उनको सिविल कोर्ट्स में जाने की

(श्री शंकरलाल)

जरूरत नहीं है और पंचायतें समझौता सही करा सकती हैं क्योंकि वह जानती हैं कि कौनसी पार्टी सही है और कौनसी पार्टी गलत है। लेकिन कानून के अनुसार वह काम करें या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार काम करें यह सम्भव नहीं है क्योंकि वह कानून के ज्ञाता तो होंगे नहीं। प्रश्न यह है कि आर्बीट्रेशन और अवार्ड की जो पॉवर्स हैं, चाहे जितने मुकद्दमे हो अवार्ड के लिए आर्बीट्रेशन करते हैं वह समझ में आता है। इसी प्रकार से आपके पास रेवेन्यू की पॉवर्स हैं वह रेवेन्यू की पॉवर्स उनको दे दीजिए। यह दो तरह की पॉवर्स आप उनको दे दीजिए। क्रिमिनल और सिविल की पॉवर्स उनके पास गयीं तो न्याय नहीं होगा।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता था कि धारा 75 के जो अधिकार पहले कलेक्टर्स के पास हैं और जिसके जरिये कोई भी पंचायत के प्रस्ताव को स्टे कर सकते हैं उसकी निगरानी की पॉवर्स अपने पास ली हैं इसके लिए तो मैं आपको बधाई दूंगा। पंचायत एक्ट के अन्दर कोई ऐसा प्रावधान नहीं था और यह दिक्कत आती थी। मान लें कि किसी कलेक्टर ने ऑर्डर का स्टे कर दिया तो उसके लिए रिवीजन में कहां जाते? इसके साथ में एक बात और कही गई कि यह रिवीजन की पॉवर्स आप मत लीजिए और यह जो पॉवर्स हैं यह रेवेन्यू बोर्ड को दे दीजिए या रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी हैं उनको दे दीजिए। गांव का हर आदमी कहां सरकार के पास आयेगा? दूसरे पंचायत एक्ट में डीसेन्ट्रलाइजेशन की नीति अपनानी है, न्याय की नीति अपनानी है तो फिर किस पचड़े में आप पड़ते हैं। कोई आदमी कहेगा कि ठीक कर दिया और कोई दूसरा कहेगा कि ठीक नहीं किया। तो क्यों इसमें फंसते हैं। इन अधिकारों को रेवेन्यू बोर्ड या अपीलेट ऑथोरिटी को दे दीजिए या कोर्ट्स को दे दीजिए अगर किसी उच्च पॉवर्स को ही देने हैं यह अधिकार तो यह सारी बातें हैं। यह बिल अगर प्रवर समिति को जाता है और प्रवर समिति इस पर विचार करे तो ही हम इसके ऊपर विचार कर सकते हैं और उसके बाद कोई अच्छा कानून आ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में ग्राम पंचायतों के इतने सालों के बाद चुनाव नहीं हुए हैं और वह निष्प्राण हो चुकी हैं। इसलिए मैं उपयुक्त समझता हूं कि अगर आप ग्राम पंचायती राज में विश्वास रखते हैं और ग्राम पंचायती राज को आप आगे बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसके अविलम्ब चुनाव करा देने चाहिए वरना लोगों में ऐसी भावना होगी कि पंचायतें डेड बॉडी हो गई हैं। न पंच और न सरपंच ही इन्ट्रेस्ट ले रहे हैं और न जनता को इसके अन्दर कोई आस्था है क्योंकि इनको बने रहते काफी लम्बा समय हो गया है। मैं दूसरे माननीय सदस्यों की बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा लेकिन यह जरूर कहूंगा कि पंचायतों के चुनाव इन्हें शीघ्र ही कराने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात यह कही गई कि न्याय पंचायतें खत्म होने के बाद जब तक पंचायतों की उप-समितियां

(श्री शंकरलाल)

नहीं बनती हैं तब तक पंचायतें ही उस काम को करें, न्याय के काम को और दूसरी तरफ आपने कहा है कि जो भी न्याय पचायतें हैं उनके खत्म होने के बाद चार्ज विकास अधिकारी के पास चला जायेगा। विकास अधिकारी ने पंचायतों को कह दिया कि पंचायतें काम करेंगी जब तक उप-समिति नहीं बनती हैं और उप-समिति बनने के बाद ही वहां का क्लर्क काम कर सकेगा। तब तक क्या वह घर बैठा रहेगा ? उसको तनख्वाह कौन देगा ? तो इसमें कई बातें हैं जिनके बारे में प्रवर समिति में ही विचार किया जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप अच्छा सा बिल बनाना चाहते हैं तो आप इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिए। तब तक इसमें कोई गम्भीर बात होने वाली नहीं है जिससे कि आप रुक नहीं सकें। फिर हम हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट देखकर उस पर विचार करके संशोधन ला सकें जो कि सरल हो और आगे के लिए भी काम आये और बार बार संशोधन नहीं करने पड़े। इसलिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार-अली !

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित)

श्री केशरीमल !

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार कर रहे हैं। मेरा प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाये। जो व्यवस्था की जा रही है वह व्यवस्था इसलिए कर रहे हैं कि पहले की न्याय पंचायतें सफल नहीं हुई और दूसरी तरफ आर्थिक दृष्टि से वह अशक्त हैं और, तीसरे यह व्यवस्था इस-लिए भी की जा रही है कि ग्रामीण लोगों को नजदीक से जाकर न्याय कैसे मिले। मेरा यह निवेदन करना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सोचा गया था कि न्यायपालिका और कार्य-पालिका दोनों ही अलग हों जिससे लोगों को आसानी से न्याय मिले और न्याय सुलभता और आसानी से मिल जाये इस-लिए गांवों के अन्दर ही ऐसी व्यवस्था की जाये कि जो वहां के लोग हैं वह वहीं अपना न्याय प्राप्त कर लें और उनको शहरों तक नहीं आना पड़े और न्याय भी ठीक से हो जाये। इसमें कार्यपालिका बीच में नहीं आये, यह व्यवस्था की गयी थी। दुर्भाग्य से वह बात अब उल्टी की जा रहा है। यह जो कहा गया कि लोगों को न्याय मिलेगा अब व्यवस्था को बदला जा रहा है। तो जो सिद्धान्त था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होंगी यह अब दोनों को मिला दिया और वह सिद्धान्त एक तरह से लोपित कर दिया गया है जो कि एक अच्छा सिद्धान्त था। ग्राम पंचायतों के अन्दर जो पहले भी न्याय पंचायतें थीं उन न्याय पंचायतों को काम करने में बड़ी दुविधा इसलिए भी आ रही थी कि उनके पास में न तो अच्छे लिपिक थे और न अच्छे कार्य करने वाले

(श्री केशरीमल)

ही थे। श्रौर श्रब यह सरकार व्यवस्था करना चाहती है श्रौर करनी भी चाहिए लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि गांव के लोगों को इस व्यवस्था से भी न्याय पाने में बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि गांवों के ग्रन्दर जिस तरह की श्राज व्यवस्था है, पंचायतें जिस तरीके की हैं श्रौर गांवों में लोगों का जिस तरह से उन पर से विश्वास उठ गया है श्रौर जैसे हम देखते हैं कि कुछ हिस्सों में बंट गई हैं, कुछ दलबन्दी में बंट गई हैं उनसे लोगों को न्याय नहीं मिला बल्कि दलबन्दी गांवों में हो गई है। मेरा श्रर्ज करना यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि ज्यादा श्रच्छा होता श्रगर यह पंचायतें हैं जिनके चुनाव हुए पन्द्रह साल हो गए, बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हैं, पंच, सरपंच जमकर बैठे हैं श्रौर दादा बन गए हैं, उनके श्रगर चुनाव हुए होते तो उनको कुछ काम करने में सहूलियत होती श्रौर कुछ काम करने के लिए पब्लिक का डर रहता। जब किसी संस्था के चुनाव नहीं हों, चाहे वह कोई भी संस्था हो, नगर-परिषद् हो या कोई भी पंचायत हो या कोई श्रन्य संस्था हो, उन संस्थाश्रों के श्रगर चुनाव नहीं होंगे तो उन संस्थाश्रों में काम करने वाले लोगों में पब्लिक का थोड़ा सा जो भय, डर होता है या श्रनुशासन पब्लिक के डर से होना चाहिए, जिनके मन में पब्लिक का डर रहना चाहिए वह नहीं रहता। श्रौर यह नहीं रह पाता तो वे स्वछन्द हो जाते हैं। यही हाल हमारे राज्य की पंचायतों का हो गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रगर चुनाव हों तो जनता में जाकर वे जवाब दें श्रौर उनसे उनकी सुनें, उसके बाद भी कुछ सुधरने का मौका मिले। पन्द्रह साल तक चुनाव न हों तो यह स्थिति निश्चय ही होगी। श्राज इसकी वजह से इन तमाम दकियानूसी लोगों को यह कहने का मौका मिलता है, भले ही जो रीएक्शनरी लोग हों, जो चुनाव में विश्वास नहीं करते हों श्रौर जो डण्डे के जोर से गवर्नमेंट में जाना चाहते हों, वह भी चुनाव की दुहाई देते हैं श्रौर इसलिए दुहाई देते हैं कि सरकार चुनाव नहीं कराती है। सरकार को चुनाव कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। लोगों में श्रास्था पैदा करने के लिए, लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए सरकार को इस तरह से चुनाव कराने चाहिए। चुनाव नहीं कराने से बहुत बुरा श्रसर पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जो संशोधन माननीय मंत्रीजी लाना चाहते हैं वह भी बड़ा श्रजीब सा है। वह यह चाहते हैं, वे कहते हैं इस विधेयक के श्रन्दर कि इसमें एक महिला भी होगी श्रौर एक शिड्यूल्ड कास्ट्स का श्रादमी भी होगा श्रथवा शिड्यूल्ड ट्राइब्स का श्रादमी होगा। साथ ही यह भी कहते हैं कि इस उप-समिति में पंचायतों की उप-समिति में श्राने वाले सदस्य कुछ पढ़े-लिखे भी होने चाहिए। यह श्रमेंडमेंट हो गया है। एक श्रौर श्रमेंडमेंट इसमें होने की श्रावश्यकता थी। मैं ऐसा समझता हूं कि उनको इस तरह से लेने से एक प्रकार से इन्कार करने वाली बात होगी। लेकिन खैर, इसमें एक श्रौर भी है कि तीस साल से ज्यादा की उम्र के लिए जायेंगे, इससे कम उम्र के नहीं लिए जायेंगे। जो लोग चुनकर श्रा जायें पंच

(श्री केशरीमल)

जिनको पंच और सरपंच चुने जाने का अधिकार है, इस तरह से अधिकार है चुने जाने का, इस प्रकार का प्रावधान है कि वे चुनकर आ सकते हैं, तो जब वे चुनकर उसमें आ जायं और फिर आप तीन साल का प्रावधान कर रहे हैं तो उस पंचायत में कैसे यह उप-समिति स्थापित होगी? मेरा यह कहना है कि यह बिल्कुल अलग से ऐसा प्रावधान डाला गया है जो बिल्कुल इसको नाकारा बनाने जैसी बात है। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि इसमें से इसको निकाला जाना चाहिए और जो भी पंच, सरपंच चुनाव के लिए एलीजिबल है उसको इस उप-समिति में चुना जाना चाहिए, चुना हुआ माना जाएगा। या तो ऐसा प्रावधान कर दीजिए पहले, या चुनाव में यह व्यवस्था रखें कि दसवीं क्लास तक पढ़ा हुआ होगा वही वोट दे सकेगा, या सातवीं क्लास में पढ़ा होगा वही वोट दे सकेगा, इतना पढ़ा होगा वही खड़ा हो सकेगा, या तो यह व्यवस्था कर दीजिए, वरना जब असेम्बली में आने के लिए भी कोई शिक्षा की पाबन्दी नहीं है, अगर चुनाव हों तो कोई भी मजदूर हो, कोई बहुत पढ़ा-लिखा हो या कोई भी कैसा भी हो, चुनकर आ सकता है तो वही पंचायत में भी किया जा सकता है और उस चुने हुए आदमी को उस न्याय समिति में भी जाने का अवसर होना चाहिए। यह तब्दीली इसमें आवश्यक है।

मेरा यह भी कहना है, इसमें कहा गया है कि जो आदमी चुने गए हैं पांच, चार और एक पंच होगा, उनको सत्र पूरा होने पर हर साल बदलना पड़ेगा लेकिन वापिस भी चुने जा सकते हैं। इसमें मेरा यह मानना है कि वापिस जो चुने जायं उनको दो सत्र से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जम कर बैठ जायेंगे और वही लोग बने रहेंगे, दूसरों का नम्बर ही नहीं आएगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि कुछ लोग जमकर बैठ जायेंगे जिससे उनकी दादागिरी जैसी होगी। वह बदलते रहेंगे, रोटेशनल रहेंगे तो निश्चित तौर से फर्क रहेगा और उनको भी ख्याल रहेगा जो कुछ काम करना चाहते हैं, वह काम करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस तरह का फेर-बदल होना चाहिए लिखा-पढ़ा ठीक से होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इन पंचायतों की आमद का जरिया नहीं था इस तरीके से कुछ आमद का जरिया होगा, नहीं तो पंचायतों की आमद इससे कुछ होगी नहीं। यह बिल्कुल गलत होगा। पंचायत की आमद का और जरिया भी होना चाहिए। जो आपकी कमेटी बैठी थी उसने भी सिफारिश की थी इस बारे में। इस पर विचार करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है। हमारा कहना यह था कि इन पंचायतों में जिनमें तालाब हैं उन तालाबों से जो सिंचाई होती है उसका जो पैसा लिया जा रहा है वह भी गवर्नमेंट में जमा कराया जा रहा है। वह भी वर्षों से नहीं दिया जा रहा है। छोटी-मोटी आमद जो पंचायतों को इससे हो सकती थी राज्य सरकार ने वह भी उनको नहीं दी जो कायदे के अनुसार दी जानी चाहिए थी, जो वे लेने की हकदार हैं। खुद राज्य सरकार भी जब ऐसे ढंग से

(श्री केशरीमल)

चलती हैं जिससे उन पंचायतों को कठिनाई होती है और वे कामयाब नहीं होती है। ऐसी खुद राज्य सरकार की नीति है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पंचायतों को जिनके तालाब हैं जिनसे सिंचाई होती है और सिंचाई से जो पैदावार होकर लगान आता है वह पंचायतों को दे देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मेरा निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पंचायतों में इस तरह के पंच लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं, जमे बैठे हैं, उनके चुनाव होते तो गड़बड़ नहीं होती। हमारे यहां दो पंचायतों में सैंकड़ों लोगों ने, जिनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के और ऐसे जो दूसरे तबके हैं, जमीनें अपने मकानों के वास्ते ली थीं और वह जमीन उन पंचायतों ने 105) रुपये में दी और बाद में यह पंचायत की तरफ से पट्टा भी दे दिया। पट्टा दिए जाने के बाद उसको खारिज कर दिया गया। न तो उनको वापिस पैसा दिया गया और न जमीन ही दी गई। इस प्रकार से पंच, सरपंच पैसे का क्या इस्तेमाल करते हैं, बेजा इस्तेमाल करते हैं उसका पता नहीं चलता। वह न जनता को राहत दे पाते हैं और न कोई काम कर पाते हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कानून में इस तरह की तरमीम लाना बहुत जरूरी है और यह चुनाव जो बहुत समय से टलते जा रहे हैं इस तरह से न टलें और जल्दी चुनाव कराये जायं। इन सब बातों पर विचार करने के लिए मैंने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है और मैं समझता हूं कि इसे प्रवर समिति में सौंपा जाना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत कानून में जो संशोधन माननीय मन्त्री जी ने सदन में पेश किया है उसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय इस बाबत में चन्द शब्द अपने खयालात के इजहार करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी वर्ष पहले 22 या 23 वर्ष पहले हमने एक कल्पना की थी कि देश आजाद हुआ, उस आजादी का असर गांवों में भी आवे, ग्रामीण जनता भी शासन करना सीखे, ग्रामीण जनता भी अपने आपको हर क्षेत्र में प्रगतिशील बना सके इसलिए पंचायतों की स्थापना की थी। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद डी-सेन्ट्रेलाइजेशन ऑफ पॉवर का सिद्धान्त अपनाया। गांवों में पंचायतों की स्थापना करने के लिए कानून बनाया और उस कानून के अनुसार हम चले। यह परीक्षण था देश के लिए, क्योंकि वर्षों की गुलामी के बाद हमने आजादी हासिल की थी और उस आजादी में हम ग्रामीण जनता को एक तरह का स्वराज्य पंचायतों के जरिये देना चाहते थे। परीक्षण के तौर पर हम चले। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉवर का हमारा जो सिद्धान्त था उसके अन्दर, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, हम कामयाब नहीं हुए, सफल नहीं हुए है। न्याय पंचायतें बनायी हैं—इसलिए कि गांवों में झगड़ा बढ़े। पंचायत के चुनावों को लेकर गांव के अन्दर पार्टियां बनीं, पार्टी

(श्री मोहर सिंह)

बन्दी हुई और इस प्रकार न्याय पंचायतों से जिस प्रकार से काम हम चाहते थे कि लोगों को शीघ्र न्याय मिले, वह नहीं मिल सका। इसी नीयत से न्याय पंचायतें कायम की गयी थीं। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ न्याय पंचायतें हैं और एक तरफ पंचायतें हैं। जैसे-तैसे पंचायतों को अधिकार दिये गये ताकि गांवों की तरक्की हो वहीं हमने दस, ग्यारह वर्षों तक लगातार दुबारा सरपंचों को न बदल कर उन्हीं को रखा। एक तरह से इन लोगों को निरंकुश बना दिया चुनाव न कराकर जिसके नतीजे आज जनता भुगत रही है। वास्तव में प्रवर समिति के अन्दर यह संशोधन विधेयक जाना चाहिए ताकि यह जाना जा सके कि हमारा पंचायती राज देश की ग्रामीण जनता को कितना आगे बढ़ा सका है, इसके लिए इसको प्रवर समिति को सौंपा जाये और जो खामियां इसमें रह गई हैं उन पर भी प्रवर समिति के अन्दर विचार कर लिया जाये। और इन सब कमियों पर विचार कर के एक प्रकार से सही ढंग का कानून बनाया जावे। इसके लिए आवश्यकता है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। एक तरफ हमने पंचायत से न्याय पंचायत को अलग बनाया और यह मान्यता स्वीकार की थी कि जुडिशियरी को एग्जाक्यूटिव से पृथक् किया जाये। ऊपर के हिस्से में हमने इसको लागू कर दिया लेकिन पंचायत स्तर पर हम वापिस उल्टे जा रहे हैं। जो कदम आगे बढ़ाया था उसको उल्टा करने जा रहे हैं और न्याय पंचायत को वापिस पंचायत में समाहित कर रहे हैं। जनता में पार्टी बंदी हो गई। किसी प्रकार से न्याय पंचायत से थोड़ी बहुत जनता को रोहत मिल जाती थी, अब पंचायत ही इसका फैसला करेगी। मामला पार्टीबन्दी में जाएगा जो थोड़ी बहुत न्याय की गुन्जाइश बनी थी वह न्याय पंचायत खत्म करके हमने वापिस ले ली और वह सारी की सारी पंचायत में समाहित कर दी। इस प्रकार एक बड़ी भारी मान्यता के खिलाफ जा रहे हैं और जुडिशियरी को पृथक् करने के सिद्धांत को यहां पर तोड़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादातर ग्रामीण जनता अपने राजनैतिक अधिकारों को नहीं समझती है इसलिए वे अपने अधिकारों को समझें और गांव की तरक्की हो इसके लिए यह पंचायती राज ठीक समझा गया था और इसीलिए पंचायतें और न्याय पंचायतें गठित की गयी थीं, सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया था। अब यह न्याय पंचायतों के जरिये मिले, यह कहां तक उपयुक्त है। न्याय पंचायतों को तोड़ कर मैं समझता हूं कि हमने एक मान्यता को तोड़ा है और इसके जरिए हम जनता को चक्कर में डाल रहे हैं, जनता को एक दुखदायी स्थिति में डाल रहे हैं। उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। यह कहा गया है, उपाध्यक्ष महोदय, कि खर्चे में दिक्कत आ रही थी। दो बॉडी को चलाना, एक पंचायत और दूसरे न्याय पंचायत, तो खर्चा ज्यादा होगा। इसका नतीजा यह है कि जो कर्मचारी थे आज भी उनको कई दिनों का वेतन नहीं मिला है। इसका मतलब तो यह है कि खर्चा वहां पर है और आपकी जो मान्यता है उसको क्या आप खर्चे की वजह से उल्टा कर रहे हैं? यह तरीका तो सही नहीं है। इसके अन्दर

(श्री मोहरसिंह)

रेवेन्यू का प्रावधान हो, इतना प्रतिशत रेवेन्यू का पंचायतों को दिया जावेगा, न्याय पंचायत को दिया जायेगा तो पंचायतें ठीक तरह से चल सकती हैं। पैसा नहीं है, महज यह कहना कि खर्चे के लिए पैसा नहीं है और इसलिए आप यह कदम वापिस ले रहे हैं और जो जनता को राहत मिली थी, वह वापिस लेकर पंचायतों को दे रहे हैं, यह तो उचित नहीं है। आज पंचायतों के चुनाव गत 11 वर्षों से आपने नहीं कराये हैं। चुनाव के प्रश्न को सभी माननीय सदस्यों ने दोहराया है और यह कहा है कि पचायतों के ढांचे में परिवर्तन करें लेकिन हम इस दिशा में नहीं सोच रहे हैं। हमने बड़ी भारी गलती की है चुनाव न करवा कर और इस प्रकार पंचायतों के सरपंच और प्रधानों को हमने 11 वर्ष तक जनता पर जमाये रखा है। इस कारण आज जनता का आकर्षण, लगाव, प्रलोभन इन पंचायतों के प्रति नहीं रहा है। वे यह नहीं सोच सकते कि हम भी राज्य करने वाले हैं। हमारे स्वराज्य में हमारी गवर्नमेंट को हमें चलाना है। इसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, वे दोषी नहीं हैं। इसके लिए हम दोषी हैं। ऊपर की जो बॉडी है वह दोषी है। 11-11 वर्ष तक हम उनको खींचते रहे, पार्टी पोलिटिक्स की वजह से—हम जीत सकेंगे या नहीं-यह आपका संशय, शक बना रहे, इसीलिए खींचते जाएं, यह मैं समझता हूं। इसलिए इस प्रकार हम ने पंचायतोंको निष्प्राण बना दिया। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें और इसीलिए इस बिल को प्रवर समिति को भेजा जाए और जल्दी से जल्दी इन पंचायतों का इलेक्शन करवाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मालगुजारी का कुछ हिस्सा भी हम पंचायतों और न्याय पंचायतों के लिए रखें ताकि उनका थोड़ा बहुत खर्चा चल सके और वह परिपाटी चल सके जिसको कि हमने अपनाया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग हो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये ताकि पंचायतों के 22 वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन किया जा सके और पचायती ढांचे के अन्दर किस प्रकार से ग्रामीण जनता को आगे बढ़ाया जाये, क्या क्या सुविधायें उनको दी जावें और कौनसी खामियां रही हैं, इसका भी मूल्यांकन करके इसको आगे बढ़ावें। इसलिए यह बिल प्रवर समिति में जाना जरूरी है। साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि बहुमत आपके पास में है, और हमारे मन्त्री महोदय यह कहेंगे कि इसको पास करना है तो वह पास होगा, परन्तु यह कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार से ग्रामीण जनता जिन्दा रहे, उनको न्याय मिले। अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम न्याय उप-समिति जो बनावें उनके फार्मेशन के अन्दर यह ध्यान रखें, उनको बनाने में यह ध्यान रखें कि जो पंचायत की उप-समिति होगी, उसके जो मेम्बर्स होंगे उनको दीवानी मुकदमे सुनने की पॉवर होगी, ऐसा इस बिल में कहा गया है। मैं समझता हूं कि कल ही जो बिल इस सदन द्वारा पास किया गया है, उसके पास होने के बाद इस प्रकार के कई मुकदमे इस न्याय उप-समिति के पास आवेंगे तो मेरी मान्यता है कि न्याय उप-समिति के जो भी पंच हों, कम से कम वे मनीलैण्डर्स न हों, या साहूकार

(श्री मोहरसिंह)

जो पैसा देने वाले हैं, कर्जा देने वाले हैं इस प्रकार के आदमी इस न्याय उप-समिति के अन्दर न आ जावें, इसका आप ध्यान रखें नहीं तो ऐसे लोग मिल मिला कर आ जायेंगे और आपका जो उद्देश्य है वह डिफीट हो जावेगा। यह भी कहना चाहता हूं कि हम इसकी अपील का प्रावधान रखें और यह कम से कम जुडिशियरी के बेसिस पर कर दें। न्याय पंचायत का जो फैसला हो उसकी अपील मुन्सिफ कोर्ट में करने का प्रावधान रखें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से कि इसे प्रवर समिति के सामने लाया जाये और जो खामियां हैं वे दूर की जायें ताकि ज्यादा अच्छा कानून इस सदन के सामने आ सके। हमारी ग्रामीण जनता, देश की करीब 75 से 90 पर्सेन्ट जनता गांवों में रहती है, उसकी सुख-सुविधा इसी पर निर्भर है। इस बात से प्रभावित होकर आशा करता हूं कि इस पर आप विचार करेंगे। यह बिल आज के बजाय 5 दिन, 15 दिन बाद भी पास हो सकता है। प्रवर समिति को इसे सौंप दें। प्रवर समिति इसको देख ले। इस पर और भी सुझाव आ सकते हैं और उससे बहुत अच्छा कानून बन सकता है। यह निवेदन करते हुए कि इसे प्रवर समिति को सौंप दें मैं अपने कथन को पूरा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी (पंचायत मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 सदन में विचार के लिए प्रस्तुत है। माननीय सदस्यों ने इस संशोधन विधेयक के बारे में अपनी राय जाहिर की है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय तथा प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस सम्बन्ध में, मान्यवर, माननीय श्री दीपंकर, माननीय श्री मीठालाल, माननीय श्री मूलचन्द सामरिया, माननीय श्री लूणाराम, माननीय श्री ओंकारलाल ने अपने विचार इस संशोधन विधेयक को जनमत जानने हेतु भेजने के लिए व्यक्त किए हैं। माननीय श्री वृद्धिचन्द्र जैन, माननीय श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, माननीय श्री शंकरलाल (पाली), माननीय श्री केशरीमल, माननीय श्री मोहरसिंह ने इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए अपने विचार सदन में जाहिर किए हैं।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत नहीं हूं, और दोनों प्रस्तावों का विरोध करते हुए मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करूंगा कि इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाय।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव सदन के सामने रखे हैं, और सदन उन पर विचार करेगा। मैंने भी उन विचारों पर गम्भीरतापूर्वक सोचा है। माननीय श्री दीपंकर ने विधेयक का आम समर्थन करते हुए न्याय समिति के सदस्यों ....

श्री विजयसिंह : यह कोई रिटन रिप्लाई है क्या ?

श्री मीठालाल मीणा : कैसे नीचे रख दिया ? इसमें कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें भी कोई आक्षेप नहीं है।

श्री विजयसिंह : रिटन रिप्लाई देने की परम्परा नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्यों के नाम एक साथ याद रखना आसान बात नहीं है। मान्यवर, मैंने माननीय सदस्यों के नाम, जो मैंने सूची में नोट कर रखे हैं, पढ़े हैं। मैं समझता हूं कि उनको याद रखना कि कौन कौन बोला है....

श्री सज्जनसिंह : इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने निवेदन किया, कि उसकी आवश्यकता थी।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट की तरफ से रिटन रिप्लाई भी पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय श्री दीपंकर ने यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि इस संशोधन विधेयक में इस प्रकार का उपबन्धन है कि न्याय समिति का वही सदस्य हो सकेगा कि जो अच्छी तरह से पढ़ लिख सके। मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूं, पहले भी सहमत था कि यह उपबन्धन नहीं होना चाहिये। ग्राम पंचायतों के अन्दर यह जरूरी नहीं कि सरपंच और उप-सरपंच के अलावा पढ़ा लिखा पंच आना चाहिये। सरपंच और उप-सरपंच के लिए भी यह जरूरी नहीं है कि वह बहुत अच्छी तरह से पढ़-लिख सकते हों, उनको साधारण ज्ञान जरूरी है। इसलिए मैंने माननीय सदस्य के सुझावों का आदर करते हुये इस प्रकार का एक संशोधन प्रस्ताव सदन में प्रसारित करवाया है।

माननीय सदस्य ने स्थाई सचिव की व्यवस्था के बारे में जिक्र किया है। यह बात सही है कि जब तक ग्राम पंचायतों में स्थाई सचिव नहीं होंगे तब तक ग्राम पंचायतों का काम ठीक प्रकार से नहीं चल सकता है। जब ग्राम पंचायतों को यह जुडिशियल वर्क इस संशोधन के द्वारा देना चाहते हैं तो उस स्थिति में ग्राम पंचायत का कार्यालय नियमित रुप से और नियमानुसार चलना जरूरी हो जाता है। माननीय सदस्य का सुझाव महत्वपूर्ण है। उसकी मैं कद्र करता हूं और उपर्युक्त समय पर इस पर गम्भीरतापूर्वक....

श्री मीठालाल मीणा : पंचों का हुक्म सर माथे पर परनाली तो यहीं पड़ेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मूलचन्द जी सामरिया ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और कहा है कि न्याय उपसमिति के गठन से लोगों को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल सकेगा और गांवों में दलबन्दियां बढ़ेंगी, और दलबन्दी के आधार पर निर्णय होंगे। मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत नहीं हूं। ऐसे विचार दूसरे माननीय सदस्यों ने भी व्यक्त किये हैं। अभी राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। गांवों में अथवा कहीं पर दलबन्दी की जो कल्पना माननीय सदस्य ने की है वह प्रजातन्त्र और लोकतन्त्र में स्वाभाविक है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के गांवों के अन्दर परम्परागत इन्साफ पंचायतों के जरिये से ही होता आया है, और आज भी बिना किसी प्रभाव से प्रभावित हुए निष्पक्ष न्याय गांवों में मिलता है, और परम्परागत पंचायतों के द्वारा जो निर्णय किए जाते हैं उनमें यह चीज मिलती है। मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमति जाहिर नहीं कर सकता हूं कि न्याय उपसमिति के गठन से दलबन्दियां बढ़ेंगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि जो पूर्व में न्याय पंचायतें थीं वह ठीक थीं, और उनमें दलबन्दी बढ़ने की बहुत कम सम्भावना थी। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं। हमारे यहां पर, न्याय पंचायतें डिफन्क्ट हो चुकी थीं, निष्क्रिय बन चुकी थीं, और लोगों की उनमें दिलचस्पी नहीं रही थी। स्वयं उसके अध्यक्ष और सदस्य बैठक नहीं करते थे, और लोग एक प्रकार से यह भूल गए थे कि न्याय पंचायतें भी कुछ हैं। क्यों? इसमें दो बातें हैं। ग्राम पंचायतों को यदि आप सक्षम बनाना चाहते हैं, यदि आप पंचायती राज की फिलासफी में, दर्शन में, विश्वास करते हैं तो डिसेन्ट्रलाइजेशन मजबूती के साथ करना पड़ेगा। डिसेन्ट्रलाइजेशन के मतलब के बारे में माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि विकास के काम के लिए उनको धनराशि दी जायें और उनसे काम करवाये जायें। लगान उनसे वसूल करवायें, लेकिन यह जो वास्तविक अधिकार है कि उनमें इन्साफ करने की ताकत हो, सत्ता हो तो उसकी तरफ सब देखते हैं। एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की तरफ सब देखते हैं और पटवारी की तरफ कोई नहीं देखता है। मुन्सिफी के अधिकार आप ग्राम पंचायतों को नहीं देना चाहते तो मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। यदि पंचायती राज को मजबूती के साथ लागू करना है तो ग्राम पंचायतों को यह जुडिशियल पॉवर्स देनी चाहिए और मेरा विश्वास है कि इसका कहीं दुरुपयोग होने की सम्भावना नहीं हो सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पटवारी तो खुदा होता है सारी दुनिया इसको जानती है।

श्री रामनारायण चौधरी : जो विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि न्याय उपसमिति के बनाने से गांवों में दलबन्दी बढ़ेगी और लोगों को इन्साफ नहीं मिलेगा। माननीय सदस्यों को यदि याद हो तो अभी हाल ही में जो लीगल एड टू दी पुअर का हमारे प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अन्दर डी. के. बरुआ ने लायर्स कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल पर श्री रजनी पटेल की अध्यक्षता में बम्बई में की थी जिसमें कि हाई कोर्ट के जजेज ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। लीगल एड टू दी पुअर का मतलब यह नहीं है कि छोटे मुकदमों के अन्दर हम गरीब व्यक्तियों को आर्थिक और फाइनेन्शियल असिस्टेन्स देकर उनकी मदद करें। लीगल एण्ड टू दी पुअर का मतलब यह है कि किस प्रकार से क्विक डिस्पोज़ल न्यायिक मामलों का हो और लोगों को किस तरह से सस्ता न्याय हम दे सकें। तो एक सुझाव वहां पर बम्बई के हाई कोर्ट के जज की तरफ से यह आया

(श्री रामनारायण चौधरी)

था कि गांवों के अन्दर न्याय पंचायतों की स्थापना करके लोगों को हम जल्दी से इन्साफ दे सकते हैं, सस्ता इन्साफ दे सकते हैं। हमने यह जो कदम उठाया है यह कदम आकांक्षा के अनुरूप है जो कि हाइएस्ट लेवल पर, एक राष्ट्रीय स्तर पर विचार व्यक्त किये गये हैं उन विचारों को हम इसमें मूर्त-रूप देना चाहते हैं। तो मैं, मान्यवर, जो माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि दलबन्दी बढ़ेगी उनके विचारों से मैं सहमत नहीं हूं। दलबन्दी कौन-सी जगह नहीं है ? माननीय सदस्य जो चुनकर आये हैं वह भी दलबन्दी के आधार पर चुनकर क्या नहीं आये ? अब मैं यह कहूंगा कि फैसले दलबन्दी के आधार पर होंगे यह कहा गया तो ग्राम पंचायत हमारा लोएस्ट लेवल है वहां पर अगर बहुमत से फैसले होते हैं तो उनका हम दलबन्दी से दिये गये फैसले कहेंगे। लेकिन जब हाई कोर्ट या सुप्रीम-कोर्ट में मेजोरिटी के आधार पर फैसले होते हैं, 5 जज एक तरफ और 6 जज एक तरफ तो 6 का फैसला माना जायेगा, तो क्या उन 5 को कानून का ज्ञान नहीं है ? अगर उनको कानून का ज्ञान नहीं है तो उनको किसलिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बैठाया है ? इसको हम दलबन्दी के आधार पर फैसला नहीं मानते हैं। लेकिन जो नीचे की कमजोर यूनिट का फैसला है उसका हम कहते हैं कि दलबन्दी से फैसला किया गया है। कमजोर को हम कुछ भी कह सकते हैं।

माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है, गांवों में इससे बड़ी दलबन्दी बढ़ेगी तो गांवों में तो आज भी दलबन्दी है, लेकिन आज भी हमें गांवों के अन्दर पंचों पर विश्वास है। किसी गांव में यह जाकर कहें कि हमें यह निर्णय करवाना है और कोई मसला उनके सामने रखें तो वह कहेंगे कि अमुक अमुक व्यक्ति हमारे गांव का पंच है उसको बुलाकर फैसला करायेंगे और वह फैसला हो जायेगा। आज भी गांवों में यह चीज है। आज भी जो भारत की आत्मा है, जो भारत की इन्साफ की कार्यप्रणाली है वह गांवों के अन्दर मौजूद है। उसको हम किसी प्रकार से विकसित करना चाहते हैं तो उसको विकसित करने का एक ही तरीका है कि ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाया जाये और, उनको छोटे छोटे अधिकार दिये जायें। जो आप सब-कमेटी के रूप में दे रहे हैं, उसका भी क्या फेट होगा, वह अच्छी तरह से मालूम है। आज आप जुडिशियल पॉवर देते हैं वह सब-कमेटी की मार्फत इस्तेमाल करेगी। जिसकी मर्जी होगी वह ग्राम पंचायत में केस करेगा और जिसकी मर्जी नहीं होगी वह मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास जायेगा। जिनकी ग्राम पंचायत में निष्ठा होगी वह वह जाएगा। यह भी एक विरोधाभास है। कान्करेन्ट जुरिस्डिक्शन भी जब तक रहेगा तब तक पूरा लाभ नहीं होगा। एक्सक्लूजिव जुडिशियल अधिकार देने होंगे। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि अपील का अधिकार दिया जाये। यह आज नहीं है। इसको एक सक्षम अधिकारी चुने यह भी सिद्धान्त होना चाहिए। यह भी होना चाहिए कि ग्राम पंचायतें जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित हों; क्योंकि यह पीपुल्स कोर्ट हैं। लालसोट से आने वाले माननीय

(श्री रामनारायण चौधरी)
सदस्य और सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ बातें रखी हैं।

श्री मोहरसिंह : पीपुल्स कोर्ट की बात कह रहे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे प्रस्ताव का उनको विरोध करना था। अभी तक पीपुल्स कोर्ट के बारे में उनकी क्या धारणा थी। आज भी आप गांवों में जायें जहां से हांडा साहब आते हैं, मुमकिन है, और माननीय कुछ सदस्य परिचित नहीं हों, लेकिन कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, जो राष्ट्रीय रूप से परिचित हैं, उन्होंने विचार व्यक्त किये है। कई माननीय सदस्य ऐसे हैं, जिनका जीवन ग्रामों से जुड़ा हुआ है। राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को पता है कि वह एक गांव की ढाणी से आने वाले माननीय सदस्य हैं। आज भी आपके यहां 90% मामले पंचायत से तय होते हैं। परम्परागत निर्णय करते आये हैं। इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है उनके मैं आभारा हूं। माननीय सदस्य श्री ओंकारलाल जी ने ....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मुझ को कोई सैद्धान्तिक एतराज हो, ऐसी बात नहीं है। आप उनको शक्तिशाली कीजिए। आप एक बुड्ढे को कुश्ता खिलाकर जवान करना चाहते हैं। चुनाव कराइये। मैं तो खुद सरपंच रहा हूं और निर्विरोध सरपंच रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह और भी अच्छा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : लेकिन आज जो स्थिति हो गई है, उसको रियलाइज कीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय श्री ओंकारलालजी ने एक विचार व्यक्त किय है। वह विचार हमें स्वीकार है। माननीय सदस्यों को संशोधन मिल चुका होगा। माननीय सदस्य ने कहा है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों का ही कीजिए, यह हमको स्वीकार नहीं है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। शिड्यूल्ड कास्ट्स का जो मैण्डेटरी प्रोविजन है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का वहां ही है, जहां वह 5% से अधिक है। लेकिन अगर मिल सकता है तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, यह व्यवस्था की है। माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। माननीय मीठालाल जी ने जो विचार जाहिर किये हैं। वह भी पुराने खयालात हैं। यह उनका दोष नहीं है। बुनियादी तौर से माननीय सदस्य का जो दृष्टिकोण है, वह जिस दल से पहले सम्बन्धित थे ......

एक माननीय सदस्य : अब तो नहीं है, उस दल में।

श्री रामनारायण चौधरी : अब उस बन्धन से मुक्त हैं लेकिन फिर भी बन्धन है। एक बात उन्होंने कही है मैं उस पर सोचता हूं। देनदारी और लेनदारी में से देनदारी का जिक्र कर दिया है, लेनदारी का नहीं। इस पर भी सरकार विचार करेगी।

श्री मीठालाल मीणा : दीपंकर जी की बात भी मान लें।

श्री रामनारायण चौधरी : उनकी सबसे पहले मान ली है।

माननीय वृद्धिचन्द्र जैन ने महिलाओं और शिड्यूल्ड कास्ट्स महिलाओं की बात कही है। उस सम्बन्ध में मैंने प्रस्ताव मूव किया है। माननीय सदस्यों को मिला होगा। माननीय योगेन्द्रनाथ हाण्डा ने सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी के सिद्धान्त का हवाला दिया है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी का ग्राम पंचायत के कॉन्स्टीट्यूशन में भी है। न्याय पंचायतों में दे देते हैं तो एक्स्ट्रा जुडिशियरी हो जाती है। ग्राम पंचायत में एक पंच चुनकर न्याय पंचायत में भेजते हैं। वह एक्सक्लूजिव हो जाता है। क्या आप यह सोचते हैं कि वह व्यक्ति ग्रामीणों के प्रेशर से फ्री था? अगर उस समय था तो अब भी वह प्रेशर में होगा। मैंने रेट्रोग्रेड स्टेप नहीं उठाये हैं। ग्राम पंचायतों का काम गांव के रास्ते और गलियों को साफ करना ही नहीं है। पू. महात्मा गांधी ने यह नहीं कहा था। उन्होंने यह कहा था ग्राम पंचायतें छोटे छोटे काम करेंगी। ग्राम पंचायतें गणराज्य के रूप में होंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होंगी। सक्षम वायबल यूनिट नहीं बनेंगी तो यह सक्षम नहीं होंगी। ग्राम पंचायत में ऐसी व्यवस्था हो कि वह सभी काम करें। ग्राम पंचायतें प्रशासनिक काम करें। जो छोटे छोटे न्याय के मामले आते हैं, उनको भी सुलझायें ताकि एक ग्राम का राज्य बने और एकरूपता आ सके तथा एक सक्षम इकाई की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी और एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से भी गांवों में पंचायत हो यह दृष्टिकोण है जिससे माननीय हांडा साहब भी सहमत हैं और मैं समझता हूं कि इस सेपरेशन ऑफ जुडीशियरी का वायोलेशन नहीं होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने चुनने वाले तो रखे हैं 13 और चुने जाने वाले रखे हैं केवल 5। इससे तो आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जो पांच चुनेंगे उनमें पंचायतों की मेजोरिटी का अधिकार क्यों नहीं होगा? साल में आप 30 परसेन्ट रिटायर कर रहे हैं। इससे पंचायतों का प्रेशर तो कन्टीन्यूअस रहेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : ग्राम पंचायतों पर तो प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि वे भी गांवों में ही रहते हैं और वे कोई इस प्रकार का फैसला नहीं करते जो कि न्याय के विपरीत हो। वैसे एक व्यक्ति दूर बैठकर खिड़कियां बन्द करके और शटर डाल करं तो कुछ भी कर सकता है लेकिन गांवों में ऐसा नहीं होता। एक मजिस्ट्रेट और गांव के लोगों के दृष्टिकोण में फर्क है, अलग अलग दृष्टिकोण हैं। मेरी मान्यता है कि गांवों के छोटे-मोटे मामलों को निपटाने के लिए और गांव वालों को, ग्राम लोगों को सस्ता और क्विक न्याय दिलाने के लिये इसका ग्रामीण स्तर पर करना जरूरी है। जब ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे तब भी लोग इन सारी बातों पर विचार करेंगे और सोचेंगे।

माननीय सदस्य श्री हांडा साहब ने जो जयपुर की एक ग्राम पंचायत का जिक्र किया और सरपंच के बारे में कहा, उनके खिलाफ जांच चल रही है। माननीय सदस्य ने कहा कि शंकरन साहब की जांच के बाद ए. डी. एम. को वह जांच दे दी गई है। वह एक प्रारंभिक जांच थी

(श्री रामनारायण चौधरी)

शंकरन साहब उस समय कलेक्टर थे और उसके साथ ए. डी. डी. ग्रो. ने प्रारम्भिक जांच की थी। इसके बाद विस्तृत जांच करवाने का कायदा है। जो प्रारंभिक जांच करता है उसको ही विस्तृत जांच नहीं दी जाती है और ए. डी. डी. ग्रो. ने प्रिलिमिनरी जांच की थी इसलिए ए. डी. एम. एक सक्षम अधिकारी, को इसकी विस्तृत जांच करने के लिये कहा गया है। उसकी रिपोर्ट आयेगी तब कानूनी कार्यवाही की जायगी। जो भी जांच में दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और उसका निष्कर्ष भी, मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को राज्य सरकार की तरफ से सूचित करूंगा।

मान्यवर, श्री शंकरलाल (पाली) ने कहा कि न्याय का अधिकार पंचायतों को नहीं दिया जा कर लैण्ड रेवेन्यू के अधिकार देने चाहिए जिनके पास लैण्ड रेवेन्यू के अधिकार हैं वे यह कहते हैं कि अगर यह अधिकार उनको दे दिये गये तो वसूली नहीं हो सकेगी और तमाम एरियर हो जायेंगे और सरकार का कामकाज चलना बन्द हो जायगा। एक पक्ष यह है कि न्याय का काम पंचायतों को दे दिया जायगा तो वह ठीक नहीं होगा। यह अलग अलग माननीय सदस्यों के विचार हैं। मैं इस बात के पक्ष में हूं, मान्यवर, कि रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी उनको दिया जाय। इसके लिए उपयुक्त समय पर विचार किया जायगा, और विलेज लेवल पर, एक्सपेरीमेन्ट के तौर पर कलेक्शन किया जाय—इसके लिए उपयुक्त समय पर मैं मन्त्रिमण्डल के और राज्य सरकार के सामने प्रस्ताव पेश करूंगा। माननीय सदस्यों ने विचार करते हुए यह भी फर्माया कि इससे गांवों में झगड़े बढ़ जायेंगे। जहां तक आर्बिट्रेशन का सवाल है वह तो ठीक है लेकिन फैसले ठीक प्रकार से नहीं हो सकेंगे। मेरा निवेदन यह है कि आर्बिट्रेशन में तो कोई मर्जी से नहीं जायेगा। कानून के अनुसार आर्बिट्रेशन का जहां तक ताल्लुक है वह किसी की इच्छा या मर्जी पर है तो वह मैं माननीय सदस्य की इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं। अगर इसमें कोई कठिनाई उत्पन्न हुई तो इसकी पॉवर्स सक्षम अधिकारी को डेलिगेट करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सरकार वही करना चाहेगी जिससे कि कानून के द्वारा ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके।

यह कुल मिलाकर माननीय सदस्यों के विचार हैं और मैंने मान्यवर, उनके विचारों के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। मैं इस बात का हिमायती हूं, मान्यवर, कि ग्राम पंचायतों को पहले शुरुआत के अन्दर स्थापित किया गया था तो जुडीशियल और प्रशासनिक डवलपमेन्ट का काम भी उनको दिया गया था और आगे चल कर यह विचार बने। जैसा सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी के आधार पर न्याय ग्राम पंचायतों से निकालकर न्याय पंचायतों को दिया गया जिसका भविष्य यह हुआ। मान्यवर, राजस्थान में ही नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र में भी हमने देखा वे असफल हुए हैं क्योंकि लोअर लेवल पर होने से अलग-अलग पंचायतें स्थापित कर दी गईं तो जनता का इससे विश्वास उठ जायगा। इस प्रकार से ग्राम पंचायतें अपना काम चलाती हैं

(श्री रामनारायण चौधरी)

और न्याय पंचायतों का काम भी करती हैं। अलग-अलग प्रकार से करने से उनकी इन्कम का जरिया भी बन्द हो जायगा। तो मेरा यह मानना है और, मान्यवर, श्री गिरधारीलाल जी व्यास की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित हुई थी जिसका मैं भी सदस्य था, उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही यह संशोधन लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस कमेटी ने और भी सुझाव दिए हैं जो कि माननीय सदस्यों के अनुसार आने चाहिए थे, वह राज्य सरकार के विचाराधीन हैं और उनको क्रियान्वित करने के लिए सरकार विचार कर रही है। यह कदम उठाना बहुत ही आवश्यक था और शीघ्र उठाना था इससे एक अच्छा वातावरण ग्रामों में उत्पन्न होगी।

श्री केशरीमल : पंचों के द्वारा जो जो पैसा लेने की बात है उसके बारे में आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य केशरीमल जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं और जो स्पेसिफिक शिकायत की है उसकी मैं जांच करवाऊंगा और कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही करवाऊंगा। इन विचारों के बाद मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय। बहुत से माननीय सदस्यों ने भी इस पर विचार व्यक्त किए हैं वे भी इससे सहमत हैं कि न्याय पंचायतों को समाप्त करना जरूरी है। इसलिए जो भी संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य लाए हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपने सुझाव वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस लेना चाहेंगे?

श्री दीपंकर : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य को अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

श्री दीपंकर : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य को संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय?

(स्वीकृत)

वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 को स्वीकार किया जाय। इसमें कोई संशोधन तो नहीं है ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 को स्वीकार किया गया।

खण्ड 4। माननीय मन्त्री जी !

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय खण्ड 4 में 27 (सी) (1) के 1 और 2 हैं :

> "(i) if he is below thirty, years of age, or;
>
> (ii) if he is unable to read and write Hindi fluently fieely and legibly; or".

इन दो धाराओं के बारे में माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं और मेरा स्वयं का यह मानना है, और ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने, आगे जाकर देखा है, और भी संशोधन का प्रस्ताव रखा है। मैंने यह दो संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। यह मेरे संशोधन के प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं ताकि यह बर्डन हट जाय 30 साल वाला। मान लीजिए कि 30 साल से ऊपर का सदस्य नहीं है तो न्याय उप-समिति नहीं बन सकती। इसी प्रकार से धारा है ग्राम पंचायत में हिन्दी फ्लुएन्टली और लेजिबली पढ़ने वाला मिले यह सरपंच के लिए रखा है कि साधारण हिन्दी का ज्ञान होना चाहिये। इसलिए यह बन्धन है, यह ऐसा बन्धन है, जिससे जो मकसद हमारा है, वह पूरा नहीं होगा। जैसा माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किया, शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, महिलाओं के लिए रखें कि फ्लुएन्टली और लेजिबली हिन्दी पढ़ने वाला हो तो मेरे ख्याल में मुश्किल है मिलना। सरपंच में इस योग्यता का मिल सकता है यह योग्यता पंच के लिए प्रेस्क्राइब नहीं की है। इसलिए यह संशोधन प्रस्ताव किया है। इसे स्वीकार किया जाय।

[निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव खण्ड 4 में प्रस्तुत किया गया : "Omit Clause (i) and (ii) of sub-section (1) of the proposed section 27 C."]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न वह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रभारी मन्त्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री केशरीमल जी। अब आप पेश नहीं करेंगे ?

श्री केशरीमल : एक संशोधन था। माननीय मन्त्री जी ने संशोधन रखा है क्लॉज 4 में।

"Omit clause (ii) of sub-section (1) of the proposed section 27 C".

आपने एक ही अमेंडमेंट रखा है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने दो रखे हैं । दोनों सक्यूलेट कर दिए हैं ।

श्री केशरीमल : दोनों कर दिए तो मेरे अमेंडमेंट का मतलब यही था । ठीक है, मन्त्री जी ने रख दिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी !

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने जो संशोधन रखा है उसका एक तात्पर्य तो माननीय मन्त्री जी ने जो संशोधन रखा है उससे पूरा हो जाता है । लेकिन जैसा कि माननीय केशरीमल····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री गंगाराम चौधरी : जैसा कि माननीय सदस्य केशरीमल जी ने संशोधन रखा था । मेरा एक ही संशोधन सी क्लॉज के सब-क्लॉज (i) सब-क्लॉज (ii) को हटाने से सम्बन्ध रखता है । क्लॉज (i) में आयु की बात है, 30 ईअर की, उस संबंध में संशोधन रखा है । उससे वह कवर होता है । मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आयु के सम्बन्ध में पूर्ण हो सकता है····

श्री रामनारायण चौधरी : वह लाया हूं, दोनों आ गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन ध्यान में रखकर आयु का रख दिया, वह पास हो गया ।

श्री गंगाराम चौधरी (ii) में आयु का नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : सेक्शन 4 में 27 (c) क्लॉज 1, सब क्लॉज (i) एण्ड (ii) दोनों अमेंडमेंट मूव हो गए, उसके बाद पारित हो चुके ।

श्री गंगाराम चौधरी : सक्यूलेट हुआ है उसमें ओमिट (ii) लिखा है ।

श्री रामनारायण चौधरी : एक और है, वह सक्यूलेट हो गया है ।

श्री गंगाराम चौधरी : Sorry ! उससे तात्पर्य पूरा हो जाता है । मैं मूव नहीं करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 को मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 को मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 मय संशोधन के स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 लगायत 17 स्वीकार किये जायं ।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 लगायत 17 स्वीकार किए गए ।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को संशोधनों के साथ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975 को मय संशोधन के पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक मय संशोधन के पारित किया गया ।

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975

पेश करना चाहेंगे आप ? राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975 ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर !

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक सप्ताह/एक माह/एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।"]

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक में जो संशोधन लाये गये हैं वह मौजूदा हाल की परिस्थिति को देखते हुये लाये गये हैं । इसलिए मैं इस विधेयक के मुतल्लिक और कुछ भी अर्ज करूं उसके पहले मन्त्री महोदय को बधाई पेश करना चाहता हूं कि जिन पंचायत समितियों में प्रधान और उप-प्रधान नहीं थे, जहां जिला परिषद् में प्रमुख और उप-प्रमुख नहीं थे और उनको बैठक बुलाने में कठिनाई थी, क्योंकि उप-प्रधान के चुनाव के लिए प्रधान बैठक बुला सकता है और प्रधान के चुनाव के लिए उप-प्रधान बैठक बुला सकता है, जहां दोनों नहीं थे वहां बैठक कैसे बुलाई जाय, बैठक हो पाती कैसे । सरकार इस समस्या के निराकरण के लिए नामिनेशन करे, या नामजद करे या नियम बनाये जायं । सरकार ने इस अधिकार के अनुसार नियम बनाये हैं, इन दोनों की गैर मौजूदगी में जिलाधीश बैठक बुलायें और बैठक बुला कर पूर्ति की जाय । यह पूर्ति राजस्थान में आवश्यक है....

श्री उपाध्यक्ष : कार्य काफी है । अगर बोलने का लोभ है तो जितना कम से कम सम्भव हो सके उतना अच्छा है ।

श्री दीपंकर : मैं आपके द्वारा मन्त्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद पहले स्वीकार कर चुके हैं ।

श्री दीपंकर : कर चुके हैं। हम जिस सीट से खड़े हैं, वहां से हमें देने का अधिकार है। इसलिए चेअर हमें थोड़ी आज्ञा प्रदान करे कम से कम।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की कि समय का ध्यान रखते हुये।

श्री दीपंकर : समय का ध्यान रखते हुए एक दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं। एक दो बात कहनी थी।

श्री मीठालाल मीणा : ट्रान्सफर कराना है शायद।

श्री दीपंकर : राजस्थान में प्रधान या उप-प्रधान के स्थान खाली थे उनको भरा जा चुका है। इसी तरह नीचे के स्तर पर पंचायत समिति में सरपंच या उप-सरपंच नहीं थे, वह भरे गये हैं। इस प्रकार जो संस्थायें कार्यविहीन थीं, उनको गति मिली है। यह प्रमुख काम हुआ है। इस अवसर पर, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को व्यापक स्तर पर प्राप्त है उसे ध्यान में रखते हुए यह जरूर देखा जाना चाहिए, जैसी अभी अभी पंचायत एक्ट पर चर्चा हुई थी, गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट की बात आयी, उसका मन्त्री महोदय को सदस्य बताते हुए कहा गया कि यह रिकमन्डेशन में कुछ बात कह रहे थे और अब कुछ कह रहे हैं। इस सदन के कई माननीय सदस्य, गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है, पंचायत समिति या जिला परिषद् के सदस्य नहीं रह सकेंगे। और नये सिरे से नेतागीरी डवलप करने की बात कही गई थी, उसका उसने विरोध किया था। बड़ी मुश्किल हो गई यह क्योंकि वह अब भी भूल रहे हैं। इसलिए मन्त्री जी की आलोचना करना गलत है। लो स्तर पर तमाम अधिकारी जिला परिषद् के अन्तर्गत आ जायें और उसके साथ तमाम रेवेन्यू उसके हाथ में चली जाय और एक तरह से अलग तरह की व्यवस्था, अलग राज्य हो। उसमें इस प्रकार की व्यवस्था बनती है। उस पर चिन्तन राज्य सरकार अच्छी तरह कर पायी है, इसलिए सम्भव नहीं हो सका कि तमाम बातों पर विचार कर पायें। जो एक दिक्कत थी, उसको हल कर दिया है। उसके अन्दर अब दिक्कत नहीं होगी। अब जनमत की जानकारी के कारण, उन लोगों की बात सुन कर कभी अचानक चुनाव कराने पड़ें तो चुनाव की प्रक्रिया को सरल करने की कृपा करें, चाहे प्रमुख का हो, चाहे प्रधान का हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान का चुनाव हो तो बहुत बड़ी बारात आती है, प्रमुख का चुनाव होता है तो बहुत बड़ी बारात आती है। इसमें खर्च आता है, लोग बस लगाते हैं, कई दिन तक खाना खिलाते हैं, और लोग भी खाते हैं। इसलिए इसको सरल बनाना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके साथ फूड कंट्रोल आर्डर जोड़ दिया जाय।

श्री दीपंकर : मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह वर्ष, जब से विधान लागू हुआ है, रजत जयन्ती वर्ष है पंचायतों के लिए। तो पंचायती राज व्यवस्था नामक राजस्थान में कमेटी बनी हुई है, उसमें मंत्रिगण हैं, माननीय सदस्य हैं, सब मिल कर प्रोग्राम

(श्री दीपंकर)

बनायें ताकि लोगों के सामने यह बात साफ जाहिर हो और वह पंचायती राज के प्रति सजग रहें, उनकी रुची रहे और उनमें रुचि व्याप्त हो जाय। मेरा मन्त्रिगणों से निवेदन है कि अपने अपने विभाग में कटौती करके इस पंचायती राज व्यवस्था को सजीव, गतिशील बनाने के कुछ लिये अंशदान दें ताकि इस साल पंचायती राज व्यवस्था ज्यादा सजग हो सके। मुझे इतनाही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गिरधारी लाल भार्गव !

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल मीणा !

जो आवश्यक हो वही बोलें।

श्री मीठालाल मीणा : मैं श्री मूलचंद जी का भी समय लूंगा। न्याय पंचायत का जो अमेंडमेंट पेश किया गया है वह तो वैसे ही एक तरह से सहायक के रूप में लाया गया है। वास्तव में जो बदनामी की बात आ रही है वह ग्राम पंचायतों की है। उसके चुनाव कब करायेंगे, इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसको तो छोड़ देना चाहिये क्योंकि शायद जवाब देने वाले को शर्म नहीं आएगी लेकिन प्रश्न उठाने वाले को जरूर आएगी।

(व्यवधान)

बाहर तो आपने कहा था कि इस तरह से बोलना। यहां आकर ऐसा कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम पंचायतों के चुनाव के मामले····

श्री उपाध्यक्ष : यह दूसरा बिल है पंचायत समितियों का।

श्री मीठालाल मीणा : पंचायत समितियों का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है। इस बारे में आप निश्चित अवधि मानकर चलें। जो धारणा बन गई है कि 10-12 साल हो गए हैं, अनिश्चित वातावरण हो गया है। अब आप निर्णय लेकर कब तक चुनाव करायेंगे ? पंचायत समितियों का चुनाव न करने से पंचायत समितियों में असर हो रहा है और जिला परिषदों में भी। पंचायत समितियों में जब उनको पक्का मालूम हो गया कि चुनाव नहीं होने हैं तो दिनों दिन उन्होंने अपने मनमाने तरीके से इस ढंग से अनियमितताओं को अपना लिया जैसे आगे उनको कोई कहने वाला नहीं है। पंचायत समिति लालसोट में कुछ समय पूर्व घटनायें घटी हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद् के मामले में मैं मन्त्री महोदय के सामने ऐसे उदाहरण पेश कर देना चाहता हूं जिनसे आपको मालूम होगा कि पंचायत राज कहां पहुंच गया है। 6 दिसम्बर को पंचायत समिति लालसोट की साधारण सभा की मीटिंग हुई, उसकी कार्यवाही समाप्त हो गई। उसके बाद में विकास अधिकारी और कुछ एक कर्मचारियों ने मिलकर रात को सारी की सारी प्रोसीडिंग्स बदल दी। आइटम नं. 31 था जो जनरल मीटिंग में बिल्कुल नहीं आया, प्रस्तावक और समर्थक ने मना कर दिया। शिक्षा विभाग का प्रधानाध्यापक था, जिसको पंचायत समिति से लेना देना नहीं था, उसको तहसील से बाहर निकालने

(श्री मीठालाल मीणा)

का एक नया प्रस्ताव पास कर दिया, निंदा प्रस्ताव पास कर दिया और कह दिया कि इसके विरुद्ध कार्यवाही करके इसको गिरफ्तार किया जाए। इस ढंग से विकास अधिकारी ने प्रस्ताव पास किया हुआ बताया। जब सदस्यों से पूछा गया तो पता लगा कि कर्मचारी थे जिन्होंने प्रस्ताव को बदला। सारे के सारे दस्तावेज आपको मिल गए। यह क्यों हुआ, आप जानकारी करके लाए लेकिन फिर भी विकास अधिकारी चुप हैं, आगे जांच नहीं हो रही है। पंचायत समितियों में ये बातें होने लग गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा।

लालसोट पंचायत समिति के लिए मैंने एक प्रश्न के जरिए भी मामला उठाया था। एक गांव में सरपंच, विकास अधिकारी और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर जहां मंडी का निर्माण नहीं, आबादी में जमीन कन्वर्ट नहीं हुई और लेवलिंग का काम नहीं, उसके लिए छः हजार रु. स्वीकृत कर दिए और उसकी रिपोर्ट लिखी गई कि सिंचाई विभाग के सहायक इंजीनियर ने सर्वे करा लिया। कोई लेन-देन का काम नहीं था और यह छः हजार रुपये सरपंच को दे दिए गए लेवलिंग के लिए। रोकड़ में भी जमा नहीं हैं। आपने गलत जवाब दिया कि रोकड़ में जमा है। वह 6,000) रु. सरपंच के पास भी नहीं। वह रुपये तो चले गए। यह काम बिना स्वीकृति के हुआ। पंचायत समिति को अधिकार ही नहीं है कि 6,000) रु. दे दे, लेकिन दे दिये। पहले वाले विकास अधिकारी ने कैंसिल कर दिया, दूसरे विकास अधिकारी ने पास कर दिया। न पोस्ट ऑफिस में है, न बैंक में जमा होकर उसकी जेब में हैं क्योंकि रुपया तो दरअसल बंट चुका।

इसी तरह से 1965-66 में सरपंचों ने जो प्लॉट्स बांटे थे उस प्रश्न का जवाब आपने उस साल में दिया कि नीलाम करके पट्टे दे दिए। वे रुपये ग्राम पंचायतों ने ले लिए। वे रुपये आज भी उन लोगों के जमा हैं लेकिन कब्जा नहीं दिया। आपकी नीयत क्या है?

इसी तरह से मोटर स्टैंड के मामले में मंत्रीजी ने गत विधान सभा सत्र में जवाब दिया था कि 35 हजार रुपये बाकी हैं किराये के, वह बढ़ कर 53,000) हो गए। हो सकता है कि मंत्रीजी के रिश्तेदारों की बस हो सकती है, उन रूट्स पर, लेकिन बस मालिकों में 53,000) ग्राम पंचायत की राशि है वह इसलिए वसूल नहीं हो रही है कि मंत्री महोदय के रिश्तेदार हैं। उससे पंचायत को भारी नुकसान हो रहा है। इस तरह से अनियमितताएं करना, मनमाने ढंग से प्रस्ताव लाना—ऐसे सारे मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए कहा जाता है कि कार्यवाही हो रही है, जांच की जा रही है। लेकिन इन मामलों में न कार्यवाही होती है न जांच। सारे जवाब आपने दे दिए हैं। 17 (4) की कार्यवाही के लिए भी आपने कोई निर्णय नहीं लिया। तो सारे मामलों में विभाग की तरफ से उदासीनता बरती जा रही है। फिर तो पंचायत राज को समाप्त करो। क्यों लूट हो रही है, और भाई भतीजावाद हो रहा है?

(श्री मीठालाल मीणा)

मंत्री महोदय ने सुना तो नहीं, कोई उनकी माननीय सदस्य से घरेलू बात चल रही है। फिर बोलने का मतलब क्या हुआ ?

(विराम)

मैंने क्या कहा, बता दीजिए। घरेलू बात तो घर पर ही करें, हमारा समय क्यों खराब करते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : आप सारा इर्रेलेवेन्ट बोल रहे हैं।

श्री मीठालाल मीणा : आपने सुना नहीं। या तो आप इस्तीफा दे दें या मैं दे दूं। अगर एक बात भी गलत निकल जाए तो मुझे बतायें।

श्री रामनारायण चौधरी : आप मन्शा को नहीं समझे कि क्या संशोधन है।

श्री मीठालाल मीणा : मैं मन्शा की असलियत दे रहा हूं कि आपकी नीयत क्या है, इन संशोधनों को लाकर आप क्या करेंगे। आपने लिखा है कि 30 साल उम्र होनी चाहिये, 12 साल तो चुनाव हुए हो गए। इतने वर्षों में अपने आप 25 साल से 35 साल का हो गया तो 35 साल का संशोधन लाना चाहिए था। यह भी नीयत है कि आगे चुनाव नहीं कराने हैं तो बेकार में क्यों संशोधन लाते हैं ? इससे कोई फायदा नहीं। इसलिए इस बिल को जनता की राय जानने के लिए भेज दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित)

श्रीमती निर्मलाकुमारी !

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975 को सदन के समक्ष विचारार्थ लिया गया है उसमें दो मुद्दे माननीय मंत्रीजी ने रखे हैं। एक तो उप-प्रमुख और उप-प्रधान के चुनाव से सम्बन्धित है और दूसरा जिलाधीश द्वारा सलेक्शन से सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसको आवश्यक समझा गया है और इसको लाया गया है तो एक तरफ तो यह खुशी की बात है और दूसरी तरफ जहां तक पंचायती राज का सवाल है यह तो मानना ही पड़ेगा कि पंचायती राज में जन प्रतिनिधियों का विश्वास होना चाहिये, उस विश्वास को इन संशोधनों के द्वारा दूर किया जा रहा है। जो कठिनाइयां होंगी, दिक्कतें होंगी उनको दूर करने के लिये अवश्य संशोधन लायें। लेकिन इसमें जिलाधीश को शामिल किया है। इससे जन प्रतिनिधियों के प्रति आस्था गिरी है, जो एक परम्परा सी रही है। इसी प्रकार से जिलाधीश को जो अधिकार दिया है उप-प्रधान और उप-प्रमुख के चुनाव से सम्बन्धित मेरी समझ में पंचायती राज जब से लागू हुआ है माननीय मंत्रीजी के समक्ष बहुत ही कम ऐसी शिकायतें आयी होंगी कि जिला प्रमुखों ने और प्रधानों ने चुनाव समय पर नहीं कराये

(श्री लूणाराम)

हों। यह कोई व्यापक समस्या नहीं है। जन प्रतिनिधियों के अधिकारों के साथ जितनी उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिये, आज कम नजर आती है और अच्छा होता कि आप उनको इसमें शामिल करते बजाय जिलाधीश के।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पंचायत समितियों के अन्दर आज जो कुछ हो रहा है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर, 1959 को जो अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को दिये गये, धीरे-धीरे उन अधिकारों को एक प्रकार से साफ करके रख दिया है। गांवों के अन्दर पंचायत समितियों से सम्बन्धित जितने प्रशासक थे, अधिकारी थे जिन्हें गांवों में काम करने का एक मौका मिला था और एक फिजां तैयार हुई थी, फिर धीरे-धीरे उन अधिकारों को समाप्त करके चन्द काम रख दिये गये कृषि से सम्बन्धित या पशु पालन से संबंधित। कोई यह पूछे कि गांवों के अन्दर क्या विकास हुआ है, क्या वृद्धि हुई है तो हम यह देखते हैं कि वृद्धि न होकर, विकास न होकर ह्रास ही हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उनके सामने ऐसी कौनसी समस्या आकर खड़ी हो गई कि उनको उन चीजों से हटना पड़ा।

दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में विकास विभाग या अन्य विभाग से परिपत्र जाते हैं। या तो वे एक पशु पालन से संबंधित होते हैं अथवा कृषि से थोड़ा सम्बन्धित होते हैं अन्यथा आज अमुक अधिकारी को हटा दिया गया और कल अमुक अधिकारी को हटा दिया गया, इन दो के सिवाय इन वर्षों में इन संस्थाओं में कोई चीज नजर नहीं आती है। तीसरी बात जो नजर आती है वह यह आती है कि अभियान चलाया जाय। अभियान विकास से सम्बन्धित हो वह चलाया जाना चाहिये। जब खर्चे का सवाल आता है तो यह कहा जाता है कि पंचायत समिति अपनी ओर से उसको वहन करे।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों को जो धनराशि दी जाती थी वह तो समाप्त कर दी गयी। स्थिति यह है कि जो निर्माण कार्य कराये गये थे वे भी आज अधूरे पड़े हैं या बेकार हो गये हैं मेन्टीनेन्स नहीं होने से। जिला परिषद् से आमद नहीं। एक तरफ तो आप पंचायत समिति और जिला परिषद् को विकास की रीढ़ मानते हैं और उनके जरिये सब कुछ करना चाहते हैं और दूसरी तरफ उन पर अविश्वास करके दूसरे विभागों से कार्य करवाना चाहते हैं और फिर भी उनको पंचायत समितियों से जोड़ना चाहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि पंचायत समितियां और जिला परिषदें अपने कर्त्तव्य को सम्पन्न नहीं कर सकती हैं। जो इनको अधिकार दिये गये थे, जो इनके लिये प्रावधान था उनको उपयोग में न लाने देकर विभाग ही अपनी ओर से करना चाहता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

कुछ बातें निवेदन करनी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति ने यथासंभव अपने क्षेत्र की बहबूदी के लिये

(श्री लूणाराम)

जीप वगैरह रखी । एक चीज यह देखने में आयी है कि पंचायत समिति ही उसका खर्चा मेन्टेन कर रही है । किसी प्रकार का कोई अभियान किसी विभाग की ओर से हो, सरकार कराये, लेकिन पंचायत समिति की जीप हमेशा हमेशा तहसील को या अन्य विभाग को दे देते हैं । ठीक बात है कि समन्वय होना चाहिये । खुशी की बात है । लेकिन पंचायत समिति की जीप उनके अपने फन्ड्स से खरीदी हुई होती है जीप पर खर्चा उसकी टूट फूट आदि का पंचायत समिति करती है लेकिन विभाग को जाती है तो उनकी ओर से उनको कोई किराया नहीं मिलता है । जिस विभाग से जो भी कार्य सम्बन्धित हो, जिस किसी विभाग को अपने कार्य के लिए आवश्यक हो, उसका खर्चा अथवा किराया जिलाधीश महोदय अदा करें । पंचायत समिति को सरकारी रेट से किराया मिले । पंचायत समिति पर अनावश्यक रूप से बोझ न पड़े और उनको समय पर सहूलियत मिल सकें । मैं यह निवेदन कर रहा था कि पंचायत समिति की जीप विभाग को अवश्य मिले लेकिन उनको उसका किराया मिले । यदि उसका किराया नहीं मिलेगा तो पंचायत समिति उसका मेन्टीनेन्स नहीं कर सकेगी और सारा ही कार्य ठप्प हो जावेगा ।

(3.10 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

आज हमको जो बड़ी भारी कठिनाई आ रही है वह अर्थ की आ रही है । नतीजा यह हो रहा है कि बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जो कि समय पर अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाती हैं । जब तनख्वाह ही पूरी नहीं दे पा रही हैं तो दूसरे कामों के लिए हम उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं ।

पंचायत समिति के माध्यम से किसानों में कई तरह के लोन वितरित करवाते हैं । एक नतीजा यह होता है, सभापति महोदय, कि लोन की वसूली होती है तो सरकार द्वारा होती है । लोन वह सरकार में जाता है और पंचायत समिति का जो होता है तो वह उसके खाते में जाता है । पर एक तरफ हकीकतन आज यह हो रहा है समय-समय पर पंचायत समितियों को दिया हुआ ऋण वे ऊपर के ऊपर अनुदान देते समय काट लेते हैं । जो पंचायत समितियों को लोन दिया वे ऊपर के ऊपर ही काट लेते हैं और जो लोन दिया है पंचायत समिति को उसकी वसूली करता है रेवेन्यू विभाग । नतीजा यह होता है पंचायत समिति के नाम जो लोन मढ़ा है वह यों का यों ही रह जाता है जिसकी वजह से बाद में भी जल्दी से पंचायत समिति को लोन नहीं मिलता है ।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार की कोई वसूली की कार्यवाही पंचायत समितियों की न हो । दूसरी बात यह है, हमारी सरकार ने यह घोषणा कर रखी है कि जिस किसी को लोन दिया जाये उसका सूद उसकी रकम से दुगुना नहीं होना चाहिए । पर आज नतीजा यह हो रहा है कि पंचायत समितियों को जो लोन दिया गया वह लोन दुगुने से ज्यादा वसूल हो रहा है ।

(श्री नूरारााम)

अगर वास्तव में यह मामला है तो इसका स्पष्टीकरण पंचायत समितियों में भिजवाया जाना चाहिए ताकि लोग इस अनविषयक पीड़ित न हों।

तीसरी बात, सभापति महोदय, जो इससे सम्बन्धित है उसमें मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा, जो आप पंचायत राज की कल्पना करते हैं, गांव में विकास करना है, गांव में चेतना लानी है, गांव के जनमत को जागृत करना है तो पंचायत की गतिविधियों को समझाने के लिए और हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने जो 21 सूत्री कार्य-क्रम दिया है, उसको समझाने के लिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर एक सम्मेलन बुलाया जाय जिससे पंचायतों की गतिविधियों और 21 सूत्री कार्यक्रम को बढ़ावा मिल सके।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री सभापति : श्री विजयसिंह।

[निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:—

["राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह/इसी सत्र/एक माह/एक सप्ताह/तीन दिन में प्रस्तुत करे (प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।"]

श्री विजयसिंह (मांडल) : सभापति महोदय, मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए संशोधन रखा है। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं जो मंत्री महोदय इस पंचायत राज के गुण को समझते हैं और ये पंचायत मंत्री हैं ये पंचायत राज में पूर्ण आस्था रखते हैं और पंचायत राज को सक्षम और सशक्त बनाने की भी जिनकी इच्छा है ताकि हमारे प्रदेश की जनता भी यह महसूस करे कि वास्तव में पंचायत राज से हमको बहुत लाभ है और पंचायत राज से सत्ता का डिसेन्ट्रेलाइजेशन हुआ है, किन्तु आज अफसोस इस बात का है कि उन्होंने ही आज ऐसा संशोधन पेश किया है जिससे पंचायतों पर कुठाराघात हुआ है। मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि उप-प्रधान और उप-प्रमुखों के चुनाव सरकार करवाये, हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प्रधान या प्रमुख करवाये तो कौनसी दिक्कत आ रही थी? मैं समझता हूं इस प्रकार की कोई शिकायतें भी राज्य सरकार के पास नहीं थीं लेकिन पता नहीं किन बातों से प्रेरित होकर यह बिल लाये हैं, इसमें यह है कि ये चुनाव करवाते थे तो गलती हुआ करती था। यहां, सभापति महोदय, प्रश्न गलती का नहीं है। गलती तो हुआ करती है और हुआ करेगी लेकिन प्रश्न प्रवृत्ति का है। अब प्रवृत्ति यह बनती जा रही है कि जो पॉवर्स इनके पास थीं वे लेते चले जायं, यही इस संशोधन का उद्देश्य है। जो पहले सलेक्शन बोर्ड बैठता था और जनता के प्रतिनिधि अपने इलाके के लोगों को ले सकते थे, अब उसके हाथ से यह मिलाल दिया गया है और वह सलेक्शन बोर्ड या सलेक्शन कमीशन जो भी है, उसमें इनकी जरूरत नहीं समझी है—प्रमुख

(श्री विजयसिंह)

साहब नहीं हैं तो भी चलेगा। उसका नतीजा यह निकलेगा कि उनको सूचित तक नहीं किया जायगा और उनकी गैर मौजूदगी में ही सलेक्शन हुआ करेगा।

जैसी मन्त्री महोदय से आशा करते थे, उन आशाओं के अनुरूप प्रधानों और प्रमुखों के पॉवर्स बढ़ाते और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर्स देते तो मैं समझता वास्तव में माननीय मन्त्री महोदय इस डिसेन्ट्रलाइजेशन की तरफ प्रगतिवादी कदम उठा रहे हैं। लेकिन हमको उसका उल्टा देखने का मिला, इसका सख्त अफसोस है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रधानों को और प्रमुखों को देते क्या है—नगण्य के बराबर देते हैं, एक चपरासी के बराबर उनको वेतन देते हैं, और फिर काम के लिए आप उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि साल भर काम करते रहें। उस तरफ माननीय मन्त्री महोदय ध्यान देते तो मैं समझता ज्यादा अच्छा होता। रूरल इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट आपने उनसे ले लिया, शीप एण्ड वूल आपने उनसे ले लिया, सोशल एजूकेशन वाला ले लिया, जो जो प्रवृत्तियां थीं वे सारी की सारी आपने ले लीं और जब देने की कोई बात आती है तो सरकार सशंकित होती है। पंचायती राज ठीक से काम करने लगा है तो सरकार पॉवर्स लेती जा रही है। इसलिए मैं समझता हूं डिसेन्ट्रेलाइजेशन की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम डिसेन्ट्रेलाइजेशन से बैक-ग्राउट होना चाहते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप ऐसी कोई बात लाते जो पंचायत समितियों को पंगु न बनाकर और ज्यादा सबल और सशक्त बनाती। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं जो व्यवस्था आज है उसमें जनता के प्रतिनिधि अपने इलाके में जो व्यवस्था लागू करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। उसका मूल कारण है विकास अधिकारी। इन विकास अधिकारियों और जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों के बीच ताल मेल नहीं बैठता है। जनता के प्रतिनिधि जो व्यवस्था चाहें वह नहीं कर सकें, यह कौनसी धांधली है? और ऑफिशियल जिसको करना चाहे वह कर सके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल उसका होता है, यह कौनसी अच्छी बात है? पंचायत समिति के सारे स्टॉफ पर प्रधान का डाइरेक्ट कन्ट्रोल होना चाहिये।

आज माइनर इरिगेशन में जो काम पंचायतों ने करवाये हैं मैं समझता हूं विभाग कभी भी नहीं कर पाते। इतना बढ़िया काम किया है कि सरकारी अफसर कर नहीं कर सकते थे। इसी तरह सड़कों का काम, पब्लिक हैल्थ के कई काम, जितने काम पंचायत समितियों के माध्यम से हुये हैं वे काफी अच्छे हुये हैं। केवल एजूकेशन और एग्रीकल्चर का काम है जो इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्टाफ पर डाइरेक्ट कन्ट्रोल होने से पंचायत समितियां ठीक से काम कर नहीं पाती हैं। अब इस विधेयक के पारित होने पर जन प्रतिनिधि और कमजोर होंगे। मेरा निवेदन है जो आपने यह कानून रखा है यह पीछे धकेलने वाला कानून है। सभापति महोदय, मैं इससे ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता हूं, जो इस कानून की मंशा

(श्री विजयसिंह)
है उसी से मेरा विरोध है। इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव दिया है कि इसको प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ताकि कोई अच्छी बात आ सके।

जो गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट है, माननीय मन्त्री महोदय जिसके स्वयं सदस्य थे और मैं यह भी मानता हूं और मानता रहा हूं कि माननीय मन्त्री महोदय पंचायत राज के अन्दर खूब अच्छी तरह घुले मिले हैं और आस्था रखते हैं और इनसे ज्यादा अच्छा उपयुक्त मन्त्री इस पंचायत राज के लिये और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन मैं इस बात को बिलकुल मानता हूं कि इनके ऊपर कोई दबाव डाला गया है, ऑफिसर्स ने कोई जादू टोना फेरा है और ये उस जादू टोने में आकर वह गये हैं इसलिये मैं चाहता हूं इसको प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बंगाल का काला जादू फेर दिया है....

श्री विजयसिंह : और इसको वापिस ले लें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं रतिराम जी के बाद बोलूंगा।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मेरा समय रतीराम जी को दे दीजिए।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद, (संशोधन) विधेयक, 1975 हमारे सामने उपस्थित है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मेरा चान्स रतीराम जी को नहीं देते हैं तो मैं ही बोलता हूं।

श्री सभापति : आप बोलना चाहते हैं या नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं बोलना चाहता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, मैंने बोलना शुरू कर दिया है।

श्री सभापति : आपने शुरू कर दिया है इसलिए आप पहले इनको बोल लेने दीजिए। आप (श्री हांडा) आपके बाद बोल लें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में सदन के अन्दर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो अमेन्डमेंट प्रस्तुत किये हैं वास्तव में यह अमेन्डमेन्ट आवश्यक हैं। यह अमेन्डमेन्ट्स अगर प्रस्तुत नहीं करते तो इलेक्शन का जो कार्य है वह हो नहीं सकता था और जो सलेक्शन कमीशन की मीटिंग होकर फंक्शन होता है वह भी नहीं हो सकता था। कोई कदम इस प्रकार के भी उठाये जाते हैं जो वास्तव में डेमोक्रेटिक भले न हों लेकिन वह आवश्यक होते हैं। कुछ कदम डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स

Page No 96

(९६)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

का भी छोड़कर किये जाते हैं। तो यह वास्तव में डेमाक्रेटिक प्रिंसिपल्स को छोड़कर तो किया गया है इसमें दो राय नहीं है परन्तु यह करना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि यह आवश्यक क्यों था!

किसी प्रमुख की डेथ हो गई हो तो अब प्रमुख के चुनाव तो कानून में तय कर दिया कि नहीं कराये जायें, प्रधान के चुनाव को नहीं कराया जाये। तो फिर प्रधान नहीं हो तो उप-प्रधान चुनाव कराये और प्रमुख नहीं हो तो उप-प्रमुख चुनाव कराये। अब उपप्रमुख नहीं हो और उप-प्रधान नहीं हो तो फिर कौन सा सिस्टम एडाप्ट किया जा सकता है? कलेक्टर से ही चुनाव कराये जायेंगे उसके सिवाय दूसरा आल्टरनेटिव ही नहीं है। मंत्री महोदय के लिए कोई और आल्टरनेटिव नहीं था इसके लिए नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि वह डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स पर कुठाराघात करते ....

श्री सज्जनसिंह: It is a great pity.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: सलेक्शन कमीशन के बारे में भी जो अमेन्डमेन्ट रखा है वह भी आवश्यक है। अब प्रमुख नहीं है तो साथ में उप-प्रमुख रखा है। उप-प्रमुख भी उपस्थित नहीं है और कार्य नहीं चले सलेक्शन कमीशन का तो फिर वह कार्य चलना चाहिए और प्रमुख और उप-प्रमुख दोनों ही अनुपस्थित हों, मैं तो समझता हूं कि वह डेमोक्रेसी को मानने वाले नहीं हैं, वह अपने राइट्स के लिए अलर्ट नहीं रहते और फिर बाद में ऐसा किया जाये तो यह कौन सा अनडेमोक्रेटिक है? इसलिए यह करना लाजिमी था। अब क्वेश्चन यह है कि इसमें प्रिन्टिंग मिस्टेक है इसके ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में।

"According to the existing provisions contained in sections 12 and 45 of the Act, the Up-Pradhan or the Up-Pramukh is to be elected by a meeting to be convened by the Pradhan and Pramukh respectively. Experience has shown that the Pradhans and Pramukhs do not take timely action in convening the meetings for holding such elections. Similar default is made by the Pradhan or Up-Pradhan in attending the meeting of selection commitees."

प्रधान और उप-प्रधान सलेक्शन कमीशन में सदस्य नहीं होते इसको करेक्ट कर देना चाहिए। यह प्रमुख और उप-प्रमुख होना चाहिए। फिर यह हमारे ऑब्जेक्टिव प्रिन्सिपल्स अच्छे नहीं दीखते। यह क्लियरकट गलती है और अगर हम इसको पिन-पॉइन्ट नहीं कर सकें तो हमारी योग्यता नजर नहीं आती।

अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गिरधारीलाल कमेटी की रिकमन्डेशन्स प्रस्तुत हो गयीं। माननीय सदस्य खुद उस कमेटी के मेम्बर थे। आप जब उसमें सदस्य रहे हुए हैं तो आपका खुद का कर्त्तव्य हो जाता है, एक मिनिस्टर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

के पद पर आ गये तो कर्त्तव्य हो जाता है कि जो रिकमन्डेशन्स रखी हैं वह रिकमन्डेशन्स केबिनेट में रख कर पास कराके सदन में प्रस्तुत करें। मैं यह चाहता हूं कि एमर्जेन्सी में चुनाव नहीं होते हैं तो उनको बहुत समय मिला है रिकमन्डेशन्स के बारे में बारीकी से वह जांच कर लेते। जब चुनाव का समय निर्धारित करें तो तैयारी रहे जैसी कि हमारी यह रिकमन्डेशन्स हैं कि हमें टू टायर सिस्टम रखना है या थ्री टायर सिस्टम रखना है, एडवाइजरी बॉडी रखनी है या नहीं रखनी है, पंचायतों को अधिकार देने हैं या नहीं देने हैं—तो सब चीजों के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए और सोचकर मंत्रि-मण्डल में निर्णय लेना चाहिए ताकि इलैक्शन का समय आये तो एकदम बहुत बढ़िया सिस्टम पंचायत समिति और जिला परिषदों का हो और अच्छा कानून आये और जनता इसका लाभ उठा सके।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री विजयसिंहजी राठोड़ ने जो अपना मत रखा है मैं उनसे सहमत हूं और जो श्री वृद्धिचन्द्र जी जैन का मत है मैं उससे भी पूर्णतया सहमत हूं। यह स्पष्ट है कि जो पंचायत समिति और जिला परिषद अमेन्डमेंट बिल आया है जिससे कि हमें मूल एक्ट का धारा 12 और 58 के अन्दर अमेन्डमेन्ट्स प्रस्तुत करने पड़े हैं इसकी एक आवश्यकता हो गई थी क्योंकि 13 साल पुराने जो चुनाव हैं उसमें उप-प्रधान के स्थान रिक्त हो गए उप-प्रमुखों के स्थान रिक्त हो गए। कई आये और कई चले गये इस संसार से और फिर वह चुनाव प्रमुख नहीं करा रहे हैं या प्रधान नहीं करा रहे हैं तो आवश्यक हो गया था कि उस चुनाव को कोई कराये। लेकिन इतना अवश्य है कि इस प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम रखते कि दो महीने के अन्दर-अन्दर अगर प्रमुख चुनाव नहीं कराते हैं या प्रधान चुनाव नहीं कराते हैं तो उसके बाद में केवल कलेक्टर खुद आगे मैदान में आयेगा और चुनाव करायेगा। वैसे कार्य तो नहीं रुकना चाहिए और चुनाव समय पर करायें। जब ब्यूरोक्रेसी पर चोट करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले में तो इलेक्टेड लोगों को ज्यादा जागरूक होना चाहिए। भूमि की अलॉटमेंन्ट कमेटीज हैं उनमें अगर माननीय सदस्य विधान सभा के नहीं पहुंचते प्रधान नहीं पहुंचते, सरपंच नहीं पहुंचते तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आज जो हम लाखों एकड़ भूमि हजारों परिवारों को दे रहे हैं वह काम रुक जाये। इसलिए उसमें भी प्रावधान रखें कि कोरम पूरा नहीं होने की वजह से जो भी हो, कलेक्टर हो या तहसीलदार हो वह अलॉटमेंट कर दे क्योंकि अलॉटमेंट क्यों रुके। और यह चुने हुए लोग अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं करते अलॉटमेंट कमेटी में नहीं पहुंचकर, तो अलॉटमेंट नहीं रुकना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह कोई प्रजातंत्र का अपमान नहीं है। यह तो प्रजातंत्र को ज्यादा सजग करना है और अगर प्रजातंन्त्र इसको अपमान मानता है तो उसको सचेष्ट हो जाना चाहिए कि इस प्रकार से वह अपमानित नहीं हो अब तो ग्रास रूट्स तक पहुंचे हैं, ग्रास रूट्स तक कार्य होना है। इसलिए मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं कि आज उन्होंने यह कमियां पूरी की। जहां तक

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

सलेक्शन कमेटीज का सवाल है यह भी बिलकुल उचित है। बहुत सारे सलेक्शन्स रुक जायें और इसलिए रुक जायें कि उसमें प्रमुख नहीं पहुंचे। यह तो एक कदम आगे है कि प्रमुख नहीं पहुंचे तो उप-प्रमुख पहुंच सकते हैं। वैसे तो, सभापति महोदय, जिला परिषदों को कोई अधिकार तो हैं नहीं उनको सिर्फ वोकल अधिकार है। गिरधारीलाल कमेटी ने उनको अधिक जोर देना चाहा था लेकिन वह एक टोकरी में पड़ा है। वह तो सदन में भी प्रस्तुत नहीं हुई। वह रिपोर्ट यहां भी प्रस्तुत नहीं की गई। वह कीमती रिपोर्ट है जिसके ऊपर लाखों रुपया खर्च हुआ, कई प्रान्तों के दौरे हुए, कइयों के इन्टरव्यूज लिए गए और स्पेशलिस्ट्स की राय ली गई वह सारी की सारी कीमती रिपोर्ट वैसी की वैसी ही पड़ी हैं उसकी कोई क्रियान्विति हो नहीं रही है। तो इसलिए जिला परिषदें जो हैं डेकोरेटिव ऑफिस हैं, कोई अधिकार उनको है नहीं। पंचायत समितियों का बजट पास करती हैं जिला परिषदें तो एक बड़ा फार्मल तरीके से बजट पास हो जाता है। कोई बजट की स्क्रूटिनी नहीं करतीं, कोई पंचायत समितियों को कन्ट्रोल नहीं करतीं। मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि जो भी नहीं कहा जाय वही थोड़ा है। आज अगर पंचायत समितियों को देखें तो कई पंचायत समितियों के पास उनकी रोकड़ ही नहीं है। मैंने बार बार निवेदन किया है, पंचायत मंत्रीजी गौर फर्मायें पिछले छः सात साल से रायसिंह नगर पंचायत समिति के पास कोई रोकड़ ही नहीं है। कोई यह नहीं कह सकता कि उसके पास रोकड़ है। अब वे नई रोकड़ बना रहे हैं आठ साल की एक साथ बैठ कर। जब एक खजांची साठ हजार रुपया लेकर चला गया, ड्यूटी पर नहीं था तो भी बी. डी. ओ. ने चैक इश्यु कर दिया और फिर ढूंढते फिर रहे हैं हिन्दुस्तान भर में। दिल्ली की एक होटल में तीन पत्ती खेलता हुआ पकड़ा गया। एक मकान भी उस महापुरुष ने खड़ा कर लिया और आज यह सोच रही है पंचायत समिति कि उस मकान को नीलाम करे कि क्या करे। कैसे पैसा प्राप्त करे वह यह नहीं बता सकते। हजारों नोटिस इश्यु कर दिए, तुमको बीज दिया, तुमको खाद दिया, तुमको इम्प्लीमेंट्स दिए यह दिया, वह दिया, लेकिन वह कोई अंगूठा नहीं बता सकते किसी जगह कि उसका कहीं अंगूठा भी था या उसको पहले नोटिस दिया। यह वह नहीं बता सकते। कोई 56 के हैं, कोई 57 के हैं, कोई 58 के हैं और हजारों गरीबों के खिलाफ पी. डी. आर. में केसेज भेज दिया। कई गरीबों की फसलें कुर्क हो गईं, पी. डी. आर. के तहत किसी की झोंपड़ी नीलाम कर दी लेकिन खुद के पास रोकड़ तक नहीं। माननीय पंचायत मंत्रीजी इस की जांच करेंगे। ऐसी बहुत सी पंचायत समितियां हैं। आप उनका भंग कर दें, उनकी जांच करें जिसमें अकाउण्ट मेंटेन नहीं किए जाते और लोगों से वह चार्ज कर रहे हैं। फिर कम से कम ऐसे प्रधानों को प्रजातंत्र के नाम पर, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हथकड़ी पहनायें। आप बता दें किसी एक प्रधान के हथकड़ी पहनाई हो। इस तरह से जागृति आने वाली नहीं है। किसी बी. डी. ओ. के हथकड़ी लगाई है जिसने सात

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
साल से अकाउण्ट मेंटेंन नहीं किए ? कम से कम पचास-साठ लाख का ट्रांजेक्शन इन सात सालों में हो गया जिसका कोई अकाउण्ट नहीं और ऑडिट पार्टीज अकाउण्ट्स हैड्स की शिकायत करती है। एक के बाद दूसरे नोटिस दिलवाये हैं, कलेक्टर से दिलवाये हैं, रिपोर्ट्स की हैं कि ऑडिट नहीं करवाते हैं वह रेम्यूनरेशन नहीं देते हैं। ऑडिटिंग एक्ट के तहत नोटिस निकले हैं, सात साल हो गए हैं। मैं इन सारी चीजों की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। ऐसी बहुत सी पंचायत समितियां हैं यह तो एक बिग स्टोरी है इसलिए सदन में प्रस्तुत किया है। पंचायत समितियां मस्तकल्लंदर हो रही हैं। उन्होंने कुल कितना खर्चा किया यह बतायें। कोई हिसाब किताब नहीं। वैसे अन्त में यही अर्ज करना चाहूंगा कि आप जिला परिषदों को अबॉलिश कर दें। आखिर पर्पज क्या है ? केवल कुछ लोगों को डेकोरेट करना ? सिवाय इसके कि आइये प्रमुख साहब, आइये उप-प्रमुख साहब, इसके अलावा क्या उनकी पोजीशन है। आखिर उनकी क्या हैसियत है, क्या उनका व्यक्तित्व है ?

श्री केशरीमल : जीप है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रमुख के पास तो जीप भी नहीं है। प्रधान के पास है। अगर किसी का सम्बन्ध है पंचायत समिति के प्रधान से तो जीप ले ली या पंचायत से पास करवा कर कोई प्रमुख ने जीप ले ली तो बात दूसरी है वरना गवर्नमेंट की तरफ से प्रमुख को जीप अलॉट नहीं है। कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई जीप अलॉट होगी। जीप के लिए ही प्रमुख का रखना चाहें तो रख लें। अगर जीप के लिए ही प्रमुख को रखना है तो प्रमुख का हैसियत ड्राईवर की हैसियत है। इसके अलावा क्या पॉवर है उसकी। कुछ सलेक्शन कमेटी का सदस्य है तो जाता नहीं है। इसलिए आप इनको रेवेन्यू दीजिए, बजट दीजिए, खुद अपनी सिफारिशों के तहत उनको कुछ पॉवर्स दीजिए। इतना सारा बजट है, उनके हाथ में सुपुर्द कीजिए। अगर आप अभी दे सकते हैं तो री-वाइटेलाइज कीजिए वरना यह 13 साल पुराना ढांचा जिसका पलस्तर उतर गया, जिसकी ईंटें नंगी हो गई, मकान भी धीरे 2 गिर रहा है, अब दुबारा बनने वाला नहीं है। कितनी ही एनोमोलीज हैं जिनको दूर करना है। अब प्रधान के इलेक्शन में बहुत ज्यादा एनोमोलीज हैं। इसको पंच, सरपंच चुनते हैं, कोई प्रधान जीत गया और उसके बाद मेजोरिटी है तो उसके लिए सिर दर्द बना रहता है कि कहीं हटा न दें। मेरे पास मिसाल है कि 44 पंचायतों की एक पंचायत समिति पदमपुर में एक 9 सरपंच वाला प्रधान जीत गया और आज वह गुलाम है सरपंचों का। 13 साल से उनकी गुलामी कर रहा है कि भाई मुझे हटा मत देना। यह हाल है जब कि मेजोरिटी ऑफ वोट से जीता है। इसका कार्य ही क्या है ? खुद बूढ़ा है और सरपंच भी बूढ़े हो चुके हैं, उनके हाथ जोड़ता रहता है कि मेरी कुर्सी सलामत रखना ··

श्री रामनारायण चौधरी : पटाना तो बेसिक ड्यूटी है डेमोक्रेसी में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो इसलिए मेजोरिटी से जीत कर भी इतनी हैसियत है उसकी, इतनी पिटिबेबल कण्डीशन है प्रधान की। मैं अर्ज करना चाहता था कि इन चुनावों को अगर दुबारा नहीं करायेंगे तो अब इनमें कोई वाइटेलिटी रही नहीं, न पंच में, न सरपंच में, न प्रधान में और न प्रमुख में और न इन ऑफिसों के अन्दर। डेकोरेशन के लिए प्रमुख को अगर रखना है तो ये डेकारेटिव ऑफिस ही हैं। इसलिए आप गिरधारीलाल कमेटी की रिपोर्ट को सख्ती से लागू कीजिए, दुबारा चुनाव कराइये। इन ऑफिसेज को ड्रोप कर दीजिए। उन्हें केवल किसी म्यूजियम में रखने के लिए रखिए। अब तो ये मेमोरियल एण्टीक्वीटिज हैं। आर्कोलोजिकल साइट बन गई है। आप अब तो इनको आर्कोलोजिकल मान्यूमेंट एक्ट के तहत रखिए इन पंचायत समितियों को, They have become antiquities.

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली

(अनुपस्थित)

श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : माननीय सभापतिजी, मैं राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद् अमेंडिंग बिल, 1975 का स्वागत करता हूं। इसमें बहुत ही माइनर पॉइन्ट हैं। ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं है। उप-प्रधान और उप-प्रमुख इन दो इलेक्शनों के सम्बन्ध में दिक्कत थी, कई अर्से से इनके इलेक्शन हो नहीं पाते। यह राय आती है कि कुठाराघात है प्रजातंत्र पर, कई इस प्रकार की बातें होती थीं कि प्रजातंत्र का हक नहीं मिल रहा है। असेम्बली के इलेक्शन गवर्नमेंट कराती है, पालियामेंट के इलेक्शन गवर्नमेंट कराती है। अगर आज के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि जागरुक नहीं रहे अपने कर्त्तव्य के प्रति, तो मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कोई न कोई वायामीडिया निकाला जाना चाहिए और उसी के तहत यह वायामीडिया निकाला गया है कि चुनाव हो। इसलिए कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि चुनाव करा दे।

इसी प्रकार सलेक्शन कमेटीज के सम्बन्ध में है। प्रमुख साहब पधारें नहीं, उप प्रमुख साहब पधारें नहीं। प्रमुख साहब नहीं पधारे तो उप-प्रमुख साहब पधारें लेकिन उप-प्रमुख साहब भी नहीं पधारे तो सलेक्शन कमीशन का काम अधूरा रहता है। कई दफा ऐसा देखने में आता है कि जिसकी वजह से जो चयन जरूरी होता है, रोजी रोटी का सवाल होता है लोगों का वह रुक जाता है। मैं समझता हूं कि इसके जरिये एक कार्य में गति आई है और एक गति मिली है ताकि वहां पर काम हो जाये और सलेक्शन का काम सुचारु रूप से चले। यह दोनों ही बातें बहुत अहमियत की हैं जिनके लिए इस प्रकार का संशोधन लाए हैं, और संशोधन लाकर बिल विचारार्थ प्रस्तुत किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि प्रजातंत्र का

(श्री ओंकारलाल चौहान)

सारा बेस चाहे पंचायतें हों या पंचायत समितियां, तक फैला हुआ है। पंचायत समितियां और जिला परिषदें जो हैं हम अभी चर्चा कर रहे हैं यह सारा बेस गिरधारीलाल कमेटी की रिपोर्ट पर है। होना तो यह चाहिए था, माननीय मन्त्री जी गिरधारीलाल कमेटी की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करते। यह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत होनी चाहिए और वास्तव में उसकी डिटेल में जाकर उस पर विचार आने चाहिए। वह एक बहुत ही अहम डाक्यूमेंट है जिस पर विचार होना आवश्यक था। अगर उस पर विचार होता जैसा कि अभी माननीय सदस्य हाण्डा साहब ने कहा कि जिला परिषदें वैसे डेकोरेटिव हैं, मैं डेकोरेटिव नहीं कहता, पोस्ट ऑफिस बोक्स मानकर चलता हूं, इधर से उधर कागज भेज दिए और उधर से इधर कर दिए, सिवाय इसके कोई पॉवर्स नहीं हैं। पंचायत समितियों को जो पावर्स हैं वे भी लिमिटेड पावर्स हैं लेकिन जिला परिषदों के पास कतई पावर्स नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह आज चर्चा का विषय नहीं है। होना तो यह चाहिए कि गिरधारीलाल कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने आवे और सदन के अन्दर बहस हो और उस समय विचार प्रस्तुत किए जायं कि कैसे इन्हें मजबूत किया जाय। लोकतांत्रिक संस्थाओं में ये बेस हैं पंचायतें, पंचायत समितियां, जिला परिषदें, असेम्बलीज, पार्लियामेंट, ये कैसे स्टेंग्द्न होती हैं, कैसे इनके प्रति आस्था बढ़ती है जनता की। तो मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है। इतना ही कहते हुए माननीय मन्त्री जी जो संशोधन यहां लाए हैं मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं।

श्री सभापति : श्री गोपालसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री रतीराम यादव !

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : सभापति महोदय, जो बिल माननीय मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उसमें जो मुख्य तीन धाराओं के अन्दर संशोधन किए हैं, जिनके अन्दर है कि अगर उप-प्रधान के स्थान रिक्त हो जाएगें अथवा उप-प्रमुख का स्थान रिक्त हो जायगा तो उसके लिए प्रधान अथवा प्रमुख मीटिंग बुलावें, उसका चुनाव कराएं और न करायें तो क्या हो? इस तरह की जो खामियां हैं जिनकी वजह से कार्य संचालन में दिक्कत आती थी उनको दूर करने के लिए प्रावधान किया है। साथ-साथ जो पंचायत समितियां और जिला परिषद् की सर्विसेज हैं, उनके सलेक्शन के लिए जिस तरह से आज तक दिक्कत होती थी और जिसकी वजह से देरी होती थी, उसको दूर करने के लिए प्रावधान किया है। सभापति जी जहां तक कार्य के अन्दर देरी न हो, चुस्ती और दुरुस्ती आए, इस उद्देश्य से अगर इसमें अमेंडमेंट किया जाए तो मैं इससे सहमत हूं और वह स्वागत योग्य बात है लेकिन जो तरीका माननीय मन्त्री महोदय ने अपनाया है, इस कार्य को दुरुस्त करने के लिए इसमें देरी न हो अनावश्यक रूप से, यह जो तरीका है, उसे मैं दुरुस्त नहीं मानता मैं यह समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने जो तरीका अपनाया है, जिस रूप से वे अमेंडमेंट लाये हैं, उसके पीछे एक दार्शनिक बात हो सकती है, ऐसा मैं

(श्री रतीराम यादव)

समझता हूं। सभापति जी, जिस ढांचे के, जिस पंचायती राज के माननीय मन्त्री जी इन्चार्ज हैं, आज उसकी क्या हालत है ? वह सारा ढांचा लड़खड़ा रहा है। वह ढांचा जर्जरित हो चुका है। न तो आज पंच, सरपंचों का ग्रामीण जनता के प्रति उत्साह है। और न उन स्वयं में कोई उत्साह है। बिलकुल हालत खराब हो चुकी है और वे स्वयं भी यह महसूस करते हैं और आम जनता भी महसूस करती है कि नये सिरे से चुनाव हों, नये लोग आवें और वे ग्रामीण जनता के विकास की बात करें। मैं समझता हूं कि ये चुने हुये पंच, सरपंच भी स्वयं निराश हैं। वे भी चाहते हैं कि उनके गले से यह फंदा छूटे और दूसरा और कोई इसकी जिम्मेदारी ले। एक वातावरण निराशा का है, वह इस पंचायती राज के ढांचे में है और चूंकि माननीय मन्त्री महोदय इस के इन्चार्ज हैं इसलिए वह बात, वह विचारधारा और वह निराशा भी इनके मानस पर अंकित मालूम पड़ती है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि होना तो यह चाहिए था कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए, इस पुराने ढांचे को नये रूप से सजाने के लिये, तुरन्त नये चुनाव कराये जायें, नये जोश-खरोश के साथ नयी मशीनरी सामने आवे, इसके बजाए वे खुद निराशा से ग्रसित होकर एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं और उन्होंने वह ढूंढ़ा भी है, इस अमेंडमेंट के द्वारा। जिस उद्देश्य से हमने राजस्थान के अन्दर, सारे देश के पैमाने पर यह श्रेय लिया था कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण किया है, जिसने सत्ता को आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है, ताकि लोग यह समझ सकें कि यह प्रजातन्त्र हमारा है, इसके अन्दर जो कर्त्तव्य और अधिकार हैं, उनमें हमारा भी हिस्सा है। राजस्थान ने जिस जोश-खरोश के साथ इसमें पहल करके शुरू किया था, माननीय मन्त्रीजी ने अब इसके अन्दर जो खराबियां पैदा हो गयी थीं, जो सुस्ती आयी उसको ठीक करने के बजाए उल्टा चलना शुरू कर दिया है। जो काम हमने विकेन्द्रीकरण के साथ शुरू किया था, उसे वापिस केन्द्रीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। यह इनका प्रोग्राम है। सभापति महोदय, बहुत साधारण बात है। हम कहीं से भी शिक्षा ले सकते हैं। कोई मुर्दा याने कोई मर जाय, उसमें जीवन न रहे तो क्या करते हैं ? 12 दिन के अन्दर अन्दर सब कुछ उसका क्रिया कर्म कर देते हैं और उससे फ्री हो जाते हैं और फिर उसके बाद सभी संबंधी नये जोश-खरोश के साथ दुबारा काम शुरू करने में लग जाते हैं। शोक का वातावरण खत्म हो जाता है। वह आत्मा भी दुबारा अपना जीवन धारण कर लेती है। ऐसी मान्यता समाज के अन्दर चल रही है। लेकिन हमारे मन्त्री जी की यह हालत है कि अपने डिपार्टमेंट को 12-13 साल तक लिये बैठे हैं। इसके लिये 12 दिन काफी होते हैं लेकिन 12,13 साल तक यह काम नहीं हो पाया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य और जिस लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए, इस पंचायती राज को कायम करने का यहां प्रयत्न किया गया था उसकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुये सुझाव देना चाहता हूं कि इस संशोधन

(श्री रतीराम यादव)

के जरिये ग्राप जनता के प्रतिनिधियों के हकों को छीनकर के उस विकेन्द्रीकरण की शक्ति को केन्द्रित करना चाहते हैं ग्रौर नौकरशाही के हाथों में इसको देना चाहते हैं तो ग्राप ग्रपनी शक्ति को पहचानें, इसके उद्देश्य को पहचानें ग्रौर उसके मुताबिक इसके ग्रन्दर सुधार लावें। सभापति महोदय इसके, ग्रन्दर यह रखा है कि ग्रगर प्रधान मीटिंग न बुलावे या प्रमुख मीटिंग न बुलावे तो क्या हो ? चाहिये तो यह था कि इसमें सुधार करते, जो इसमें कमजोरी लायें उसको सजा मिले- यह प्रावधान करना चाहिये था, या कोई टाइम लिमिट करते, एक महीने में बुलानी पड़ेगी दो महीने में बुलानी पड़ेगी ग्रौर न बुलावे तो यह प्रावधान करना चाहिये था कि कलेक्टर या गवर्नमेन्ट का कोई भी नॉमिनी कार्य को करे। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने बिल्कुल पॉवर उनके हाथ से छीन ली। प्रधान, प्रमुख को कोई ग्रधिकार नहीं रहेगा इसके बाद मीटिंग बुलाने का, वह चाहेगा तो भी मीटिंग नहीं बुला सकेगा। यह मैं समझता हूं हमारा जो उद्देश्य था पंचायती राज को कायम करने का, इस लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की स्थापना करने का, उसके प्रति यह हमारा विश्वासघात है। ग्रौर इस तरह से.........

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री सभापति : ग्रापका ग्रमेंडमेंट भी है। उस पर बोल सकते हैं।

श्री रतीराम यादव : ग्रभी समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : संक्षेप में ?

श्री रतीराम यादव : संक्षेप में ही समाप्त कर रहा हूं।

सभापति जी, इसी तरह से सर्विसेज के सलेक्शन में पहले जो हमारा मूल एक्ट है उसमें यह प्रावधान है कि दो ग्रादमी रहेंगे जिसमें एक सरकारी ग्रादमी जरूर रहेगा, चाहे वह रिटायर्ड हो, या एक्टिव सर्विस का मेम्बर हो। एक जब उनमें से रहेगा। ग्रब कलेक्टर का प्रावधान कर रहे हैं, इसका मतलब है सरकारी मुलाजिम के हाथों ग्राप यह सारी सत्ता सौंप देना चाहते हैं। मान लीजिये प्रमुख, उप-प्रमुख नहीं है ग्रौर कलेक्टर को गवर्नमेंट नॉमिनी मान लिया, बाय चांस गवर्नमेंट का नॉमिनी ही चेयरमैन है तो उसकी क्या हालत होगी ? क्या इसका दुष्परिणाम निकलेगा ? इसका शायद ग्रापने ग्रंदाज नहीं लगाया है। सभापति जी, एक-दो बात ग्रौर कहना चाहता हूं ग्रभी हमने 20 सूत्री प्रोग्राम हाथ में लिया है। यह प्रोग्राम ग्रामीण जनता से विशेष रूप से संबंध रखता है।....

श्री सभापति : ग्राप भूमिका के बजाए संक्षेप में ही कहें।

श्री रतीराम यादव : यह तो ग्रमेन्डमेन्ट में नहीं है। ग्रापने पंचायती राज में सुधार लाने के लिये गिरधारीलाल व्यास कमेटी, हाई पावर कमेटी बनाई थी। उसकी रिकमन्डेशन गवर्नमेन्ट को सबमिट हो चुकी है। यह रिपोर्ट 1973 में सबमिट हो गई है परन्तु उसे ग्राज तक लागू नहीं किया गया है। मैं यह कहता हूं कि जल्दी से जल्दी इन सिफारिशों को लागू करना चाहिए। उसके ग्रन्दर यह कहा गया है—

Page No 104

(104)

(श्री रतीराम यादव)

कोग्रॉप्शन का प्रोवीजन शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स के लिए रखा हुआ है लेकिन यह कोग्रॉप्शन चुने हुए लोगों की मर्जी पर डिपेन्ड करता है, किसको लें और किसको न लें। इसमें अमेन्डमेंट होना चाहिये। उनके लिए कॉन्स्टीट्युएंन्सी रिजर्व होनी चाहिये और रिजर्व्ड कॉन्स्टीट्युएन्सी से इनका डाइरेक्ट इलेक्शन हो, वहां से वे चुनकर आवें जैसे दूसरे पंच, सरपंच आते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़े। आपके इस एक्ट में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। अभी आप पंचायतों में कोग्रॉप्ट करते हैं अगर कोई हरिजन या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं होता है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि उनका डाइरेक्ट इलेक्शन हो और उनकी रिजर्व्ड कॉन्स्टीट्एन्सी हो। इसी तरह से पंचायत समिति में कोग्रॉप्शन रखा है, उनका जिला परिषद में कोग्रॉप्शन रखा है। हर जगह आप यह चाहते हैं कि दूसरे लोगों, सवर्णों की दया पर वह निर्भर रहें। आपका 20 प्वॉइन्ट प्रोग्राम फेल हो जायगा अगर इस तरह से यह सिस्टम चलता रहा। इसके अन्दर अमेंडमेंट होना चाहिए।

इसी तरह से आपने कोई टर्म निर्धारित नहीं की। आज एक साल चुनाव प्रधान का हो गया और वह चलता रहा, दुबारा मान लो कि पंचायतों के चुनाव हुए तो दुबारा बन गया, फिर हुए तो फिर बन गया। तो मैं मानता हूं कि यह सिस्टम गलत है। इससे जनता के अन्दर वह उत्साह नहीं होता है। सत्ता का दुरुपयोग करने का उसको मौका मिलता है। इसलिए कोई टर्म उसकी होनी चाहिये, जैसा कि कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में आपने रखा है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव का मेम्बर अगर दो बार लगातार चुन लिया गया तो फिर एक बार ड्रॉप करेंगे और उसके बाद दुबारा चुनाव में खड़ा हो सकेगा और दुबारा बन सकेगा। इसी तरह से अगर इसमें प्रधान, प्रमुख और सरपंच लगातार दो बार बन चुके हैं तो उनको लाजिमी तौर पर ड्रॉप करना पड़ेगा और उसके बाद दुबारा चुनाव में वह खड़ा हो सकता है। मगर कोई लगातार 10 साल तक रह सकता है ऐसा न हो (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) अब आपको 13 साल हो गये....

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री रतीराम यादव : अगर 10 साल का प्रोवीजन होता तो वह खत्म हो जाते और नये आदमी आ जाते। इसलिए मैंने यह महसूस किया है कि जो अमेंडमेंट रखा गया है उसमें यह कमी है और गलत तरीका चुना गया है। इसलिए प्रवर समिति के सुपुर्द इसे किया जाय ताकि इसकी कमियों पर, इसके दुष्परिणामों पर विचार कर सकें और अच्छे ढंग से दुबारा इसके अन्दर अमेंडमेंट ला सकें।

श्री सभापति : (श्री सज्जनसिंह के खड़े होने पर) आप बोलना चाहते हैं? संशोधन तो आपका है नहीं।

श्री सज्जनसिंह : मेरे पेशन्स का क्यों टेस्ट लेते हैं ?

एक माननीय सदस्य : टाइम दीजिये।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं खास तौर से समय लेना नहीं

(श्री सज्जनसिंह)

चाहता। मुझे स्पीचीफाइंग का शौक नहीं है। मैं अपने विचार पंचायती राज के संबंध में एक्सपीरियेन्स के आधार पर इस सदन में प्रस्तुत करना उचित समझता था इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की है।

मैं पंचायत का सरपंच भी हूं, आज जिला परिषद् का प्रमुख भी हूं, और मैं पंचायत समिति का प्रधान भी रह चुका हूं। उस एक्सपीरियेन्स के आधार पर कुछ निवेदन करना चाहता था। हमारे संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स से हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टेज आगे बढ़कर दो स्टेज पीछे हटने वाली बात की है। जब हमने डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन की बात को स्वीकार किया था तो कुछ आशाएं बन्धी थीं कि वास्तव में हमारे मंत्रीमंडल के लोग, हमारी विधान सभा के सदस्य, जो हमारे फ्रेण्ड, फिलास्फर और गाइड हैं, हमें सही मार्गदर्शन देंगे, वास्तव में हमें अवसर प्रदान करेंगे कि हम ग्रामीण स्तर पर अपने अधिकारों का उपयोग करें और उपभोग भी करें। परन्तु, मान्यवर, खेद के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि नेहरूजी ने जिन लोगों को नागौर में अपना डार्लिंग बनाया था उस विशालकाय मंत्री ने खुलकर अब एक विलियन का पार्ट अदा किया है।

मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों पंचायतों के चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं? पंचायत समितियों के चुनाव नहीं करवाना चाहते है, जिला परिषदों के चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं? उनके अधिकारों के मूल्यांकन के लिए एक हाई पॉवर कमेटी को आपने एपाइंट करवाया जिसमें आपने लाखों रुपये खर्च किये, जिसके हमारे अध्यक्ष भी मौजूद हैं, जिन्होंने बड़ा दौरा किया, अपने विचार व्यक्त किये उसको पीस मील में लागू करने वाली बात भी आप नहीं करके केवल एक छोटी सी बात को लेकर चलते हैं कि जहां पर उप-प्रधान का चुनाव नहीं करवाया हो वहां पर उप-प्रधान का चुनाव करवा दें, जहां पर उप-प्रमुख का चुनाव नहीं करवाया हो वहां पर उप-प्रमुख का चुनाव करवाना चाहते हैं। मान्यवर, मेरे जिले पाली में मैं 10 साल से प्रमुख हूं और वहां पर उप-प्रमुख नहीं है, और मैंने महसूस किया और मेरे साथियों ने महसूस किया है कि वहां पर उप-प्रमुख की कोई आवश्यकता नहीं, कोई काम अड़ा हुआ नहीं है। फिर संशोधन करके क्या भला करने जा रहे हैं? क्या मार्गदर्शन दिया जा रहा है? क्या हमारा मनोबल ऊंचा उठाने की बात सोची जा रही है? मान्यवर मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार का मन साफ है कि नहीं? मैं केवल यह जानना चाहता था कि पंचायत मंत्री केवल अपनी ब्यूरोक्रेसी के बूते पर डवलपमेंट डिपार्टमेंट को सुपुर्द करके इसमें कहीं छोटे-मोटे संशोधन करके सन्तोष कर लेना चाहते हैं या वास्तव में बुनियादी तौर से कुछ पुनः विचार करना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरे ढांचे कि बारे में विकेन्द्रीकरण करने का कमिटमेंट कर चुके हैं, जनता के सामने कमिटमेंट कर चुके हैं उसको किसी तरह से टालना चाहते हैं- इसका भी कहीं हमें प्रदर्शन नहीं होता है। केवल एक छोटा संशोधन पंचायत एक्ट में किया, न्याय पंचायतों को आपने भंग किया उसको आप बड़ी भारी उपलब्धि मानते हैं। न्याय पंचायतों में अन्याय हो जायगा,

(श्री सज्जन सिंह)

जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव की बात हो गई। यह जो फ्रेण्ड, फिलास्फर और गाइड यहां पर बैठकर पंचायती राज पर विचार करते हैं वह ऐसी छोटी-छोटी बातों में उलझकर, ऐसी छोटी-छोटी कार्य-पद्धति की बातों में उलझकर, जैसाकि एक माननीय सदस्य ने यह कहा, मुझे बड़ा खेद हुआ जब उन्होंने यह कहा कि चुनाव नहीं होते हैं तो चुनाव करवा देने चाहिए। 13 वर्ष से जिसका चुनाव नहीं हुआ है उसके चुनाव करवाने की बात नहीं करते हैं और उप-प्रधान का चुनाव करवाकर, उप-प्रमुख का चुनाव करवाकर आप क्या उपलब्धि कर रहे हैं? (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) इसलिए, सभापति महोदय, मैं केवल आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार को गिरधारीलाल हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट को विचारार्थ सदन में रखना चाहिए, और उस पर बुनियादी तौर पर हम लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। इस संशोधन से हमें कतई कोई सन्तोष नहीं होता है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी!

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, यह संशोधन जो सदन के सामने विचाराधीन है उसका उद्देश्य बहुत सीमित है। माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। अधिकांश माननीय सदस्यों ने इस संशोधन की भावनाओं को समझा है और उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। कुछ माननीय सदस्यों को गलतफहमी हो सकती है, और उस गलतफहमी के आधार पर, उसके वशीभूत होकर मूल भावना, जो संशोधन की है, को वह नहीं समझ पाये हैं। उस गलतफहमी का उन्होंने अपने विचारों में प्रदर्शन करने का यहां पर प्रयत्न किया है।

एक बहुत सूक्ष्म उद्देश्य इसका यह था कि जिन जिला परिषदों में प्रमुख भी नहीं हैं और उप-प्रमुख भी नहीं हैं, जिन पंचायत समितियों में प्रधान भी नहीं है, उप-प्रधान भी नहीं हैं और जहां पर अस्थाई प्रमुख और अस्थाई प्रधान ही काम कर रहे है वहां पर उप-प्रमुख और उप-प्रधान का चुनाव कराना चाहते हैं। यह इस सदन के अन्दर आवाज पिछले सत्र में उठाई गई थी और राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन था कि जिन पंचायत समितियों में प्रधान और उप-प्रधान नहीं हैं, और ऐसी ही स्थिति जिला परिषदों में है तो वहां पर राज्य सरकार उप-प्रधान और उप-प्रमुख का चुनाव करवाने की व्यवस्था करेगी। उसी आश्वासन के आधार पर, जो माननीय सदन में सरकार की तरफ से दिया गया था, के कारण यह जरूरी था। माननीय सदस्यों की मंशा से ही यह संशोधन लाया गया है। वह मंशा राज्य सरकार की नहीं थी। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि करीब 14 पंचायत समितियों में प्रधान और उप-प्रधान नहीं थे। वहां चुनाव करवाये गये हैं। यह कोई मंशा नहीं है कि जिसमें प्रधान हैं, उप-प्रधान भी हैं, जिला प्रमुख है, उसमें हों। इस दृष्टि से नहीं कि कोई माननीय सदस्य एम.एल ए. हैं, प्रधान भी हैं और प्रमुख भी है, मुझे इसका पता नहीं था। सदन के माननीय सदस्यों द्वारा इसके लिए आवाज उठाई गई थी। जिन पंचायतों में सरपंच नहीं हैं, प्रधान, उप-प्रधान नहीं है वहां पर

(श्री रामनारायण चौधरी)
प्रधान और उप-प्रधानों के चुनाव करवाये जायें। जहां जिला प्रमुख नहीं हैं, वहां पर चुनाव करवाये जायें। इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए ही यह लाया गया है। जिन माननीय सदस्य ने मिथ्या विचारों के आधार पर गुमराह होकर अपने विचार अभिव्यक्त किये हैं, वह अपने को शान्त करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह: माननीय सभापतिजी, खण्डेला पंचायत समिति का क्या होगा? यह संशोधन तो मन्त्री महोदय लाये हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य ने डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक के बारे में कहा है। मैं उसके झंझट में नहीं पड़ता। हमारा कान्स्टीट्यूशन है। इण्डिया के कान्स्टीट्यूशन को आपने माना है हमारे देश के जो महान नेता रहे हैं, क्या आप उनके बारे में सोचते हैं कि वह देश के प्रति लॉयल नहीं थे? क्या आप यह मानते हैं? क्या आप यह सोचते हैं कि असेम्बली का चुनाव चीफ मिनिस्टर कराये? पार्लियामेण्ट का चुनाव प्राइम मिनिस्टर करावे? मैं समझता हूं कि ये विचार प्रजातान्त्रिक नहीं हैं। यह सोचना डेमोक्रेटिक नहीं हैं, अनडेमोक्रेटिक है। क्या यह सर्विसेज सारी अनडेमोक्रेटिक हैं? जहां जिला प्रमुख किन्हीं कारणों से नहीं आ सकते हैं तो मैंने यह व्यवस्था की है कि वह आ सकते हैं। इसमें वह व्यवस्था है। अगर जिला प्रमुख नहीं आ सकता तो आप डेमाक्रेटिक मानते? उप-प्रमुख नहीं आ सकता ता डेमाक्रेटिक मानते? यह पंचायत राज पर कलंक था। ऐसी रिपोर्ट हैं कि जिला प्रमुख पहुंच नहीं पाते हैं। इलेक्शन पोस्टपोन हो जाता है इससे बदनामी भी हुई है। मगर यह ध्यान ही नहीं आ सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि कलेक्टर···

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्डेला पंचायत समिति ···

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य की ओर से गिरधारीलाल व्यास कमेटी का हवाला दिया गया है। जितना बोर्ड ऑफ सलेक्शन्स को दिया गया है वहां सारा का सारा स्वयं पर छोड़ा गया है। अगर उसका नाम लेते हैं तो वह भी उसके अन्दर आता है। फिर भी वह विचाराधीन है। उसको राज्य सरकार ने अभी माना नहीं है। जिला प्रमुख और उप-प्रमुख दोनों ही नहीं हों तो फिर सलेक्शन हो सो यह मैं मानता नहीं हूं। इन दो धारणाओं के आधार पर असेम्बली में प्रस्तुत किया गया है। माननीय सदस्यों ने माना है। यह कहा गया कि पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं। मैं चुनावों का हामी रहा हूं। किन्तु आज एमर्जेंसी के समय में, जब कि हम राजस्थान के हित में, राजस्थान को सुदृढ़ करना चाहते हैं, गुजरात में आपने देखा, फासिस्ट शक्तियां किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। आज के माहौल में यह उपयुक्त नहीं है। अभी चुनाव देश के इण्ट्रेस्ट में नहीं है।

श्री सज्जनसिंह : अभी पंचायत मन्त्री अपने को मायूस महसूस करते हैं तो एमर्जेंसी समाप्त होने पर करा देंगे?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई नहीं चाहता है कि चुनाव नहीं कराये जायें लेकिन उपयुक्त अवसर पर प्रदेश में ही नहीं सारे देश में हों। मेरी यही मंशा है कि राजस्थान मजबूती पकड़े । तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि 10 साल हो गये हैं, 13 साल हो जाएंगे । तो क्या आप यह समझते हैं जिला परिषद् और पंचायत समितियों को डिजोल्व करके एडमिनिस्ट्रेटर कायम कर दिया जाये ? क्या वह डेमोक्रेटिक होगा ? तो आज जो गठन है, पंचायत समितियों का और ग्राम पंचायतों का यह उसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए ?

श्री सज्जनसिंह : You believe in bureaucratic democracy.

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री रामनारायण चौधरी : वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव नहीं करवा सकते हैं । चुनाव हो नहीं सकता है । तो आज जो सेटअप है, उसमें हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं । उसे कैसे स्ट्रेंग्थन कर सकते हैं । जो छोटा मोटा हम कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह पंचायतों के हित में है। मान्यवर, इसीलिए यह हाउस के सामने लाया गया है । मैं समझता हूं कि संशोधन जनमत जानने हेतु और प्रवर समिति के सुपुर्द करने के हेतु रखा गया है, वह वापिस लेने की कृपा करें और इसे विचारार्थ लेने की कृपा करें ।

श्री सभापति जनमत जानने हेतु और प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव रखे हैं, वह वापिस लेंगे ?

श्री दीपंकर : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु एवं प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है, वह स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जायें?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

खण्ड 2, श्री रतीराम यादव।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप मूव कर दीजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें पहले ही अपने विचार प्रकट कर दिये हैं । मैं समझता हूं कि इसमें भाषण की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री रतीराम यादव : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने इस बारे में जो कहा था, आप मिनिट्स निकलवा कर देख लीजिए।

श्री सभापति : आप बहस नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में।

श्री रतीराम यादव : मैं उसके बारे में बोल रहा हूं।

श्री सभापति : आप जो कहना चाहें, संक्षेप में कह दें।

श्री रतीराम यादव : इन्होंने कहा है, उद्देश्य हमारा यह था कि जो धारा इसमें लगा दी है, वह जरूरी नहीं रहेगी। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य नहीं था।

श्री सभापति : आपका संशोधन क्या है, वह बता दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह बता रहे हैं।

श्री सभापति : समय लगाते हैं, आप।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : संशोधन के बारे में ही कह रहे हैं।

श्री रतीराम यादव : संशोधन तो यह रखा है सभापति जी कि replace the following for clause 2, namely:—

"2. Amendment of section 12 Rajasthan Act 37 of 1959. In the Rajasthan Panchayat Samities and Zila Parishads Act, 1959 (Rajasthan Act 37, of 1959), hereinafter referred to as the principal Act, in section 12, to sub-section (3) the following proviso shall be added; namely:—

"Provided that, if the Pradhan fails to convene the meeting within two months for this purpose, the Collector or any nominee of the State Government, shall convene such meeting."

श्री सभापति : इसको आप कह चुके हैं कि यह मेरी मन्शा है।

श्री रतीराम यादव : लेकिन जो मेरी मन्शा है वही माननीय मन्त्री जी ने अपनी मन्शा भी बताई है, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि विरोध कहां पर है ?

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी !

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सभापति जी, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं क्योंकि जिस मन्शा से यह अमेण्डमेंट लाया गया है उसके यह विपरीत है। माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रधान को समय दिया जाय, जब प्रधान वहां पर है नहीं इसलिए वह बैठता नहीं हैं। वरना मैं उस पर अवश्य विचार करता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय....

श्री रतीराम यादव : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! माननीय मन्त्री जी आप स्पष्ट कहिये कि माननीय सदस्य का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सभापति जी, मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इसको अस्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975 के खण्ड 2 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां पक्ष जीता, आप बैल बजाइये बाकायदा।

श्री सभापति : ऐसा है कि मैं दूसरी बार कह देता हूं और फिर भी आप यह महसूस करते हैं तो सदन के समय को ध्यान में रखते हुये विचार करेंगे।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री रतीराम जी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वी क्लेम डिवीजन।

(मत-विभाजन-सूचक-घण्टी)

श्री प्रद्युम्नसिंह : हांडा साहब जाने दीजिये, सदन के समय का ध्यान कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तब आपने उनको सुना नहीं, तो फिर समझदारी का जवाब समझदारी से और मूर्खता का जवाब मूर्खता से होना चाहिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप तो मूर्ख मत बनिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो हुकुम।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, Now he has agreed. He is not claiming the division now.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में माननीय सदस्य श्री रतीराम यादव ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 श्री रतीराम यादव !

श्री रतीराम यादव : सभापति जी, मैंने खण्ड 3 में यह अमेंडमेंट रखा है कि replace clause 3 by the following, namely:—

"3. Amendment of Section 45,(Rajasthan Ac 37, of 1959):—

In the Principal Act, in section 45, to sub-section (3) the following new proviso shall be added:—

"Provided that, if the Pramukh fails to convene the meeting within two months for this

(श्री रतीराम यादव)

purpose, the Collector or any nominee of State Government will convene such meeting "

सभापति जी, मेरा उद्देश्य इस अमेंडमेन्ट को रखने का यही है जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ऐसी जगहों पर जहां पर प्रमुख का स्थान रिक्त है, वहां चुनाव कैसे हो सकता है, हो ही नहीं रहे हैं। इसी भावना को ध्यान में रखकर मैंने यह अमेंडमेंन्ट का प्रस्ताव रखा है। आप मिनिट्स निकलवा कर देख लीजिये, जहां पर प्रमुख नहीं है, वहां पर स्टेट नॉमिनी करवा दें वहां तक सहमत हूं, लेकिन फिर जो अमेन्डमेन्ट है उसका विरोध इससे हो जाता है जो माननीय मन्त्री जी ने रखा है क्योंकि प्रमुख वाले को तो उन्होंने हटा दिया। वहां तो यह रखा है कि "मीटिंग विल बी कन्डक्टेड"। प्रमुख है तो भी मीटिंग नहीं बुला सकते, इसलिए मैंने पहले अमेन्डमेन्ट में कहा था उस पर कहीं भी विरोध नहीं है। मैं बहुत ही गम्भीरता से निवेदन करता हूं कि आप इसको स्वीकार कर लीजिये। जिस उद्देश्य से इसे लाकर के आपने रखा है उससे मेरा कहीं भी विरोध नहीं है। प्रमुख और प्रधान बैठे हों और उनको मीटिंग करने का अधिकार नहीं रहेगा तो इससे उनके डेमोक्रेटिक राइट्स पर कुठाराघात होगा, इससे आप इस संगठन को बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। जरा आप गम्भीरता से सोचिये, मेरा विरोध कहीं पर भी नहीं है।

(4.15 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह संशोधन भी पहले रखा जैसा ही है, जहां पर प्रमुख और प्रधान दोनों ही नहीं हैं वहां पर चुनाव कराना जरूरी है। उस स्थिति के अन्दर कोई समय बढ़ाया जाय मैं समझता हूं इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता। राज्य सरकार के सामने प्रश्न यह था कि जहां प्रमुख नहीं है वहां पर चुनाव कराये जायं और जिस प्रकार जिला प्रमुखों के चुनाव होते हैं उसके लिए जब तक कलेक्टर को अधिकार नहीं दिये जायं तब तक नहीं हो सकता। माननीय सदस्य का यह विचार कि प्रमुख है तो उसको यह अधिकार नहीं रहे, तो यह सैद्धान्तिक दृष्टि से उचित नहीं बैठता है। चुनाव की प्रक्रिया में कोई जटिलता पैदा की जाय यह उचित नहीं है। यह कोई आसान काम नहीं होता है। यह जरूरी नहीं है कि प्रधान और जिला प्रमुख बी. ए. एल एल. बी. होंगे या उनका साधारण हिन्दी का ज्ञान होगा ही। इससे उनके लिए चुनाव प्रक्रिया जटिल हो जाने से बड़ी कठिनाई हो जायेगी। नतीजा यह होगा कि वे दूसरे लोगों पर निर्भर करेंगे सारी प्रक्रिया में से गुजरने के लिये और उनकी सहायता से उनको पूरी करवायेंगे। इसलिए मैं इसको सिद्धान्ततः ठीक नहीं समझता हूं कि निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें नहीं रहें। इससे जिन उद्देश्यों को सरकार प्राप्त करना चाहती है, उनको प्राप्त नहीं कर सकेगी। इसलिए मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे कृपापूर्वक अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : Don't you intend to withdraw your amendment ?

श्री रतीराम यादव :
एवं No.
श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975 के खण्ड '3' में तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 4 श्री रतीराम यादव !

श्री रतीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड '4 में मैंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा है replace clause 4 by the following: —

"4. Amendment of section 86, Rajasthan Act, 37 of 1959:—

In the principal Act, in section 86, in sub-section (6) for clause (ii) and the proviso following it, the following clause and proviso shall be substituted, namely:—

"(ii) The Pramukh or in his absence, the Up-Pramukh of the Zila Parishad of such District :

Provided that such selection for a district, if made by one of the two members referred to in clause (i) and the Pramukh or the Up-Pramukh of the Zila Parishad for such district, referred to in clause (ii) sitting together, shall be deemed to have been made by the Selection Commission"

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें उद्देश्य यह है कि जो मूल अधिनियम हैं, उसके अन्दर जो सलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है उसमें तीन व्यक्ति रखे गये हैं जिनमें से दो आदमियों में से होगा एक गवर्नमेंट एम्प्लायी, चाहे वह एक्टिव गवर्नमेंट सर्विस में हो और चाहे वह रिटायर्ड एक्सपीरियेन्स्ड हैंड हो । इसी तरह से यह है कि एक प्रमुख अथवा उसकी एबसेन्स में उप-प्रमुख हो । उसके बाद वह सलेक्शन करेगा । अभी जो अमेंडमेंट माननीय मंत्री जी ने दिया है उसमें उन्होंने कलेक्टर को और एड कर दिया है और इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है कि जहां एक राज्य कर्मचारी तो ऑलरेडी है और फिर कलेक्टर और एड हो जाता है तो इस प्रकार से जो जन प्रतिनिधि का अधिकार है वह इससे करटेल हुआ है । तो मेरी यह मान्यता है कि इस तरह यह अमेंडमेंट दुरुस्त नहीं है, न यह हमारे इस अधिनियम की भावनाओं के अनुकूल होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी !

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसको मैंने गौरपूर्वक देखा है और विचार किया है। राज्य सरकार ने जो मूल संशोधन रखा है, मान्यवर, वह बहुत व्यापक है। वह इस प्रकार से है कि सलेक्शन कमीशन, का वर्तमान में गठन है, उस सलेक्शन कमीशन में जिला प्रमुख शामिल है और अगर जिला प्रमुख नहीं आता है तो वह सलेक्शन किसी स्थिति में हो नहीं सकता। इसका नतीजा होता है कि आगे की प्रक्रिया रुक जाती है और जो लोग आते हैं अपने सलेक्शन के लिए इन्टरव्यू के लिए—उन्हें निराश वापिस जाना पड़ता है। इस पर गम्भीरता से विचार किया गया है। चारों तरफ से विचार आये, उनसे यह महसूस किया गया कि उप-प्रमुख को शामिल किया जाय, जिला प्रमुख नहीं आ सके तो उप-प्रमुख भाग ले सके और सलेक्शन की प्रक्रिया में एसोसियेट कर सके। फिर महसूस किया गया, दोनों के आने स्थिति में क्या हो। तो यह सोचा गया कि कलेक्टर, जो डवलपमेंट ऑफिसर है, जो पंचायती राज का पार्ट है डिस्ट्रिक्ट में, उसको सलेक्शन के साथ एसोसियेट कर दिया जाय ताकि जिला परिषद् के दोनों व्यक्ति जाने में असफल रहें तो कलेक्टर और दूसरा व्यक्ति, दोनों मिल कर सलेक्शन कर लें और उनका किया हुआ सलेक्शन वैध हो। मैं समझता हूं कि गिरधारीलाल व्यास कमेटी का जिक्र किया, उसमें यहां तक है कि सर्विस सलेक्शन में पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव को शामिल न किया जाय और सर्विस का व्यक्ति है वही सलेक्शन करे। हमने किया है कि सर्विस के दो व्यक्ति रहें और जिला प्रमुख और उप-प्रमुख, दोनों में से एक भाग ले सके। मैं समझता हूं कि यह पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, पूरे तौर पर उचित है, पूरी तरह पंचायती राज की मन्शा है उसे पूरा करता है। इसमें कतई ऐसी चीज नहीं है जो आपत्तिजनक हो। इसलिए मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री रतीराम यादव : ले लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री रतीराम यादव : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 व 5 स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 एवं 5 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

पारित करने का।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976

माननीय वित्त मंत्री जी ! राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम !

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माणकचन्दजी का है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री माणकचन्द सोगानी : मेरा नाम भी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका अमेंडमेंट नहीं है। वह खण्डशः पर है I am quite alive to your amendment. विराजिये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 4। श्री माणकचन्द सोगानी ! अब आप फर्माइये।

श्री माणकचन्द सोगानी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, 1976 बहुत जरूरी था, मगर इस बिल के अन्दर कुछ ऐसे क्लॉज हैं, जिन पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज सेल्स टैक्स के अन्दर कोई भी व्यापारी अगर किसी प्रकार की चोरी करे तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आज हमारे आर्थिक प्रोग्राम में बाधा आवे तो उस बाधा को हटाना चाहिए। कहीं कहीं काली भेड़ है तो उसे हटा देना चाहिए। मगर साथ साथ अगर इस बिल की मार्फत उन आदमियों को, जो किसी प्रकार अपराधी नहीं हैं, सजा मिले—तो ऐसा प्रावधान इसमें नहीं आना चाहिए। ऐसा लाइसेन्स नहीं मिलना चाहिए, जो विभाग के निम्न कर्मचारी हैं वह बाजार से जाकर अपना पैसा इकट्ठा करें और गवर्नमेंट को किसी प्रकार का लाभ नहीं हो। वह बाजार से पैसा लेकर संचित करें—इस प्रकार की कोई चीज़ आती है तो उसके पक्ष में मैं नहीं रहना चाहता। कोई ऐसी चीज हो तो हमारे वित्त मंत्री जी बुद्धिमान हैं, उस चीज को हटाने के लिए उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं रखी है। यहां तक रखा गया है कि विभाग से गलत नोटिस निकल गया तो उसको भी सही माना जायगा। यह ऐसी चीज है, जो समझ में नहीं आ सकती कोई सेल्स टैक्स का गलत फार्म का नोटिस है, तो उसको गलत मान कर गलत किया जाना चाहिए। यह प्रावधान करना कि सही मान कर बाकायदा प्रोसीडिंग्स पर ले लेंगे—यह गलत चीज है। जहां तक देखते हैं, रेवेन्यू बोर्ड अपने यहां का बहुत बड़ा कोर्ट है। उस कोर्ट को अब तक अधिकार थे, इसके अन्दर उन अधिकारों को छीना गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर अगर केसेज का नम्बर ज्यादा है और देरी लगती है तो वहां इस प्रकार का यंत्र होना चाहिए जिससे केसेज जल्दी निपट सकें। अगर देरी होती है तो भी पब्लिक के आदमी अब तक रेवेन्यू बोर्ड से रिलीफ लेते थे, अब उस आदमी को वंचित नहीं करना चाहिए। वंचित करने से वह आदमी वहां जा सकता था जहां सुलभ रास्ता खुला हुआ था, उसको हटा दिये जाने का इस बिल में आया है। मैं चाहता हूं, वित्त मंत्री जी इस पर गौर करके इसको ठीक करें।

इसके अलावा इसके अन्दर कुछ चीजें ऐसी हैं जो सम्बन्ध रखती हैं सीक्योरिटी से। हमारे यहां रजिस्टर्ड डीलर होता है, रजिस्टर्ड डीलर सीक्योरिटी देता है। आप जानते हैं वह भाग कर नहीं जायेगा। उसके लिए क्लॉज बढ़ाया है, तीन महीने के अन्दर जितना उस पर बिक्री कर हो, वह ले लिया जाय अलावा पांच हजार के। मेरा यह कहना है, रजिस्टर्ड डीलर है, आपको साफ मालूम है, उस पर व्यापार में बंदिश लगाना उपयुक्त नहीं है। नया डीलर है उसको आपने सुविधा दी है, वह काम शुरू कर दें, उसके एन्टीसिडेंट मालूम हों कि खराब है तो उसको सजा मिलनी चाहिए बल्कि सजा इतनी दी जाय कि मिसाल मिल जाय। मेरा सुझाव है एक अच्छे भरोसे वाले आदमी को, व्यापारी को नुकसान नहीं रहे। सीक्योरिटी का सवाल आता है, बाजार के अन्दर जहां इतना रुपया नहीं रहता है, वहां अगर कोई आदमी दो-तीन दिन देरी करेगा तो

Page No 116

(116)

(श्री माणकचन्द सोगानी)

आपने प्रावधान रखा है कि एक हजार रुपया लगाया जायगा, हर रोज की देरी पर पचास रुपये ऊपर लेते हैं, नोट एक्सीडिंग वन थाउजेण्ड, रोज के लिए नोट एक्सीडिंग फिफ्टी रुपीज। मेरा निवेदन है कि एक रुपये से हजार रुपये तक और एक रुपये से पचास रुपये तक पर विचार किया जाये ताकि ऐसे अधिकारी हैं वह कानून का गलत उपयोग न करें और उनके माध्यम से कहीं बाजार के अन्दर भ्रष्टाचार न बढ़े। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर भ्रष्टाचार रोकने का कार्यक्रम है, बढ़ावा देने का कार्यक्रम नहीं है। इसलिए कोई भी काम जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता हो उसको प्लग करना चाहिए। जहां तक सीजर का सवाल है, यह जरूरी है क्योंकि आयकर में भी प्रावधान किया गया है, सीजर के जरिए सबको ज्ञात है कि 14½ अरब रुपए का इन्कम टैक्स के अन्दर डिस्क्लोजर हुआ। मगर साथ ही साथ यह भी स्टैंडर्ड होना चाहिए कि सीजर करते समय आइडेन्टीफाई कर दिया जाए जैसे स्टेनलेस स्टील का मामला है तो एक ही क्लास नहीं है, उसके अन्दर बता दिया जाए कि हमने कटोरा पकड़ा है नहीं तो काफी लूपहोल होगी। इसको हटा देना चाहिए। बाकी तो मैं खंडशः विचार के समय बोलूंगा.......

श्री उपाध्यक्ष: खंड 4 चल रहा है, आपको मौका दिया गया है।

श्री माणकचन्द सोगानी: In clause (i) of sub-section (7) sought to be substituted in section 6, delete the following words, namely:—

"or the amount of tax payable in accordance with the estimate of such authority on the turnover of the dealer for one quarter of the year in which the security is demanded, whichever is higher."

तो जहां सिक्योरिटी का सवाल है, वहां अगर सरकार की तरफ से विश्वास आए कि जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद: मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं। जो डीलर रजिस्टर्ड होना चाहता है, उसके लिए है। यदि उसके बारे में असेसिंग आॅथोरिटी को विश्वास हो जाए कि हमारा टैक्स नहीं चुकाता है और भाग जाएगा या डिक्लेरेशन फार्म में गड़बड़ी करना चाहता है तो उससे सरकार नकद जमानत नहीं मांगेगी, सिक्योरिटी मांगेगी या तो 5,000) रुपये या तीन महीने की जितनी रकम देय होती है सेल्स टैक्स की उसके बराबर सिक्योरिटी दे दे जिससे सरकार को विश्वास हो जाए कि रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद भाग नहीं जाएगा हमारा पैसा दिए बगैर गड़बड़ी नहीं होगी, तो इसमें परेशानी क्या है? हमारे एक लाख एसेसीज है। सबसे तो सिक्योरिटी हम नहीं मांगेंगे क्योंकि आगे विश्वास का प्रावधान है। जिससे सिक्योरिटी मांगेंगे उसको सुनने का मौका देंगे। यह तो साफ है कि एक लाख एसेसीज को सुनने का मौका नहीं दे सकते लेकिन जिन एसेसीज के बारे में हमें विश्वास नहीं हो या जो हमारा एसेसी बनना चाहता है, रजिस्ट्रेशन के लिए

(श्री चन्दनमल बैद)

दरख्वास्त देता है, उनसे सिक्योरिटी मांगते हैं तो परेशानी की बात नहीं है। हम तीन महीने का टैक्स जमा करना चाहते हैं उसके बजाय सेन्ट्रल सेल्स टैक्स में 12 महीने का प्रावधान है। सी. एस. टी. में पहले ही प्रावधान मौजूद है, उससे भी यह हल्का प्रावधान है। जो व्यापारी सरकार को धोखा देना चाहता है उसके लिए यह है। जो ईमानदारी से टैक्स जमा कराता है, उसके सामने परेशानी का सवाल ही नहीं है। इसलिए जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उसको वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री माणकचन्द सोगानी : मैं प्रस्ताव वापिस लेने से पहले खुलासा करना चाहता हूं। आपने फर्माया कि नए रजिस्टर्ड डीलर्स आयेंगे उन पर तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : शक वाला भी और नया भी।

श्री माणकचन्द सोगानी : पहले ही शक वाला मौजूद है और उसके साथ में सिक्योरिटी का सवाल है, वहां सिक्योरिटी लेने से एक नया व्यवधान पैदा करेंगे। कुछ लोगों को आधार दे देंगे कि उसके अन्दर पैसा बनाते जायं वरना जो आदमी काफी संपत्तिशाली है·······

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री चन्दनमल बैद : अभी जो 1955 का एक्ट है उसमें भी इस तरह का प्रावधान मौजूद है। केवल इतना ही है कि अब जो राशि हम लेना चाहते हैं वह चाहते हैं कि बड़ी होनी चाहिए। किसी व्यापारी ने एक महीने के लिए दुकान खोली, रजिस्ट्रेशन कराया और टैक्स देने के मौके से पहले ही भाग जाय। हम चाहते हैं कि नया या जिसके बारे में शक हो जाए कि वह भाग जाएगा वहां हम सिक्योरिटी लेंगे। एक लाख से ज्यादा एसेसीज हैं उन सबको बुलाकर तो सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सिक्योरिटी लेने से पहले बुलाकर उनको सुनना जरूरी है, उस फैसले के खिलाफ रिवीजन या अपील हो सकती है। हम हर एक व्यापारी को नहीं बुलायेंगे सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी ऐसी चीज नहीं है कि हमारे खजाने में पैसा आएगा, वह दूसरे की जमानत हो सकती है। यह शंका निर्मूल है। माननीय सदस्य के दिमाग में शंका कैसे आ गई ?

श्री माणकचन्द सोगानी : मैं मन्त्री जी के फर्माने के बाद कि आप व्यापारी को सुनेंगे और उसे अपील का मौका देंगे····

श्री चन्दनमल बैद : वह तो है।

श्री माणकचन्द सोगानी : मैं संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री माणकचन्द सोगानी : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 4 लगायत 8 को स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 4 लगायत 8 स्वीकार किये गये।

खंड 9।

श्री चन्दनमल बैद : मैं खंड 9 में संशोधन पेश कर रहा हूं—

(1) In sub-clause (2), for the expression "(8), (9) and (10)" substitute the expression "(8) and (9)";

(2) In the proposed sub-section (3) of section 16, for clause (n) and sub-clause (i), (ii), (iii) and (iv), substitute the following clause:—

"(n) aids or abets any person in the commission of any such offence as aforesaid, he shall, on conviction by a Judicial Magistrate be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine not exceeding one thousand rupees or with both.";

(3) Omit sub-section (4) proposed to be substituted for the existing sub-section (4) of section 16;

(4) Re-number proposed sub-sections (5), (6), (7), (8), (9) and (10) of section 16, as sub-sections (4), (5), (6), (7), (8) and (9) respectively;

(5) in the proposed re-numbered sub-section (5) of section 16—

(i) for the expression "sub-section (5)", substitute the expression "sub-section (4)";

(ii) for the expression "sub-sections (5) and (6)" occurring in the Explanation, substitute the expression "sub-sections (4) and (5)";

(6) In the proposed re-numbered sub-section (9), for the expression "sub-section (9)", substitute the expression "sub-section (8)".

इसका मूल मकसद यह है कि आज की स्थिति में देखा गया है कि व्यापारी कुछ सही रास्ते पर आना चाहते हैं और उन्होंने जो डिसक्लोजर की स्कीम में 1500 करोड़ डिस्कलोज किया उससे मालुम होता है कि व्यापारी महसूस कर रहे हैं कि एमर्जेंसी के समय और आगे भी हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए इसलिए सजा का प्रावधान 3 और 7 साल था उसको मैं अपने आप में घटाकर 6 महीने का प्रावधान करना चाहता हूं। इस संशोधन को स्वीकार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि खण्ड 9 में जो संशोधन प्रस्ताव मन्त्री जी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री माणकचन्द सोगानी : खंड 9 में पेज नं 7 पर है सब-क्लॉज (n) है वहां पर पुराने एक्ट के अन्दर लिखा है "विलफुली", आपने यह शब्द हटा दिया है। इसमें जोड़ दिया जाए।

नया संशोधन पेज 7 पर है, पेज 6 से शुरू हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : जो ऑलरेडी मूव किया है उसके लिए फर्मायें। सब-क्लॉज (vii) सब-क्लॉज (c) के बारे में कहें। I Cannot permit new amendment.

श्री चन्दनमल बैद : यह संशोधन मूव नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने भी मना कर दिया है, I had already pointed out that I can't allow it.

श्री माणकचन्द सोगानी : मेरे ख्याल से वित्त मन्त्री मानते तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था।

श्री चन्दनमल बैद : जिस बात पर मैंने विचार तक नहीं किया....

श्री उपाध्यक्ष : मैं उसके डिस्कशन को अलाऊ नहीं करता। जो आपने मूव किया है उस पर बोलें।

श्री माणकचन्द सोगानी : पेज नं. 7 पर है।

श्री उपाध्यक्ष : "Sub-part (c) of part (vii) of sub-clause (1) shall be deleted" This was your original amendment.

क्या इसको प्रेस करना चाहते हैं ?

श्री माणकचन्द सोगानी : मैं इसको मूव करते हुए कुछ क्लेरीफिकेशन चाहता हूं। जहां तक आपने किताबें रखने का इसमें बताया है कि बिजिनेस प्लेसेज जहां कहीं पर भी हों और जो घोषित की गई हों, उन्हीं जगहों पर वह मिलनी चाहिये। प्रेक्टिकली यह है कि एक आदमी का हैड ऑफिस जयपुर में है और 15 जगह उसकी शाखायें हैं किसी भी शाखा पर यदि उपलब्ध नहीं होंगी तो क्या 50 रुपया रोज का जुर्माना उस पर लगाना वाजिब होगा ? इससे तो उन्हीं लोगों को फायदा होगा जो साठ गांठ करके रुपया बनाना चाहते हों।

श्री चन्दनमल बैद : वहां पर ही पुस्तकें रखी जाती हैं जो कि बिजनेस प्लेसेज डिक्लेयर की हुई हैं। दस जगह उसने डिक्लेयर कर रखी है तो वहां ही मिलनी चाहिये। दूसरी जगह है तो हम कहां खोजें उसको ? आप डिक्लेरेशन फार्म में बता दीजिये कि ये ये बिजनेस प्लेसेज हैं। उन जगहों पर तो किताब होनी चाहिये। दस जगह पर भी पुस्तकें न मिलें और आप कहें कि फलां जगह रखी हुई हैं। माननीय सदस्य महसूस करें कि जितनी भी गलत प्रेक्टीसेज चल रही हैं उनको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें माननीय सदस्य क

(श्री चन्दनमल बैद)
सहयोग देना चाहिये। जो लूप होल्स हैं और जिनके कारण व्यापारी सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाते रहे हैं उनको रोकना चाहते हैं। माननीय सदस्य इसमें मुझे सहयोग दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने पेनेल्टी बहुत रखी है।

श्री चन्दनमल बैद : ईमानदार पर नहीं रखी है, बेईमान पर रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप इसको वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री माणकचन्द सोगानी : मैं बेईमानों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खाता नम्बर एक और खाता नम्बर 2 और।

श्री माणकचन्द सोगानी : वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि उनको संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृति)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री माणकचन्द सोगानी : मैं वापिस लेता हूं। फिर भी यह कहना चाहता हूं कि मैं किसी प्रकार से बेईमानों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 9 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड 10

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 स्वीकार किया गया।

खण्ड 11

श्री माणकचन्द सोगानी !

श्री माणकचन्द सोगानी : मेरा निवेदन करना यह है कि कोई चीज सीज की जाय उसकी स्पेसिफिक लिस्ट बने। कहीं जाकर माल को सीज किया। जो माल सीज किया उसको डिफाइन करना चाहिये कि अमुक-अमुक माल सीज किया उसकी लिस्ट बने जिससे पता हो कि अमुक माल सीज किया वरना आईडेंन्टीफाइड रहने से व्यापारी के लिये भयंकर चीज होगी और सरकार के लिये भी उचित नहीं रहेगा। इसलिये जो भी चीज सीज की है तो उसकी लिस्ट बनकर आइडेन्टीफाई हो जाना चाहिये। आप मेरी राय से इत्तिफाक रखेंगे कि अनआइडेन्टीफाइड रह जाने से लूपहोल रह जावेंगे। आइडेन्टीफाई करना अतिआवश्यक है और इसी दृष्टि से यह रखा है।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि इसमें सीजर और सीज्ड का प्रश्न नहीं है। सी. टी. ओ. की जगह ए. सी. टी. ओ. को हम अधिकार दे रहे हैं। क्या उसको अधिकार देना गलत है ?

श्री माणकचन्द सोगानी : मेरे लिये सब बराबर हैं। लेकिन आइडेन्टीफाई हो चीजें। मेरे ख्याल से आप इससे इत्तिफाक रखें कि आइडेन्टीफाई हों जो चीजें सीज की जायं।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य बतायें कि कहां ऐसा करना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका अमेन्डमेन्ट यह है "In part (g) of the proposed amendment in clause (b) of sub-section (6) sub-part (i) shall be deleted."

श्री माणकचन्द सोगानी : ऑटोमेटिकली सीज्ड है वहां वह आता है।

श्री चन्दनमल बैद : अमेन्डमेन्ट 1 में हैं और आप बता रहे हैं 2 में।

श्री माणकचन्द सोगानी : (g) के अन्दर है। 1 और 2 में जाकर खत्म होता है सीज और सीज्ड है वहां पर यह स्पेसिफाई हो जाय। वरना हर आदमी को तकलीफ रहेगी सीज किया है और अन-सीज किया है। उसमें स्पेसिफाई करना जरूरी है। इस छोटी सी चीज का आप गौर से देखेंगे जिससे गवर्नमेन्ट को भी फायदा होगा।

श्री चन्दनमल बैद : इस पर मैं विचार करूं तब तक आप दूसरा ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ले लेते हैं। आगे तो कोई संशोधन नहीं है। माननीय सदस्य आप फर्मा रहे हैं वह ओरिजिनल सेक्शन 22 है उसमें फर्माया है या उन्होंने जो अमेन्डेड दिया है उसमें फर्माया है ?

श्री माणकचन्द सोगानी : यह जो अमेन्डेड है उसी पर अर्ज कर रहा हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पेज 15 पर है।

श्री चन्दनमल बैद : वैसे आपने (g) 1 में अमेन्डमेन्ट मूव किया है लेकिन (g) 2 की बात कर रहे हैं। सी. टी. ओ. या ए. सी. टी. ओ. असेसमेन्ट करेंगे। कुछ माल सीज किया हुआ है और कुछ अन-सीज्ड है मान लीजिये कि एक लाख का माल तो अकाउन्टेड था और दो लाख का अन-अकाउन्टेड था......

श्री माणकचन्द सोगानी : वहां तक तो ठीक है। "सीज्ड" है उसको आप थोड़ा स्पेसीफाई कर दें। दो लाख का माल है। एक लाख का सीज किया और एक लाख का नहीं किया। सीज्ड किया हुआ जो एक लाख का माल है उसकी डिटेल्स आ जाती तो उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री चन्दनमल बैद : इसमें वह प्रश्न ही निहित नहीं है।

श्री माणकचन्द सोगानी : आइडेन्टीफाई करना ठीक रहेगा।

श्री चन्दनमल बैद : इसमें है ही नहीं तो कहां से लाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : ओरिजिनल क्लॉज है 22 उसमें इसका जिक्र ही नहीं है कि इन्वेन्टरी तैयार करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : इसीलिये मुझे भी परेशानी हुई कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं ... .

श्री माणकचन्द सोगानी : टेक्निकल ग्राउन्ड पर ही आप जा रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप ओरिजिनल (g) को पढ़ लीजिये उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है ।

"An officer not below the rank of Commercial Taxes, Officer". You want this ?

Hon'ble Member wants to withdraw his amendment or press it ?

श्री माणकचन्द सोगानी : ठीक है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है । इसको मैं वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन की अनुमति है कि श्री माणकचन्द सोगानी को अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी ।

श्री माणकचन्द सोगानी : मैं इसको वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 11 से लगाकर 17 तक स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 से लगाकर 17 तक स्वीकृत किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम इत्यादि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 प्रस्तावना अधिनियमन सूत्र, नाम इत्यादि स्वीकार किये गये ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 को यथा संशोधित पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 को यथा संशोधित पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक यथा संशोधित पारित किया गया ।

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर !

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन इसी सत्र/एक सप्ताह में प्रस्तुत करें (प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।"]

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय.........

श्री उपाध्यक्ष : आप इस काम के चक्कर में कहां से आ गये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे काफी चक्कर रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1975 जिसके लिये स्टाम्प लॉ अडॉप्शन एक्ट, 1952 और राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन), 1975 है उसमें अमेन्ड करके लाये हैं, वैसे तो काफी स्वागत योग्य है, क्योंकि पूरी संख्या में स्टाम्प्स नहीं आ रहे थे इसलिए लोगों को काफी लम्बी चौड़ी कठिनाई थी और अब स्टाम्प्स का जगह इस कानून के जरिये यह प्रावधान किया गया, एक ऑर्डिनेन्स के जरिये कि वे लोग कैश मनी जमा करा सकते हैं और उसकी रसीद के आधार पर डिफरेन्ट कोर्ट्स में उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है। काफी स्वागत योग्य कदम माननीय मन्त्री महोदय ने उठाया है और काफी टाइम पर उठाया है लेकिन इसके बावजूद मैंने एक अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है, क्योंकि स्टाम्प्स बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे और गंगानगर जिले में और बीकानेर जिले में राजस्थान केनाल के अन्दर भूमिहीनों को अलॉटमेन्ट का कार्य बहुत विस्तृत क्षेत्र पर चल रहा है और जिसको तीन रुपये के स्टाम्प की दरकार थी और शुरू में तो, उपाध्यक्ष महोदय, 1)-1)50 रुपये पर ही लगाया जाता था लेकिन अब वही 3) रुपये के स्टाम्प पर लिखा जाता है वह बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे और जब तीन रुपये के स्टाम्प उपलब्ध नहीं हुये तो 6-6 रुपये के स्टाम्प उनकी जगह लगाये और जब 6-6 रुपये के भी स्टाम्प्स अवेलेबल नहीं हुये तो 15-15 और 20-20 रुपये तक के स्टाम्प उस तीन

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

रुपये के स्टाम्प की जगह लगाये गये। कम से कम तीन चार लाख एप्लीकेशन्स इन लोगों ने इसके बाद मूव की हैं क्योंकि अलॉटमेंट रूल्स में प्रावधान है कि स्टाम्प लगाया जाय और स्टाम्प आखिर में ब्लेक में मिलने लगे। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डमेन्ट मूव किया है और मेरा यह कहना है स्टाम्प उपलब्ध करवा दिये जायं लेकिन ऐसी एप्लीकेशन्स दो-चार हजार होतीं तो मैं ऐसा अमेन्डमेन्ट नहीं लाता ऐसी एप्लीकेशन्स दो-तीन लाख से भी ज्यादा हैं, दो-तीन लाख ही नहीं बल्कि 5-6 लाख और यहां तक कि 10 लाख के करीब होंगी जिनको ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी स्टाम्प न मिलने के कारण लगानी पड़ी। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा जो एक्सेस मनी उपलब्ध हुआ है सितम्बर में जो ऑर्डिनेन्स आया है उसके बाद जो एक्सेस स्टाम्प लगाये गये हैं और जो मनी पे हुआ है, वह उन गरीबों को वापिस दिया जाय। एक-एक आदमी को जो 5-5, 6-6 दरख्वास्तें देनी पड़ती हैं और जो तीन का सिस्टम है जिसका कि बाई लॉटरी सिस्टम अलॉटमेन्ट होता है कहीं एक ही जगह नहीं लगाने पड़ते हैं क्योंकि एक बार में अलॉटमेन्ट हो ही जाय, ऐसा नहीं होता है तो उसको दूसरी जगह भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इसलिए इस बिल का स्वागत करते हुये मैं यह अमेन्डमेन्ट लाया हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं निवेदन करूं····

(विराम)

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सदन का समय यह बिल पास न हो जाय तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि बिल के पास होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बिल के पास होने तक बढ़ाया गया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जिन हालात में लाये हैं, वह बिल्कुल सही दिशा में लाये हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि बहुत अर्से पहले अंग्रेजों के जमाने के स्टाम्प थे वे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चलते रहे। आज जब हम बाजार में जाते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्टाम्प्स नहीं मिलते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए और क्यों नहीं मिलते और क्या दिक्कतें हैं-आज हम सब कुछ होते हुये इसको तय नहीं कर पा रहे हैं तो जो एक्सपीडियन्सी का कानून पेश किया, मैं इससे सहमत हूं कि कैश जमा करा दें लेकिन वह इन्स्ट्रूमेन्ट जो बैनामा या रहननामा के इन्स्ट्रूमेन्ट हैं उनका एग्जीक्यूशन प्लेन पीस ऑफ पेपर में होता है तो मैं समझता हूं उसमें बहुत सम्भावना इस बात की हो जायेगी कि फोर्ज्ड इन्स्ट्रूमेन्ट बनाये जायेंगे और 10-20 साल बाद हम उस फॉर्जरी को नहीं देख सकते हैं इसलिये जहां तक कोर्ट फीस का सवाल है मुझे कोई दिक्कत नहीं है चाहे सादा कागज पर हो उसमें

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कोई सम्भावना नहीं रहती है, राज्य सरकार का नुकसान हो, या किसी व्यक्ति का नुकसान हो लेकिन इन्स्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट प्लेन पीस ऑफ पेपर में होगा तो आज भी लोग स्टाम्प जमा करके पोस्ट डेटेड डॉक्यूमेन्ट फोर्ज करके अपने पास रखते हैं चाहे किसी प्रकार के एग्रीमेंट के हों। आज स्टाम्प की मौजूदगी में भी फोर्जरी होती है और आये दिन मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आज पुराने डॉक्यूमेंट निकालकर ले आये और 30 साल पहले का कह दिया कि यह उस वक्त का बेनामा है, उस वक्त का रहननामा है तो वह सही होगा उसमें कोई फोर्ज नहीं कह सकेगा। इसलिये प्लेन पीस ऑफ पेपर पर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं यह पुरानी परिपाटी जो फार्ज डॉक्यूमेंट बनाने की है, वह समाप्त नहीं हो जायगी। इस प्रकार का मेरा सुझाव है कि जो डॉक्यूमेंट एक्जीक्यूट हो जायं, और स्टाम्प अवेलेबल नहीं हैं तो ज्यों ही स्टाम्प अवेलेबल हों, उस कीमत के बराबर के जो उस समय लगने चाहिये थे, स्टाम्प लगा दिये जायें और उस मोर्टगेज डीड या और किसी डीड को उस पर लिख दिया जाय और आप उसको सब्सटीट्यूट कर दें बिना पैसे लिये ताकि फोर्जरी से बचा जा सके। वरना मेरा निवेदन यह है कि जो पहले है और आपने रखा है हर इन्स्ट्रूमेंट सादा कागज पर हो जाय चाहे राज्य सरकार को नुकसान पहुंचे या न पहुंचे लेकिन व्यक्तिगत नुकसान जरूर पहुंचेगा और राज्य सरकार के विरुद्ध भी बहुत से फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिये जायेंगे। मेरा निवेदन है इसके उपाय सोचें और जब कभी वह डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो वह इन्स्ट्रूमेंट रीप्रोड्यूज कर दिया जाय तो दुबारा आप उसका पैसा न लें और जो पहले रखा गया है उसको वापिस कर दिया जाय ताकि उसके पास दो डॉक्यूमेंट भी न रहें।

मैं समझता हूं यह कोई अच्छा एक्ट नहीं है। यह सही है कि आरजी तौर पर राहत मिलेगी। मैं निवेदन करूं आपके यहां नहीं तो हम इन्तजाम करें खुद छपवायें या गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से छपवायें—ज्यादा से ज्यादा स्टाम्प्स आने चाहिये और इन्स्ट्रूमेंट के जो स्टाम्प हैं वे जरूर उपलब्ध होने चाहिये। अगर खास मजबूरी हो तो उसका कोई सब्स्टीट्यूट होना चाहिये और दूसरे स्टाम्प पर एग्जीक्यूट किया जा सके, यही मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री रामलाल : उपाध्यक्ष महोदय, स्टाम्प की बहुत कमी है....

श्री उपाध्यक्ष : उसी को तो दूर कर रहे हैं।

श्री रामलाल : क्योंकि एक-एक रुपये का स्टाम्प 25 रुपये में भी नहीं मिलता....

श्री उपाध्यक्ष : इसी का उपाय है। मंत्री महोदय !

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, दो परिस्थितियां हैं जिनके बीच में से राज्य सरकार को निकलना पड़ रहा है। एक तो परिस्थिति यह है कि जैसा कि माननीय सदस्य हमारे धोलपुर से आने

(श्री चन्दनमल बैद)
वाले कह रहे थे कि स्टाम्प नहीं मिलते हैं और कई बार एक-एक रुपये के स्टाम्प के 25-25 रुपये देने पड़ते हैं। हो सकता है इसमें अतिशयोक्ति हो। यह सही है कि स्टाम्प की कमी की वजह से जो स्टाम्प की कीमत है उससे ज्यादा देनी पड़ती होगी। एक तो स्थिति यह है। दूसरी स्थिति यह है कि अभी नासिक प्रेस से स्टाम्प पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। इसका कोई भी कारण हो सकता है। इसके लिए किसी का दोष देना मुश्किल है। ऐसे कागज भी हो सकते हैं जो कि बाहर से आते हों। हमने बड़ी कोशिश की और नासिक भी हमने अपने एक अधिकारी को भेजा लेकिन जितने स्टाम्प की हमें जरूरत थी वह नहीं मिले। ऐसी स्थिति में जब स्टाम्प की कमी है और लोगों को परेशानी है और यह परेशानी लोगों की महसूस की गयी तो यह ऑर्डिनेन्स निकाला और वही अब हमारे सामने बिल के रूप में आया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उसी का तो कह रहे हैं कि सराहनीय है।

श्री चन्दनमल बैद : जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सराहनीय है। दूसरी बात जौहरी बाज़ार से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि इसमें फ्रॉड होने के कई चान्सेज हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात को जानती है और इसलिए मैं आपकी तवज्जह बिल की धाराओं की ओर ले जाना चाहता हूं कि हमने पहले से ही बहुत सावधानी बरती है। कलेक्टर और गवर्नमेंन्ट दोनों इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हो जायें कि फलां जिले में स्टाम्प की कमी है तो ऑफिसियल गजट में यह आदेश निकाले जायेंगे और वह भी एक समय तक के लिए निकाले जायेंगे क्योंकि स्टाम्प की कमी है इसलिए इस जिले में इतने दिनों तक सादा कागज पर डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किये जायेंगे। यह एक लिमिटेड समय के लिए है। जब कलेक्टर और गवर्नमेन्ट दोनों ही कन्विन्स हो जायेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा और वह लिमिटेड समय के लिए लागू होगा। तो यह बहुत बड़ी परेशानी थी लोगों को उसको दूर करने के लिए इसके सिवाय दूसरा चारा नहीं था, जिसका कि आप खुद भी स्वागत करते हैं। हम इस बात के लिए पूरी सावधानी बरत रहे हैं और पूरी तरह से हम हिदायत दे रहे हैं कि इस तरह के जो भी अनस्टाम्प्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका किस तरह से इन्द्राज किया जाये और किस तरह से सारी बातें लिखी जायें और ट्रेजरी से रसीद लेंगे उनका हवाला भी वैसे दिया जायेगा, इसकी पूरी हिदायतें दी जा रही हैं ताकि फ्रॉड होने के कम से कम चांस हों। तो यह कुछ समय के लिए हमने तरीका निकाला है। लोगों को परेशानी हो रही थी इसके लिए सदन के माननीय सदस्यों ने ध्यान खींचा था और तकलीफ को दूर करने के लिए, यह तरीका निकाला गया। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है। इसलिए माननीय सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें वापिस लेने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष . क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी हां।

Page No 127

(127)

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि माननीय सदस्य को संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 21

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने खण्ड 2 में यह संशोधन रखा है :

After part (iii) of sub-section (1) of section 3A, sought to be inserted, the following shall be added:—

"Provided that the excess amount of money shall be refunded to the person who has affixed stamps of more value than required according to law from the day the Rajasthan Stamp Law (Adoptation) (Amendment) Ordinance, 1975 came into force."

मेरे ख्याल से सितम्बर से यह ऑर्डिनेन्स फोर्स में आया है और उस समय स्टाम्प की बड़ी शॉर्टेज चल रही थी। उपाध्यक्ष महोदय, भूमिहीन किसानों को भी जमीन देने का बहुत बड़ा अभियान चल रहा था जिसका हमने गारव भी प्राप्त किया है कि 6 हजार लोगों को हमने 62 हजार एकड़ भूमि अलॉट की और इसका अलॉटमेंट करने के लिए लाखों की तादाद में एप्लीकेशन्स प्राप्त हुई और अब भी लाखों की तादाद में एप्लीकेशन्स आ रही हैं। इसके लिए स्टाम्प फी 3 रुपया थी और वह स्टाम्प अवेलेबल नहीं होने के कारण और उससे भी कम कीमत के अवेलेबल नहीं होने के कारण लोगों ने 6 रुपये, 15 रुपये और 30 रुपये तक के स्टाम्प लगाये क्योंकि उनकी एप्लीकेशन्स एन्टरटेन ही नहीं होती। तो उनको लैण्ड का अलॉटमेंट हो गया और लैण्ड अलॉट हो गयी। तो पट्टे नहीं मिले। मेरी यह अर्ज है कि जब ऑर्डिनेन्स आया उसके बाद जो एक्सेस फी पे उन्होंने की है वह उनकी रिफण्ड होनी चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कई सवालात इनवाल्व्ड हैं और अगर माननीय सदस्य का अमेंडमेंट मान लिया जाता है तो लोगों को आराम और सहूलियत होने के बजाय बड़ी परेशानी होगी। पहले तो यह पता लगाना, कि किस-किस ने कब डॉक्यूमेंट पर ज्यादा पैसे के स्टाम्प लगाये हैं, बड़ा मुश्किल हो जायेगी क्योंकि किसी ने एक दरख्वास्त दी जैसा आप कह रहे हैं कि 3 रुपये की जगह 5 रुपये का स्टाम्प लगाया तो उसकी एप्लीकेशन इस समय कहां है और उसको ढूंढकर मंगवाना और देखना परेशानी का बायस होगा,

(श्री चन्दनमल बैद)

दूसरी बात यह भी है कि अगर उसको राहत दी जाये जिस ने 3 रुपये की जगह 5 रुपये का स्टाम्प लगा दिया तो जिस आदमी ने एक रुपये का स्टाम्प 5 रुपये में खरीदा उसको क्या राहत दी जाये ?

तीसरी बात यह है कि स्टाम्प एक्ट यह कहता है कि जितने का स्टाम्प लगाना है उतने का ही लगाया जाये । किसी ने अगर गलती से या स्टाम्प नहीं मिलने के कारण से ज्यादा का स्टाम्प लगा दिया ता उसको वापिस देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । सरकार ने तो उसको ज्यादा का स्टाम्प लगाने के लिए नहीं कहा कि 1 रुपये की जगह 5 रुपये का लगाये । हो सकता है कोई भी मजबूरी हो । इसीलिए ही तो यह संशोधन बिल आया है। अगर ऐसा अमेंडमेंट मान लिया तो हजारों केसेज को री-ओपन करना, सुनना और फैसला करना यह एक परेशानी का बायस हो जायेगा जनता के लिए और सरकार के लिए भी । इसलिए अब जो सुविधा दी जा रही है उसका फायदा उठाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मुझे एतराज नहीं है लेकिन जहां तक उसके रिकार्ड का प्रश्न है कोई भी एप्लीकेशन जो राजस्थान कैनाल, भाखरा या गंग कैनाल किसी भी क्षेत्र में दी जाती है विशेषकर राजस्थान कैनाल क्षेत्र में ···

श्री चन्दनमल बैद : राजस्थान कैनाल की ही दरख्वास्तें नहीं हैं और भी कई जगह की एप्लीकेशन्स दी हुई होंगी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में दी होंगी, दूसरे और डिपार्टमेंट में दी होंगी तो इनको छांटकर निकालना और लोगों के रिप्रेजेन्टेशन सुनना अपने आप में बहुत परेशानी की बात हो जायेगी ।

श्री मोहनराज : जो राशि लौटायेंगे उससे ज्यादा ता रिफण्ड करवाने में लग जायेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को उनका संशोधन वापिस लेने की अनुमति दा जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो कोई संशोधन नहीं रहे । अब तो आप पारित करने का प्रस्ताव कीजिए ।

श्री चन्दनमल बैद : पारित तो करें ।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन और तो कोई नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद : खण्ड 2 को पारित तो करना है ।

श्री उपाध्यक्ष : हां । प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 का पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किए गए।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किए जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकृत किए गए।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 22 जनवरी, 1976 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक सायं 5-12 बजे वृहस्पतिवार, दिनांक 22 जनवरी, 1976 के म पू 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 229 के निर्णयों की प्रतिलिपि)

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अलवर, राज.

आंशिक प्रतिलिपि स्थानीय न्यास की 96वीं बैठक जो दिनांक 1-8-75 को सायं 3 बजे न्यास कार्यालय में श्री आदर्श किशोर जिलाधीश, अलवर, अध्यक्ष न्यास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से नं. 1 बी पर जो निर्णय लिया गया है निम्न प्रकार है:—

नं 1 बी माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा सदन का ध्यान मोती डूंगरी की तरफ दक्षिण दिशा में आने वाली सड़क की ओर आकर्षित किया गया एवं अवगत कराया गया कि इस रोड पर बायें हाथ पर सेन्ट्रल स्कूल के पास बिना पूर्व स्वीकृति के एक पक्की कम्पाउण्ड वाल निर्मित कर ली गई है जो कि अनाधिकृत है । सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्रीयुत अतिरिक्त जिलाधीश महोदय, अलवर इस संबंध में वांच्छित रिकार्ड का मुलाहिजा कर नगर परिषद् अलवर के माध्यम से उक्त की गई अनाधिकृत डण्डे की तामीर को तुड़वाने की व्यवस्था एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर आवश्यक रूप से कर देंगे ताकि हर आदमी को आगमन की दृष्टि से मार्ग मिल सके ।

— ———

कार्यालय नगर सुधार न्यास
अलवर, राजस्थान

आंशिक प्रतिलिपि स्थानीय न्यास की 97वीं बैठक दिनांक 18-9-75 को मध्याह्न 4 बजे श्री आदर्श किशोर, अध्यक्ष न्यास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें पूर्व मीटिंग दिनांक 1-8-75 में की पुष्टि के आइटम 1 बी पर जो आक्षेप किया निम्न प्रकार है:—

श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा आइटम नं. 1 (बी) पर आक्षेप उठाया गया कि न्यास निर्णयानुसार इस पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? इस पर अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा श्री रामानन्द जी को अवगत कराया गया कि मैंने अभी अपने पद का कार्यभार संभाला ही है तथा मैं इस मामले की छानबीन कर रहा हूं तथा शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दूंगा ।

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि न्यास भी अपने स्तर पर से इस अनाधिकृत निर्माण के बारे में पूरी छानबीन कर अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष न्यास को शीघ्र प्रस्तुत करे । तथा यह भी अवगत करावे कि क्या यह मामला न्यास के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं ।

———

आंशिक प्रतिलिपि स्थानीय न्यास की 98 वीं बैठक जो दिनांक 26-9-75 को सायंकाल 3.00 बजे न्यास कार्यालय में में श्री आदर्शकिशोर जिलाधीश, अलवर अध्यक्ष, न्यास की अध्यक्षता में संपन्न हुई एवम् जिसमें आइटम नं 1(6) पर जो निर्णय लिया गया निम्न प्रकार है:—

आइटम नं. 1(6) इसके बारे में श्री रामानन्द द्वारा यह बतलाया गया कि गत बैठक में किये गये संशोधन में यह

स्पष्ट नही किया गया है कि उक्त मामले में कार्यवाही कितने समय में की जावेगी। इस पर अध्यक्ष न्यास द्वारा यह बतलाया गया कि इस पर अगले एक दिन में कार्यवाही की जावे। सचिव न्यास द्वारा अवगत कराया गया कि न्यास को इस मामले में कोई भी कार्यवाही न करने के लिये दिनांक 20-9-75 को अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त हो चुके हैं। इस पर भी पूर्ण विचार कर लेना चाहिये। इस पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अदालत के निर्णय के बाद ही इस पर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 231 का ब्यौरा)

जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. के गत 5 वर्षों का आय-व्यय विवरण

क्र. सं.		70-71	71-72	72-73	73-74	74-75
1		2	3	4	5	6
	आय					
1.	ब्याज एवं छूट	314126.12	320141.92	292405.39	436825.21	608678.47
2.	कमीशन एक्सचेन्ज एवं ब्रोकेज	8497.99	9543.10	11409.98	12920.13	22264.59
3.	अनुदान एवं उपहार					
	(अ) सहायक निरीक्षक	40823.90	37019.54	41403.25	29481.78	31746.31
	(ब) व्यवस्थापकीय	21600.00	46062.10	35858.25	26149.52	21348.79
4.	नॉन बैंकिंग आय	839.29	821.50	384.34	1867.12	615.02
5.	अन्य आय एवं लाभांश	11147.60	13635.50	20086.30	30548.12	12325.95
	योग :	457034.90	427223.66	401547.51	537791.88	697079.13

		व्यय				
1.	ऋण एवं अमानतों पर ब्याज	215997.66	160360.41	142520.41	254313.40	315002.81
2.	वेतन एवं भत्ते	175831.35	212176.49	201172.30	213215.04	277210.38
3.	संचालकों को भत्ते	690.08	3255.21	3320.93	3413.36	3013.16
4.	किराया एवं बीमा	7104.87	9506.26	6120.60	8356.08	9199.88
5.	विधि व्यय	—	100.00	—	250.00	—
6.	घिसावट एवं मरम्मत	3816.20	3354.11	6997.84	9520.36	6647.79
7.	डाक एवं तार खर्च	3732.60	3487.75	3290.93	4647.10	5715.21
8.	छपाई, प्रचार एवं स्टेशनरी	3939.75	4500.28	2692.69	6505.63	5807.18
9.	ऑडिट फीस एवं अन्य खर्च	165.00	2300.00	—	—	—
10.	अन्य व्यय	16274.91	25639.15	20746.31	36819.93	27015.38
	योग :	27552.42	423679.76	387462.01	537040.95	650620.79
11.	गत वर्ष का लाभ	29482.48	2543.90	14085.50	750.93	47458.34
	कुल योग :	457034.90	427223.66	401547.51	537791.88	697079.13

परिशिष्ट 8

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

मकराना माइन्स एरिया में कृषि भूमि में खानों के पट्टे

237. श्री जेठमल बरवड़ (रेवदर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही कि मकराना माइन्स एरिया में कृषि भूमि में विभाग ने खानों के पट्टे दिये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को खानों के पट्टे दिये हैं उन व्यक्तियों के खिलाफ राजस्व विभाग ने कृषि भूमि पर खान खोदने के मुकदमे चला रखे हैं तथा जो जिलाधीश कार्यालय में विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि खनिज विभाग ने माइन्स एरिया घोषित करने के लिए कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो यह माइन्स एरिया कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सूची संलग्न है।

(3) भूमि अवाप्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है। अवाप्ति के पश्चात् क्षेत्र नोटीफाई किया जा सकेगा।

कृषि भूमि में बिना राजस्व विभाग की अनुमति के खान खोदने के मामलों की सूची

	मामला संख्या	नाम पक्षकार	ख. नं.
	1	2	3
1.	24/75	सरकार बनाम कुम्भाराम पुत्र आसूराम बलाई, गुणावती।	80
2.	27/75	सरकार बनाम मुन्शी पुत्र इमामुद्दीन गजधर, मकराना।	705
3.	28/75	सरकार बनाम मुन्शी पुत्र इमामुद्दीन गजधर, मकराना।	708
4.	29/75	सरकार बनाम उस्मान पुत्र पीरू, मकराना।	699

1		2	3
5.	1/76	सरकार बनाम अब्दुल जब्बार पुत्र रहीम बक्स, मकराना ।	679
6.	292/73	सरकार बनाम अजीमुद्दीन पुत्र कमालुद्दीन, गुणवती ।	12
7.	430/75	सरकार बनाम नन्दलाल पुत्र देवीदत्त, मकराना ।	97
8.	431/75	सरकार बनाम हाफीज पुत्र अब्दुलगनी, मकराना ।	179
9.	214/75	सरकार बनाम मुस्ताक अहमद ।	143
10.	425/75	सरकार बनाम मुस्ताक पुत्र गुलाम, सुलेमान ।	143
11.	426/75	सरकार बनाम नियाज मोहम्मद ।	158/1
12.	427/75	सरकार बनाम हाजी मोहम्मद् अली ।	179
13.	428/75	सरकार बनाम मुस्ताक अहमद ।	179
14.	200/75	सरकार बनाम चेलाराम ।	×
15.	22/75	सरकार बनाम तयब गहलोत, मकराना ।	9
16.	23/75	सरकार बनाम धनी सिसोदिया, मकराना ।	9
17.	25/75	सरकार बनाम प्रहलादराम हिन्दुस्तान मारबल कं. ।	680
18.	26/75	सरकार बनाम कल्यान मल तोसनीवाल ।	
19.	202/75	सरकार बनाम मोहम्मद इब्राहीम, मकराना ।	64
20.	216/75	सरकार बनाम मुस्ताक अहमद, मकराना ।	679-780
21.	204/75	सरकार बनाम रज़ाक भाटी, गुणावती ।	56

(136)

1		2	3
22.	429/75	सरकार बनाम श्याम/हमीद/गेसावत, मकराना ।	73
23.	214/75	सरकार बनाम दीपसिंह, मकराना ।	143
24.	201//75	सरकार बनाम भंवरलाल जोशी, कोला डूंगरी ।	10 मिन
25.	293/75	सरकार बनाम रूपाराम बावरी, गुनावती ।	11
26.	212/75	सरकार बनाम दीपसिंह, मकराना ।	181
27.	215/75	सरकार बनाम उस्मान मसोदिया, गुनावती	56
28.	424/75	सरकार बनाम जेठमल महाजन, कोला डूंगरी ।	97/112

तहसील पर्बतसर में

29.	28/76	श्री शंकरलाल पुत्र श्री रूपचन्द महाजन, मकराना ।	684
30.	80/76	श्री फारुक पुत्र श्री उस्मान मुसलमान, मकराना ।	684
31.	213/76	श्री हमीमुद्दीन पुत्र श्री गुलाम फरीद सिलावट, मकराना ।	73
32.	210/76	श्री अब्दुल मजीद पुत्र श्री चांद मोहम्मद, साकिन मकराना ।	453/373
33.	211/76	श्री सूरजमल पुत्र श्री केदारमल मानधाकिया, मकराना ।	158/1
34.	214/76	श्री मोहम्मद इब्राहीम पुत्र श्री जहूर मोहम्मद, मकराना ।	64 मि
35.	232/76	श्री फरीद पुत्र रमजानी सिलावट, मकराना ।	714

1	2	3
36. 216/76	श्री चेला पुत्र प्रभूराम जाट, मकराना ।	182
37. 233/76	श्री पीरू पुत्र श्री रमजू, मकराना ।	701
	श्री उस्मान पुत्र श्री पीर बक्स भाटी, मकराना ।	702
38. 234/76	श्री जीवन पुत्र अलादीन सिसोदिया, मकराना ।	714
39. 235/76	श्री हाजी मोहम्मद सरीफ चांद जी सिलावट, मकराना ।	714

करोली स्थित मदनमोहनजी और केलादेवी के मन्दिरों की ऑडिट रिपोर्ट

238. श्री दीपंकर (लाडनू) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व करौली रियासत के राज्य में विलीनीकरण के समय करौली स्थित मदनमोहनजी और केलादेवी के मन्दिरों का ट्रस्टी वहां के भूतपूर्व महाराजा श्री गणेशपाल को नियुक्त करने का करार किया था ? यदि हां, तो इसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मंदिरों के ट्रस्टी के जरिये महाराजा ने अपने महलों को किराये पर दे रखा है ? यदि हां, तो उसका किराया कितने रुपये मासिक है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मंदिरों की ऑडिट रिपोर्ट में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ? 1970 से अब तक की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन का मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । तत्सम्बन्धी आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) उक्त दोनों मंदिर राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं हैं । इस कारण इनका किसी सरकारी ऑडिट पार्टी द्वारा ऑडिट नहीं हुआ है । इन दोनों मंदिरों का राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकरण दिनांक 29-3-75 को किया जाकर पंजीयन प्रमाण-पत्र सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग ने जारी किया है । पंजीकरण के बाद 75-76 का ऑडिट वर्ष समाप्त होने पर राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन सहायक आयुक्त के पास ऑडिट रिपोर्ट प्रन्यासी द्वारा भेजी जावेगी इस कारण पिछले वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं है ।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

KARKHANAJAT DEPARTMENT

From:

The Additonal Secretary to the
Government of Rajasthan, Jaipur.

To,

The Superintendent,
Dharmarth Department,
Government of Rajasthan,
JAIPUR.

No F. 1(493)-Kar./49 Dated Jaipur, the 21st February, 50

Sub:—Management of Shri Madan Mohanji and Shri Kela Deviji's temples at Karauli.

Ref.—Your No. 439/D.D.R., dated Nil February, 50.

Sir,

I am directed to convey Government's Sanction to the transfer of all valuables and property etc. of the above temples to His Highness the Maharaja of Karauli, who will arrange for the management of these temples as a Trust and will be the sole trustee for them.

As the Kela Devi fair will be held next month action in this behalf may please be taken well in time.

The enclosures received with your memorandum under reference are returned herewith.

Sd/-

Additional Secretary to the
Government of Rajasthan.

जयपुर शहर की गृह निर्माण सहकारी समितियां

239. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं ?

(2) इन सहकारी समितियों के पास कहां-कहां पर कितनी-कितनी जमीन है ?

(3) सहकारी समितियों की यह जमीन कितनी मास्टर प्लान के अन्तर्गत है और कितनी मास्टर प्लान के बाहर है ? कृपया नाम व क्षेत्र बताने का कष्ट करें ।

(4) इन सहकारी समितियों के चुनाव कब हुए और वर्तमान में कौन-कौन इनके पदाधिकारी हैं ?

(5) क्या इनका ऑडिट प्रति वर्ष सहकारी विभाग द्वारा होता है ?

(6) क्या सहकारी समितियों ने अपने जिन सदस्यों को कृषि भू-खण्ड आवंटित किये हैं, उन पर उनको कब्जा दे दिया है या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत विभाग के पास आई है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में 188 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं ।

(2) सूचना परिशिष्ट 'क' कॉलम नम्बर 3 पर अंकित है ।

(3) इन गृह निर्माण समितियों की कुल 3853 बीघा भूमि जयपुर शहर के प्रस्तावित मास्टर प्लान की परिधि में है । नाम व क्षेत्र सम्बन्धी सूचना प्रश्न 2 के उत्तर में अंकित परिशिष्ट 'क' पर दी जा चुकी है जो सदन के पटल पर रखा गया है ।

(4) सूचना परिशिष्ट 'क' में कॉलम नम्बर 4 पर अंकित है ।

(5) ऑडिट प्रति वर्ष कराये जाने की व्यवस्था है ।

(6) अधिकांश सदस्यों को कब्जा दिया जा चुका है । कब्जा न दिये जाने की तीन समितियों की शिकायतें आई हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पिड़ावा कस्बे में पाइप लाइन का कार्य

240. श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) क्या यह सही है कि कस्बा पिड़ावा में दो साल से वाटर वर्क्स की योजना चालू की गई है और सारे कस्बे में पाइप लाइन अब तक नहीं बिछाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ? और अब कब तक मोहल्लों में पाइप लाइन डाल दी जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि कस्बा पिड़ावा में अब तक सार्वजनिक नल नहीं

(श्री हाजी जान मोहम्मद खां)
लगाये गये है ? अगर हां, तो क्यों ? और अब कब तक लगा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। पाइप लाइन का कार्य ठेकेदार द्वारा छोड़ दिये जाने के कारण पूरा नहीं किया जा सका। शेष कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जायेगा।

(2) जी हां। सार्वजनिक नल लगाने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं व कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जायेगा।

जयपुर जिले के अस्पतालों में स्टाफ की व्यवस्था

241. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में किस-किस अस्पताल में कितना-कितना स्टाफ स्वीकृत है तथा वर्तमान में क्या सब जगह पूरा स्टाफ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि अनेक जगह काफी अर्से से स्टाफ की कमी चली आ रही है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। प्रशिक्षित व्यक्तियों के अभाव के कारण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो सकी है। ज्योंही उपलब्ध होंगे, पूर्ति कर दी जायेगी।

(2) जी नहीं। किसी-किसी स्थान पर कुछ कर्मचारियों की कमी है जो शीघ्र ही पूरी कर दी जायेगी।

जिला चिकित्सा संस्थाओं जहां स्टाफ की कमी रही है, की सूची

क्रम सं.	संस्था का नाम	रिक्त पदों का विवरण	
1	2	3	
1.	राजकीय पुरुष चिकित्सालय, कोटपूतली	सिस्टर	एक
2.	राजकीय चिकित्सालय, बड़नगर	प्रसविका	एक
		मेल नर्स	एक
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारेड़ा	सी. ए. एस.	एक
4.	राजकीय चिकित्सालय, बनेठी	सी. ए. एस.	एक
5.	राजकीय चिकित्सालय, साईवाड़	मेल नर्स ग्रे. 2	एक
6.	राजकीय चिकित्सालय, गोनेठा	मेल नर्स	एक

1	2	3	
7.	राजकीय चिकित्सालय, अचरोल	मेल नर्स	एक
8.	राजकीय चिकित्सालय, बड़िया कलां	सी. ए. एस.	एक
9.	राजकीय चिकित्सालय, दौसा	मेल नर्स	एक
10.	राजकीय चिकित्सालय, लालसोट	मेल नर्स	एक
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमरसर	मेल नर्स	एक
12.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर कलां	म. स्वा. द.	एक
13.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावरी	मेल नर्स	एक
14.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेड़	सी. ए. एस.	एक
15.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसवा	मेल नर्स	एक
16.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालाडेरा	मेल नर्स	एक
17.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर	मेल नर्स	एक
18.	राजकीय चिकित्सालय, सांभर	मेल नर्स	एक
19.	राजकीय चिकित्सालय, फुलेरा	मेल नर्स	एक

राजस्थान नहर क्षेत्र में तेन्दू के पत्ते व गोंद का विकास कार्य

242. श्री लूणाराम सारण (डूंगरगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र के वन विभाग के स्थानों में विभाग का तेंदू के पत्ते, लाख एवं गोंद आदि लगाने का विचार है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। तेन्दू, गोंद व लाख के पोषित पेड़ों के लिए राजस्थान नहर क्षेत्र की जलवायु एवं मिट्टी उपयुक्त नहीं है।

वैद्यों व उप-वैद्यों के स्थानान्तरण

243. **श्री मीठालाल मीणा** (लालसोट): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में एक जनवरी, 1975 से लेकर अब तक आयुर्वेद विभाग में निदेशक एवं राज्य सरकार की ओर से कितने वैद्य व उप-वैद्यों के स्थानान्तरण किए गए ?

(2) उक्त स्थानान्तरित वैद्य व उप-वैद्यों में से कितने वैद्यों के स्थानान्तरण निरस्त किए गए ?

(3) क्या यह भी सही है कि कई वैद्यों के स्थानान्तरण व निरस्त आदेश एक एक माह में कई बार किए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

बाड़मेर जिले को जल प्रदाय योजनाएं

244. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में (1) ऊंडू-पनाउड़ा (2) भाडरवा देरासर (3) बाड़मेर, आगोर शिवकर, कुड़ला, मगनों-की-ढाणी, गाला बेरी, शिवकर एवं रामजी कुआ रावतसर (4) गिराब तुडवी-खडीन जल प्रदाय योजनाओं के कार्य की क्या प्रगति है ?

(2) उक्त योजनाओं के सम्पूर्ण होने में क्या कठिनाइयां और कमी महसूस हो रही हैं, उनके निराकरण एवं पूर्ति के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(3) उक्त योजनाओं का कार्य कब एवं किस तिथि तक सम्पूर्ण कर ग्रामीण जनता को पानी सप्लाई कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना उण्डू-पनावड़ा का टेस्टिंग कार्य प्रगति पर है। योजना के अन्तर्गत 4 ग्रामों को जल पहुंचाया जा चुका है व शेष 3 गांवों को इसी वित्तीय वर्ष में जल उपलब्ध करवा दिया जायेगा। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना भाड़खा देरासर के लिए भाड़खा में आवश्यक विद्युत् कनेक्शन अभी प्राप्त नहीं हो सका है विद्युत् कनेक्शन मिलने पर योजना को पूर्णरूप से चालू किया जा सकेगा। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बाड़मेर, आगोर शिवकर, कुड़ला के अन्तर्गत मगनों-की-ढाणी एवं रामसर के कुओं के अतिरिक्त अन्य ग्रामों में पेय जल उपलब्ध कराया जा चुका है। रामसर कुआं तक पाइप लाइन डालने के लिए रास्ते के खेतों के मालिकों ने पाइप लाइन डालने की अनुमति नहीं दी है जिसके कारण जल उपलब्ध नही कराया जा सका है। मगनों-की-ढाणी में जल उपलब्ध करवाने के लिये पम्पिग सेट प्राप्त किया जा रहा है एवं विद्युत् कनेक्शन होने पर जल व्यवस्था चालू की जा सकेगी।

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तुड़वीं-खडीन के अन्तर्गत जलाशयों एवं मकानात का कार्य पूरा किया जा चुका है। गिराव में नलकूप बनाये जा चुके हैं। योजना के लिये

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)
250 एम. एम के पाइप प्राप्त किये जा रहे हैं जिनको बिछाना बाकी है। इसके अतिरिक्त आवश्यक जनरेटिंग सेट एवं पम्पिग सेट के लिए क्रय आदेश दिये जा चुके हैं किन्तु ये अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं।

(2) प्रश्न (1) के उत्तर के अनुसार कठिनाइयां हैं जिनका निराकरण करने के लिए विभाग द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल से सम्पर्क किया गया है, एवं मशीनरी इत्यादि भी शीघ्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना उण्डूपनावड़ा इसी वित्तीय वर्ष में पूरी कर दी जावेगी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना भाडरवा देरासर के अन्तर्गत विद्युत् कनेक्शन प्राप्त होने पर योजना चालू की जा सकेगी। एवं क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तुड़वी खड़ीन अगले वित्तीय वर्ष में चालू की जाने की आशा है। बगनों-का-ढाणी एवं रामसर कुआ को जल अगले वर्ष दिया जा सकेगा।

ब्यावर नगर में परिगणित जाति और पिछड़ी जाति के मोहल्लों में पाइप लाइन डालने की योजना

245. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर नगर के परिगणित जाति और पिछड़ी जाति के लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां पेय जल बरावर नहीं पहुंचता? क्या यह भी सही है कि नगर परिषद्, ब्यावर ने इन्हीं इलाकों में बड़ी पाइप लाइन डालने की योजना बनाई है? यदि हां, तो कब यह योजना स्वीकार की गई तथा अब तक यहाँ नल क्यों नहीं डाले गये?

(2) क्या नगर परिषद्, ब्यावर को लम्बे अर्से से नल नहीं प्राप्त हो रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि नलों के टेण्डर की स्वीकृति हेतु फाइल डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज के पास भेजी गयी? यदि हां, तो कब और अब तक उस पर क्या हुआ?

(4) क्या यह भी सही है कि डाइरेक्टर के यहां से गलत आदमी का टेण्डर स्वीकार कर फाइल ब्यावर भेज दी? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ?

उत्तर

(1) जी नहीं, छावनी मोहल्ला व सूरजपोल गेट दो ऐसे मोहल्ले हैं जहां पानी तो पूरे तरीके में पहुंचता है, परन्तु लाइन छोटी होने के कारण परिषद् ने दोनों क्षेत्रों में बड़ी लाइन डालने की योजना बनाई थी जो अक्टूबर, 1973 में स्वीकार कर ली गई है, तथा पाइप उपलब्ध न होने के कारण इस योजना की क्रियान्विति होने में विलम्ब हुआ है।

(2) नगर परिषद्, ब्यावर द्वारा टेण्डर मांगने पर नियमानुसार कम से कम तीन फर्मों के टेण्डर प्राप्त नहीं होने के कारण पाइप क्रय नहीं किये जा सके।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(3) नगर परिषद्, ब्यावर से पत्रावली दिनांक 23-8-75 को निदेशालय स्थानीय निकाय को भेजी गई जो दिनांक 23-9-75 को स्वीकृत कर लौटा दी गई। परन्तु परिषद् द्वारा कुछ स्पष्टीकरण हेतु पत्रावली 15-10-75 को निदेशालय में भेजी गई जहां से दिनांक 20-12-75 को टेण्डरों की स्वीकृति के साथ पत्रावली नगर परिषद् को लौटा दी गई है।

(4) जी नहीं, नियमानुसार न्यूनतम टेन्डर की ही स्वीकृति दी गई थी नगर परिषद् ने पुनः दिनांक 8-1-76 को सूचित किया है कि एक अन्य फर्म कम दर पर पाइप देने को सहमत है। परन्तु व्यय राशि व क्वालिटी के बारे में स्पष्ट नहीं था। अतः नगर परिषद् से इस बारे में पत्र दिनांक 17-1-76 द्वारा जानकारी की गई है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें

246. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निगम द्वारा प्राइवेट बसेज सम्पूर्ण राजस्थान में लम्बे रूट्स पर किराये पर चलाने हेतु कितनी बसें कहां-कहां के लिये किस-किस रेट पर चलाई जाती हैं ?

(2) पिछले 6 माह में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों द्वारा कितने किलो मीटर्स कवर किये जाते रहे हैं और प्राइवेट बसों द्वारा कितने किलो मीटर्स कवर किये जाते रहे हैं ?

(3) पिछले 6 मास में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें पूरे तौर पर काम में न आकर खड़ी हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त निगम लाखों रुपयों के घाटे में जा रहा है ? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में कितने रुपये घाटे में रहा ?

(5) क्या यह भी सही है कि निगम द्वारा देहली से कुछ प्राइवेट बस ऊंची दरों पर यहां लाई गई हैं जब कि देहली में उनकी दर केवल 1.05 पैसे प्रति किलोमीटर है ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा 235 प्राइवेट बसें किराये पर ली गई हैं। जिन मार्गों पर निगम द्वारा प्राइवेट बसें चलाई जा रही है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

निगम द्वारा 1975 मॉडल तक की बसों को प्रतिदिन प्रथम 200 किलोमीटर तक 1.30 रु. एवं बिल्कुल नई बसों को प्रतिदिन प्रथम 250 किलोमीटर तक 1.30 रु. तथा सभी को इस दूरी से आगे तय किये गये किलोमीटर पर 1.00 रु. प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया गया है। दिनांक 15-1-76 से बिल्कुल नये वाहनों के लिये 250 किलोमीटर तक व पुराने वाहनों के लिये 200 किलोमीटर प्रतिदिन की दर 1.33 पैसे प्रतिदिन एवं इसके पश्चात् 1.03 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है।

(श्री यातायात मन्त्री)

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्राइवेट अनुबन्धित वाहनों की 6 माह में संचालित किलोमीटर का ब्योरा इस प्रकार है:—

माह	निगम के वाहनों (किलोमीटर)
जून, 75	77-32
जुलाई, 75	76-72
अगस्त, 75	72-93
सितम्बर, 75	68-2
अक्टूबर, 75	74
नवम्बर, 75	80

(3) पिछले 6 माह में निगम के कोई भी सेवा योग्य वाहन खड़े नहीं रहे। निगम के 6 माह से ऑफरोड़ वाहनों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। पिछले दो वर्षों में निगम लाभ में रहा है।

(5) निगम द्वारा जो बसें देहली के बस मालिकों से किराये पर ली गई थीं उनको अलग से कोई ऊंची दरें नहीं दी गई। देहली में ये बसें कहां और किस दर पर चल रही थीं इसकी जानकारी नहीं है।

STATEMENT OF OFF ROAD VEHICLES WITH THE CORPORATION

From July, 1975 to Dec., 1975.

1.	July	249
2.	August	226
3.	September	240
4.	October	233
5.	November	227
6	December	192

हाउसिंग बोर्ड द्वारा पाली नगर में मकान बनाने की योजना

247. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा पाली नगर में मध्यम श्रेणी व जनता श्रेणी के मकान बनाने की योजना क्रियान्वित करने की घोषणा की गई थी और उसके तहत पाली के कई नागरिकों ने आवश्यक धनराशि भी जमा करवाई ? यदि हां, तो यह घोषणा कब की गई थी और धनराशि किस तारीख तक जमा की गई ?

(2) क्या यह सही है कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाने हेतु अभी तक पाली नगर में जमीन भी नहीं ली गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री शंकरलाल)

(3) अब हाउसिंग बोर्ड द्वारा इस योजना की क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, पाली शहर के लिए आवासन बोर्ड ने 1-1-75 से 31-3-75 के बीच पंजीकरण योजना प्रसारित की थी। इसकी घोषणा 1-1-75 को की गई व राशि 31-3-75 तक जमा की गई।

(2) जी नहीं, पाली शहर में जमीन का चयन कर लिया गया है और उसे खरीदने का मामला विचाराधीन है।

(3) हाउसिंग बोर्ड द्वारा पाली में वर्ष 76-77 में मकानों के निर्माण करने का विचार है और आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है।

अखबारों का डी-रजिस्ट्रेशन

248. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

आपात स्थिति लागू होने के बाद राज्य में सरकार ने किस-किस अखबार को डी-रजिस्टर किया और किस किस अखबार को एडवर्टाइजमेंट के लिए डी-रिकगनाइज किया ? किन-किन सम्पादकों की यात्रा सम्बन्धी सुविधाएं वापिस ली गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आपातकालीन स्थिति लागू होने के बाद राज्य सरकार द्वारा 759 समाचार पत्रों के घोषणा-पत्र निरस्त एवं 15 पत्रों के घोषणा-पत्र निलंबित किये गये, 113 समाचार पत्रों को विज्ञापनों की मान्य सूची से निरस्त किया गया और 131 समाचार-पत्रों का अभिधीकरण निरस्त किया गया। सूचियां क्रमशः 'अ' 'ब' तथा 'स' सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम विराटनगर (जयपुर) में पानी की टंकी का निर्माण कार्य

249. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बतायेंगे की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले के ग्राम विराट नगर में पानी की टंकी का निर्माण कार्य कब पूरा किया गया ? क्या इस टंकी के निर्माण का पेमेन्ट ठेकेदार को कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सच है कि टंकी के निर्माण कार्य के प्रारम्भ के समय ही जनता द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गई थीं ? यदि हां, तो इन आपत्तियों का निर्णय कब किया गया ? क्या यह सच है कि टंकी में पानी लीक करता है तथा टंकी प्रथम दिन से ही क्रेक है ? यदि हां, तो विभाग ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने मौके पर यह स्वीकार किया

(श्री हनुमानसहाय व्यास)
है कि टंकी के निर्माण में डिफेक्ट है तथा टंकी लीक करती है ? यदि हां, तो फिर अब तक क्यों नहीं अन्य टंकी का निर्माण कराया गया ?

उत्तर

(1) पानी की टंकी का निर्माण कार्य दिनांक 10-6-72 को पूरा किया गया है। तथा इसका अन्तिम भुगतान दिनांक 3-1-76 को कर दिया है।

(2) जी हाँ, टंकी बनाते समय स्थान के चयन एवं टंकी की ऊंचाई के बाबत सरपंच ग्राम पंचायत विराट नगर द्वारा आपत्ति उठाई गई थी जिसके सम्बन्ध में आवश्यक उत्तर दिनांक 20-4-72 को अधिशासी अभियन्ता, जिला खण्ड जयपुर द्वारा दे दिये गये थे। टंकी को अक्टूबर, 75 में भरा गया तब उसमें सीपेज हुआ था जिसको ठेकेदार द्वारा तुरन्त ठीक कर दिया गया था।

(3) जी नहीं। टंकी अक्टूबर, 75 से लगातार काम आ रही है अतः नई टंकी बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य के विभिन्न जिलों में योजनाओं पर व्यय

250. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान की कुल कितनी आबादी है और जयपुर जिले की कितनी आबादी है ?

(2) राज्य के विभिन्न जिलों में योजनाओं के तहत सन् 1973 से 1975 तक कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह सही है कि आबादी के अनुपात में अन्य जिलों से यहां पर बहुत कम व्यय किया गया है ?

(4) क्या राज्य सरकार अगली योजना में इस जिले पर अधिक राशि खर्च करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान की आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 2,57,65,806 है एवं जयपुर जिले की 24,82,385 है।

(2) जिलेवार योजना व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(3) सन् 1973 व 1974 के जिलेवार व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(4) अगली योजनाओं में जयपुर जिले में खर्च उसकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं, राज्य के आर्थिक साधनों एवं योजना की प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर किया जावेगा।

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 114 की सूची)

LIST OF JAILS AND SUB JAILS IN RAJASTHAN

Central and District Jails	Reformatories
1. Central Jail, Jaipur.	1. State Reformatory for Females, Jaipur.
2. Central Jail, Jodhpur.	2. Juvenile Reformatory, Udaipur.
3. Central Jail, Udaipur.	**Special Class Sub-Jails**
4. District Jail, Bikaner 'A' Class.	1. Special Sub-Jail, Bhilwara
5. District Jail, Kota. 'A' Class.	
6. Model Jail, Ajmer, 'A' Class.	
7. District Jail, Alwar 'A' Class	
8. District Jail, Ganganagar, 'B' Class.	
9. District Jail, Bharatpur, 'B' Class.	
10. District Jail, Dholpur. 'C' Class.	
11. District Jail, Tonk, 'C' Class.	

SUB-JAILS

I Class Sub-Jails	II Class Sub-Jails	III Class Sub-Jails
1	2	3
1. Jhunjhunu	1. Dausa	1. Bandikui
2 Jhalawar	2. Sambhar	2. Behror
3. Sirohi	3. Bali	3. Kotputli
4. Pratapgarh	4. Sawai-Madhopur	4. Khetri

1	2	3
5. Gangapur City	5. Düngarpur	5. Malpura
6. Sikar	6. Hindaun	6. Fatehpur
7. Neem-ka-Thana	7. Parbatsar	7. Bayana
8. Churu	8. Nagaur	8. Karauli
9. Pali	9. Merta	9. Phalodi
10. Deeg	10. Bhinmal	10. Didwana
11. Jalore	11. Balotra	11. Sanchore
12. Baran	12. Sojat	12. Jaisalmer
13. Barmer	13. Jaitaran	13. Ramganjmandi
14. Banswara	14. Aklera	14. Nainwan
	15. Chhabra	15. Ratangarh
	16. Bundi	16. Karanpur
	17. Sadulpur	17. Bhim
	18. Raisinghnagar	18. Kanore
	19. Hanumangarh	19. Kotra
	20. Aburoad	20. Mavli
	21. Kushalgarh	21. Rajasamand
	22. Chittorgarh	22. Gangapur (B.L.)
	23. Nimbahera	23. Shahpura (B.L.)
		24. Gulabpura
		25. Mandalgarh
		26. Chhotisadri
		27. Begun
		28. Kapasan
		29. Pokaran
		30. Bhawanimandi
		31. Salumber
		32. Jahazpur
		33. Bhadra

150

Open Camps

1. Open Air Arg. Trg. Farm, Durgapura (Jaipur)
2. ,, ,, ,, ,, ,, Mandore (Jodhpur)
3. ,, ,, ,, ,, ,, Suratgarh (Ganganagar)
4. Shri Sampurna Nand Shivir, Sanganer (Jaipur)

CENTRAL JAIL.... 3

DISTRICT JAIL 'A' CLASS...............3

MODEL JAIL......................................1

DISTRICT JAIL 'B' CLASS 2

DISTRICT JAIL 'C' CLASS............2

REFORMATORIES 2

SUB-JAIL INCLUDING SPL 71

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 119 की सूची)

(1) सिलिसियस अर्थ:—

राज्य सरकार द्वारा सन् 1970-71 में बाड़मेर जिले में सिलिसियस अर्थ नामक खनिज का पता लगाया गया था तथा इसके पूर्वेक्षण का कार्य सन् 1973-74 में तेज गति से चलाया गया। यह खनिज बाड़मेर जिले के भतीका गोल, पोलाद कोटरा मन्डाई, लजिस, बरियाड़ा आदि स्थानों पर पाया जाता है।

पूर्वेक्षण कार्यों द्वारा इस खनिज के अब तक लगभग 23 लाख टन भण्डारों का पता लगाया गया है।

इस खनिज के नमूने रीजनल रिसर्च लेबोरेट्री, हैदराबाद को भेजे गये हैं ताकि इसके विभिन्न उपयोगों का पता लगाया जा सकें।

(2) सिलिका सेण्ड:—

जैसलमेर जिले के लाठी नामक स्थान पर सिलिका सेण्ड खनिज का सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा सन् 1972-73 में कराया गया जिसके फलस्वरूप लगभग 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस खनिज का डेढ़ से ढ़ाई मीटर गहराई तक होना पाया गया तथा लगभग 2 करोड़ टन सिलिका सेण्ड के भंडारों का अनुमान लगाया गया है।

(3) सेलेनाइट:—

राज्य सरकार द्वारा 1974-75 में जैसलमेर जिले के बांधा, एकल, विमरासर रामगढ़ आदि स्थानों पर सेलेनाइट के भण्डारों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण कराया गया लगभग 18 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में 122 सीढ़ियां लगाकर 55 नमूने एकत्र किये गये तथा उनका विश्लेषण कराया गया। इस कार्य द्वारा ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र में इस खनिज के बहुत कम मात्रा में भण्डार उपलब्ध हैं। बेरी ब्लॉक में करीब 2,400 टन तथा भीलों की ढ़ाणी क्षेत्र में करीब 250 टन सेलेनाइट होने का अनुमान लगाया गया है।

बाड़मेर जिले में थोब नामक स्थान पर भी राज्य सरकार द्वारा सेलेनाइट के विस्तृत भण्डारों का पता लगाया गया था जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लायक है।

Page No 152

(4) पीले चूने का पत्थरः—

जैसलमेर क्षेत्र में राज्य सरकार ने सन् 1970-71 में पीले चूने के पत्थर के भण्डारों का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण कराया तथा सन् 1974-75 में इन पत्थरों के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण किया गया। इस कार्य से ज्ञात हुआ कि जैसलमेर में पाये जाने वाले पीले चूने के पत्थरों में सिलिका की मात्रा अधिक है। इनका मुख्य उपयोग भवन निर्माण में ही होता है। इस खनिज के भण्डारों की मोटाई कम होने के कारण छोटे-छोटे ब्लॉक ही निकल पाते हैं। कुछ क्षेत्रों में बड़े ब्लॉक्स भी निकलते हैं। उन्हें मकराना भेजकर पॉलिश करवा-करवा कर पीले मारबल के नाम से काम में लाया जाता है।

———

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 120 की सूची)

कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर

बिक्री कर के अन्तर्गत 30-9-1975 को अवशेष राशि का विवरण

वृत का नाम	पुरानी बकाया 30-9-75
1	2
अजमेर	13,98,026
ब्यावर	3,03,888
अलवर	11,08,722
भरतपुर	42,19,600
जयपुर 'ए'	11,15,818
जयपुर 'बी'	28,87,271
जयपुर 'सी'	9,29,350
जयपुर 'डी'	12,94,655
ए. ई. जयपुर	12,33,283
स्पेशल-I, जयपुर	17,43,202
स्पेशल-II, जयपुर	81,26,835
सीकर	6,36,791
बीकानेर	6,18,465
गंगानगर	6,89,240
हनुमानगढ़	[illegible],[illegible]2,49[illegible]
जोधपुर 'ए'	11,16,553
जोधपुर 'बी'	3,26,302
स्पेशल जोधपुर	5,27,366
नागौर	2,50,435
पाली	5,78,335
सिरोही	1,58,911
भीलवाड़ा	4,47,567

Page No 154

(154)

1	2
चित्तौड़गढ़	10,02,217
कोटा 'ए'	4,57,600
कोटा 'बी'	5,36,093
एन्टी इवेजन, कोटा	2,50,034
स्पेशल कोटा	25,86,142
गंगापुर	11,82,528
उदयपुर 'ए'	4,87,704
उदयपुर 'बी'	1,87,472
	योग : 3,68,22,903

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 127 की सूची)

31-12-75 तक स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम		योजना का नाम	अनु. लागत (लाख रु. में)
1	2		3	4
1.	अजमेर	1.	पी. एण्ड. टी., तबीजी	2.53
		2.	हैण्ड पम्प परियोजना	4.56
2.	अलवर	1.	क्षेत्रीय कोटकासिम भाग प्रथम	7.81
		2.	क्षेत्रीय कोटकासिम भाग द्वितीय	11.08
3.	बांसवाड़ा	1.	हैण्ड पम्प परियोजना	4.04
4.	बाड़मेर	1.	क्षेत्रीय योजना नीमला-सुरा, जयडू	29.50
5.	भरतपुर	1.	क्षेत्रीय योजना करवा-गुनसारा प्रथम भाग	17.46
6.	भीलवाड़ा	1.	पाइप्ड बीगोद	5.18
		2.	हैण्ड पम्प परियोजना	1.44
7.	बीकानेर	1.	क्षेत्रीय योजना बज्जू तेजपुरा (गडियाली का विस्तार)	6.52
		2.	क्षेत्रीय योजना महरामसर	6.61
		3.	गजनेर से बच्चासर तक का विस्तार	1.60
		4.	क्षेत्रीय योजना मीठरिया जैतपुरा (प्रथम भाग)	6.96
8.	बून्दी	1.	पी. एण्ड. टी., कापरेन	2.35
		2.	पाइप्ड तालेरा	2.05
		3.	पी. एण्ड. टी., दुगारी	2.48
9.	चित्तौड़गढ़	1.	क्षेत्रीय योजना, परसेली जयसिंहपुरा	3.42
		2.	क्षेत्रीय योजना, देवीपुरा	6.70
		3.	क्षेत्रीय योजना, बानसन लछमीपुरा	3.06
10.	चूरू	1.	क्षेत्रीय योजना, दगोठी राजगढ़ का विस्तार	6.50
		2.	क्षेत्रीय योजना, बीग्गारामसरा का विस्तार	4.24
		3.	क्षेत्रीय योजना, ऋषिकुल आश्रम	6.92

1	2		3	4
		4.	क्षेत्रीय योजना, खारसोली का विस्तार (प्रथम भाग)	16.09
		5.	क्षेत्रीय योजना, बन्धनऊ भाग प्रथम	5.00
		6.	क्षेत्रीय योजना, लाडनूं-छापर का विस्तार	7.80
11.	डूंगरपुर	1.	हैण्ड पम्प परियोजना	2.66
12.	गंगानगर	1.	क्षेत्रीय योजना, जोगीवाला प्रथम भाग	9.40
		2.	पी. एण्ड टी., गांधी वाड़ी	5.43
		3.	पी. एण्ड टी., बीन्ज बयाला	5.73
13.	जयपुर	1.	पी. एण्ड टी., करेरी	3.68
		2.	पी. एण्ड टी., हरसोली	2.39
		3.	पी. एण्ड टी., भाभरु	4.31
14.	जैसलमेर	1.	क्षेत्रीय योजना, कोथड़ी पीयाला प्रथम भाग	9.22
15.	जालौर	1.	क्षेत्रीय योजना बागोरिया कोरी प्रथम भाग	21.90
		2	क्षेत्रीय योजना, करवारा सेवारा प्रथम भाग	8.93
16.	झालावाड़	1.	पी. एण्ड टी., पिपरोली	2.56
		2.	पी. एण्ड टी., सारोला कलां	4.35
17.	जोधपुर	1.	पी. एण्ड टी., देनोक	3.25
		2.	क्षेत्रीय योजना, डोलीधावा प्रथम भाग	32.82
18.	कोटा	1.	हैण्ड पम्प परियोजना	4.84
19.	नागौर	1.	क्षेत्रीय योजना, सावराड	15.58
		2.	क्षेत्रीय योजना, दयालपुरा प्रथम भाग	11.56
		3.	क्षेत्रीय योजना, अलाई प्रथम भाग	21.13
		4.	क्षेत्रीय योजना, पूनास प्रथम भाग	8.77
		5.	क्षेत्रीय योजना, मोतसुखा प्रथम भाग	5.67
20.	सवाई माधोपुर	1.	क्षेत्रीय योजना, पीलोदा उदई खुर्द	11.65
		2.	क्षेत्रीय योजना, सोप शहर नादोती	23.70
21.	सीकर	1.	क्षेत्रीय योजना, ढाणी रिडमल	2.87
		2.	क्षेत्रीय योजना, खोटिया प्रथम भाग	7.02

1	2	3	4
22.	सिरोही	1. क्षेत्रीय योजना, अनगोर पालड़ी प्रथम भाग	8.58
23.	टोंक	1. क्षेत्रीय परियोजना, टोरडी-प्रथम भाग	10.56
24.	उदयपुर	1. पी. एण्ड टी., चांवड	2.40
		2. पी. एण्ड टी., लसानी	2.36
		3. पी. एण्ड टी., सराड़ा	2.57
		4. पी. एण्ड टी., झाडोल	3.21
		5. पी. एण्ड टी., मोलेड़ा	3.08
		6. हैण्ड पम्प परियोजना	1.75

———

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 128 की सूची)

राज्यों की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर

(रुपयों में)

	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आन्ध्र प्रदेश**	349	392	387	445	500	495*	521*	569*	602*	637*
2. आसाम (पुनर्गठित)	357	394	418	500	558	513	419	528	535×	....
3. बिहार	262	294	332	314	391	376	403*	437*	....	489*
4. गुजरात**	414	494	498	564	654	606*	696*	806*	833*	733×
5. हरियाणा**	....	....	450	608	713*	635*	811*	844*	915*	982*
6. हिमाचल प्रदेश**	373	396	389	440	528	550	563	639	....	....
7. जम्मू और कश्मीर**	300	331	317	409	449	446*	494*	520*	....	....
8. कर्नाटक	348	380	386	418	451*	483*	495*	530*	540*	587×
9. केरल**	304	362	417	447	488	507	550	590×	579*	....
10. मध्य प्रदेश**	306	347	326	338	461	425	469	490	528	573
11. महाराष्ट्र**	485	526	534	610	676	700	752	788*	831*	867*
12. मनीपुर**	201	212	272	442	421	487	425	393*	424*	....

13. उड़ीसा**	313	342	329	395	435	464	491	496*	511*	...
14. पंजाब**	463	555	559	720	818	881	945	995	1054	1105
15. राजस्थान**	306	391	373	452	514	414	497	632*	563*	590*
16. तमिलनाडू**	353	389	406	466	485	494	540	622	688	746*
17. उत्तर प्रदेश	287	370	364	446	506	476	521*	520*	591*	652×
18. पश्चिमा बंगाल**	386	409	415	449	502	494*	522*	549*	585*	574*

* प्रारम्भिक/अन्तरिम

** संशोधित पद्धति पर आधारित

× त्वरित

.... अप्राप्त

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 136 की सूची)

(अ)

क्र. सं.	नाम खरीददार	प्लॉट नं.	दर प्रति वर्ग गज	राशि
1	2	3	4	5
1.	श्री रामसहाय पुत्र रामकुंवार खाती	1	30 पैसा	10.84
2.	,, ,, ,, ,,	2	29 ,,	10.48
3.	हरदेव कोली, शिवसिंहपुरा	3	40 ,,	14.45
4.	,, ,, ,,	4	55 ,,	19.86
5.	रघुनाथ कोली, शिवसिंहपुरा	5	55 ,,	19.86
6.	रघुनाथ पुत्र धन्ना कोली	6	55 ,,	19.86
7.	उधा पुत्र धन्ना कोली	7	57 ,,	20.59
8.	हुक्मा पुत्र धन्ना कोली	8	50 ,,	18.06
9.	सोन्या कोली पुत्र धन्ना कोली	9	60 ,,	लेने से इन्कार किया
10.	गोपी मीणा, दौलतपुरा	10	52 ,,	18.78
11.	,, ,, ,,	11	55 ,,	19.86
12.	,, ,, ,,	12	62 ,,	22.39
13.	कल्याण पटेल, सकलावा	13	60 ,,	21.67
14.	,, ,, ,,	14	62 ,,	22.39
15.	रामकिशोर सुनार, धतवास	15	62 ,,	22.39
16.	,, ,, ,,	16	65 ,,	23.47
17.	सीताराम कुम्हार	17	66 ,,	—
18.	रामनिवास महाजन	18	65 ,,	23.47
19.	,, ,,	19	62 ,,	22.39
20.	रामसहाय जोशी	20	62 ,,	22.39
21.	सुवालाल जोशी	21	57 ,,	20.50
22.	सुवालाल जोशी	22	62 ,,	22.39

1	2	3	4	5
23.	मूल्या कुम्हार	23	45 पैसा	लेने से इन्कार किया
24.	मूल्या कुम्हार	24	42 ,,	,,
25.	कन्हैयालाल जोशी	25	46 ,,	16.61
26.	,, ,,	26	40 ,,	14.45
27.	,, ,,	27	42 ,,	15.61
28.	,, ,,	28	60 ,,	21.67

(ब)

क्र. सं.	नाम खरीददार	दिनांक राशि वसूली	निलामी राशि की वसूली
1.	श्री गोपी पुत्र महादेव मीणा	20-8-65	61.03
2.	,, हरदेवा कोली	4-10-65	34.31
3.	,, ओंकार घन्ना कोली	30-10-65	19.86
4.	,, हुक्मा पुत्र घन्ना कोली	30-10-65	18.06
5.	,, उध्या पुत्र घन्ना कोली	30-10-65	20.59
6.	,, रामसहाय पुत्र रामकुमार खाती	30-10-65	21.32
7.	,, सूवालाल ब्राह्मण	12-11-65	42.61
8.	,, कल्याण पुत्र नारायण शर्मा	12-11-65	44.06
9.	,, रामकिशोर सुनार, धातवास	16-11-65	45.46
10.	,, कन्हैयालाल जोशी	21-12-65	67.89
11.	,, रामनिवास महाजन	13-6-69	45.86
12.	,, रामवतार सोनी पुत्र रामनारायण सोनी	15-12-65	27.10
13.	,, रघुनाथ कोली	15-12-69	19.89

————

162

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 21 जनवरी, 1976

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	नीचे से 2	चुकी	चुका
4	ऊपर से 11	पाला	पाली
5	ऊपर से 11	महादय	महोदय
7	ऊपर से 12	लाटा	लौटा
10	ऊपर से 9	इसका	इसकी
15	शीर्ष	श्री जभार सिंह	श्री जुझारसिंह
15	ऊपर से 19	पयटन	पर्यटन
16	नीचे से 9	कराब	करीब
19	शीर्ष	श्री रामानन्द अगवाल	श्रा रामानन्द अग्रवाल
19	ऊपर से 5	श्री रामानारायण चौधरी	श्री रामनारायण चौधरी
22	ऊपर से 4	श्री रघ ा थ विशाई	श्री रघुनाथ बिश्नाई
22	ऊपर से 6	श्रा राजेन्द्रसिंह	श्री राजेन्द्रसिंह
22	नीचे से 4	है नहीं	नहीं है
26	नाचे से 12	प्रसन्न	पर्सन्स
26	नीचे से 8	आार	और
27	ऊपर से 15	श्री रामान्नद अग्रवाज	श्री रामानन्द अग्रवाल
32	नीचे से 8	परे	पर
38	ऊपर से 7	श्री अध्यग्र	श्री अध्यक्ष
38	नीचे से 14	प्रतिनियुति	प्रतिनियुक्ति
38	नीचे से 10	प्रति नियुक्ति	प्रतिनियुक्त
42	नीचे से 8	मोहमद	मोहम्मद
53	नीचे से 6 के ऊपर	—	(सूचा के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)
56	ऊपर से 12	समाप	समीप
71	ऊपर से 12	कार्यवाहा	कार्यवाही
82	ऊपर से 10	भूंठे	भूंटे
95	ऊपर से 16	बाइन	लाइन
109	नीचे से 10	में उसको	उसको
109	नीचे से 9	इसको	इसका
111	ऊपर से 12	एसी	ऐसी
113	नीचे से 12	कमजार	कमजोर

163

1	2	3	4
114	ऊपर से 5	इसका	इसको
115	ऊपर से 9	हा	ही
117	ऊपर से 7	इसक	इसका
123	नीचे से 9	सब कमेटा	सब-कमेटी
132	ऊपर से 6	काजिये	कीजिये
140	नीचे से 13	जा रहा है	जा रहा है
144	ऊपर से 6	लाग	लोग
150	ऊपर से 6	कायपालिका	कार्यपालिका
159	नीचे से 17	माननाय	माननीय
159	नीचे से 12	उनके	उनका
159	नीचे से 8	काई	कोई
166	ऊपर से 14	माननीत	माननीय
170	ऊपर से 9	चौवरी	चौधरी
183	ऊपर से 7	हमेशा हमेशा	हमेशा
197	शीर्ष	(श्रा यागेन्द्रनाथ हांडा)	(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
198	ऊपर से 4	हा	ही
201	ऊपर से 4	ग्रार	ग्रौर
203	ऊपर से 18	निराशा	निराशा
225	नीचे से 13	ग्राने स्थिति	ग्राने का स्थिति
238	ग्रंतिम	सदस्य क	सदस्य का
241	ऊपर से 4	चीज का	चीज को
246	ऊपर से 12	का	की
251	ऊपर से 9	ग्रभा नासिक प्रस	ग्रभी नासिक प्रेस
251	ऊपर से 12	का	की
251	नीचे से 5	का	की
254	ऊपर से 6	गारव	गारव
254	नीचे से 7	बड़ा	बड़ी
255	ऊपर से 12	ता	तो
275	नीचे से 6	में सरकार	सरकार
280	ऊपर से 2	119	118
282	ऊपर से 2	120	125